Central Public Works Department

Office Memorandum No. DG/CON/Misc/43

ISSUED BY THE AUTHORITY OF DIRECTOR GENERAL, CPWD

Nirman Bhawan, New Delhi

Dated: 07.08.2024

Subject: General Conditions of Contract 2024 EPC Projects.

'General Conditions of Contract 2024 EPC Projects' has been released by Hon'ble Minister of Housing and Urban Affairs, Shri Manohar Lal on 12.07.2024. This book will be implemented with effect from the next day of issue of this OM. General Conditions of Contract 2024 EPC Projects' in PDF format is available on CPWD website under CPWD publications. The OMs published earlier are not to be read along with General Conditions of Contract 2024 EPC Projects', as relevant circulars have been incorporated in the latest edition of GCC.

'General Conditions of Contract 2024 EPC Projects' is available from the outlet mentioned below @ Rs. 150/- (Rs. One hundred fifty only). The sale price shall be applicable for Delhi including all taxes. However, for inter-state sales, forwarding charges and postage / freight may be charged extra as per actual and will be directly payable by the purchaser / indenter.

It is requested that necessary directions may please be issued to all NIT approving authorities to obtain physical copies of General Conditions of Contract 2024 EPC Projects against payment from the authorized source. The NIT approving authorities are advised to correlate and check the commercial version with the official version available at CPWD website for accuracy and correctness. It may be noted that for any error creeping in the contract in variance with the official version available at CPWD website, shall be the sole responsibility of the NIT approving authority.

The rights for printing and marketing General Conditions of Contract 2024 EPC Projects have been given to M/s. Jain Book Agency (Central). No other agency other than that mentioned above, has any right to print these documents in any form, in part or full.

Outlet:-

M/s. Jain Book Agency (Central), 4638121, Ground floor, Ansari Road, Daryaganj, Opp. Fire station, New Delhi-110002, email: cp@ainbookagency.com, Mobile: 9868378448, 8810566260, 011 -43513570, 44556677.

This issues with the approval of DG CPWD.

Superintending Engineer (C&M

Issued from file No. CSQ/CM/18(2)/Printing/2024 e-file no. 9177845 (DFA/9290277) 9161772 (DFA/9268898)

Copy to:

1. All CPWD and PWD officers for information and necessary action. (Through CPWD website).

2. EE(NDPD) for information and w.r.t. work order no. 01/EE/NDPD/2022-23.

Superintending Engineer (C&M)






केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ईपीसी कार्यों के लिए संविदा की सामान्य शर्तें 2024

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT EPC PROJECTS 2024









Published under the authority of Director General, CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi



Percentage Rate / Item Rate EPC mode Tender & Contract प्रतिशत दर/मद दर ई.पी.सी. निविदा एवं संविदा

Index / सूची

SI. No. / क्रम सं	Details / विवरण	Page/ पृष्ठ
1	General Guidelines – सामान्य दिशानिर्देश	2
2	Tender Form CPWD - EPC – निविदा फार्म के.लो.नि.वि. ई.पी.सी.	3
3	General Rules and Directions – सामान्य नियम एवं निर्देश	5 - 9
4	Conditions of Contract – संविदा की शर्तें	10 - 12
5	Clauses of Contract – संविदा के खंड	13 - 62
6	Integrity Pact – सत्यनिष्ठा संधि	63 - 67
7	CPWD Safety Code – के.लो.नि.वि. सुरक्षा संहिता	68 - 72
8	Model Rules for the Protection of Health and Sanitary Arrangements for Workers – श्रमिकों के लिए स्वास्थय तथा स्वच्छता व्यवस्था की सुरक्षा के लिए आर्दश नियम	73 - 77
9	CPWD Contractor's Labour Regulations – के.लो.नि.वि. ठेकेदार के श्रमिक विनियम	78 - 83
10	Proforma of Registers (Appendix-I to Appendix-XVI) – रजिस्टरों के प्रारूप (परिशिष्ट–1 से परिशिष्ट–XVI)	84 - 103
11	Reference of disputes and amount claimed for each dispute to the Conciliator – AppendixXVII मध्यस्थ को विवादों और प्रत्येक विवाद के लिए दावा की गई राशि का संदर्भ परिशिष्ट – XVII	104
12.	Notice for appointment of Arbitrator Appendix- XVIII मध्यस्थ की नियुक्ति की सूचना परिशिष्ट – XVIII	105 - 106
13.	Agreement towards waiver of Section 12(5) of Arbitration & Conciliation Act 1996 AppendixXIX मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 12(5) के अधित्याग के लिए समझौता परिशिष्ट – XIX	107
14	From of Bank Guarantee for Earnest Money Deposit/ Performance Guarantee/ Security Deposit/ Mobilisation Advance – बयाना धनराशि / कार्य निष्पादन गारंटी / जमा राशि गतिशीलता प्रतिभूति अग्रिम के लिए बैंक गारंटी का फार्म	108 - 109
15	Proforma of Schedules A to F – क से च तक अनुसूचियों के प्रारूप	110 - 116
16	Annexure Showing Quantities of Materials for Areas of Surfacing to be Considered for Working out Minimum Period of Road Roller – रोड रोलर की न्यूनतम अविध का पता लगाने के लिए विचाराधीन सर्फेसिंग के क्षेत्रों के लिए सामग्रियों की मात्रा दर्शाने वाला परिशिष्ट	117 - 118



GENERAL GUIDELINES

- This book of "General Conditions of Contract" is applicable to both types of EPC tenders i.e either called on percentage basis or on item rate basis. Accordingly, alternative provisions for conditions Nos. 4A, 9 & 10 of the General Rules and Directions are given in this book. The appropriate alternatives will be applicable in specific cases depending on whether this is used for percentage rate EPC tender or item rate EPC tender.
- 2. CPWD-6, Schedules A, D to F, special conditions, specifications, drawings etc. forms part of NIT.
- 3. Proforma for registers are for information and guidance.
- 4. Authority approving the Notice Inviting Tenders (NIT) shall fill up all the blanks in CPWD-6 and Schedules A, D to F before issue of NIT.
- 5. The intending bidders will quote their rates in Schedule A.
- 6. The Information is to be filled up in the NIT only, which are not to be repeated in the standard GCC form.

Note:- In case of any discrepancies between Hindi and English version, English version shall prevail.



सामान्य दिशानिर्देश

- 1. ''ठेके की सामान्य शर्ते'', नामक यह पुस्तिका दोनों प्रकार की ई.पी.सी. निविदाओं अर्थात ''प्रतिशतता दर निविदाओं'' और ''मद दर निविदाओं'', के लिए लागू है। तदनुसार सामान्य नियमों और निर्देशों की शर्ते संख्याओं 4क, 9 और 10 के वैकल्पिक प्रावधान इस पुस्तक में दिए गए हैं। विशिष्ट मामलों में उचित विकल्प लागू होंगे जो इस बात पर निर्भर करेंगे कि यह प्रतिशतता दर ई. पी.सी. निविदा या मद दर ई.पी.सी. निविदा के लिए इस्तेमाल किया गया है।
- 2. के. लो. नि. वि.—6, अनुसूचियां 'क' से 'च' तक, विशेष शर्ते / विनिर्देश और नक्शे इत्यादि निविदा आंमत्रित करने की सूचना का भाग होंगे।
- 3. रजिस्टरों के प्रारूप केवल सूचना और मार्गदर्शन के लिए हैं।
- 4. निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू) का अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के.लो.नि.वि.—6 तथा 'ख' से 'च' तक की अनुसूचियों में खाली स्थान भरेगा।
- 5. इच्छुक निविदाकार अपनी दरें अनुसूची 'क' में बताएँगे।
- 6. सूचना केवल निविदा आमंत्रण सूचना में ही भरी जानी हैं, जिसे संविदा प्रपत्र की मानक / सामान्य शर्त में दोहराया नहीं जाना है।

टिप्पणी :- इसके हिन्दी और अंग्रेजी पाठ में कोई अन्तर या द्विधार्थकता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

Tender for the work of :-

(A)



CPWD - EPC

GOVERNMENT OF INDIA CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Percentage Rate EPC Tender/Item Rate EPC Tender & Contract for Works

Tender and Contract for Works on EPC Mode

(i)	To be uploaded byhours on
(ii)	To be opened in presence of tenderers who may be present at hours on in the office of
	TENDER
Des of R	e have read and examined the notice inviting tender, schedule A, D, E & F Specifications, Drawings & igns, General Rules and Directions, Conditions of Contract, clauses of contract, Special conditions, Schedule ates, other documents, regulations, Acts and Rules referred to in the conditions of contract and all other tents in the tender document for the work.
doc and spe and	e hereby tender for the planning, designing and execution of the work as per scope mentioned in this tender ument specified for the President of India within the time specified in Schedule 'F' viz., schedule of quantities in accordance in all respect with the applicable municipal byelaws, regulations, Acts, NGT guidelines, cifications, designs, drawing and instructions in writing referred to in Rule-1 of General Rules and Directions in Clause 11 of the Conditions of contract and with such materials as are provided for, by, and in accordance, such conditions so far as applicable.
of s	e agree to keep the tender open fordays from the due date of its opening in case ingle bid system ordays from the date of opening of technical bid in case tenders invited in 2 /3 bid system for work and not to make any modification in its terms and conditions.
	e have deposited EMD for the prescribed amount in the office of concerned Executive Engineer as per the bic ument.
Acc by a pres	opy of earnest money deposit receipt of prescribed amount deposited in the form of Insurance Surety Bonds ount Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt, Banker's Cheque or Bank Guarantee (as prescribed) issued a Commercial Bank, is scanned and uploaded (strike out as the case may be). If I/We, fail to furnish the scribed performance guarantee within prescribed period, I/We agree that the President of India or his successors fice shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit the said earnest money absolutely.



Further, if I/We fail to commence work as specified, I/ We agree that President of India or the successors in office shall without prejudice to any other right or remedy available in law, be at liberty to forfeit the said performance guarantee absolutely. The said Performance Guarantee shall be a guarantee to execute all the works referred to in the tender documents upon the terms and conditions contained or referred to those in

निविदा एवं संविदा



के. लो. नि. वि.– ई.पी.सी.

भारत सरकार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

कार्यों के लिए ई.पी.सी. प्रणाली प्रतिशत दर/ई.पी.सी. प्रणाली मद दर निविदा एवं संविदा

कार्य	के लिए निविदाः
(क)	दिनांक
(ख)	उन निविदाकारों के समक्ष खोली जांएगी जो दिनांक को बजे बजे के कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
	निविदा
एवं नि	हमने कार्य के लिए निविदा आमंत्रण सूचना, अनुसूची—क, ख, ग, घ, ड. और च, लागू विनिर्देश, नक्शे एवं डिजाइन, सामान्य नियम र्देश, ठेके के उपबंध विशिष्ट शर्तें, दर अनुसूची, अन्य कागजात विनियमो, नियमों तथा ठेके की शर्तो में दिये गए नियम तथा निविदा ।ात में उल्लिखित अन्य बातों को पढ़ व जांच लिया है।
यथा—	म, एतत्द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुसूची 'च' विनिर्दिष्ट समय के अन्दर परियोजना, अभिकल्पन एवँ विनिर्दिष्ट कार्य, मात्राओं की अनुसूची तथा विनिर्देशों, डिजाइनों, नगर पालिका उप—नियमों विनियम, अधिनियम, एनजीटी दिशा निर्देशों नक्शों के म तथा सामान्य नियमावली के नियम—1 और ठेके की शर्तों के खंड—11 में उल्लिखित लिखित अनुदेश निष्पादन हेतु निविदा देता ते हैं।
2/3	विदा को, इसके खोले जाने की निर्धारित तारीख से यदि निविदायें 1 बोली पद्धति से आमंत्रित की गयी हों जो दिन / यदि निविदायें बोली / पद्धति से आमंत्रित की गयी हों तो तकनीकी बोली खुलने की तारीख से दिन खुला रखने तथा इसकी शर्तों एवं ों में, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने के लिए सहमत हैं।
मैंने /	हमने बोली दस्तावेज के अनुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित राशि के लिए ईएमडी जमा कर दी है।
निर्धारि	ाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बीमा जमानत बांड, अदाता खाता डिमांड ड्राट, सावधि जमा रसीद, बैंकर चेक या बैंक गारंटी (जैसा ति है) के रूप में जमा की गई निर्धारित राशि की बयाना राशि जमा रसीद की एक प्रति स्कैन की जाती है और अपलोड की जाती सा भी मामला हो बाकी काट दें)। यदि मैं / हम, प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं।
भारत धरोहर मैं / ह	i/हम निर्धारित निष्पादन गारंटी को निर्धारित समय अविध में प्रस्तुत करनें में असफल रहते हैं तो मैं/हम यह मंजूर करते हैं कि के उक्त राष्ट्रपति या उनके कार्यालय के उत्तराधिकारी किसी अन्य अधिकार या उपचारी उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त राशि जब्त करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा, यिद मैं/हम विनिर्दिष्ट कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहते हैं, तो न यह मंजूर करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति या उनके कार्यालय के उत्तराधिकारी कानून में उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त निष्पादन गारंटी जब्त करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होंगे। उक्त निष्पादन गारंटी निविदा कागजात

TENDER & CONTRACT



excess of that limit at the rates to be determined in accordance with the provision contained in Clause 12 of the tender form. Further, I/We agree that in case of forfeiture of Earnest Money or Performance Guarantee as aforesaid, I/We shall be debarred for participation in the re-tendering process of this work.

I/We undertake and confirm that eligible similar work(s) has/have not been got executed through another contractor on back to back basis. Further that, if such a violation comes to the notice of department, then I/We shall be debarred for tendering in CPWD as per enlistment rules applicable. Also, if such a violation comes to the notice of Department before date of start of work, the Engineer-in-charge shall be free to forfeit the entire amount of Earnest Money Deposit/Performance Guarantee.

I/We hereby declare that I/We shall treat the tender documents, drawings and other records connected with the work as secret/confidential documents and shall not communicate information derived there from to any person other than a person to whom I/We am/are authorized to communicate the same or use the information in any manner prejudicial to the safety & integrity of the State.

	Dated Witness:	Signature of Contractor Postal Address
	Address: Occupation:	
	ACCE	PTANCE
	on behalf of the President of India for a sum of Rs	n the letters mentioned hereunder) is accepted by me for and s
)
	The letters referred to below shall form part of this	contract agreement:-
	(a)	
	(b)	
	(c)	
		For & on behalf of the President of India.
		Signatures
Date	ed:	Designation



निविदा एवं संविदा



के अनुसार उसमें निहित शर्तों व निबंधनों के अनुसार कार्यों के निष्पादन एवं आदिष्ट विचलनों को अनुसूची 'च' में वर्णित प्रतिशत से अनिधक व निविदा प्रपत्र के खंड 12 में निहित प्रावधानों के अनुसार निश्चित की जाने वाली दरों पर उस सीमा से अधिक के विचलनों के करने के लिए उनके द्वारा गारंटी होगी। इसके अतिरिक्त मैं / हम सहमत हैं कि उपर्युक्त बयाना राशि या निष्पादन गारंटी जब्त हो जाने के मामले में मुझे / हमें कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।

में वचन देता हूं तथा पुष्टि करता हूं / हम वचन देते हैं तथा पुष्टि करते हैं कि पात्रता के लिए समान निर्माण कार्य को बैक टू बैक आधार पर एक अन्य ठेकेदार द्वारा नहीं करवाया गया है। इसके अलावा यदि इस प्रकार का उल्लंघन विभाग की जानकारी में आता है तो मुझे / लागू पंजीकरण नियमों के अनुसार केलोनिवि में निविदा देने से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही, यदि कार्य के प्रारंभ होने की तारीख से पहले इस प्रकार का उल्लंघन विभाग की जानकारी में आता है तो भारसाधक इंजीनियर को बयाना राशि जमा से और कार्य निष्पादन गारंटी की समग्र राशि जब्त करने की स्वतंत्रता होगी।

मैं / हम एतत्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैं / हम निविदा कागजातों, नक्शों और कार्य से संबंधित अन्य अभिलेखों को गुप्त / गोपनीय कागजात के रूप में रखेंगे और उनसे प्राप्त / ली गई जानकारी किसी अन्य को, जिन्हें मैं / हम सूचित करने के लिए प्राधिकृत हों, से भिन्न किसी को, नहीं बताएंगे या जानकारी को किसी ऐसे रूप में प्रयोग नहीं करेंगे जो राज्य की सुरक्षा और अखंडता के लिए प्रतिकूल हो।

तारीख		ठेकेदार के हस्ताक्षर
साक्षी :		डाक पता
पता : उपजीविका :		
	स्वीकृति	
मैं भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिए		
के अनुसार परिवर्तित) स्वीकार करता हूं।	पर्ग सारा पर्रा लिए उपयुपत	ागापदा (अवाालाखरा पत्रा
नीचे दिए गए पत्र इस ठेका करार का हिस्सा होंगे।		
(अ)		
(<u>a</u>)		
(刊)		
	भारत के राष्ट्रपति	की ओर से तथा उनके लिए
	हस्ताक्षर	
तारीख	पटनाम	





GOVERNMENT OF INDIA CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

General Rules & Directions

1. All works proposed for execution by contract will be notified in the form of invitation to tender posted on website. This form will state the work to be carried out, as well as the date for submitting and opening tenders and the time allowed for carrying out the work, also the amount of earnest money to be deposited with the tender, and the amount of the security deposit and Performance guarantee to be deposited by the successful tenderer and the percentage, if any, to be deducted from bills. Copies of the specifications, designs, drawings and any other document applicable to the work shall be open for inspection by the contractor in the office of officer inviting tender during office hours.

The work involves execution as per name of work under either EPC Mode I or Mode II or Mode III as specified in Schedule F.

Mode I: involves preparation of detailed Architectural, structural, MEP design and drawings and shop drawings, procurement & construction by the EPC contractor based on basic architectural drawings prepared after considering statutory requirements by CPWD.

Mode II: involves preparation of structural, MEP design and drawings and shop drawings based on detailed Architectural drawings provided by CPWD as well as procurement and construction by the EPC contractor. CPWD/client may appoint consultant depending upon requirement and availability of staff.

Mode III: involves procurement & construction by the EPC contractor based on architectural, structural and services drawings provided by CPWD. CPWD/client may appoint consultant depending upon requirement and availability of staff.

The Type of building i.e Permanent or Semi-Permanent, based on the expected economic life of the building, shall be as specified in Schedule-F.

Tenders invited in Mode I and Mode II are technology neutral. Bidders can choose any of the approved technologies depending upon type of building, other suitability conditions (such as seismic zone, number of storeys etc.) as per Schedule F under Mode I and II as per structural design, subject further to the condition that the structural system technologies categorized under Pre-cast Construction System and adopted for buildings under Seismic Zone IV as per IS 1893(Part-I):2016 amended from time to time, shall have passed the full scale type testing for pseudo-static reversed cyclic test as detailed below:

Pseudo-Static Reversed - Cyclic Test

The test shall be conducted on typical three storeys of multi-storey building, which (a) are built with the full-scale components precast as per technology (b) are the weakest and/or most flexible, and (c) have all the typical connections of the building in precast,







भारत सरकार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

ठेके द्वारा निष्पादन के लिए प्रस्तावित सभी कार्यों की सूचना निविदा के लिए आमंत्रण के प्रारूप में वैबसाईट पर अपलोड की जाएगी। इस प्रारूप में किए जाने वाले कार्य विवरण के साथ ही निविदाओं को प्रस्तुत करने और उन्हें खोलने की तारीख का और कार्य किए जाने के लिए अनुमत समय का तथा आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले धरोहर धन की रकम का और सफल निविदाकारों द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति निक्षेप और निष्पादन गांरटी की रकम और बिलों में से जिस प्रतिशत से कटौती की जाएगी उसका भी विवरण होगा। डिजाइनों, विनिर्देश, ओरखों की प्रतियां तथा कार्य के संबंध में अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज भी निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान ठेकेदार द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

अनुसूची एफ में निर्दिष्ट अनुसार या तो ईपीसी मोड । अथवा मोड ॥ अथवा मोड ॥ के तहत कार्य के नाम के अनुसार कार्य निष्पादन शामिल है।

प्रणाली । में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वैधानिक आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद तैयार किए गए बुनियादी वास्तुशिल्प चित्रों के आधार पर ईपीसी ठेकेदार द्वारा विस्तृत वास्तुकला, संरचनात्मक, एमईपी डिजाइन और चित्र और शॉप चित्र, खरीद और निर्माण तैयार करना शामिल ळें।

प्रणाली ॥ में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रदान की गई विस्तृत वास्तुकला रेखाचित्रों के आधार पर संरचनात्मक, MEP डिजाइन और रेखाचित्र और शॉप रेखाचित्र तैयार करना शामिल है, साथ ही ईपीसी ठेकेदार द्वारा खरीद और निर्माण कार्य करना भी शामिल है। सीपीडब्ल्यूडी / ग्राहक आवश्यकता और कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं।

प्रणाली III में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रदान की गई वास्तुकला, संरचनात्मक और सेवा रेखाचित्रों के आधार पर ईपीसी ठेकेदार द्वारा खरीद और निर्माण शामिल है। सीपीडब्ल्यूडी / ग्राहक आवश्यकता और कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं।

भवन के अपेक्षित आर्थिक जीवन के आधार पर, भवन का प्रकार अर्थात स्थायी अथवा अर्ध—स्थायी, अनुसूची—एफ में निर्दिश्ट अनुसार होगा।

मोड । और मोड ॥ में आमंत्रित निविदाएं प्रौद्योगिकी तटस्थ हैं। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित तकनीक का चयन भवन के प्रकार, अन्य उपयुक्तता षतों (जैसे भूकंपीय क्षेत्र, मंजिलों की संख्या आदि) के आधार पर संरचनात्मक डिजाइन के अनुसार मोड । और ॥ के तहत अनुसूची एफ के अनुसार कर सकते हैं, इस षर्त के अधीन कि प्री—कास्ट निर्माण प्रणाली के तहत वर्गीकृत और आईएस 1893 (भाग—।) 2016 के अनुसार भूकंपीय क्षेत्र IV के तहत भवनों के लिए अपनाई गई संरचनात्मक प्रणाली प्रौद्योगिकियों को समय—समय पर संषोधित किया जाता है, जो निम्नलिखित के अनुसार स्यूडो—स्टेटिक रिवर्स्ड साइकलिक परीक्षण के लिए पूर्ण पैमाने के परीक्षण को पास करेंगे।

स्यूडो–स्टेटिक रिवर्स्ड साइकलिक परीक्षण

परीक्षण बहुमंजिले भवन की विषिश्ट तीन मंजिलों पर किया जाएगा, जो (क) प्रौद्योगिकी के अनुसार पूर्ण पैमाने पर घटकों के साथ बनाए गए हैं (ख) सबसे कमजोर और / या सर्वाधिक लचीले हों, और (ग) प्रीकास्ट सामान्य नियम एंव निर्देश



namely interior, exterior and corner wall to wall (vertical) connections, wall to slab (horizontal) connections and wall to wall (horizontal) connections, if any, as built in the original system with minimum four room layout plan.

The bottom of the first storey shall be connected to the strong floor of the test facility, and the floors of the upper storeys to the Displacement-controlled actuators of the requisite Displacement (and force) capacity. This proto-type shall be loaded with the due vertical gravity load representing service level dead and live loads. The profile of displacement loading shall be as per the force distribution profile specified in IS 1893 (part I):2016 in the Equivalent Static Method of design.

<u>Displacement controlled loading:</u> At least 3 loading cycles (Full positive and Full negative) at Each of the displacement excursions of 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.75%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, 3.5%, 4%, 5% and 6% drift of specimen, or failure of the specimen, whichever is earlier.

- 6% drift requirement is an upper limit. Actual drift is expected to be lesser than 6% depending on:
 - Deformability of the building, and Flexibility of the connections.
 - The test may be stopped when either 6% drift or the maximum lateral force of 3 times the design base shear is reached.
- (ii) Pseudo-static reversed cyclic test does not require a Shake Table facility.

<u>Number of samples and Frequency:</u> One sample shall be tested unless the structure shows premature failure before reaching at least 6% overall drift, either elastically or in elastically. If the structure fails to meet 6% drift requirement, then another sample be tested to reconfirm the failure pattern observed in the first specimen. If both samples fail, said configuration of the technology shall not be adopted in the work.

One test for every new type of connection system adopted shall be conducted. If the connection type / combination of elements under approved technology are changed, either in part or in full, the system will be treated as new.

The test should have been already got conducted from any government academic institute of repute or government R&D organization in India.

The testing charges shall be borne by the contractor.

- 2. In the event of tender being submitted by a firm/company, it must be signed separately by each partner/director thereof or in the event of the absence of any partner/director, it must be signed on his behalf by a person holding a power of attorney authorizing him to do so, such power of attorney to be produced with the tender, and it must disclose that the firm/company is duly registered under the applicable Indian Partnership Act 1932/ Companies Act 2013.
- 3. Receipts for payment made on account of work, when executed by a firm/company, must also be signed by all the partners/directors, except where contractors are described in their tender as a firm/company, in which case the receipts must be signed in the name of the firm by one of the partners/directors (duly authorized by the firm/company), or by some other person having due authority to give effectual receipts for the firm/company.

Applicable for Item Rate EPC Tender (CPWD - EPC)

4. The rate(s) must be quoted in decimal coinage. Amounts must be quoted in full rupees by ignoring (less than and equal to) fifty paisa and considering more than fifty paisa as rupee one. In case the lowest tendered amount (worked out on the basis of quoted rate of Individual items) of two or more contractors is same, then such lowest contractors





में सभी विषिश्ट भवन के कनेक्शन हों, अर्थात् आंतरिक, बाहरी और कोने दीवार से दीवार (ऊर्ध्वाधर) तक कनेक्शन, दीवार से स्लैब (क्षेतिज) कनेक्शन और दीवार से दीवार (क्षेतिज) तक कनेक्शन, यदि कोई हो, जैसा कि मूल प्रणाली में न्यूनतम चार कमरे के लेऑउट योजना के साथ बनाया गया है।

पहली मंजिल निचला तल परीक्षण सुविधा के मजबूत तल से और ऊपरी मंजिलों के फर्ष को अपेक्षित विस्थापन (और बल) क्षमता के विस्थापन—नियंत्रित एक्चुएटर्स से जोड़ा जाएगा। इस प्रोटो—टाइप को सर्विस लेवल डेड और लाइव लोड का प्रतिनिधित्व करने वाले ड्यू वर्टिकल ग्रेविटी लोड के साथ लोड किया जाएगा। विस्थापन लोडिंग की रूपरेखा डिजाइन के समतुल्य स्थिर विधि में आईएस 1893 (भाग 1): 2016 में निर्दिश्ट बल वितरण प्रोफाइल के अनुसार होगी।

विस्थापन नियंत्रित लोडिंगः 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.75%, 1%, 1.5%, 2%, 2%, 5%, 3%, 3.5%, 4%, 5% और 6% नमूने का ड्रिफ्ट के प्रत्येक विस्थापन भ्रमण पर कम से कम 3 लोडिंग चक्र (पूर्ण सकारात्मक और पूर्ण नकारात्मक), या नमूना की विफलता, जो भी पहले हो।

(i) 6% ड्रिफ्ट की आवष्यकता ऊपरी सीमा है। वास्तविक ड्रिफ्ट 6% से कम होना अपेक्षित है जो निम्न पर निर्भर करता है:

भवन की विकृति, और कनेक्षन की लचीलापन।

परीक्षण को तब रोका जा सकता है जब या तो 6% ड्रिफ्ट हो या डिज़ाइन बेस षीयर के 3 गुना का अधिकतम पार्श्व बल तक पहुँच जाए।

(ii) स्यूडो—स्टेटिक रिवर्स्ड साइकलिक परीक्षण के लिए षेक टेबल सुविधा की आवष्यकता नहीं होती है। नमूनों की संख्या और आवृत्तिः एक नमूने का परीक्षण तब तक किया जाएगा जब तक कि संरचना कम से कम 6% समग्र ड्रिफ्ट तक पहुंचने से पहले, या तो लचीलेपन रूप से या गैर लचीलेपनर रूप से समय से पहले विफलता न दिखाए। यदि संरचना 6% ड्रिफ्ट की आवष्यकता को पूरा करने में विफल रहती है, तो पहले नमूने में देखे गए विफलता पैटर्न की पुनः पुश्टि करने के लिए दूसरे नमूने का परीक्षण किया जाना चाहिए। यदि दोनों नमूने विफल हो जाते हैं, तो उक्त प्रौद्योगिकी के विन्यास को कार्य में नहीं अपनाया जाएगा। अपनाए गए प्रत्येक नए प्रकार के कनेक्षन सिस्टम के लिए एक परीक्षण आयोजित किया जाएगा। यदि अनुमोदित प्रौद्योगिकी के तहत कनेक्षन प्रकार /तत्वों के संयोजन को आंषिक रूप से या पूर्ण रूप से

परीक्षण पहले से ही भारत के किसी भी सरकारी पैक्षणिक संस्थान या सरकारी आर एंड डी संगठन से कराया जाना चाहिए ।

परीक्षण शुल्क का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

बदल दिया जाता है, तो प्रणाली को नया माना जाएगा।

- 2. यदि निविदा किसी फर्म / कम्पनी द्वारा दी जाती है तो वह उस फर्म के हर एक भागीदार / निदेशक द्वारा अलग—अलग हस्ताक्षरित की जानी चाहिए या किसी भागीदार / निदेशक की अनुपस्थिति में उसकी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए जिसके पास उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करने वाला मुख्तारनामा हो। ऐसा मुख्तारनामा निविदा के साथ पेश किया जाएगा और उससे यह प्रकट होना चाहिए कि फर्म / कम्पनी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 / कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन पंजीकृत है।
- 3. िकसी फर्म/कम्पनी द्वारा निष्पादित कार्य के बारे में किए गए संदायों की पावितयां भी सभी भागीदारों/निदेशकों द्वारा हस्ताक्षिरित की जानी चाहिएं किन्तु जहां ठेकेदार अपनी निविदा में फर्म/कम्पनी के रूप में वर्णित है, वहां पावितयां किसी एक भागीदार/निर्देशक द्वारा या फर्म/कम्पनी के लिए प्रभावी पावितयां देने के प्राधिकार रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।
- 4. ई.पी.सी. निविदा मद के लिए लागू (के.लो.नि.वि— ई.पी.सी.) दर (दरें) दाशमिक सिक्का प्रणाली में बताई जानी चाहिए। राशि रूपये में बताई जानी चाहिए पचास पैसे और उससे कम धनराशि छोड़ दी जाएगी और पचास पैसे से अधिक को एक रूपया माना जाएगा।

मद दर ई.पी.सी. निविदा के लिए लागू (केलोनिव–ई.पी.सी.)

GENERAL RULES & DIRECTIONS



may be asked to submit sealed revised offer quoting rate of each item of the schedule of quantity for all sub sections/sub heads as the case may be, but the revised quoted rate of each item of schedule of quantity for all sub sections/sub heads should not be higher than their respective original rate quoted already at the time of submission of tender. The lowest tender shall be decided on the basis of revised offer.

If the revised tendered amount (worked out on the basis of quoted rate of individual items) of two or more contractors received in revised offer is again found to be equal, then the lowest tender, among such contractors, shall be decided by draw of lots in the presence of SE of the circle or CE of the zone, EE(s) in-charge of major & minor component(s) (also DDH in case Horticulture work is also included in the tender), and the lowest contractors those have quoted equal amount of their tenders.

In case of any such lowest contractor in his revised offer quotes rate of any item more than their respective original rate quoted already at the time of submission of tender, then such revised offer shall be treated as invalid. Such case of revised offer of the lowest contractor or case of refusal to submit revised offer by the lowest contractor shall be treated as withdrawal of his tender before acceptance and 50% of his earnest money shall be forfeited.

In case all the lowest contractors those have same tendered amount (as a result of their quoted rate of individual items), refuse to submit revised offers, then tenders are to be recalled after forfeiting 50% of EMD of each lowest contractors.

Contractor, whose earnest money is forfeited because of non-submission of revised offer, or quoting higher revised rate(s) of any item(s) than their respective original rate quoted already at the time of submission of his bid shall not be allowed to participate in the retendering process of the work.

Applicable for Percentage Rate EPC Tender only

- 4A. In case of Percentage Rate EPC tenders, contractor shall fill up percentage below/ above (in figures as well as in words) the total estimated cost given in Schedule of Quantities at Schedule-A, he will be willing to execute the work. The tender submitted shall be treated as invalid if:-
 - I. The contractor does not quote percentage above/below on the total amount of tender or any section/sub head of the tender.
 - II. The percentage above/below is not quoted in figures & words both on the total amount of tender or any section/sub head of the tender.
 - III. The percentage quoted above/below is different in figures &words on the total amount of tender or any section/sub head of the tender. Tenders, which propose any alteration in the work specified in the said form of invitation to tender, or in the time allowed for carrying out the work, or which contain any other conditions of any sort including conditional rebates, will be summarily rejected.
- 4B. In case the lowest tendered amount (estimated cost + amount worked on the basis of percentage above/below) of two or more contractors is same, such lowest contractors will be asked to submit sealed revised offer in the form of letter mentioning percentage above/ below on estimated cost of tender including all sub sections/sub heads as the case may be, but the revised percentage quoted above/below on tendered cost or on each sub section/ sub head should not be higher than the percentage quoted at the time of submission of tender. The lowest tender shall be decided on the basis of revised offers.



यदि दो या दो से अधिक ठेकेदारों की न्यूनतम निविदा राशि (व्यक्तिगत मदों की कोट की गई दर के आधार पर कार्य किया गया है) समान है, तो ऐसे ठेकेदारों से मामले के अनुसार सभी उप अनुभागों / उप शीर्षों के लिए मात्रा की सूची के प्रत्येक मद का संशोधित सीलबंद दर प्रस्ताव मांगा जा सकता है, लेकिन सभी उप खण्डों / उप शीर्षों के लिए मात्रा की सूची के प्रत्येक मद का संशोधित सीलबंद दर प्रस्ताव उनकी अपनी मूल दर से जो की पहले ही निविदा की प्रस्तुति के समय कोट की गई थी अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम निविदा का निर्णय संशोधित प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा।

यदि दो और ठेकेदारों के संशोधित प्रस्ताव में प्राप्त संशोधित निवेदित राशि पुनः समान पाई जाती है तो ऐसे ठेकेदारों में न्यूनतम राशि वाली निविदा के बारे में निर्णय परिमंडल के अधीक्षण अभियंता अथवा अंचल के मुख्य अभियंता, बड़े एवं छोटे संघटकों के प्रभारी कार्यपालक अभियंता (यदि उद्यान कार्य भी निविदा में शामिल हो तो उप निदेशक उद्यान भी), परिमंडल के कार्यपालक अभियंता (योजना) अथवा कार्यपालक अभियंता (मुख्यालय) तथा न्यूनतम राशि कोट करने वाले ठेकेदारों जिन्होंने अपनी निविदाओं की समान राशि कोट की हैं, की उपस्थित में ड्रॉ निकाल कर किया जाएगा।

यदि ऐसा कोई न्यूनतम ठेकेदार अपने संशोधित प्रस्ताव में किसी मद की, अपनी मूल दर जो की पहले ही निविदा की प्रस्तुति के समय लिखी गई थी, से अधिक दर लिखता है, तो ऐसे संशोधित प्रस्ताव अवैध माने जाएंगे। न्यूनतम ठेकेदार के संशोधित प्रस्ताव के ऐसे मामले अथवा न्यूनतम ठेकेदार द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से मना करने के मामले में स्वीकृति से पहले उसकी निविदा का प्रत्याहार तथा उसकी बयाना राशि का 50 प्रतिशत जुर्माना देना होगा।

यदि सभी न्यूनतम ठेकेदार जिनकी निविदा राशि समान है (उनकी व्यक्तिगत मदों की कोट की गई दर के परिणामस्वरूप), संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से मना कर देते हैं, तो प्रत्येक न्यूनतम ठेकेदार की बयाना राशि के 50 प्रतिशत जुर्माने के बाद निविदाएं पुनः आंमत्रित की जाएंगी।

ठेकेदार, संशोधित प्रस्ताव के अप्रस्तुतीकरण के कारण जिनकी बयाना राशि पर जुर्माना लगाया गया है, अथवा अपनी मूल दर जो की पहले ही बिड की प्रस्तुति के समय कोट की गई थी, से किसी मद (मदों) की उच्च संशोधित दर (दरों) लिखता है, उसे कार्य की पुनः निविदा आंमत्रिात करने की क्रियाविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4क. प्रतिशत दर ई.पी.सी. निविदाओं के मामले में निविदाकार यह बताएगा कि वह अनुसूची 'क' में दी गई मात्राओं की अनुसूची में दी गई कुल अनुमानित लागत से कितने कम / अधिक (अंकों और शब्दों दोनों में) प्रतिशत पर निर्माण कार्य संपन्न करना चाहेगा। प्रस्तुत निविदा को अमान्य माना जाएगा यदिः

- ठेकेदार, निविदा की कुल राशि अथवा निविदा के किसी खण्ड / उप शीर्ष पर अधिक / न्यून प्रतिशत नहीं लिखता।
- अधिक / न्यून प्रतिशत अंकों तथा शब्दों दोनों में निविदा की कुल राशि अथवा निविदा के किसी खण्ड / उप शीर्ष पर नहीं लिखा जाता।
- 3. निविदा की कुल राशि अथवा निविदा के किसी खण्ड / उप शीर्ष पर कोट किया गया अधिक / न्यून प्रतिशत, अंकों तथा शब्दों में भिन्न होता है।

जिन निविदाओं में उक्त निविदा आमंत्रण प्रारूप में उल्लिखित कार्य में या कार्य करने के लिए निर्धारित समय में किसी प्रकार परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया हो या जिसमें सशर्त छूट दिए जाने सहित किसी प्रकार की कोई अन्य षर्त निहित हो, उन्हे रद्द कर दिया जाएगा।

4.ख यदि दो अथवा उससे अधिक ठेकेदारों की न्यूनतम निवेदित राशि (अधिक / कम प्रतिशत के आधार पर निकाली गई अनुमानित लागत राशि) एक ही हो, तो इस प्रकार न्यूनतम राशि कोट करने वाले ठेकेदारों से सभी उप खण्डों / उप शीर्षों जैसी भी स्थिति हो, सिहत निविदा की अनुमानित लागत पर अधिक / कम प्रतिशत का उल्लेख करते हुए पत्र के रूप में बंद संशोधित पेशकश प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा लेकिन निवेदित लागत पर अथवा प्रत्येक उप खण्ड / उप शीर्ष पर अधिक अथवा कम कोट किया गया संशोधित प्रतिशत निविदा प्रस्तुत करते समय कोट किए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम राशि वाली निविदा के बारे में निर्णय संशोधित प्रस्तावों के आधार पर लिया जाएगा।

प्रतिशत दर ई.पी.सी. निविदा के लिए लागू



In case any of such contractor refuses to submit revised offer, then it shall be treated as withdrawal of his tender before acceptance and 50% of earnest money shall be forfeited.

If the revised tendered amount of two more contractors received in revised offer is again found to be equal, the lowest tender, among such contractors, shall be decided by draw of lots in the presence of SE of the circle, or CE of the zone EE(s) in-charge of major & minor component(s) (also DDH in case Horticulture work is also included in the tender), & the lowest contractors those have quoted equal amount of their tenders.

In case all the lowest contractors those have quoted same tendered amount, refuse to submit revised offers, then tenders are to be recalled after forfeiting 50% of EMD of each contractor. Contractor(s), whose earnest money is forfeited because of non-submission of revised offer, shall not be allowed to participate in the re-tendering process of the work.

- The officer inviting tender or his duly authorized representative will open tenders in the
 presence of any intending contractors who may be present at the time of opening of
 tenders.
- 6. The officer inviting tenders shall have the right of rejecting all or any of the tenders and will not be bound to accept the lowest or any other tender.
- 7. The receipt of an accountant or clerk for any money paid by the contractor will not be considered as any acknowledgment or payment to the officer inviting tender and the contractor shall be responsible for seeing that he procures a receipt signed by the officer inviting tender or a duly authorized Cashier.

Applicable for Item Rate EPC Tender only (CPWD - EPC) 8. In the case of Item Rate EPC Tenders, only rates quoted shall be considered. Any tender containing percentage below/above the rates quoted is liable to be rejected. Rates quoted by the contractor in item rate EPC tender in figures and words shall be accurately filled in so that there is no discrepancy in the rates written in figures and words. However, if a discrepancy is found, the rates which correspond with the amount worked out by the contractor shall unless otherwise proved be taken as correct. If the amount of an item is not worked out by the contractor or it does not correspond with the rates written either in figures or in words, then the rates quoted by the contractor in words shall be taken as correct. Where the rates quoted by the contractor in figures and in words tally, but the amount is not worked out correctly, the rates quoted by the contractor will unless otherwise proved be taken as correct and not the amount. In event no rate has been quoted for any item(s), leaving space both in figure(s), word(s), and amount blank, it will be presumed that the contractor has included the cost of this/these item(s) in other items and rate for such item(s) will be considered as zero and work will be required to be executed accordingly.

However, if a tenderer quotes nil rates against any item in item rate EPC tender, the tender shall be treated as invalid and will not be considered as lowest tenderer and earnest money deposited shall be forfeited.

Applicable for percentage Rate EPC Tender only (CPWD - EPC)

9. In case of Percentage Rate EPC Tenders only percentage quoted shall be considered. Any tender containing item rates is liable to be rejected. Percentage quoted by the contractor in percentage rate EPC tender shall be accurately filled in figures and words, so that there is no discrepancy.



यदि कोई ऐसा ठेकेदार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से इंकार करता है तब इसे स्वीकृति के पूर्व अपनी निविदा वापस लेने के रूप में माना जाएगा तथा बयाना राशि का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जाएगा। यदि दो और ठेकेदारों के संशोधित प्रस्ताव में प्राप्त संशोधित निवेदित राशि पुनः समान पाई जाती है तो ऐसे ठेकेदारों में न्यूनतम राशि वाली निविदा के बारे में निर्णय परिमंडल के अधीक्षण अभियंता, अथवा अंचल के मुख्य अभियंता, बड़े एवं छोटे संघटकों के प्रभारी कार्यपालक अभियंता (यदि उद्यान कार्य भी निविदा में

शामिल हो तो उप निदेशक उद्यान भी), तथा न्यूनतम राशि कोट करने वाले ठेकेदारों जिन्होनें अपनी

निविदाओं की समान राशि कोट की हैं. की उपस्थिति में डॉ निकाल कर किया जाएगा।

यदि न्यूनतम राशि कोट करने वाले ठेकेदार जिन्होंने समान निवेदित राशि कोट की है, संशोधित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से इंकार करता है तब प्रत्येक ठेकेदार की बयाना जमा राशि का 50 प्रतिशत जब्त कर निविदाएं वापस ली जा सकती हैं। ठेकेदार जिसकी बयाना राशि संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के कारण जब्त की जाती है को कार्य की पूनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

- 5. निविदा आमंत्रित करने वाला अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदाओं को किन्हीं ऐसे ठेकेदारों की उपस्थिति में खोलेगा जो ठेका लेने का विचार रखते हों और निविदा खोलने के समय पर वहां उपस्थित हों।
- 6. निविदाएं आमंत्रित करने वाले अधिकारी को सभी निविदाओं या उनमें से किन्हीं को अस्वीकार करने का अधिकार होगा और वह निम्नतम निविदा या किसी भी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं होगा।
- 7. ठेकेदार द्वारा संदत्त धन के लिए लेखापाल या लिपिक की पावती निविदा आमंत्रक अधिकारी को संदाय की अभिस्वीकृति नहीं मानी जाएगी और ठेकेदार की जिम्मदारी होगी कि वह निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी या सम्यक रूप से प्राधिकृत रोकड़ियों द्वारा हस्ताक्षरित पावती ले।
- 8. मद दर ई.पी.सी. निविदाओं के मामले में केवल बताई गई दरों पर विचार किया जाएगा। बताई गई दरों से कम / अधिक प्रतिशतता वाली किसी भी निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है। मद दर ई.पी.सी. निविदा में ठेकेदार दरें, अंकों एवं शब्दों में सावधानी से भरेगा तािक अंकों एवं शब्दों में लिखी दरों में कोई अन्तर न रहे। फिर भी यदि अन्तर पाया जाता है तो ठेकेदार द्वारा आकिलत दर के सदृश दरों को, यदि अन्यथा प्रमाणित न हो, सही माना जाएगा। यदि किसी मद की राशि ठेकेदार द्वारा आकिलत नहीं की गई है या वह अंकों या शब्दों में लिखी गई दरों के सदृश नहीं है तो ठेकेदार द्वारा शब्दों में लिखी गई दरों को सही माना जाएगा। जहां ठेकेदार द्वारा अंकों और शब्दों में लिखी गई दरें समान हों लेकिन राशि सही आकिलत न की हो तो ठेकेदार द्वारा लिखी गई दरों को, जब तक अन्यथा प्रमाणित न हो, सही माना जाएगा, राशि को नहीं। ऐसी स्थिति में जब किसी मद(मदों) के लिए कोई दर न बताई हो, अंको तथा शब्दों दोनों दोनों में जगह खाली छोड़ दी गई हो और राशि न भरी गई हो तो यह समझा जाएगा कि ठेकेदार ने इस मद / मदों की लागत अन्य मदों में सम्मिलत कर ली है तथा ऐसी मद(मदों) के लिए दर शून्य मानी जाएगी तथा कार्य का निष्पादन तदनुसार किया जाना अपेक्षित होगा।

हालाँकि अगर कोई निविदाकर्ता आइटम दर ई.पी.सी. निविदा में किसी आइटम के खिलाफ शून्य दर का उद्धरण करता है तो निविदा को अमान्य माना जाएगा और इसे सबसे कम निविदाकार नहीं माना जाएगा और जमा की गई धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा।

9. प्रतिशतता दर ई.पी.सी. निविदाओं के मामले में केवल उल्लिखित प्रतिशत पर ही विचार किया जाएगा। जिस निविदा में मद दरें दी गई होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा। प्रतिशत दर निविदाओं में ठेकेदार द्वारा कथित प्रतिशत को सही सही अंकों और शब्दों में भरा जाएगा ताकि उसमें अंकों और शब्दों में लिखी गई प्रतिशतता में कोई विसंगति न होने पाए। मद दर ई.पी.सी. निविदा के लिए लागू (केलोनिवि–ई.पी.सी.)

प्रतिशत दर ई.पी.सी. निविदा के लिए लागू केलोनिवि ई.पी.सी.)



Applicable for Percentage Rate EPC Tender only (CPWD - EPC)

- 10. In Percentage Rate EPC Tender, the tenderer shall quote percentage below/above (in figures as well as in words) at which he will be willing to execute the work. He shall also work out the total amount of his offer and the same should be written in figures as well as in words in such a way that no interpolation is possible. In case of figures, the word 'Rs.' should be written before the figure of rupees and word 'P' after the decimal figures, e.g. 'Rs. 2.15P and in case of words, the word 'Rupees' should precede and the word 'Paisa' should be written at the end.
- 11. (i) The Contractor whose tender is accepted, will be required to furnish performance guarantee at specified percentage of the tendered amount as mentioned in Schedule 'E' and within the period specified in Schedule F. This guarantee shall be in the form of Insurance Surety Bonds, Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee of any Commercial Bank.
 - (ii) The contractor whose tender is accepted will also be required to furnish by way of Security Deposit for the fulfillment of his contract, an amount equal to 2.5% of the tendered amount of the work. The Security deposit will be collected by deductions from the running bills as well as final bill of the contractor at the rates mentioned above. The Security amount will also be accepted in the shape of Insurance Surety Bonds, Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee from any of the Commercial Banks will be accepted for this purpose provided confirmatory advice is enclosed.
- 12. On acceptance of the tender, the name of the accredited representative(s) of the contractor who would be responsible for taking instructions from the Engineer-in-Charge shall be communicated in writing to the Engineer-in-Charge.
- 13. GST or any other tax applicable in respect of inputs procured by the contractor for this contract shall be payable by the Contractor and Government will not entertain any claim whatsoever in respect of the same. However, component of GST at time of supply of service (as provided in CGST Act 2017) provided by the contract shall be varied if different from that applicable on the last date of receipt of tender including extension if any. Accordingly payment or recovery shall be done.
- 14. The contractor shall give a list of both gazetted and non-gazetted CPWD employees related to him.
- 15. The tender for composite work includes, in addition to building work, all other works such as sanitary and water supply installations drainage installation, electrical work, horticulture work, roads and paths etc.
- 16. Price Preference to SC/ST individual contractor for item rate/percentage rate tender:

Price preference in quoted item rate/percentage rate tender shall be applicable to the individual enlisted/non-enlisted SC/ST contractor as under:-

- (i) For work(s) upto and equal to an estimated cost of Rs.2.70 lakh, a price preference upto 5% (with reference to the lowest valid tender) may be allowed in favour of individual SC/ST enlisted/non-enlisted contractor. No earnest money is required in such case(s).
- (ii) For work(s) beyond an estimated cost of Rs. 2.70 lakh and upto and equal to estimated cost of Rs. 6.20 lakh, the price preference upto 5% (with reference to the lowest valid tender) may be allowed in favour of individual enlisted SC/ST contractor. However, earnest money at a reduced rate of ½% may be accepted in such cases.

The price preference, as mentioned above, upto 5% (with reference to the lowest valid price bid) may be allowed in favour of individual SC/ST contractor. The above concession shall be allowed only after proper verification of the individual contractor's claim of belonging to SC/ST community.





10. प्रतिशत दर ई.पी.सी. निविदा में निविदाकत्तां उतनी कम/अधिक प्रतिशतता भरेगा (अंकों ओर शब्दों में) जिस पर वह कार्य करने का इच्छुक हो। वह अपनी पेशकश की कुल राशि की गणना भी करेगा और उसे अंकों ओर शब्दों में इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि उनकी जगह कुछ लिखना संभव न हो। अंको के मामले में रूपए के अंको के पहले रूपए शब्द लिखा जाना चाहिए तथा दशमलव अंकों के बाद पैसे शब्द अर्थात् रु. 2. 15 पै. और शब्दों के मामले में रूपए शब्द बाद में लिखा जाना चाहिए तथा शब्द पैसे सबसे अंत में लिखा जाना चाहिए।

प्रतिशत दर ई.पी.सी. निविदा के लिए लागू केलोनिवि ई.पी.सी.)

- 11. (i) जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार की जाती है, उसे अनुसूची ई में उल्लिखित निविदा राशि के निर्दिष्ट प्रतिशत पर और अनुसूची एफ में निर्दिष्ट अविध के भीतर निष्पुदन गारंटी देनी होगी। यह गारंटी किसी भी वाणिज्यिक बैंक के बीमा जमानत बांड, अदाता खाता डिमांड ड्राट, साविध जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में होगी।।
 - (ii) जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार की जाती है, उसे भी अपने ठेके की पूर्ति के लिए प्रतिभूति के रूप में कार्य के निविदा राशि के 2.5 :के बराबर राशि प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिभूति ऊपर उल्लिखित दरों पर चालू बिलों के साथ—साथ ठेकेदार के अंतिम बिल से कटौती करके एकत्र की जाएगी। प्रतिभूति राशि इस प्रयोजन के लिए किसी भी वाणिज्यिक बैंक के बीमा जमानत बांड, अदाता खाता डिमांड ड्राट, सावधि जमा रसीद अथवा बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीाकार की जाएगी बशर्ते कि पृष्टिकारी सलाह संलग्न हो।
- 12. निवदा स्वीकार हो जाने पर ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों), जो भारसाधक इंजीनियर से अनुदेश लेने के लिए जिम्मेदार होगा, के नाम की लिखित सूचना भारसाधक इंजीनियर को दी जाएगी।
- 13. इस ठेके के संबंध में जी.एस.टी. या कोई भी अन्य कर ठेकेदार द्वारा दिया जाएगा और सरकार उनके संबंध में किसी भी तरह के दावे पर विचार नहीं करेगी। हालांकि, ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की आपूर्ति (जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम 2017 में दिया गया है) के समय पर जीएसटी का घटक विविध होगा यदि विस्तार सहित निविदा के रसीद की अंतिम तिथि पा लागू से वह अलग हो। तदनुसार, भुगतान या वसूली की जाएगी।
- ठेकेदार के. लो. नि. वि. में कार्यरत अपने रिश्तेदारों, राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों दोनों की, सूची देगा।
- 15. संयुक्त कार्य के लिए निविदा में बिल्डिंग कार्य के अतिरिक्त सभी अन्य कार्य जैसे कि स्वच्छता और जल आपूर्ति संस्थापनाएं, जल निकासी, संस्थापनाएं, वैधृत कार्य, उद्यान कार्य, सड़कें और रास्ते आदि सम्मिलित है।
- 16. मद दर/प्रतिशत दर निविदा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति व्यक्तिगत ठेकेदार को मूल्य वरीयताः

उद्धृत वस्तु दर / प्रतिशत दर निविदा में मूल्य वरीयता व्यक्तिगत सूचीबद्ध / गैर-सूचीबद्ध एससी / एसटी ठेकेदार पर निम्नानुसार लागू होगी:-

- (i) 2.70 लाख रुपये की अनुमानित लागत तक के कार्यों के लिए व्यक्तिगत अनुसूचित जाति ∕ अनुसूचित जन जाति सूचीबद्ध / गैर─सूचीबद्ध ठेकेदार के पक्ष में 5% तक मूल्य वरीयता (न्यूनतम वैध निविदा के संदर्भ में) की अनुमित दी जा सकती है। ऐसे मामलों में किसी धरोहर राशि (EMD) की आवश्यकता नहीं है।
- (ii) 2.70 लाख रुपये की अनुमानित लागत से अधिक और 6.20 लाख रुपये की अनुमानित लागत तक के काम के लिए, 5% तक की कीमत वरीयता (न्यूनतम वैध निविदा के संदर्भ में) व्यक्तिगत सूचीबद्ध अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति ठेकेदार के पक्ष में दी जा सकती है। हालांकि, ऐसे मामलों में ½% की धरोहर राशि (EMD) स्वीकार करनी है।

व्यक्तिगत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति ठेकेदार के पक्ष में उपरोक्त संदर्भित, 5% तक मूल्य वरीयता (न्यूनतम वैध मूल्य बोली के संदर्भ में) की अनुमित दी जा सकती है। उपरोक्त रियायत व्यक्तिगत ठेकेदार के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति समुदाय से संबंधित दावे के उचित सत्यापन के बाद ही दी जाएगी।



CONDITIONS OF CONTRACT

Definitions

- 1. The EPC Contract means the documents forming the tender and acceptance thereof and the formal agreement executed between the competent authority on behalf of the President of India and the Contractor, together with the documents referred to therein including conditions, specifications, designs, drawings and instructions issued from time to time by the Engineer-in- Charge and all these documents taken together, shall be deemed to form one contract and shall be complementary to one another.
- 2. In the contract, the following expressions shall, unless the context otherwise requires, have the meanings, hereby respectively assigned to them:
 - (i) The expression, works or work shall, unless there be something either in the subject or context repugnant to such construction, be construed and taken to mean the works by or by virtue of the contract contracted to be executed whether temporary or permanent, and whether original, altered, substituted or additional.
 - (ii) The Site shall mean the land, places on, into or where work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street or where work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street which may be temporally allotted or used for the purpose of carrying out the contract.
 - (iii) The Contractor shall mean the individual, firm or company, whether incorporated or not, undertaking the works and shall include the legal personal representative of such individual or the persons composing such firm or company, or the successors of such firm or company and the permitted assignees of such individual, firm or company.
 - (iv) The President means the President of India and his successors.
 - (v) Government or Government of India shall mean the President of India.
 - (vi) The Engineer-in-charge means the Engineer Officer who shall supervise and be in charge of the work and who shall sign the contract on behalf of the President of India as mentioned in Schedule 'F' hereunder.
 - (vii) The term Director General includes Special Director General/Additional Director General/ Chief Engineer.
 - (viii) Accepting Authority shall mean the authority mentioned in Schedule F '.
 - (ix) Excepted Risk are risks due to riots (other than those on account of contractor's employees), war (whether declared or not) invasion, act of foreign enemies, hostilities, civil war, rebellion revolution, insurrection, military or usurped power, any acts of Government, damages from aircraft, acts of God, such as earthquake, lightening, unprecedented floods and other causes over which the contractor has no control and accepted as such by the Accepting Authority or causes solely due to use or occupation by Government of the part of the works in respect of which a certificate of completion has been issued or a cause solely due to Government's faulty design of works.
 - (x) Market Rate shall be the rate as decided by the Engineer-in-charge on the basis of the cost of materials and labour at the site where the work is to be executed plus applicable overheads and profits as mentioned in schedule F.





ठेके की शर्ते

- (1) ठेके से ई.पी.सी. निविदा और उसकी स्वीकृति तथा भारत के राष्ट्रपित की ओर से सक्षम प्राधिकारी और ठेकेदार के बीच निष्पादित औपचारिक करार के दस्तावेजों और उसके साथ उसमें निर्दिष्ट दस्तावेज अभिप्रेत है, जिनके अंतर्गत शर्ते, निर्देश, डिजाइन, आरेख और भारसाधक इंजीनियर द्वारा समय पर दिए गए अनुदेश भी हैं और ये सभी दस्तावेज एक साथ मिलकर एक ठेका माने जाएंगे और एक दूसरे के पुरक होंगे।
- (2) ठेके में निम्नलिखित पदों के, जब तक कि संदर्भ से अन्य अपेक्षित न हो, वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें इसके द्वारा क्रमशः दिए गए हैं:
 - (i) कार्य पद का अर्थ, जब तक कि विषय या संदर्भ में ऐसे अर्थ के विरूद्ध कोई बात न हो, किए गए ठेके द्वारा या उस आधार से किए जाने वाला कार्य होगा और माना जाएगा चाहे वे अस्थायी या स्थायी हों, और चाहे वे मूल, परिवर्तित, प्रतिस्थापित या अतिरिक्त हों।
 - (ii) कार्यस्थल से अभिप्रेत है वह भूमि / या अन्य स्थान जिस पर, जिसमें या जिसके माध्यम से ठेके के अधीन कार्य निष्पादित किया जाना है या कोई पार्श्वस्थ भूमि, पथ या मार्ग जिसके माध्यम से ठेके के अधीन कार्य निष्पादित किया जाना है या कोई पार्श्वस्थ भूमि, पथ या मार्ग जो ठेके को कार्यान्वित करने के लिए आबंटित या प्रयुक्त किया जाए।
 - (iii) ठेकेदार से ऐसा व्यक्ति या फर्म या कम्पनी, चाहे वह निगमित हो या नहीं, अभिप्रेत है जो कार्य का भार अपने ऊपर ले और इसके अन्तर्गत विधिक वैयक्तिक प्रतिनिधि या ऐसी फर्म या कम्पनी गठित करने वाले व्यक्ति या ऐसी फर्म या कम्पनी के उत्तराधिकारी और ऐसे व्यक्ति या फर्म या फर्मी या कम्पनी के अनुज्ञात समनुदेशिती भी होंगे।
 - (iv) राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति और उनके पदोत्तरवर्ती अभिप्रेत हैं।
 - (v) सरकार या भारत सरकार से भारत के राष्ट्रपति अभिप्रेत हैं।
 - (vi) भारसाधक इंजीनियर से वह, इंजीनियर अधिकारी अभिप्रेत है जो कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और उसका भारसाधक होगा और जो भारत के राष्ट्रपति की ओर से ठेके पर हस्ताक्षर करेगा और यहाँ नीचे अनुसूची 'च' में उल्लिखित हैं।
 - (vii) महानिदेशक पद के अंतर्गत विशेष महानिदेशक / अपर महानिदेशक / मुख्य इंजीनियर भी हैं।
 - (viii) स्वीकारकर्ता प्राधिकारी से अनुसूची 'च' में उल्लिखित प्राधिकारी अभिप्रेत है।
 - (ix) क्षम्य जोखिम वे जोखिम हैं जो दंगों, (ठेकेदार के कर्मचारियों के कारण से होने वालों को छोड़कर) युद्ध, (घोषित और अघोषित), आक्रमण, विदेशी दुश्मनों की कार्रवाई, युद्ध—स्थितियां, गृहयुद्ध, विद्रोह क्रान्ति, उपद्रव, सैन्य या हथियाई गई सत्ता, कोई भी सरकारी कार्रवाई, वायुयान से क्षिति, प्राकृतिक प्रकोप, जैसे भूकंप, तिड़त और अभूतपूर्व बाढ़ और अन्य कारणों, जिनपर ठेकेदार का नियंत्रण न हो और जो उसी रूप में स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाएं या जो पूरी तरह सरकार द्वारा कार्यों के भाग के प्रयोग या अधिगृहण के कारण हो, जिनके संबंध में कार्यसमापन प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया हो या जो सरकार द्वारा पूरी तरह कार्यों की डिजाइन में त्रुटि के कारण हो।
 - (x) बाजार दर वह दर होगी जो भारसाधक इंजीनियर, कार्यस्थल पर, जहां कार्य निष्पादित किया जाना है, सामग्रियों और श्रम की लागत और उसके सभी ऊपरी खर्चो में उल्लिखित प्रतिशतता को जोडकर आई राशि के आधार पर निश्चित करे।

परिभाषाएं



Provided that no extra overheads and profits shall be payable on the part(s) of work assigned to other agency(s) by the contractor as per terms of contract.

- (x) (b) Schedule(s) referred to in these conditions shall mean the relevant schedule(s) annexed to the tender documents or the standard Schedule of Rates of the government mentioned in Schedule 'F' hereunder, with the amendments thereto issued previous day of the last date of submission of the tender.
- (xi) Department means CPWD or any department of Government of India which invites tenders on behalf of President of India as specified in schedule 'F'.
- (xii) District Specifications means the specifications followed by the State Government in the area where the work is to be executed.
- (xiii) Tendered value means the value of the entire work as stipulated in the letter of award.
- (xiv) Date of commencement of work: The date of commencement of work shall be the date of start as specified in schedule 'F' or the first date of handing over of the site, whichever is later, in accordance with the phasing if any, as indicated in the tender document.
- (xv) GST shall mean Goods and Service Tax Central, State and Inter State.
- (xvi) Concurrent delay: Concurrent delays are those delays occurring in the work concurrently in any combination or combination of all delay fall under different sub clauses 5.2, 5.3 and 5.5.
- (xvii) Adolescent Person: A person who has completed his/her fourteenth year of age but has not completed his eighteenth year.
- (xviii) Hazardous works: Hazardous process/works are the works as defined in the clause (cb) of the Factory Act, 1948.

Scope and Performance

- 3. Where the context so requires, words imparting the singular only also include the plural and vice versa. Any reference to masculine gender shall whenever required include feminine gender and vice versa.
- Headings and Marginal notes to these General Conditions of Contract shall not be deemed
 to form part thereof or be taken into consideration in the interpretation or construction
 thereof or of the contract.
- 5. The contractor shall be furnished, free of cost one certified copy of the contract documents except standard specifications, Schedule of Rates and such other printed and published documents, together with all drawings as may be forming part of the tender documents. None of these documents shall be used for any purpose other than that of this contract.

Works to be carried out

6. The work to be carried out under the Contract shall, except as otherwise provided in these conditions, include all labourers, materials, tools, plants, equipment and transport which may be required for full and entire execution and completion of the works. The descriptions given in the Schedule of Quantities (Schedule A) shall, unless otherwise stated, be held to include wastage on materials, carriage and cartage, carrying and return of empties, hoisting, setting, fitting and fixing in position and all other labours necessary in and for the full and entire execution and completion of the work as aforesaid in accordance with good practice and recognized principles.

Sufficiency of Tender

7. The Contractor shall be deemed to have satisfied himself before tendering as to the correctness and sufficiency of his tender for the works and of the rates quoted in the Schedule of Quantities, which rates and prices shall, except as otherwise provided, cover all his obligations under the Contract and all matters and things necessary for the proper completion and maintenance of the works.

Discrepancies and Adjustment of Errors

8. The several documents forming the Contract are to be taken as mutually explanatory of one another, detailed drawings being followed in preference to small scale drawing and figured dimensions in preference to scale and special conditions in preference to General Conditions.





बशर्ते ठेके के नियमों के अनुसार ठेकेदार द्वारा अन्य एजेंसी (एजेंसियों) को सौपें गए कार्य के भाग (भागों) कोई भी अतिरिक्त ओवरहेड या मुनाफा देय नहीं होगा।

- (x) (b) इन शर्तो में उल्लिखित अनुसूची (अनुसूचियों) का अर्थ, निविदा कागजात अथवा किए गए संशोधनों सिहत यहाँ नीचे अनुसूची 'फ' में उल्लिखित सरकार की मानक दर अनुसूची के साथ लगी अनुसूची (अनुसूचियां) निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से एक दिन पहले तक जारी किये गये संशोधन मान्य होगे।
- (xi) विभाग का अर्थ के. लो. नि. वि. या भारत सरकार का कोई भी विभाग जो अनुसूची 'च' में निर्दिष्ट अनुसार भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदाएं आमंत्रित करता है।
- (xii) जिला विनिर्देशों का अभिप्राय उन विनिर्देशों से है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कार्य निष्पादन वाले क्षेत्र में अपनाया जाता है।
- (xiii) निविदित मूल्य का अर्थ, अवार्ड पत्र में निर्धारित अनुसार, पूरे कार्य का मूल्य है।
- (xiv) कार्य आरंभ करने की तारीखः कार्य आरंभ करने की तारीख वह तारीख होगी जैसा कि अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट किया गया है अथवा कार्य स्थल को सौंपे जाने की प्रथम तारीख होगी, जो भी बाद में हो, और यह चरणबद्धता यदि कोई हो, के अनुसार होगी जैसा कि निविदा दस्तावेज में दर्शाया गया है।
- (xv) जीएसटी का अभिप्राय वस्तु एवं सेवा कर होगा- केन्द्रीय, राज्य तथा अंतर्राज्य
- (xvi) समवर्ती विलंबः समवर्ती विलंब वे विलंब हैं जो किसी भी संयोजन में या विभिन्न उप—खंड 5.2, 5.3 और 5. 5 के अंतर्गत आने वाले सभी विलंबों के संयोजन में कार्य में समवर्ती रूप से होते हैं।
- (xvii) किशोर व्यक्तिः वह व्यक्ति जिसने अपनी आयु का चौदहवाँ वर्ष पूरा कर लिया है परन्तु अठारहवाँ वर्ष पूरा नहीं किया है।
- (xviii) खतरनाक कार्यः खतरनाक प्रक्रिया / कार्य फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के खंड (सीबी) में परिभाषित कार्य हैं।
- जहां संदर्भ में अपेक्षित हो वहां एकवचन (सिंगुलर) शब्दों में बहुवचन (प्लूरल) और विलोमतः सिम्मिलित होंगे। जहां संदर्भ में अपेक्षित हो वहाँ पुल्लिंग में स्त्रीलिंग और विलोमातः सिम्मिलित होंगे।
- ठेके की इन सामान्य शर्तो के शीर्शकों और हाशिए की टिप्पणियों को उसका भाग नहीं माना जाएगा अथवा निर्माण या निर्वचन करते समय इन्हें ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
- 5. टेकेदार को, मानक विनिर्देशों, दरों की अनुसूची और ऐसे अन्य मुद्रित और प्रकाशित कागजातों को छोड़कर, सभी आरेखों, जो निविदा कागजात के भाग हों, सहित टेका कागजातों की एक प्रमाणित प्रति निःशुल्क दी जाएगी, इन कागजातों में से किसी भी कागजात को इस टेके के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- इन शर्तो में किसी अन्यथा प्रावधान को छोड़कर, ठेके के तहत किए जाने वाले कार्य में सभी मजदूरी, सामग्रियां, औजार, संयंत्र, उपकरण और परिवहन सम्मिलित हैं, जोिक कार्य को पूर्ण और समूचे रूप से निष्पादन और पूरा करने के लिए आवश्यक हों। मात्राओं की अनुसूची (अनुसूची क) में दिए गए विवरणों को, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, यह माना जाएगा कि उनमें, सामग्रियों की छीजन, भाड़ा और ढुलाई, खाली चीजों को ले जाने और लौटाने, ऊँचे चढ़ाने, लगाने, यथा स्थान फिट करने और आबद्ध करने और अन्य मजदूरी जो पूर्वोक्त अनुसार कार्य को अच्छी विधि और मान्य सिद्धातों के अनुसार पूर्ण और समूचे रूप से निष्पादन और पूरा करने में और पूरा करने के लिए आवश्यक हों, आदि सिम्मिलत हैं।
- 7. यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा देने से पहले कार्यों के लिए उसकी निविदा की सत्यता और पर्याप्तता और मात्राओं की अनुसूची में कथित दरों जो दरें यदि अन्यथा प्रावधान न हो तो, ठेके के तहत उसमें सभी दायित्वों और कार्यो के उचित प्रकार से समापन और अनुरक्षण के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को समाहित करते हैं; के संबंध में अपने आपको संतुष्ट कर लिया है।
- 8. ठेके का भाग बनने वाले सभी प्रकार के कागजातों के विषय में यह माना जाएगा कि वे एक-दूसरे के पूरक हैं, छोटे पैमाने के आरेखों की तुलना में विस्तृत आरेखों को और चित्र में लिखित मापों को पैमाने वाले मापों से और विशेष शर्तों को सामान्य शर्तों से अधिमान दिया जाएगा।

व्यापकता तथा प्रदर्षन

किए जाने वाले कार्य

निविदा की पर्याप्तता

विनियमितताएं और त्रुटियों का समायोजन

CONDITIONS OF CONTRACT



- 8.1 In the case of discrepancy between the schedule of Quantities, the Specifications and/ or the Drawings, the following order of preference shall be observed:
 - (i) Description of Schedule of Quantities.
 - (ii) Particular Specification and Special Condition, if any.
 - (iii) Drawings.
 - (iv) CPWD Specifications.
 - (v) Indian Standard Specifications of B.I.S.
- 8.2 If there are varying or conflicting provisions made in any one document forming part of the contract, the Accepting Authority shall be the deciding authority with regard to the intention of the document and his decision shall be final and binding on the contractor.
- 8.3 Any error in description, quantity or rate in Schedule of Quantities or any omission therefrom shall not vitiate the Contract or release the Contractor from the execution of the whole or any part of the works comprised therein according to drawings and specifications or from any of his obligations under the contract.

Signing of Contract

- 9. The successful tenderer/contractor, on acceptance of his tender by the Accepting Authority, shall, within 15 days from the stipulated date of start of the work, sign the contract consisting of:
 - (i) the notice inviting tender, all the documents including drawings, if any, forming the tender as issued at the time of invitation of tender and acceptance thereof together with any correspondence leading thereto.
 - (ii) Standard CPWD Form as mentioned in Schedule 'F' consisting of:
 - (a) Various standard clauses with corrections up to the date stipulated in Schedule 'F' along with annexures thereto.
 - (b) CPWD Safety Code.
 - (c) Model Rules for the protection of health, sanitary arrangements for workers employed by CPWD or its contractors.
 - (d) CPWD Contractor's Labour Regulations.
 - (e) List of Acts and omissions for which fines can be imposed.
 - (iii) No payment for the work done will be made unless contract is signed by the contractor.
 - (iv) In the event of successful tenderer being a firm/company, then the agreement shall be signed by all the partners or directors thereof individually. In the event of the absence of any partner/director, it shall be signed on his behalf by a person holding a power of attorney (duly notarized by notary public or board resolution in case of company) authorizing him to do so.



संविदा पर हस्ताक्षर



- 8.1 मात्राओं की अनुसूची, विनिर्देशों और / या आरेखों में किमयों के होने पर अधिमान का निम्नलिखित क्रम अपनाया जाएगा।
 - (i) मात्राओं की अनुसूची का विवरण
 - (ii) विशिष्ट विनिर्देश और विशेष शर्ते, यदि हों,
 - (iii) आरेख
 - (iv) के. लो. नि. वि. विनिर्देश
 - (v) भारतीय मानक ब्यूरो के भारतीय मानक विनिर्देश।
- 8.2 यदि ठेके के भाग के किसी कागजात में अलग—अलग या विरोधाभासी उपबंध हों तो स्वीकारकर्ता प्राधिकारी ऐसे कागजातों के संबंध में विनिश्चायक प्राधिकारी होगा और उसका निर्णय ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 8.3 मात्राओं की अनुसूची में विवरण, मात्रा या दर में किसी त्रुटि या उनमें कोई विलोप होने से ठेका निष्प्रभावी नहीं होगा या ठेकेदार आरेखों और विनिर्देशों के अनुरूप उसमें निहित पूरे कार्य या उसके भाग को निष्पादित करने के दायित्व से मुक्त नहीं होगा या ठेके के तहत अपने किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं होगा।
- 9. स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसकी निविदा स्वीकार कर लिए जाने पर सफल निविदाकार / ठेकेदार कार्य शुरू करने की तारीख के 15 दिन के भीतर ठेके पर हस्ताक्षर करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—
 - ते समय
 - (i) निविदा आमंत्रण सूचना, आरेखों, यदि हों, सिहत सभी कागजात, जो निविदा आमंत्रित करते समय निविदा के भाग हों, उससे संबंधित पत्राचार सिहत उसकी स्वीकृति।
 - (ii) मानक के. लो. नि. वि. फार्म जैसा कि अनुसूची 'च' में उल्लिखित है जिसमें निम्निलिखित होंगे।
 - (क) अनुसूची 'च' में निर्धारित तारीख तक के संशोधनों और उनके अनुबंधों सहित विभिन्न मानक खण्ड
 - (ख) के. लो. नि. वि. सुरक्षा संहिता
 - (ग) के. लो. नि. वि. या ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा स्वच्छता व्यवस्था के लिए आदर्श नियम,
 - (घ) के. लो. नि. वि. के ठेकेदारों के श्रमिक विनियमन
 - (च) कृत्यों और अकृत्यों की सूची जिनके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।
 - (iii) ठेकेदार द्वारा ठेके को हस्ताक्षरित न किए जाने की स्थिति में किए गए कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - (iv) यदि सफल निविदाकर्ता एक फर्म / कंपनी है, तो समझौते पर उसके सभी भागीदारों या निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। किसी भागीदार / निदेशक की अनुपस्थिति की स्थिति में, उसकी ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी (कंपनी के मामले में बोर्ड रिजॉल्यूशन या नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत नोटरीकृत) रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा, जो उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत करेगा।



GENERAL CONDITION OF CONTRACT

CLAUSES OF CONTRACT

Clause 1

Performance Guarantee

- The contractor shall submit an irrevocable Performance Guarantee at specified percentage of the tendered amount as mentioned in Schedule 'E', in addition to other deposits mentioned elsewhere in the contract for his proper performance of the contract agreement, (not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract) within period specified in Schedule 'F' from the date of issue of letter of acceptance. This period can be further extended by the Engineerin-Charge up to a maximum period as specified in schedule 'F' on written request of the contractor stating the reason for delays in submitting the Performance Guarantee, to the satisfaction of the Engineer-in-Charge. This Guarantee shall be in the form of Insurance Surety Bonds, Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee from any of the Commercial Banks. In case a fixed deposit receipt of any Bank is furnished by the contractor to the Government as part of the performance guarantee and the Bank is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good the deficit.
- (ii) The Performance Guarantee shall be submitted by the contractor on format as per GCC and shall be initially valid up to the stipulated date of completion plus minimum 6 months beyond that. In case the time for completion of work gets enlarged, the contractor shall get the validity of Performance Guarantee extended to cover such enlarged time for completion of work. After recording of the completion certificate for the work by the competent authority, the performance guarantee shall be returned to the contractor, without any interest. However, in case of contracts involving maintenance of building and services/any other work after construction of same building and services/other work, then 50% of Performance Guarantee shall be retained as Security Deposit. The same shall be returned year wise proportionately.
- (iii) The Engineer-in-Charge shall not make a claim under the performance guarantee except for amounts to which the President of India is entitled under the contract (not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract agreement) in the event of:
 - (a) Failure by the contractor to extend the validity of the Performance Guarantee as described herein above, in which event the Engineer-in-Charge may claim the full amount of the Performance Guarantee.
 - (b) Failure by the contractor to pay President of India any amount due, either as agreed by the contractor or determined under any of the Clauses/Conditions of the agreement, within 30 days of the service of notice to this effect to the contractor by Engineer-in-Charge.
- (iv) In the event of the contract being determined or rescinded under provision of any of the Clause/Condition of the agreement, the performance guarantee shall stand forfeited in full and shall be absolutely at the disposal of the President of India.





संविदा की सामान्य शर्ते

संविदा के खण्ड

खण्ड 1

- (i) ठेकेदार को स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से अनुसूची 'एफ' में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संविदा करार (संविदा के बिना किसी अन्य प्रावधानों के और / या पूर्वाग्रह के बिना) के संबंध में अपने उचित प्रदर्शन के लिए संविदा में कहीं और उल्लिखित अन्य जमा राशि के अलावा, अनुसूची 'ई' में उल्लेखानुसार निविदा राशि के निर्दिष्ट प्रतिशत पर अपरिवर्तनीय निष्पादन गारंटी जमा करनी होगी। इस अवधि को अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट अधिकतम अवधि तक प्रभारी अभियंता द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है, जब प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के लिए, निष्पाषदन गारंटी प्राप्त करने में विलंब का कारण बताते हुए ठेकेदार द्वारा लिखित अनुरोध किया जाए। यह गारंटी बीमा निष्पादन बांड, अदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या किसी भी वाणिज्यक बैंकों की बैंक गारंटी के रूप में होगी। यदि किसी बैंक की सावधि जमा रसीद ठेकेदार द्वारा सरकार को निष्पादन गारंटी के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की जाती है और बैंक उक्त सावधि जमा रसीद के लिए भुगतान करने में असमर्थ है, तो इससे होने वाली हानि ठेकेदार को होगी और ठेकेदार घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को मांग पर तत्काल अतिरिक्त प्रतिभृति प्रदान करेगा।
- (ii) निष्पादन गारंटी ठेकेदार द्वारा जीसीसी के अनुसार प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी और शुरू में पूर्ण होने की निर्धारित तिथि और उसके बाद न्यूनतम 6महीने तक वैध होगी। यदि कार्य पूरा करने के समय में बढ़ोतरी हो जाती है तो ठेकेदार निष्पादन गारंटी की वैद्यता की अविध को भी बढ़वाएगा तािक कार्य समापन के लिए समय में हुई बढ़ोतरी कवर हो सके। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पूरा करने संबंधी प्रमाण पत्र रिकार्ड करने के पश्चात् निष्पादन गारंटी, बिना किसी ब्याज के, ठेकेदार को लौटा दी जाएगी। तथािप, उस भवन के निर्माण और सेवाओं / अन्य कार्य के बाद सेवाओं / अन्य कार्य के अनुरक्षण को शािमल करने वाले ठेकों के मामले में, 50 प्रतिशत कार्य निष्पादन गारंटी प्रतिभूति राशि के रूप में रख ली जाएगी। उसे आनुपातिक रूप से वर्षवार लौटाया जाएगा।
- (iii) भारसाधक अभियंता उन राशियों को छोड़ कर जिनके लिए भारत के राष्ट्रपित निम्नलिखित पिरिश्थितियों में संविदा के अंतर्गत पात्र है, (संविदा करार के अन्य किसी प्रावधान के होते हुए भी और / या उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना), निष्पादन गारंटी में किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा :--
 - (क) जैसािक इसमें ऊपर कहा गया है कि यिद ठेकेदार निष्पादन गारंटी की वैद्यता को बढ़ाने में असमर्थ रहता है तो उस पिरिस्थिति में भारसाधक अभियंता निष्पादन गारंटी की पूरी रािश का दावा कर सकता है।
 - (ख) यदि ठेकेदार उसके द्वारा करार की गई अथवा करार के किसी खंड / शर्त के आधीन अवधारित किसी राशि का भुगतान, भारसाधक अभियंता द्वारा इस आशय के संबंध में दिए नोटिस के 30 दिन के भीतर, भारत के राष्ट्रपति को करने में असमर्थ रहता है।
- (iv) यदि संविदा करार के किसी खंड / शर्त के किसी प्रावधान के अंतर्गत अवधारित / मसूख हो जाती है तो उस स्थिति में निष्पादन गारंटी को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा तथा वह आत्यंतिक रूप से, भारत के राष्ट्रपति के व्ययन पर होगी।

कार्य निष्पादन गारंटी



(v) As per requirement of the client or otherwise specified in the contract, part completion certificate may be issued for the building(s)/ infrastructure project for the part(s) which have been completed in all respect and are ready for use. However, statutory approvals, Completion drawing of various services, wherever required, shall be obtained before handing over of building(s)/ part(s) of the project. Scope of the completed part(s) shall be mentioned in such part completion certificate.

The part completion certificate shall include outstanding balance work that need to be completed in accordance with the provisions of the contract. This part completion certificate shall be recorded by the authority as per contract value of work. After recording of the part Completion Certificate for the work by the competent authority, the proportionate amount of 80% of performance guarantee shall be returned to the contractor, without any interest.

However in case of contracts involving Maintenance of building and services /any other work after construction of same building and services/ other work, then proportionate amount of 40% of performance guarantee shall be returned to the contractor without any interest after recording the part Completion certificate.

Clause 1A

Recovery of Security Deposit

The person(s) whose tender may be accepted (hereinafter called the contractor) shall permit Government at the time of making any payment to him for work done under the contract to deduct a sum at the rate of 2.5% of the gross amount of each running and final bill till the sum deducted will amount to security deposit of 2.5% of the tendered amount of the work. Such deductions will be made and held by Government by way of Security Deposit unless he/they has/have deposited the amount of Security at the rate mentioned above in the form of Government Securities or fixed deposit receipts. In case a fixed deposit receipt of any Bank is furnished by the contractor to the Government as part of the security deposit and the Bank is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good the deficit.

All compensations or the other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit or from the interest arising there from, or from any sums which may be due to or may become due to the contractor by Government on any account whatsoever and in the event of his Security Deposit being reduced by reason of any such deductions as aforesaid, the contractor shall within 10 days make good by submitting Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt, Banker's Cheque of commercial Banks or Government Securities (if deposited for more than 12 months) endorsed in favour of the Engineer-in-charge any sum or sums which may have been deducted from or raised by sale of his security deposit or any part thereof. The security deposit shall be collected from the running bills and the final bill of the contractor at the rates mentioned above.

The security deposit as deducted above can be released against bank guarantee issued by a commercial bank, on its accumulations to a minimum of Rs. 5 lac subject to the condition that amount of such bank guarantee, except last one, shall not be less than Rs. 5 lac. Provided further that the validity of bank guarantee shall be in conformity with provisions contained in clause 17 which shall be extended from time to time depending upon extension of contract granted under provisions of clause 2 and clause 5.





(v) ग्राहिय विभाग की आवश्यकता के अनुसार या अनुबंध में अन्यथा निर्दिष्ट, भवन/बुनियादी ढांचे की पिरयोजना के लिए आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र उन भागों के लिए जारी किया जा सकता है जो सभी तरह से पूरे हो चुके हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं। हालाँकि, पिरयोजना के भवन/भाग को सौंपने से पहले, जहाँ भी आवश्यक हो, वैधानिक अनुमोदन, विभिन्न सेवाओं की पूर्णता ड्राइंग प्राप्त की जानी चाहिए। पूर्ण किए गए भाग/भागों का दायरा ऐसे आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र में उल्लेखित किया जाएगा।

आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र में बकाया शेष कार्य शामिल होगे जिसे अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार पूरा करने की आवश्यकता है। यह आंशिक समापन प्रमाणपत्र कार्य के अनुबंध मूल्य के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य के लिए आंशिक समापन प्रमाणपत्र की रिकॉर्डिंग के बाद, कार्य निष्पादन गांरटी की 80 प्रतिशत की राशि बिना किसी ब्याज के ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।

हालाँकि, भवन और सेवाओं के रखरखाव / उसी भवन और सेवाओं के निर्माण के बाद किसी अन्य कार्य से जुड़े अनुबंधों के मामले में, कार्य निष्पादन गांरटी की 40 प्रतिशत की राशि ठेकेदार को भाग समापन प्रमाणपत्र की रिकॉर्डिंग के बाद बिना, किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

खण्ड−1(क)

जिस व्यक्ति / व्यक्तियों की निविदा (एं) स्वीकार होंगी (जिसे इसके बाद ठेकेदार कहा जाएगा) वह ठेके के अन्तर्गत किए गए कार्य के लिए किए जा रहे भुगतान के समय सरकार को यह अधिकार देगा कि प्रत्येक चलबिल एवम् अंतिम बिल की कुल राशि के 2.5 प्रतिशत की दर से राशि की कटौती तब तक कर सके जब तक यह राशि कार्य के निविदत राशि के 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप राशि के बराबर न हो जाए। ऐसी कटौतियां सरकार द्वारा की जाएंगी व प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखी जाएंगी बशर्ते उसने / उन्होंने उपर्युक्त दर से प्रतिभूति के रूप में नकद जमा न की हो। यदि ठेकेदार प्रतिभूति निक्षेप के भाग के रूप में सरकार को किसी बैंक कीसावधि जमा रसीद पर भुगतान न करे तो उससे हुई हानि के लिए ठेकेदार तत्काल घाटे की भरपाई के लिए सरकार को अतिरिक्त प्रतिभूति देगा।

इस ठेके के निबंधनों के अधीन ठेकेदार द्वारा संदय सभी प्रतिकर या अन्य धन—राशियां उसके प्रतिभूति निक्षेप से या उससे होने वाले ब्याज से, या ऐसी राशियों से जो किसी भी कारण से सरकार द्वारा ठेकेदार को देय हों या हो जाएं, काटी जा सकेंगी या प्रतिभूति निक्षेप के पर्याप्त भाग के विक्रय द्वारा संदत्त की जा सकेंगी, और किन्हीं ऐसी कटौतियों या यथापूर्वोक्त विक्रय के कारण उसके प्रतिभूति निक्षेप के कम हो जाने की दशा में, ठेकेदार दस दिन के भीतर अदाता खाता चैक ड्राफ्ट, सावधि जमा, बैंकर चैक के रूप में या भारसाधक अभियंता के पक्ष में पृष्टांकित सरकारी प्रतिभूतियों की दशा में रकम (यदि 12 मास से अधिक के लिए जमा की गई हों), किसी राशि या राशियों को, जो उसकी प्रतिभूति निक्षेप से या उसके किसी भाग से कटौती की गई हों या विक्रय से ली गई हों पूरी करेगा। प्रतिभूति निक्षेप ऊपर वर्णित दरों पर ठेकेदार के चालू बिलों एवं अंतिम बिल में से संग्रहित किया जाएगा।

उपर्युक्त कटौती के अनुसार प्रतिभूति निक्षेप को न्यूनतम 5 लाख रूपये के संचयन पर वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के बदले जारी किया जा सकता है कि बशर्ते कि ऐसी बैंक गारंटी की राशी, अंतिम एक को छोड़कर 5 लाख रूपये से कम नहीं होगी। इसमें आगे यह भी उपबंधित है कि बैंक गारंटी की वैद्यता, खंड 17 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगी जिसे खंड 2 और खंड 5 के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त संविदा की अविध बढ़ाये जाने के आधार पर समय—समय पर बढाई जायेगी।

प्रतिभूति जमा राशि की वसुली



In case of contracts involving maintenance of building and services/any other work after construction of same building and services/other work, then 50% of Performance Guarantee shall be retained as Security Deposit. The same shall be returned year wise proportionately.

Note-1: Government papers tendered as security will be taken at 5% (five per cent) below its market price or at its face value, whichever is less. The market price of Government paper would be ascertained by the Engineer-in-charge at the time of collection of interest and the amount of interest to the extent of deficiency in value of the Government paper will be withheld if necessary.

Note-2: Government Securities will include all forms of Securities mentioned in Rule No. 274 of the G.F. Rules except fidelity bond. This will be subject to the observance of the condition mentioned under the rule against each form of security.

Note-3: Note 1 & 2 above shall be applicable for both clause 1 and 1A.

Clause 2

Compensation for Delay

If the contractor fails to maintain the required progress in terms of clause 5 or to complete the work and clear the site on or before the stipulated completion date or justified extended date of completion determined as per clause 5 (excluding any extension under clause 5.5) also considering any extension granted under clauses 12 and 15, he shall, without prejudice to any other right or remedy available under the law to the Government on account of such breach, pay as compensation, the amount calculated as below:

(i) Compensation for delay of work @ 0.75% of accepted tendered amount per month of delay (to be computed on per day basis)

Provided further that the total amount of compensation for delay to be paid under this condition shall not exceed 5 % (five percent) of the accepted Tendered Value of work or of the accepted Tendered Value of the Sectional part of work as mentioned in Schedule 'F' for which a separate period of completion is originally given.

The period of delay solely attributable to contractor shall be computed as the time taken by contractor going beyond the 'justified date of completion' as determined by the authority specified in schedule F under clause 5. Further, in case where the contractor is entitled to additional time under clause 12 and /or clause 15, that shall also be accounted for while deciding the net period of delay. In case, the authority specified in schedule F decides to levy compensation during the progress of work, the period of delay attributable to contractor shall be computed (by such authority) as the period by which the progress is behind the schedule on date of such decision, after due consideration of justified extension at that stage of work.

In case no compensation has been decided by the authority in Schedule 'F' during the progress of work, this shall be no waiver of right to levy compensation by the said authority if the work remains incomplete on final justified extended date of completion.

If the Engineer in Charge decides to give further extension of time allowing performance of work beyond the justified extended date the contractor shall be liable to pay compensation for such extended period. The levy of compensation under this clause shall be without prejudice to the right of action by the Engineer-in-charge under clause 3 or any other clause in contract.

In case action under clause 2 has not been finalized and the work has been determined under clause 3, the right of action under clause 2 shall remain post determination of contract and in such case the levy of compensation shall be for days the progress is behind the schedule on date of determination, as assessed by the authority in Schedule F, after due



संविदा के खण्ड



उन भवन के निर्माण और सेवाओं / अन्य कार्य के बाद सेवाओं / अन्य कार्य के अन्रक्षण को शामिल करने वाले ठेकों के मामले में, 50 प्रतिशत कार्य निष्पादन गारंटी, प्रतिभृति राशि के रूप में रख ली जाएगी। उसे आनुपातिक रूप से वर्षवार लौटाया जाएगा।

टिप्पणी 1 – प्रतिभृति के रूप में निविदित्त सरकारी कागज–पत्रों को उनके बाजार मृल्य अथवा उनके अंकित मृल्य में, जो भी कम हो 5 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) कम के रूप में लिया जाएगा। सरकारी कागज–पत्र का बाजार मूल्य भारसाधक अभियंता द्वारा ब्याज के संग्रहण के समय अभिनिश्चित किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो ब्याज की रकम सरकारी कागज-पत्र के मूल्य में कमी की सीमा तक रोक ली जाएगी।

टिप्पणी २ – सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर्गत विश्वस्तता बंध-पत्रों को छोड़कर सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 274 में वर्णित सभी प्रारूप और प्रतिभूतियां होंगे। ऐसा इस नियम के अधीन प्रतिभूति के प्रत्येक प्रारूप के सामने वर्णित शर्तों के अनुपालन किए जाने के अध्यधीन होगा।

टिप्पणी ३ – उपर्युक्त टिप्पणियां १ एवं २ खण्ड १ तथा खण्ड १ क दोनों पर लागू होंगी।

खण्ड–2

यदि ठेकेदार खंड 5 के निबंधनों के अनुसार कार्य में अपेक्षित प्रगति को बनाए रखने अथवा खंड 5 के अनुसार निर्धारित विलंब के लिए क्षतिपूर्ति पूर्णता तिथि या खंड 5 के अनुसार निर्धारित पूर्णता की उचित विस्तारित तिथि पर या उससे पहले (खंड 5.5 के तहत किसी भी विस्तार को छोडकर) और खंड 12 तथा 15 के तहत कोई भी स्वी.त विस्तार को ध्यान में रखते हुए कार्य पुरा करने में और कार्यस्थल की सफाई करने में असमर्थ रहता है, तो वह इस तरह के उल्लंघन के कारण सरकार को कानून के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना, प्रतिकर के रूप में, नीचे दी गई राशि का भूगतान करेगाः

(i) कार्य में विलम्ब के लिए प्रतिकर

स्वीकृत निविदा राशि का 0.75% प्रति माह विलम्ब के लिए (प्रति दिन के आधार पर परिकलित किया जाएगा)

बशर्ते आगे कि इस शर्त के अंतर्गत विलम्ब के लिए भुगतान की जाने वाली कुल प्रतिकर राशि कार्य के स्वी.त निविदित्त मुल्य अथवा अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित कार्य का अनुभगीय हिस्सा, जिनके लिए कार्य समापन अविध पहले से अलग दी गई हो, स्वीकृत निविदा मूल्य के 5% (पाँच प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा।

ठेकेदार के कारण हुए विलंब की अवधि की गणना ठेकेदार द्वारा 'पूर्ण होने की उचित तिथि से आगे जाने वाले समय के रूप में की जाएगी, जैसा कि खंड 5 के तहत अनुसूची एफ में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है ।इसके अलावा, यदि ठेकेदार खंड 12 और / या खंड 15 के तहत अतिरिक्त समय का हकदार है, तो इसे भी विलंब की निवल अवधि तय करते समय हिसाब में लिया जाएगा। यदि अनुसूची एफ में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कार्य की प्रगति के दौरान प्रतिकर की उगाही का निर्णय करता है, तो ठेकेदार के कारण विलंब की अवधि की गणना (ऐसे प्राधिकारी द्वारा) कार्य के उस चरण में उचित विस्तार पर विचार करने के बाद, उस अवधि के रूप में की जाएगी जिसके द्वारा इस तरह के निर्णय की तिथि पर प्रगति कार्यक्रम से पीछे है ।

यदि कार्य की प्रगति के दौरान अनुसूची 'एफ' में प्राधिकारी द्वारा कोई प्रतिकर तय नहीं किया गया है; तो यह उक्त प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर के आरोपण के अधिकार में कोई छूट नहीं होगी यदि कार्य पूरा होने की अंतिम उचित विस्तारित तिथि पर अधूरा रहता है।

यदि प्रभारी अभियंता उचित विस्तारित तिथि से आगे कार्य निष्पादन की अनुमति देने के लिए समय को और बढ़ाने का निर्णय लेता है, तो ठेकेदार ऐसी विस्तारित अवधि के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस खंड के तहत प्रतिकर की उगाही खंड 3 या संविदा के अन्य किसी खंड के तहत प्रभारी अभियंता द्वारा कार्यवाही के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

यदि खंड 2 के तहत कार्यवाही को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और कार्य को खंड 3 के तहत निर्धारित किया गया है, तो खंड 2 के तहत कार्यवाही का अधिकार संविदा के निर्धारण के बाद बना रहेगा. लेकिन ऐसे मामले में प्रतिकर की उगाही उन दिनों के लिए होगी, जिनकी प्रगति निर्धारण की तिथि पर कार्यक्रम से पीछे है, जैसा



consideration of justified extension. The compensation for delay, if not decided before the determination of contract, shall be decided after of determination of contract. Further, in such case where the contract has been determined, the total amount of recovery against compensation under clause 2 plus that under clause 3 (i.e. forfeiture of security deposit, performance guarantee) shall not exceed 8 % of the accepted tendered value of work.

The amount of compensation may be adjusted or set-off against any sum payable to the Contractor under this or any other contract with the Government.

In case, the contractor does not achieve a particular milestone mentioned in schedule F, or the re-scheduled milestone(s) in terms of Clause 5, the amount shown against that milestone shall be withheld, to be adjusted against the compensation levied as above. With-holding of this amount on failure to achieve a milestone, shall be automatic without any notice to the contractor. However, if the contractor catches up with the progress of work on the subsequent milestone(s), the withheld amount shall be released. In case the contractor fails to make up for the delay in subsequent milestone(s), amount mentioned against each milestone missed subsequently also shall be withheld. The amount so withheld can be released against BG/FDR from a commercial bank of equivalent amount. Further, no interest, whatsoever, shall be payable on such withheld amount.

Clause 3

When Contract can be Determined

Subject to other provisions contained in this clause, the Engineer-in-Charge may, without prejudice to his any other rights or remedy against the contractor in respect of any delay, not following safety norms, inferior workmanship, any claims for damages and/or any other provisions of this contract or otherwise, and whether the date of completion has or has not elapsed, by notice in writing absolutely determine the contract in any of the following cases:

- (i) If the contractor having been given by the Engineer-in-charge a notice in writing to rectify, reconstruct or replace any defective work or that the work is being performed in an inefficient or otherwise improper or un-workman like manner shall omit to comply with the requirement of such notice for a period of seven days thereafter.
- (ii) If the contractor has, without reasonable cause, suspended the progress of the work or has failed to proceed with the work with due diligence and continues to do so after a notice in writing of seven days from the Engineer-in-Charge.
- (iii) If the contractor fails to complete the work or section of work with individual date of completion on or before the stipulated or justified extended date, on or before such date of completion; and the Engineer in Charge without any prejudice to any other right or remedy under any other provision in the contract has given further reasonable time in a notice given in writing in that behalf as either mutually agreed or in absence of such mutual agreement by his own assessment making such time essence of contract and in the opinion of Engineer-in-Charge the contractor will be unable to complete the same or does not complete the same within the period specified.
- (iv) If the contractor persistently neglects to carry out his obligations under the contract and/ or commits default in complying with any of the terms and conditions of the contract and does not remedy it or take effective steps to remedy it within 7 days after a notice in writing is given to him in that behalf by the Engineer-in-Charge.
- (v) If the contractor shall offer or give or agree to give to any person in Government service or to any other person on his behalf any gift or consideration of any kind as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the obtaining or execution of this or any other contract for Government.



संविदा के खण्ड



कि अनुसूची एफ में प्राधिकारी द्वारा उचित विस्तार पर विचार करने के बाद आकलन किया गया है। विलंब के लिए प्रतिकर, यदि संविदा के निर्धारण से पहले तय नहीं किया गया है, तो इसे संविदा के निर्धारण के बाद तय किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे मामले में जहां संविदा निर्धारित की गयी है, खंड 2 के तहत और खंड 3 (अर्थात प्रतिभूति जमा, निष्पादन गारंटी की जब्ती) के तहत प्रतिकर के लिए वसूली की कुल राशि काम के स्वीकृत निविदा मूल्य के 8% से अधिक नहीं होगी।

मुआवजे की राशि को सरकार के साथ इस या किसी अन्य संविदा के तहत ठेकेदार को किसी भी देय राशि के लिए समायोजित या निश्चित किया जा सकता है।

यदि ठेकेदार अनुसूची एफ में उल्लिखित एक विशेष लक्ष्य / मील का पत्थर हासिल नहीं करता है, या खंड 5 के संदर्भ में पुनः निर्धारित लक्ष्य / मील का पत्थर प्राप्त नहीं करता है, तो उस लक्ष्य / मील के पत्थर के लिए दिखाई गई राशि को रोक दिया जाएगा, ऊपर के रूप में लगाए गए प्रतिकर के लिए उसे समायोजित किया जाएगा। एक लक्ष्य / मील का पत्थर प्राप्त करने में विफल होने पर इस राशि को रोकना, ठेकेदार को बिना किसी सुचना के स्वतः होगा। हालांकि, यदि ठेकेदार आगामी लक्ष्यों / मील के पत्थर पर कार्य की प्रगति को पकड़ लेता है, तो रोकी गई राशि छोड़ दी जाएगी। यदि ठेकेदार बाद के लक्ष्यों / मील के पत्थर में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति करने में विफल रहता है, तो बाद में छूटे हुए प्रत्येक लक्ष्यों / मील के पत्थर के लिए उल्लिखित राशि को भी रोक दिया जाएगा। इस प्रकार रोकी गई राशि को समान राशि के वाणिज्यिक बैंक से बीजी / एफडीआर के लिए जारी किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसी रोकी गई राशि पर कोई ब्याज, जो भी हो, देय नहीं होगा।

इस खण्ड में दिए गए अन्य प्रावधानों के अध्यधीन भारसाधक इंजीनियर किसी विलंब या घटिया कारीगरी, सुरक्षा **जब संविदा का निर्धारण** नियमों का अनुसरण न करना, क्षति के किन्ही दावों और / अथवा इस ठेके के किसी अन्य प्रावधान या अन्यथा और चाहे कार्य पुरा करने की तारीख समाप्त हो गई हो या नहीं, ठेकेदार के विरुद्ध अपने किसी भी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित सूचना द्वारा निम्नलिखित मामलों में से किसी में भी ठेके को पूरे तौर पर अवसान कर सकेगा :-

- किया जा सकता है
- यदि ठेकेदार, भारसाधक इंजीनियर द्वारा उसे यह लिखित सूचना दिए जाने पर कि किसी त्रुटिपूर्ण कार्य को ठीक किया जाए, पुन : सन्निर्मित किया जाए या बदल दिया जाए या यह कि कार्य अकुशल या अन्यथा अनुसूचित या कर्मकौशल रहित रीति में किया जा रहा है, ऐसी सूचना दिए जाने के पश्चात् सात दिन की अवधि तक ऐसी सूचनाओं की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।
- (ii) यदि ठेकेदार बिना किसी तर्कसंगत कारण से कार्य की प्रगति रोक देता है या उचित परिश्रम से कार्य करने में इस सीमा तक विफल रहता है कि भारसाधक इंजीनियर की राय (जो अंतिम और बाध्यकारी होगी) में वह कार्य समाप्ति की तारीख तक कार्य पूरा करने में असफल रहेगा और भारसाधक इंजीनियर द्वारा लिखित नोटिस देने के सात दिन बाद भी उसी स्थिति में रहे।
- यदि ठेकेदार अनुबद्ध अथवा तर्क संगत तरीके से बढ़ाई गई तारीख को अथवा उसके पूर्व कार्य की (iii) अलग–अलग तिथि में अथवा पूरा करने की ऐसी तारीख को अथवा उसके पूर्व कार्य अथवा उसके किसी भाग को पूरा करने में विफल रहता है और प्रभारी अभियंता संविदा में किसी अन्य अधिकार अथवा किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत बिना किसी पुर्वाग्रह के या तो सहमति के आधार पर अथवा ऐसे आपसी करार के अभाव में अपने निजी आकलन द्वारा इस ओर लिखित में दी गई प्रस्ताव में और आगे उचित अवधि दी है और ऐसी समय को संविदा का मूल तत्व बनाया हो और प्रभारी अभियंता की राय में ठेकेदार उसे पूरा करने में सक्षम नही होगा और उसे निर्दिष्ट अवधि में पूरा नहीं कर पाता है।
- यदि ठेकेदार ठेके के अन्तर्गत अपने दायित्वों को लगातार नहीं निभाता और / या ठेके की शर्तों व निबंधनों (iv) का अनुपालन करने में त्रुटियां करता है और उसमें सुधार नहीं करता या भारसाधक इंजीनियर द्वारा, दिए गए इस आशय के लिखित नोटिस देने के बाद सात दिन तक उनमें सुधार के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाता।
- यदि ठेकेदार सरकारी सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर से इस ठेके या (v) किसी भी अन्य ठेके को प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में कोई कार्य करने यान करने या कर चुकने या न कर चुकने की एवज में प्रलोभन या इनाम स्वरूप किसी भी प्रकार की भेंट या प्रतिफल देने का प्रस्ताव रखता है या सहमत होता है।



- (vi) If the contractor shall enter into a contract with Government in connection with which commission has been paid or agreed to be paid by him or to his knowledge, unless the particulars of any such commission and the terms of payment thereof have been previously disclosed in writing to the Engineer-in-Charge.
- (vii) If the contractor had secured the contract with Government as a result of wrong tendering or other non-bonafide methods of competitive tendering or commits breach of Integrity Agreement.
- (viii) If the contractor being an individual, or if a firm, any partner thereof shall at any time be adjudged insolvent or have a receiving order or order for administration of his estate made against him or shall take any proceedings for liquidation or composition (other than a voluntary liquidation for the purpose of amalgamation or reconstruction) under any Insolvency Act for the time being in force or make any conveyance or assignment of his effects or composition or arrangement for the benefit of his creditors or purport so to do, or if any application be made under any Insolvency Act for the time being in force for the sequestration of his estate or if a trust deed be executed by him for benefit of his creditors.
- (ix) If the contractor being a company shall pass a resolution or the court shall make an order that the company shall be wound up or if a receiver or a manager on behalf of a creditor shall be appointed or if circumstances shall arise which entitle the court or the creditor to appoint a receiver or a manager or which entitle the court to make a winding up order.
- (x) If the contractor shall suffer an execution being levied on his goods and allow it to be continued for a period of 21 days.
- (xi) If the contractor assigns (excluding part(s) of work assigned to other agency(s) by the contractor as per terms of contract), transfers, sublets (engagement of labour on a piece-work basis or of labour with materials not to be incorporated in the work, shall not be deemed to be subletting) or otherwise parts with or attempts to assign, transfer, sublet or otherwise parts with the entire works or any portion thereof without the prior written approval of the Engineer -in-Charge.
- (xii) When the contractor has made himself liable for action under any of the aforesaid cases (i) to (xi), the Engineer-in-Charge on behalf of the President of India shall have powers:
 - (a) To determine the contract as aforesaid so far as performance of work by the Contractor is concerned (of which determination notice in writing to the contractor under the hand of the Engineer-in-Charge shall be conclusive evidence). Upon such determination, the performance guarantee shall stand forfeited in full, Security Deposit already recovered and Security deposit recoverable shall be liable to be forfeited and shall be absolutely at the disposal of the Government.
 - (b) After giving notice to the contractor to measure up the work of the contractor and to take such whole, or the balance or part thereof, as shall be un-executed out of his hands and to give it to another contractor to complete the work. The contractor, whose contract is determined as above, shall not be allowed to participate in the tendering process for the remaining work which may include any new items to complete the work. In the event of above courses being adopted by the Engineer-in-Charge, the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reasons of his having purchased or procured any materials





- (vi) यदि ठेकेदार सरकार के साथ कोई ठेका करता है जिसके संबंध में उसके द्वारा या उसकी जानकारी में कमीशन का भुगतान किया जा चुका हो या भुगतान करने की सहमति दी जा चुकी हो, यदि ऐसी किसी भी कमीशन के विवरण या उसके भुगतान के निबंधन पहले से ही प्रभारी अभियंता को लिखित में प्रकट नहीं किए गए हों।
- (vii) यदि ठेकेदार सरकार से गलत निविदा द्वारा या प्रतियोगी निविदा करने के किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके द्वारा ठेका प्राप्त करता है या सत्यनिष्ठता अनुबंध को तोडता हैं।
- (viii) यदि ठेकेदार कोई व्यक्ति है, या फर्म के रूप में है, तो यदि उसका कोई भागीदार किसी भी समय दिवालिया घोषित किया जाए या आदान आदेश दिए जाए या उसकी सम्पदा के प्रशासन संबंधी आदेश उसके विरूद्ध हों जाए या किसी दिवालियापन अधिनियम, जो उस समय लागू हो, के अंतगर्त उसके द्वारा समापन या संयोजन संबंधी (समामेलन या पुनर्निर्माण के प्रयोजन से किए गए स्वैच्छिक समापन के अलावा) कारवाई आरंभ की जाए या अपने लेनदारों के लाभ हेतु या ऐसा करने के उद्देश्य से वह अपने प्रभावों को व्यक्त करता है या निर्धारित करता है या संयोजन या प्रबंन्ध करता है, या अपनी सम्पदा के पृथक्करण के लिए किसी दिवालियापन अधिनियम जो उस समय लागू हो, के अंतगर्त उसने कोई आवेदन किया हो या अपने लेनदारों के लिए उसके द्वारा कोई न्यास विलेख निष्पादित किया गया हो।
- (ix) यदि ठेकेदार, जो कम्पनी हो, यह संकल्प पारित करता है या न्यायालय यह आदेश करता है कि कम्पनी का परिसमापन किया जाए या यदि किसी लेनदार की ओर से कोई रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त किया जाता है या यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो न्यायालय या लेनदार को रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त करने के लिए हकदार बनाती हैं या जो न्यायालय को परिसमापन आदेश करने का हकदार बनाती हैं।
- (x) यदि ठेकेदार अपने माल पर कर लगने का नुकसान उठाता है और यह स्थिति 21 दिन की अवधि तक जारी रहती है।
- (xi) यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा अन्य एजेंसी (एजेंसियों) को सौंपे गए काम के हिस्से को छोड़कर), स्थानांतरण, उप–िकराए (टुकड़े–टुकड़े के आधार पर श्रम की नियुक्ति या ऐसी सामग्री के साथ श्रम की नियुक्ति) सौंपता है कार्य में शामिल किया गया, उप–िकराए पर देने के रूप में नहीं समझा जाएगा) या अन्यथा प्रभारी अभियंता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना संपूर्ण कार्य या उसके किसी भी हिस्से के साथ भागों को आवंटित करने, स्थानांतिरत करने, उप–िकराए पर देने या अन्यथा करने का प्रयास करता है।
- (xii) जब ठेकेदार ने उपरोक्त मामलों (i) से (xi) में से किसी के तहत खुद को कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना लिया है, तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रभारी अभियंता के पास शक्तियां होंगी
 - (क) जहां तक ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन का प्रश्न है, ठेके का पूर्वोक्त रूप से अवसान कर दे (जिस अवसान की ठेकेदार को भारसाधक इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित निर्धारण सूचना निश्चायक साक्षी होगी)। ऐसे अवसान पर ठेके के तहत निष्पादन गारंटी पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी, प्रतिभूति जमा पहले ही वसूल हो चूकी है।
 - (ख) ठेकेदार को सूचना देने के पश्चात् उसके कार्य की माप करें और उसके कार्य का वह पूरा या शेष या भाग जो अनिष्पादित रह जाए, उससे लेकर दूसरे ठेकेदार को उसे पूरा करने के लिए दे दिया जाए। जिस ठेकेदार के ठेके का उपर्युक्त के अनुसार अवसान कर दिया गया हो, उसे शेष कार्य को पूर्ण करने और नई मदों के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी।



or entered into any engagements or made any advances on account or with a view to the execution of the work or the performance of the contract. And in case action is taken under any of the provision aforesaid, the contractor shall not be entitled to recover or be paid any sum for any work thereof or actually performed under this contract unless and until the Engineer-in-Charge has certified in writing the performance of such work and the value payable in respect thereof and he shall only be entitled to be paid the value so certified.

Clause 3A

In case, the work including planning designing and execution as per scope of contract cannot be started due to reasons not within the control of the contractor within 1/8th of the stipulated time for completion of work or 180 days whichever is higher, either party may close the contract by giving notice to the other party stating the reasons. In such eventuality, the Performance Guarantee of the contractor shall be refunded within 30 days of closing of the contract.

Neither party shall claim any compensation for such eventuality. This clause is not applicable for any breach of the contract by either party.

Clause 4

Contractor liable to pay compensation even if action not taken under Clause 3 In any case in which any of the powers conferred upon the Engineer-in-Charge by Clause3 thereof, shall have become exercisable and the same are not exercised, the non-exercise thereof shall not constitute a waiver of any of the conditions hereof and such powers shall notwithstanding be exercisable in the event of any future case of default by the contractor and the liability of the contractor for compensation shall remain unaffected. In the event of the Engineer-in-Charge putting in force all or any of the powers vested in him under the preceding clause he may, if he so desires after giving a notice in writing to the contractor, take possession of (or at the sole discretion of the Engineer-in-Charge which shall be final and binding on the contractor) use as on hire (the amount of the hire money being also in the final determination of the Engineer-in-Charge) all or any tools, plant, materials and stores, in or upon the works, or the site thereof belonging to the contractor or procured by the contractor and intended to be used for the execution of the work/or any part thereof, paying or allowing for the same in account at the contract rates, or, in the case of these not being applicable, at current market rates to be certified by the Engineer-in-Charge, whose certificate thereof shall be final, and binding on the contractor, clerk of the works, foreman or other authorized agent to remove such tools, plant, materials, or stores from the premises (within a time to be specified in such notice) in the event of the contractor failing to comply with any such requisition, the Engineer-in-Charge may remove them at the contractor's expense or sell them by auction or private sale on account of the contractor and his risk in all respects and the certificate of the Engineer-in-Charge as to the expenses of any such removal and the amount of the proceeds and expenses of any such sale shall be final and conclusive against the contractor.

Clause 5

Time and Extension for Delay

The time allowed for execution of the Works as specified in the Schedule 'F' or the extended time in accordance with these conditions shall be the essence of the Contract. The execution of the work shall commence from such date as mentioned in schedule 'F' or from the date of handing over of the site, as notified by the Engineer-in-Charge, whichever is later. If the



संविदा के खण्ड



भारसाधक अभियंता द्वारा उपर्युक्त मार्ग अपनाए जाने की दशा में ऐसी कोई हानि जो ठेकेदार का ऐसी किसी सामग्री के खरीद लिए जाने या प्राप्त कर लिए जाने अथवा कोई वचन कर लिए जाने या कोई पेशगी दे दिए जाने के कारण उसे उठानी पड़ी हो और यदि पूर्वीक्त उपबन्धों में से किसी के अधीन कार्यवाही की जाती है तो ठेकेदार इस ठेके के अधीन वस्तुत: किए गए किसी कार्य के लिए कोई राशि वसूल करने या संदत्त किए जाने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि भारसाधक इंजीनियर ने ऐसे कार्य का निष्पादन और संदेय मूल्य लिखित रूप से प्रमाणित न कर दिया हो।

खण्ड-3क

ऐसी दशा में जिसमें कार्य के कार्य क्षेत्र में अकिकल्पन, नियोजन शामिल है, तो कार्य समापन के अनुबंधित समय के 1/8वें समय के भीतर अथवा 180 दिन जो भी अधिक हो, उन कारणों से शुरू नहीं किया जा सकता हो जो ठेकेदार के नियंत्रण से परे हों, तो कोई भी पक्ष कारणों का उल्लेख करते हुए अन्य पक्ष को नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में. ठेकेदार की निष्पादन गारंटी ठेका समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर वापस कर दिया जाएगी ।

ऐसी स्थिति में, कोई पार्टी किसी भी मुआवजे का दावा नहीं करेगी। यह खंड संविदा के किसी भी उल्लंघन के लिए लागू नहीं है।

खण्ड— 4

ऐसी किसी दशा में जिसमें इसके खण्ड 3 द्वारा भारसाधक इंजीनियर को प्रदत्त कोई शक्ति प्रयोग–योग्य हो जाए और उसका प्रयोग न किया जाए तो उसका प्रयोग न किया जाना इसकी किन्ही शर्तों का अधित्याग नहीं माना जाएगा **कार्रवाई नहीं की गई हो** और इसके होते हुए भी भविष्य में ठेकेदार द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा में ऐसी शक्तियां प्रयोग की जा सकेंगी और प्रतिकर के लिए ठेकेदार का दायित्व अप्रभावित होगा। यदि भारसाधक इंजीनियर पूर्वगामी खण्ड के अधीन अपने में निहित सब शक्तियों या उनमें से किसी का प्रयोग करे तो वह यदि चाहे तो ठेकेदार के या ठेकेदार द्वारा प्राप्त किए गए और कार्य निष्पादन के लिए प्रयुक्त किए जाने कि लिए आशयित उन सब या किन्हीं औजारों, संयंत्र सामान और सामग्री का, जो कार्य में अथवा उसके स्थल पर हों या उनके किसी भाग का उनके लिए ठेके की दरों पर या यदि ये लागू नहीं है तो भारसाधक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित की जाने वाली चालू बाजार दरों पर, जिनके बारे में उसका प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा, संदाय करके या लेखे में अनुज्ञात करके ठेकेदार को लिखित सूचना देकर कब्जा ले सकेगा (या पूर्णतः भारसाधक इंजीनियर के विवेकानुसार, जो अन्तिम होगा) भाड़े पर प्रयुक्त कर सकेगा (भाड़ा धन की रकम भी अन्तिम रूप से भारसाधक इंजीनियर द्वारा निर्धारित की जाएगी) अन्यथा भारसाधक इंजीनियर लिखित सूचना द्वारा ठेकेदार को या कार्य पर उसके लिपिक को, फोरमैन को, या अन्य प्राधिकृत अभिकर्ता को ऐसे औजार, संयंत्र, सामान या सामग्री को परिसर से (ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर) हटाने के लिए ओदश दे सकेगा और यदि ठेकेदार ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहे तो भारसाधक इंजीनियर उनको ठेकेदार के खर्च पर हटवा सकेगा या नीलाम द्वारा या ठेकेदार के लेखे और-सभी दृष्टियों से उनके जोखिम पर नीलाम करके बेच सकेगा और ऐसे किसी हटाए जाने के व्यय के और ऐसी बिक्री से प्राप्त रकम और व्यय के बारे में भारसाधक इंजीनियर का प्रमाण–पत्र ठेकेदार के विरुद्ध अन्तिम और निश्चायक होगा।

यदि खंड 3 के अंतर्गत तब ठेकेदार मुआवजा का भूगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

खण्ड-5

अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए अनुमत्य समय या इन शर्तों के अनुसार विस्तारित समय अनुबंध का सार होगा। कार्य का निष्पादन अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित तिथि से या साइट को सौंपने की तिथि से, जैसाकि भारसाधक अभियंता द्वारा अधिसूचित किया गया है, जो भी बाद में हो, से शुरू होगा। यदि ठेकेदार विलंब के लिए समय और विस्तार



Contractor commits default in commencing the execution of the work as aforesaid and such default continues even after time period specified in the notice in writing by the Engineer in charge then the performance guarantee shall be forfeited by the Engineer in Charge and shall be absolutely at the disposal of the Government without prejudice to any other right or remedy available in law.

The contract shall stand determined when such decision regarding the forfeiture of the performance guarantee is issued to the contractor.

- 5.1 The contractor as soon as possible but within 7 (seven) days of issue of letter of award of work shall submit a time and progress chart to the Engineer-in-Charge. Such chart shall be made in due consideration of:
 - (a) Schedule of handing over of site as specified in the Schedule 'F'
 - (b) Schedule of issue of design(s) and drawing(s) as specified in the Schedule 'F',
 - (i) The Contractor shall submit a Time and Progress Chart for each milestone. The Engineer-in-Charge may within 7 (seven) days of receipt of such chart, make modifications thereafter, if any, and communicate the approved chart to the contractor, failing which the chart submitted by the contractor shall be deemed to be approved by the Engineer-in- Charge.
 - The Chart shall be prepared in direct relation to the time stated in the Contract documents for completion of items of the work(s). It shall indicate the forecast of the dates of commencement and completion of various trades of sections of the work and may be amended as necessary by agreement between the Engineer-in-Charge and the Contractor within the limitations of time imposed in the Contract documents.
 - (ii) In case of non-submission of time and progress chart by the contractor, the chart prepared by the Engineer-in- Charge shall be deemed to be final.
 - (iii) Such program by the Engineer-in-Charge shall not relieve the contractor of any of the obligations under the contract.
 - (iv) The contractor shall submit the Time and Progress Chart containing upto date progress of work using the mutually agreed software or in the format decided by Engineer-in-Charge. Such chart shall be submitted by the contractor on or before 5th day of each month failing which a recovery as mentioned in Schedule 'F' shall be made at the earliest from the next running account bill without any notice in this regard.
 - (v) While recording the hindrances in the progress of the work, due consideration should be given to the cause of hindrance. The hindrances shall be segregated in following categories:
 - (a) delays due to reasons beyond the control of both parties (sub-clause 5.2)
 - (b) delays attributable to the Department and concurrent delays (sub-clause 5.3).
 - (c) delays solely attributable to the contractor (sub-clause 5.5)

5.2 Delays due to reasons beyond the control of both parties:

If the work(s) are delayed by:-

- (i) force majeure, or
- (ii) abnormally bad weather, or
- (iii) serious loss or damage by fire, or
- civil commotion, local commotion of workmen, strike or lockout, affecting any of the trades employed on the work, or
- delay on the part of other contractors or tradesmen engaged by Engineer-in- Charge in executing work not forming part of the Contract, or
- (vi) any other cause like above which, in the reasoned opinion of the Engineer-in-Charge is beyond the Contractor's control.

Then upon the happening of any such event causing delay, the contractor shall within 03 (three) days give online notice thereof through ERP Portal to the Engineer-in-Charge but shall nevertheless use constantly his best endeavors to prevent or make good the delay and shall do all that may be reasonably required to the satisfaction of the Engineer-in-Charge to proceed with the work(s).





पूर्वोक्त रूप में कार्य के निष्पादन को प्रारम्भ करने में चूक करता है और ऐसी चूक में निर्दिष्ट समय अवधि के बाद भी जारी रहती है, जबिक भार साधक अभियंता द्वारा लिखित में नोटिस दिया गया है, तो निष्पादन गारंटी को भार साधक अभियंता द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और कानून में उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पूरी तरह से सरकार के कब्जे में होगी। निष्पादन गारंटी की जब्ती के सम्बन्ध में इस तरह के निर्णय के बारे में ठेकेदार को जारी किये जाने पर, अनुबन्ध पूर्णतः अवसान हो जाएगा।

- 5.1 ठेकेदार को यथाशीघ्र लेकिन कार्य सौंपे जाने के पत्र के जारी होने के 7 (सात) दिनों के भीतर भारसाधक अभियंता को समय और प्रगति चार्ट प्रस्तुत करना होगा। ऐसा चार्ट उचित विचार–विमर्श के बाद बनाया जाएगा।
 - (ए) अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट साइट को सौंपने की अनुसूची
 - (बी) अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट डिजाइन और नक्शे जारी करने की अनुसूची, इसके अलावा, भारसाधक अभियंता द्वारा प्रारूप/सॉफटवेयर या अन्य प्रारूप/सॉफटवेयर का उपयोग करके कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।
 - (i) ठेकेदार को प्रत्येक मील पत्थर के लिए समय और प्रगति चार्ट प्रस्तुत करना होगा। भारसाधक अभियंता ऐसे चार्ट की प्राप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, उसमे यदि कोई संशोधन हो तो उसे कर सकता है, और स्वीकृत चार्ट को ठेकेदार को जारी करेगा। ऐसा न करने पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत चार्ट, को भारसाधक अभियंता द्वारा स्वीकृत माना जाएगा।
 - चार्ट को कार्य के मदों के पूरा होने के लिए अनुबंध दस्तावेजों में बताए गए समय के सीधे संबंध में तैयार किया जाएगा। इसमें कार्य के विभिन्न ट्रेडों के शुरू होने और पूरा होने की तिथियों का पूर्वानुमान दर्शाया जाएगा और अनुबंध दस्तावेजों में निर्धारित समय की सीमाओं के भीतर भारसाधक अभियंता और ठेकेदार के बीच समझौते द्वारा आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन किया जा सकता है।
 - (ii) ठेकेदार द्वारा समय एवं प्रगति चार्ट प्रस्तुत न करने की स्थिति में भारसाधक अभियंता द्वारा तैयार किया गया चार्ट अंतिम माना जाएगा।
 - (iii) भारसाधक अभियंता द्वारा तैयार किया गया ऐसा कार्यक्रम ठेकेदार को अनुबंध के अंतर्गत किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।
 - (v) ठेकेदार को आपसी सहमित से तय किए गए सॉफ्टवेयर या भारसाधक अभियंता द्वारा तय किए गए प्रारूप का उपयोग करके कार्य की अद्यतन प्रगति वाला समय और प्रगति चार्ट प्रस्तुत करना होगा। ऐसा चार्ट ठेकेदार द्वारा प्रत्येक महीने की 5 तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित वसूली बिना किसी नोटिस के अगले चालू खाता बिल से जल्द से जल्द की जाएगी।
 - (v) कार्य की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दर्ज करते समय, बाधा के कारण पर उचित विचार किया जाना चाहिए। बाधाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा :--
 - (ए) दोनों पक्षों के नियंत्रण से परे कारणों से होने वाली देरी (उप-खंड 5.2)
 - (बी) विभाग और सहवर्ती देरी के कारण होने वाली देरी (उप-खंड 5.3)।
 - (सी) केवल टेकेदार के कारण होने वाली देरी (उप-खंड 5.5)

5.2 दोनों पक्षों के नियंत्रण से परे कारणों से देरी:

यदि कार्य में देरी हो रही है:-

- (i) अप्रत्याशित घटना, या
- (ii) असामान्य रूप से खराब मौसम, या
- (iii) आग से गंभीर नुकसान या क्षति, या
- (iv) नागरिक हंगामा, कामगारों का स्थानीय हंगामा, हड़ताल या तालाबंदी, काम पर लगाए गए किसी भी व्यवसाय को प्रभावित करना, या
- (V) अनुबंध का हिस्सा न बनने वाले कार्य को निष्पादित करने में प्रभारी अभियंता द्वारा लगाए गए अन्य ठेकेदारों या व्यापारियों की ओर से देरी, या
- (vi) ऊपर जैसा कोई अन्य कारण, जो प्रभारी अभियंता की तर्कसंगत राय में दोनों पक्षों के नियंत्रण से बाहर है।

फिर देरी का कारण बनने वाली ऐसी किसी घटना के घटित होने पर, ठेकेदार 03 (तीन) दिनों के भीतर ईआरपी पोर्टल के माध्यम से भारसाधक अभियंता को ऑनलाइन सूचना देगा, लेकिन फिर भी देरी को रोकने या उसे ठीक करने के लिए लगातार अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारसाधक अभियंता की संतुष्टि के लिए वह सब कुछ करेगा जो उचित रूप से आवश्यक हो।

CLAUSES OF CONTRACT



The contractor shall have no claim on account of any hindrance in case notice(s) are not given by the contractor through ERP portal.

The Engineer-in-Charge, on receipt of such notice(s) after considering the factual ground situation, shall either acknowledge or reject the notice(s).

In case of rejection, the reason(s) for rejection shall be communicated by Engineer-in-Charge to the agency.

The decision of Engineer-in-Charge with regard to nature of event causing delay, its start date and end date, as has been finalized during acknowledgement of notice, shall be final and binding.

The end date of such events shall be recorded by Engineer-in-Charge either during acknowledgment of notice or subsequent to acknowledgement if end date of hindrance is after the date of acknowledgement of notice.

In absence of notice by the contractor, Engineer-in-Charge or his representative(s) may record the events causing delay within 05 (five) days of occurrence of hindrance on ERP portal provided further that not recording of events causing delay by the Engineer-in-Charge does not ipso facto entitle the contractor for any hindrance.

The contractor shall have no claim of damages against the delays listed in this sub clause i.e. sub clause 5.2. The contractor shall have no claim of damages for extension of time granted or rescheduling of milestone/s for events listed in sub clause 5.2.

5.3 Delays attributable to the Department and the Concurrent delays:

In case the work is hindered, in the opinion of the contractor, by the Department or for any reason / event, for which the Department is responsible, then upon the happening of such event causing delay, the Contractor shall within 3 (three) days give online notice there of through ERP Portal to the Engineer-in-Charge but shall nevertheless use constantly his best endeavours to prevent or make good the delay and shall do all that may be reasonably required to the satisfaction of the Engineer-in-Charge to proceed with the work.

The contractor shall not be entitled for any hindrance in case notice(s) are not given by the contractor through ERP portal.

The Engineer-in-Charge, on receipt of such notice(s) after considering the factual ground situation, shall either acknowledge or reject the notice(s).

In case of rejection, the reason(s) for rejection shall be communicated by Engineer-in-Charge to the agency.

The decision of Engineer-in-Charge with regard to nature of event causing delay, its start date and end date, as has been finalized during acknowledgement of notice, shall be final and binding.

The end date of such events shall be recorded by Engineer-in-Charge either during acknowledgment of notice or subsequent to acknowledgement if end date of hindrance is after the date of acknowledgement of notice.

In absence of notice by the contractor, Engineer-in-Charge or his representative(s) may record the events causing delay within 05 (five) days of occurrence of hindrance on ERP portal provided further that not recording of events causing delay by the Engineer-in-Charge does not ipso facto entitle the contractor for any hindrance.

Such extension of time or rescheduling of milestone(s) shall be without prejudice to any other right or remedy of the parties in contract or in law, provided further that for concurrent delay(s) under this sub clause and sub clause 5.2 to the extent the delay is covered under sub clause 5.2, the contractor shall be entitled to only extension of time and shall have no claim of damages.

5.4 Rescheduling of milestone(s) and 'Justified extended date of completion'

The request for rescheduling the Milestone(s) and extension of time, shall be made by the Contractor through ERP Portal once in a month on the basis of hindrances accepted by Engineer-in-Charge under sub-clause 5.2 and sub-clause 5.3. The Contractor shall indicate in such a request number of days by which rescheduling of milestone(s) and/or extension of time is desired.

The authority as indicated in Schedule 'F', after examining the request, shall give a fair and reasonable 'justified extension of time for completion of work and simultaneously reschedule the milestone(s), if required so. The authority shall consider all the hindrances accepted by Engineer-in-Charge as per sub- clauses 5.2, 5.3 and 5.5.





यदि ठेकेदार द्वारा ईआरपी पोर्टल के माध्यम से सूचना नहीं दी जाती है, तो ठेकेदार के पास किसी भी बाधा के कारण कोई दावा नहीं होगा। भारसाधक अभियंता, वास्तविक जमीनी स्थिति पर विचार करने के बाद ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, नोटिस को स्वीकार या अस्वीकार कर देगा। अस्वीकृति के मामले में, अस्वीकृति का कारण भारसाधक अभियंता द्वारा एजेंसी को सूचित किया जाएगा। देरी का कारण बनने वाली घटना की प्रकृति, इसकी प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि के संबंध में भारसाधक अभियंता का निर्णय, जैसा कि नोटिस की पावती के दौरान अंतिम रूप दिया गया है, अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसी घटनाओं की अंतिम तिथि भारसाधक अभियंता द्वारा या तो नोटिस की पावती के दौरान या पावती के बाद दर्ज की जाएगी यदि बाधा की अंतिम तिथि नोटिस की पावती की तिथि के बाद है। ठेकेदार द्वारा नोटिस न दिए जाने की स्थिति में, भारसाधक अभियंता या उनके प्रतिनिधि ईआरपी पोर्टल पर बाधा उत्पन्न होने के 05 (पांच) दिनों के भीतर देरी का कारण बनने वाली घटनाओं को दर्ज कर सकते हैं, बशर्ते कि भारसाधक अभियंता द्वारा देरी का कारण बनने वाली घटनाओं को दर्ज कर सकते हैं, बशर्ते कि भारसाधक अभियंता द्वारा देरी का कारण बनने वाली घटनाओं को दर्ज कर सकते हैं। किसी भी बाधा के लिए हकदार नहीं हो जाता है।

ठेकेदार इस उप खंड अर्थात उप खंड 5.2 में सूचीबद्ध देरी के खिलाफ नुकसान का कोई दावा नहीं करेगा। ठेकेदार के पास उप खंड 5.2 में सूचीबद्ध घटनाओं के लिए दिए गए समय के विस्तार या मील–पत्थर के पुनर्निर्धारण के लिए नुकसान का कोई दावा नहीं होगा।

5.3 विभाग के कारण होने वाली देरी और साथ-साथ होने वाली देरिया :

यदि ठेकेदार की राय में विभाग द्वारा या किसी कारण / घटना के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जिसके लिए विभाग जिम्मेदार है, तो ऐसी घटना के घटित होने पर, जिसके कारण देरी होती है, ठेकेदार 3 (तीन) दिनों के भीतर ईआरपी पोर्टल के माध्यम से भारसाधक अभियंता को ऑनलाइन सूचना देगा, लेकिन फिर भी देरी को रोकने या उसे ठीक करने के लिए निरंतर अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारसाधक अभियंता की संतुष्टि के लिए वह सब कुछ करेगा जो उचित रूप से आवश्यक हो।

यदि ठेकेदार द्वारा ईआरपी पोर्टल के माध्यम से सूचना नहीं दी जाती है, तो ठेकेदार किसी भी बाधा के लिए पात्र नहीं होगा।

भारसाधक अभियंता, वास्तविक जमीनी स्थिति पर विचार करने के बाद ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, नोटिस को स्वीकार या अस्वीकार कर देगा।

अस्वीकृति के मामले में, अस्वीकृति का कारण भारसाधक अभियंता द्वारा एजेंसी को सूचित किया जाएगा।

देरी का कारण बनने वाली घटना की प्रकृति, इसकी आरंभ तिथि और समाप्ति तिथि के संबंध में भारसाधक अभियंता का निर्णय, जैसा कि नोटिस की पावती के दौरान अंतिम रूप दिया गया है, अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसी घटनाओं की अंतिम तिथि भारसाधक अभियंता द्वारा नोटिस की पावती के दौरान या पावती के बाद दर्ज की जाएगी यदि बाधा की अंतिम तिथि नोटिस की पावती की तिथि के बाद है। ठेकेदार द्वारा नोटिस न दिए जाने की स्थिति में, भारसाधक अभियंता या उनके प्रतिनिधि ईआरपी पोर्टल पर बाधा उत्पन्न होने के 05 (पांच) दिनों के भीतर देरी का कारण बनने वाली घटनाओं को दर्ज कर सकते हैं, बशर्ते कि भारसाधक अभियंता द्वारा देरी का कारण बनने वाली घटनाओं को दर्ज कर सकते हैं। किसी भी बाधा के लिए हकदार नहीं हो जाता है।

समय का ऐसा विस्तार या मील — पत्थर(ओं) का पुनर्निर्धारण अनुबंध या कानून में पक्षों के किसी अन्य अधिकार या जपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा, बशर्ते कि इस उप—खंड और उप—खंड 5.2 के तहत समवर्ती देरी के लिए, जहां तक घ्ध्देरी उप—खंड 5.2 के तहत कवर की जाती है, ठेकेदार केवल समय के विस्तार का हकदार होगा और उसके पास क्षति का कोई दावा नहीं होगा।

5.4 मील – पत्थर(ओं) का पुनर्निर्धारण और 'पूर्ण होने की उचित विस्तारित तिथि'

मील — पत्थर(ओं) के पुनर्निर्धारण और समय के विस्तार का अनुरोध ठेकेदार द्वारा ईआरपी पोर्टल के माध्यम से महीने में एक बार उप—खंड 5.2 और उप—खंड 5.3 के तहत भारसाधक अभियंता द्वारा स्वीकार की गई बाध गओं के आधार पर किया जाएगा। ठेकेदार ऐसे अनुरोध में उन दिनों की संख्या दर्शाएगा जिसके भीतर मील पत्थर(ओं) का पुनर्निर्धारण और / या समय का विस्तार वांछित है।

अनुसूची 'एफ' में दर्शाए अनुसार प्राधिकरण, अनुरोध की जांच करने के बाद, काम पूरा करने के लिए उचित और उचित समय विस्तार देगा और साथ ही, यदि आवश्यक हो तो मील पत्थर को पुनर्निर्धारित करेगा। प्राधि ाकरण उप—खंड 5.2, 5.3 और 5.5 के अनुसार भारसाधक अभियंता द्वारा स्वीकार की गई सभी बाधाओं पर विचार करेगा।

CLAUSES OF CONTRACT



The authority shall decide rescheduling of milestone(s) and extension of time within 21 (Twenty One) days of the request submitted by the contractor through ERP portal.

In event of no request by the contractor for rescheduling of milestone(s) and extension of time, the authority as indicated in Schedule F, after aff ording opportunity to the contractor, may give fair and reasonable extension of time based on hindrances accepted by Engineer-in-Charge and reschedule the milestone(s) once in a month. Such justified extension of time shall determine the 'justified extended date' of completion of work.

5.4.1 Provided that the end date of any event causing delay shall not fall beyond the date of request for extension of time or rescheduling of milestone(s) by the contractor. In case end date of event falls beyond the date of submission of said request, then period for extension up to date of application shall be considered in the said request for events eligible for consideration and remaining period shall be applied in subsequent request of extension of time or rescheduling of milestone(s).

Engineer-in-Charge shall finalize/ reschedule a particular mile stone before taking action against subsequent mile stone. Such extension or rescheduling of the milestones shall be communicated to the Contractor by the authority as indicated in Schedule 'F' in writing, within 21 (twenty one) days of the date of receipt of such request from the Contractor on ERP Portal.

5.5 Delays attributable solely to the contractor

In case the work is delayed by reasons solely attributable to the contractor, then Engineer-in-Charge or his representative(s) may record the event causing delay within 05 (five) days of occurrence of delay in the ERP portal. Contractor shall take the notice of the same for necessary action. He may submit his version, if any within 05 (Five) days. Engineer-in-Charge, considering the version of the contractor, will take decision on such recording of the event and the decision of the Engineer-in-Charge shall be final and binding.

The contractor shall be liable for levy of compensation for such delays i.e. for the period beyond the justified extended date of completion as determined in sub clause 5.4 and this default of contractor shall be dealt in conjunction with clause 2 of the contract.

In case the work is delayed, due to hindrances attributable solely to the contractor, beyond the justified extended date (as stated in sub clause 5.4), the authority indicated in Schedule 'F', without prejudice to provisions to take action under Clause 3, may grant extension of time required for completion of work without rescheduling of milestone(s) and extend the date of completion.

Clause 6

Computerized Measurement Book

Engineer-in-Charge shall, except as otherwise provided, ascertain and determine by measurement the value of work done in accordance with the contract.

All measurements as per the stage payments mentioned in Schedule F having financial value shall be entered by the contractor and compiled in the shape of the Computerized Measurement Book having pages of A-4 size as per the format of the department so that a complete record is obtained of all the stages of works performed under the contract.

All such measurements recorded by the contractor or his authorized representative from time to time, during the progress of the work, shall be got checked by the contractor from the Engineer-in-Charge or his authorized representative as per interval or program fixed in consultation with Engineer-in-Charge or his authorized representative. After the necessary corrections made by the Engineer-in-Charge, the measurement sheets shall be returned to the contractor for incorporating the corrections and for resubmission to the Engineer-in-Charge for the dated signatures by the Engineer-in-Charge and the contractor or their representatives in token of their acceptance.

Whenever bill is due for payment, the contractor would initially submit draft computerized measurement sheets and these measurements would be got checked/test checked from the Engineer-in-Charge and/or his authorized representative. The contractor will, thereafter, incorporate such changes as may be done during these checks/test checks in his draft computerized measurements, and submit to the department a computerized measurement book, duly bound, and with its pages machine numbered. The Engineer-in- Charge and/or his authorized representative would thereafter check this MB, and record the necessary certificates for their checks/test checks.





प्राधिकरण ईआरपी पोर्टल के माध्यम से ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अनुरोध के 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर मील पत्थर के पुनर्निर्धारण और समय के विस्तार पर निर्णय लेगा।

यदि ठेकेदार द्वारा मील पत्थर(ओं) के पुनर्निर्धारण और समय के विस्तार के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाता है, तो अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट प्राधिकारी, ठेकेदार को अवसर प्रदान करने के बाद, भारसाधक अभियंता द्वारा स्वीकार की गई बाध ।।ओं के आधार पर समय का उचित और उचित विस्तार दे सकता है और महीने में एक बार मील पत्थर(ओं) को पुनर्निर्धारित कर सकता है। समय का ऐसा उचित विस्तार कार्य पूरा होने की 'उचित विस्तारित तिथि' निर्धारित करेगा।

5.4.1 बशर्ते कि देरी का कारण बनने वाली किसी भी घटना की अंतिम तिथि ठेकेदार द्वारा समय विस्तार या मील पत्थर(ओं) के पुनर्निर्धारण के लिए अनुरोध की तिथि से आगे नहीं होगी। यदि घटना की अंतिम तिथि उक्त अनुरोध प्रस्तुत करने की तिथि से आगे आती है, तो विचार के लिए पात्र घटनाओं के लिए उक्त अनुरोध में आवेदन की तिथि तक विस्तार की अविध पर विचार किया जाएगा और शेष अविध समय विस्तार या मील के पत्थर(ओं) के पुनर्निर्धारण के बाद के अनुरोध में लागू की जाएगी।

भारसाधक अभियंता बाद के मील पत्थर के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले एक विशेष मील पत्थर को अंतिम रूप देगा / पुनर्निर्धारित करेगा। मील के पत्थर के ऐसे विस्तार या पुनर्निर्धारण को ठेकेदार को अनुसूची 'एफ' में इंगित प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में ईआरपी पोर्टल पर ठेकेदार से ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा।

5.5 केवल ठेकेदार के कारण देरी

यदि कार्य में देरी केवल ठेकेदार के कारण होती है, तो भारसाधक अभियंता या उनके प्रतिनिधि देरी होने के 05 (पांच) दिनों के भीतर ईआरपी पोर्टल पर देरी का कारण बनने वाली घटना को दर्ज कर सकते हैं। ठेकेदार को आवश्यक कार्रवाई के लिए इसका संज्ञान, यदि कोई हो, लेना चाहिए, तो वह 05 (पांच) दिनों के भीतर अपना बयान प्रस्तुत कर सकता है। भारसाधक अभियंता, ठेकेदार के बयान पर विचार करते हुए, घटना की ऐसी रिकॉर्डिंग पर निर्णय लेंगे और भारसाधक अभियंता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ठेकेदार ऐसे विलंब के लिए क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात् उप—खण्ड 5.4 में निर्धारित कार्य पूरा होने की न्यायोचित विस्तारित तिथि से परे की अवधि के लिए, तथा ठेकेदार की इस चूक को अनुबंध के खण्ड 2 के अनुसार निपटाया जाएगा।

यदि कार्य में देरी, केवल टेकेदार के कारण, न्यायोचित विस्तारित तिथि (जैसा कि उप—खण्ड 5.4 में कहा गया है) से परे होती है, तो अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट प्राधिकारी, खण्ड 3 के तहत कार्रवाई करने के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मील के पत्थर (मील के पत्थरों) को पुनर्निधारित किए बिना कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक समय का विस्तार दे सकता है और पूरा होने की तिथि बढ़ा सकता है।

खंड 6

भारसाधक इंजीनियर,बशर्ते कि अन्यथा प्रावधान न हो, ठेके के अनुसार किए गए कार्य का मूल्य पैमाइश द्वारा सुनिश्चित / निर्धारित करेगा।

वित्तिय मूल्य की सभी मदों के सभी प्रकार के मूल्यांकन की प्रविष्टि ठेकेदार द्वारा की जाएगी और इसे विभाग के फॉरमेट के अनुरूप ए—4 आकार के पृष्ठों की कम्प्यूटरीकृत पैमाईश पुस्तक के रूप में संकलित किया जाएगा, ताकि ठेके के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों की सभी मदों से संबंधित पूरा रिकार्ड प्राप्त कर लिया जाए।

कार्य की प्रगति के दौरान ठेकेदार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समय—समय पर रिकार्ड किए गए ऐसी सभी पैमाइशों और लेवलों का भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से परामर्श करके निर्धारित समयाविध या कार्यक्रम के अनुसार ठेकेदार द्वारा निरीक्षण कराया जाएगा। भारसाधक इंजीनियर द्वारा आवश्यक संशुद्धियों के बाद पैमाइश शीटों को ठेकेदार को लौटा दिया जाएगा तािक संशुद्धियों को समाविष्ट किया जा सके और भारसाधक इंजीनियर और ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप उनके दिनांकित हस्ताक्षरों के लिए इन्हें भारसाधक इंजीनियर को पुनः प्रस्तुत किया जा सके।

जब बिल भुगतान के लिए देय होता है, ठेकेदार शुरू में प्रारूप कम्प्यूटरीकृत पैमाइश शीटों को प्रस्तुत करेगा और इन पैमाइश शीटों का भारसाधक इंजीनियर और अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से निरीक्षण / टेस्ट जांच कराया जाएगा। इसके बाद ठेकेदार इन जांच / परीक्षण जांच के दौरान किए जाने वाले ऐसे परिवर्तनों को अपनी कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन शीटों के प्रारूप में समाविष्ट करेगा और विधिवत् जिल्द बन्द, मशीनी नम्बरों के पृष्टों वाली कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन पुस्तक विभाग को प्रस्तुत करेगा। कंप्युटरी.त माप पुस्तिका



The final, fair, computerized measurement book given by the contractor, duly bound, with its pages machine numbered, should be 100% correct. No cutting or over-writing in the measurements would thereafter be allowed. If at all any error is noticed, the contractor shall have to submit a fresh computerized MB with its pages duly machine numbered and bound, after getting the earlier MB cancelled by the department. Thereafter, the MB shall be taken in the Divisional Office records, and allotted a number as per the Register of Computerized MBs. This should be done before the corresponding bill is submitted to the Division Office for payment. The contractor shall submit two spare copies of such computerized MB's for the purpose of reference and record by the various officers of the department.

The contractor shall also submit to the Engineer-in-Charge separately his computerized Abstract of Cost and the bill based on these measurements, duly bound, and its pages machine numbered along with two spare copies of the bill. Thereafter, this bill will be processed by the Division Office and allotted a number as per the computerized record in the same way as done for the measurement book meant for measurements.

The contractor shall, without extra charge, provide all assistance with every appliance, labour and other things necessary for checking of measurements by the Engineer-in- Charge or his representative.

Except where any general or detailed description of the work expressly shows to the contrary, measurements shall be taken in accordance with the procedure set forth in the contract notwithstanding any provision in the relevant Standard Method of measurement or any general or local custom.

The contractor shall give not less than seven days' notice to the Engineer-in-Charge or his authorized representative in charge of the work before covering up or otherwise placing beyond the reach of checking and/or test checking the measurement of any work in order that the same may be checked and/or test checked and correct dimensions thereof be taken before the same is covered up or placed beyond the reach of checking and/or test checking measurement and shall not cover up and place beyond reach of measurement any work without consent in writing of the Engineer-in-Charge or his authorized representative in charge of the work who shall within the aforesaid period of seven days inspect the work, and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of checking and/or test checking measurements without such notice having been given or the Engineer-in-Charge's consent being obtained in writing the same shall be uncovered at the Contractor's expense, or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

Engineer-in-Charge or his authorized representative may cause either themselves or through another officer of the department to check the measurements recorded by contractor and all provisions stipulated herein above shall be applicable to such checking of measurements or levels.

It is also a term of this contract that checking and/or test checking the measurements of any item of work in the measurement book and/or its payment in the interim, on account of final bill shall not be considered as conclusive evidence as to the sufficiency of any work or material to which it relates nor shall it relieve the contractor from liabilities from any over measurement or defects noticed till completion of the defects liability period.

Clause 7

Payment on intermediate certificate to be regarded as Advances The running account bills shall be submitted by the contractor for the work executed on the basis of such recorded measurements as per Clause 6 on the format of the Department in triplicate on or before the date of every month fixed for the same by the Engineer-in-Charge.

The contractor shall not be paid any such interim payment if the gross work done together with net payment/ adjustment of advances for material collected, if any, since the last such payment is less than the amount specified in Schedule 'F', in which case the interim bill shall be prepared on the appointed date of the month after the requisite progress is achieved.

However, to expedite the progress of work, Engineer-in-Charge, on the request of contractor, may make interim payment(s) even before the net payment limit specified in schedule 'F' is achieved. In such case(s) no interest / compensation shall be recoverable from contractor.



संविदा के खण्ड



ठेकेदार द्वारा विधिवत् जिल्दबन्द, मशीनी नम्बरों के पृष्ठों से युक्त कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन पुस्तक की अंतिम, स्वच्छ प्रति शत—प्रतिशत सही होनी चाहिए और बाद मूल्यांकन शीटों में कोई कांट छांट या अधिलेखन (ओवरराइटिंग) की अनुमित नहीं होगी। यदि कोई त्रुटि देखने में आती है, तो ठेकेदार को विभाग से पूर्ववर्ती मूल्यांकन पुस्तक को रदद् कराने के बाद, विधिवत् जिल्द बन्द और मशीनी नम्बरों के पृष्ठों से युक्त नई कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन पुस्तक प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद, मूल्यांकन पुस्तक को मंडल कार्यालय के रिकार्डों में रखा जाएगा और मूल्याकंन पुस्तकों से संबंधित कम्प्यूटरीकृत रिजस्टर के अनुसार उचित नम्बर दिया जाएगा। मंडल कार्यालय में भुगतान के लिए तत्संबंधी बिल के प्रस्तुत होने से पहले यह हो जाना चाहिए। ठेकेदार विभाग के विभिन्न अधिकारियों के संदर्भ और रिकार्ड के प्रयोजन से इन कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन पुस्तकों की दो अतिरिक्त प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा।

ठेकेदार कम्प्यूटरीकृत लागत का सार तथा विधिवत् जिल्दबन्द और मशीनी नम्बरों से युक्त पृष्ठों वाली इन मूल्यांकन पुस्तकों पर आधारित बिल की भी दो अतिरिक्त प्रतियों सहित अलग से और साधक अभियंता को प्रस्तुत करेगा इसके उपरान्त इस बिल पर मंडल कार्यालय द्वारा कार्यवाई की जाएगी और मूल्यांकन के निमित्त मूल्यांकन पुस्तकों को दिए गए नम्बर की तर्ज पर कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड के अनुसार नम्बर दिया जाएगा।

ठेकेदार अतिरिक्त प्रभार लिए बिना भारसाधक इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा मूल्याकंनों / लेवलों की जांच किए जाने के लिए जरूरी हर उपकरण, श्रम और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान करेगा।

मूल्यांकन की प्रासंगिक मानक पद्धति या किसी सामान्य अथवा स्थानीय पद्धति में कोई अन्यथा प्रावधान होने के बावजूद भी मूल्यांकनों को विनिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा बशर्ते कि कार्य के किसी सामान्य या विस्तृत विवरण में स्पष्टतया उक्त प्रक्रिया के विपरीत उल्लेख किया गया हो। उन मदों, जो विनिर्देशों के अन्तर्गत नहीं आती हैं, के मामले में मूल्यांकन भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा जारी मूल्यांकन की प्रासंगिक मानक पद्धति के अनुसार किए जाएंगे और यदि किसी मद विशेष के लिए कोई मानक उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में आपसी सहमति से तय पद्धति को अपनाया जाएगा।

ठेकेदार किसी कार्य की पैमाइश को कवर अप करने या उसे चेकिंग (जांच) और अथवा टेस्ट चेकिंग से अन्यथा बाहर रखने से पहले भारसाधक इंजीनियर या उसके कार्य के प्रभारी प्राधिकृत प्रतिनिधि को कम से कम सात दिन का नोटिस देगा तािक उसकी जांच और / टेस्ट चेकिंग की जा सके और कवर अप करने या पैमाईश की चेकिंग / टेस्ट चेकिंग करने से पहले उसका सही परिमाण लिया जा सके तथा वह टेकेदार भारसाधक इंजीनियर या उसके कार्य के प्राधिकृत प्रभारी प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना किसी कार्य की पैमाइश को कवर अप नहीं करेगा और पैमाइश से बाहर नहीं रखेगा और संबंधित भारसाधक इंजीनियर या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि सात दिन की उपर्युक्त अविध के भीतर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि भारसाधक इंजीनियर की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना कोई कार्य कवर अप किया जाएगा या पैमाईश की जांच / टेस्ट चेकिंग से बाहर रखा जाएगा तो इसे टेकेदार के खर्चे पर संसाधित किया जाएगा और खर्च न देने पर ऐसे निष्पादित कार्य या उसमें लगी सामग्री के लिए उसे कोई भुगतान या भत्ता नहीं दिया जाएगा।

भारसाधक इंजीनियर या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ठेकेदार द्वारा दर्ज की गई मापों की स्वयं या विभाग के अन्य अधिकारी द्वारा जांच करा सकते हैं और इसमें ऊपर निर्धारित सभी प्रावधान मापों या तल मापन की ऐसी जांच पर भी लागू होंगे।

इस ठेके में यह भी शर्ते है कि माप बही में कार्य की किसी भी मद की चेकिंग / टेस्ट चेकिंग होने या अंतरिम, लेखागत अथवा अंतिम बिल में उसका भुगतान होना इस बात का एकमेव प्रमाण नहीं होगा कि उससे संबंधित कोई कार्य या सामग्री संतोषजनक है और इसके तहत ठेकेदार किसी अधिक पैमाइश या त्रृटि दायित्व अवधि समाप्त होने तक पाई गई त्रृटियों के दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

खण्ड ७

ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य के लिए चालू खाता बिल विभाग के प्रारूप पर धारा 6 के अनुसार ऐसे दर्ज मापों के आधार पर तीन प्रतियों में भार साधक अभियंता द्वारा निर्धारित प्रत्येक माह की तिथि को या उससे पूर्व प्रस्तूत किया जाएगा।

यदि किए गए सकल कार्य के साथ शुद्ध भुगतान / संग्रहित सामग्री के लिए अग्रिम का समायोजन, यदि कोई हो, ठेकेदार को ऐसा कोई भी अंतरिम भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा अंतिम भुगतान अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट राशि से कम है, ऐसी स्थिति में अंतरिम बिल अपेक्षित प्रगति प्राप्त होने के पश्चात माह की नियत तिथि को तैयार किया जाएगा।

तथापि, कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए, भार साधक अभियंता, ठेकेदार के अनुरोध पर, अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट शुद्ध भुगतान सीमा प्राप्त होने से पहले भी अंतरिम भुगतान कर सकता है। ऐसे मामलों में ठेकेदार से कोई ब्याज / मुआवजा वसूल नहीं किया जाएगा। अन्तरिम प्रमाण पत्र पर भुगतान को अग्रिम के रूप में माना जाएगा



Such payment by Engineer-in-Charge shall not be construed as waiver of limit specified in schedule 'F' for subsequent interim payment(s).

Engineer-in-Charge shall arrange to have the bill verified In the event of the failure of the contractor to submit the bills, no claims whatsoever due to delays on payment including that of interest shall be payable to the contractor. Payment on account of amount admissible shall be made by the Engineer-in-Charge certifying the sum to which the contractor is considered entitled by way of interim payment at such rates as decided by the Engineer-in-Charge.

An amount of ad-hoc payment not less than 75% of the net amount of the bill under check, shall be made within 10 working days of submission of the bill. The remaining payment is also to be made after final checking of the bill within 28 working days of submission of bill by the contractor. In case of delay in payment of intermediate bills after 45 days of submission of bill by the contractor, provided the bill submitted by the contractor found to be in order, a simple interest @ 5% (five percent) per annum shall be paid to the contractor from the date of expiry of prescribed time limit.

All such interim payments shall be regarded as payment by way of advances against final payment only and shall not preclude the requiring of bad, unsound and imperfect or unskilled work to be rejected, removed, taken away and reconstructed or re-erected. Any certificate given by the Engineer-in-Charge relating to the work done or materials delivered forming If the revised tendered amount (worked out on the basis of quoted rate of individual items) part of such payment, may be modified or corrected by any subsequent such certificate(s) or by the final certificate and shall not by itself be conclusive evidence that any work or materials to which it relates is/are in accordance with the contract and specifications. Any such interim payment, or any part thereof shall not in any respect conclude, determine or affect in any way powers of the Engineer-in-Charge under the contract or any of such payments be treated as final settlement and adjustment of accounts or in any way vary or affect the contract.

Pending consideration of extension of date of completion, interim payments shall continue to be made as herein provided without prejudice to the right of the department to take action under the terms of this contract for delay in the completion of work, if the extension of date of completion is not granted by the competent authority.

Clause 7A

No Running Account Bill shall be paid for the work till the applicable labour licenses, registration with EPFO, ESIC and BOCW Welfare Board, whatever applicable are submitted by the contractor to the Engineer-in-Charge.

Clause 7B

Payment to third party

If the exigencies of the work so demand, the engineer-in-charge may allow payment to a third party, who is creditor to the contractor, after fulfilling the following conditions.

(a)	I he contractor gives an authority letter addressed to the engineer-in-charge on a non-
	judicial stamp paper of Rs.100 in the format given below.

I/We authorize the Executive Engineer,	Division, CPWD to pay directly on
my/our behalf to	. (name of the third party) an amount of
Rsin wo	ords) for the work done or supplies made by
(name of the third party). I	/We shall be responsible for the quality and
quantity of the same under the provisions	of agreement number

Signature of the contractor

(b) The total payment to third party (or parties) shall not exceed 10% of the agreement cost of the work.



संविदा के खण्ड



भार साधक अभियंता द्वारा किए गए ऐसे भुगतान को बाद के अंतरिम भुगतानों के लिए अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट सीमा की छूट के रूप में नहीं समझा जाएगा।

भार साधक अभियंता बिल का सत्यापन कराने की व्यवस्था करेगा। ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, भुगतान में देरी के कारण ब्याज सिहत किसी भी दावे का भुगतान ठेकेदार को नहीं किया जाएगा। स्वीकार्य राशि का भुगतान भार साधक अभियंता द्वारा किया जाएगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि ठेकेदार भार साधक अभियंता द्वारा तय दरों पर अंतरिम भुगतान के रूप में हकदार माना गया है।

जांच के तहत बिल की शुद्ध राशि के 75 प्रतिशत से कम नहीं, एक तदर्थ भुगतान की राशि बिल प्रस्तुत करने के 10 कार्य दिवसों के भीतर की जाएगी। शेष भुगतान भी ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 28 कार्य दिवसों के भीतर बिल की अंतिम जांच के बाद किया जाना है। ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 45 दिनों के बाद मध्यवर्ती बिलों के भुगतान में देरी के मामले में, बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल सही पाया गया हो, ऐसे सभी अंतरिम भुगतानों को केवल अंतिम भुगतान के बदले अग्रिम के रूप में भुगतान माना जाएगा और खराब, अस्वस्थ और अपूर्ण या अकुशल कार्य को अस्वीकार करने, हटाने, ले जाने और पुनर्निर्माण या फिर से खड़ा करने की आवश्यकता को नहीं रोका जाएगा। किए गए कार्य या वितरित सामग्री से संबंधित भार साधक अभियंता द्वारा दिया गया कोई भी प्रमाण पत्र यदि संशोधित निविदा राशि (व्यक्तिगत मदों की उद्धृत दर के आधार पर तैयार की गई) ऐसे भुगतान का हिस्सा है, तो किसी भी बाद के ऐसे प्रमाण पत्र या अंतिम प्रमाण पत्र द्वारा संशोधित या ठीक किया जा सकता है और यह अपने आप में निर्णायक सबूत नहीं होगा कि कोई भी कार्य या सामग्री जिससे यह संबंधित है, अनुबंध और विनिर्देशों के अनुसार हैं।

ऐसा कोई भी अंतरिम भुगतान, या उसका कोई भी हिस्सा किसी भी तरह से अनुबंध के तहत भार साधक अभियंता की शक्तियों को समाप्त, निर्धारित या प्रभावित नहीं करेगा कार्य समाप्ति की तिथि के विस्तार पर विचार किए जाने तक, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य समाप्ति की तिथि का विस्तार प्रदान नहीं किया जाता है, तो कार्य समाप्ति में देरी के लिए इस अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत कार्रवाई करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यहां प्रदान किए अनुसार अंतरिम भुगतान जारी रहेंगे।

खण्ड ७क

कार्य के लिए किसी भी सक्रिय खाता बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक लागू श्रम लाइसेन्स, ईपीएफओ, ईसीआइसी, तथा वेलफेयर बोर्ड के साथ पंजीकरण, जो भी लागू हो ठेकेदार द्वारा भारसाधक अभियंता को दिया जाता।

खण्ड 7ख

यदि कार्य की अत्यावश्यकताएं ऐसी मांग करती है, तो प्रभारी अभियंता निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद किसी तीसरे पक्ष को, जो ठेकेदार का ऋणदाता है, भुगतान की अनुमति दे सकता है ।

पूर्णता प्रमाण पत्र और पूर्णता नक्शे

- (क) ठेकेदार नीचे दिए गए प्रारुप के अनुसार 100 रुपये के नॉन—जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रभारी अभियंता को संबोधित एक अधिकार पत्र देता है ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

(ख) तीसरे पक्ष (या पार्टियों) को कुल भुगतान कार्य की करार लागत के 10% से अधिक नही होगा ।



Clause 8

Completion Certificate and Completion Plans

Within ten days of the completion of the work or on part completion of one or more building(s) out of independent building in a project or infrastructure project, as per requirement of client or otherwise specified in schedule F, the contractor shall give notice of such completion to the Engineer-in-Charge and within thirty days of the receipt of such notice, the Engineer-in-Charge shall inspect the work and shall furnish the contractor with a part or final completion certificate as the case may be, indicating defects (a) to be rectified by the contractor and/or (b) for which payment will be made at reduced rates. But no final certificate of completion shall be issued, nor shall the work be considered to be complete until the contractor shall have removed from the premises on which the work shall be executed all scaffolding, surplus materials, rubbish and all huts and sanitary arrangements required for his/their work people on the site in connection with the execution of the works as shall have been erected or constructed by the contractor(s) and cleaned off the dirt from all wood work, doors, windows, walls, floor or other parts of the building, in, upon, or about which the work is to be executed or of which he may have had possession for the purpose of the execution, thereof, and not until the work shall have been measured by the Engineer-in-Charge. If the contractor fails to comply with the requirements of this Clause as to removal of scaffolding, surplus materials and rubbish and all huts and sanitary arrangements as aforesaid and cleaning off dirt on or before the date fixed for the completion of work, the Engineer-in-Charge may at the expense of the contractor remove such scaffolding, surplus materials and rubbish etc., and dispose off the same as he thinks fit and clean off such dirt as aforesaid, and the contractor shall have no claim in respect of scaffolding or surplus materials or final cleaning work as aforesaid except for any sum actually realized by the sale thereof.

Clause 8A

Completion Plans to be Submitted by the Contractor

The contractor shall submit completion plans for Internal and External Civil, Electrical and Mechanical Services within thirty days of the completion of the work.

In case, the contractor fails to submit the completion plan as aforesaid, he shall be liable to pay a sum of 0.1 % (zero point one percent) of Tendered Value or limit prescribed in Schedule F whichever is more as may be fixed by the authority as mentioned in Schedule F and in this respect the decision of the that authority shall be final and binding on the contractor.

Clause 9

Payment of Final Bill

The final bill shall be submitted by the contractor in the same manner as specified in interim bills within three months of physical completion of the work or within one month of the date of the final certificate of completion furnished by the Engineer-in-Charge whichever is earlier. No further claims shall be made by the contractor after submission of the final bill and these shall be deemed to have been waived and extinguished. Payments of those items of the bill in respect of which there is no dispute and of items in dispute, for quantities and rates as approved by Engineer-in-Charge, will, as far as possible be made within the period of three months the period being reckoned from the date of receipt of the bill by the Engineer-in-Charge or his authorized Asstt. Engineer.

If the final bill is submitted by the contractor within the period specified above and delay in payment of final bills is made by the department after prescribed time limit, a simple interest @ 5 % (five percent) per annum shall be paid to the contractor from the date of expiry of prescribed time limit, provided the final bill submitted by the contractor is found to be in order.







खण्ड ८

काम पूरा होने के दस दिनों के भीतर या किसी परियोजना या बुनियादी ढांचे की परियोजना में स्वतंत्र भवन में से एक या एक से अधिक भवनों के आंशिक रूप से पुरा होने पर, ग्राहिय विभाग की आवश्यकता के अनुसार या अन्यथा अनुसुची 'एफ' में निर्दिष्ट, ठेकेदार को भार साधक अभियंता को नोटिस देना होगा और इस तरह के नोटिस की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, भार साधक अभियंता कार्य का निरीक्षण करेगा और ठेकेदार को दोषों का संकेत देते हुए, जैसा भी मामला हो, आंशिक या अंतिम समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। अन्यथा भौतिक पूर्णता का एक अनंतिम प्रमाण पत्र जिसमें दोष (क) ठेकेदार द्वारा ठीक किया जाना है और / या (ख) जिसके लिए कम दरों पर भुगतान किया जाएगा, का संकेत होगा, जारी किया जाएगा। उपदर्शित करते हुए भौतिक रूप में कार्य पूरा होने का अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, किन्तु जब तक ठेकेदार उस परिसर से, जिस पर कार्य निष्पादित किया गया है, सब पाड, बचा हुआ सामान, कुडा—करकट और सभी झोपडियां तथा सफाई व्यवस्थाएं, जो ठेकेदार (रों) कर्मकारों के लिए स्थल पर कार्य के निष्पादन के सम्बन्ध में अपेक्षित हों और उसके / उनके द्वारा परिनिर्मित या सन्निर्मित हों, हटा न दे और जब तक सभी काष्ठ की चीजों, दरवाजों, खिडकियों, दीवारों, फर्शों या भवन के, जिसमें, जिस पर या जिसके निकट कार्य निष्पादित किया जाना है, या जिसके निष्पादन के प्रयोजन के लिए वह उनके कब्जे में रहा हो, अन्य भागों से गन्दगी साफ न कर दे और जब तक भारसाधक इन्जीनियर द्वारा कार्य की माप न करली गई हो तब तक पूरा होने का, अन्तिम प्रमाण–पत्र न तो जारी किया जाएगा और न कार्य ही पूरा हुआ माना जाएगा। यदि ठेकेदार कार्य के पूरा करने के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व यथापूर्वोक्त पाड़ तथा बचे हुए सामान और कूड़ा–करकट और सभी झोपडियों तथा सफाई व्यवस्था को हटाने के और गन्दगी साफ करने के सम्बन्ध में इस खण्ड की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहेगा तो भारसाधक इन्जीनियर ठेकेदार के व्यय पर ऐसे पाड़, बचे हुए सामान और कूड़ा—करकट आदि हटा सकेगा और जिस प्रकार वह उचित समझे उसका निपटान कर सकेगा और ऐसी गन्दगी की सफाई कर सकेगा और ठेकेदार का, यथापूर्वोक्त, ऐसे पाड़, बचे हुए सामान के बारे में, उसकी बिक्री द्वारा वस्तुत : प्राप्त किसी राशि के सिवाय कोई दावा नहीं होगा।

पूर्णता प्रमाण पत्र और पूर्णता नक्शे

खण्ड ८क

ठेकेदार कार्य के पूरा होने के तीस दिनों के भीतर आंतरिक और बाहरी सिविल, विद्युतीय और यांत्रिक सेवाओं के लिए पूर्णता योजना प्रस्तुत करेंगा वशर्तें की जब तक ठेकदार के लिए संविदा के किसी अन्य प्रावधान के बल पर ऐसी योजनाओं को तैयार करना अपेक्षित है. प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य करने के लिए सेवा योजनाएं जारी की गई हो।

ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री

पूर्वोक्त समापन तलचित्र को यदि ठेकेदार प्रस्तुत न करे, तो वह निवेदित मूल्य का ०ण प्रतिशत तक की रकम अथवा अनुसूची च में निर्धारित सीमा इसमें जो भी अधिक हो के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा जोकि अनुसूची च में उल्लिखित सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इस विषय में प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जाएगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

खण्ड 9

ठेकेदार द्वारा अंतरिम बिलों में निर्दिष्ट अनुसार, कार्य के भौतिक समापन के तीन माह के भीतर या भारसाधक **अंतिम बिल का भुगतान** इन्जीनियर द्वारा दिए गए कार्य समापन के अंतिम प्रमाण पत्र की तारीख के एक माह के भीतर, जो भी पहले हो, अंतिम बिल प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम बिल प्रस्तुत करने के बाद ठेकेदार कोई और दावा प्रस्तुत नहीं करेगा और सब दावों को निरस्त या समाप्त माना जाएगा। बिल की जिन मदों के संबंध में कोई विवाद नहीं है और जो मदें विवादित हैं, भारसाधक इंजीनियार द्वारा अनुमोदित मात्राओं और दरों के अनुसार , उनका भुगतान जहां तक संभव हो, तीन माह की निर्धारित अवधि में कर दिया जाएगा। भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत सहायक इंजीनियर द्वारा बिल की प्राप्ति की तारीख से उक्त अवधि की गणना की जाएगी

यदि ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल ऊपर निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है और विभाग द्वारा अंतिम बिलों का भुगतान निर्धारित समय सीमा के बाद किया जाता है, ठेकेदार को निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तिथि से 5% की वार्षिक दर से सरल ब्याज देय होगा, बशर्ते ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया अंतिम बिल सही पाया जाए।



Clause 9A

Payment of Contractors Bills to Banks

Payments due to the contractor may, if so desired by him, be made to his bank, registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions instead of direct to him provided that the contractor furnishes to the Engineer-in-Charge (1) an authorization in the form of a legally valid document such as a power of attorney conferring authority on the bank, registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions to receive payments and (2) his own acceptance of the correctness of the amount made out as being due to him by Government or his signature on the bill or other claim preferred against Government before settlement by the Engineer-in-Charge of the account or claim by payment to the bank, registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions. While the receipt given by such banks registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions shall constitute a full and sufficient discharge for the payment, the contractor shall whenever possible present his bills duly receipted and discharged through his bank, registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions.

Nothing herein contained shall operate to create in favour of the bank, registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions any rights or equities visavis the President of India.

Clause 10A

Materials to be provided by the Contractor

The contractor shall, at his own expense, provide all materials, required for the works other than those which are stipulated to be supplied by the Government.

The contractor shall, at his own expense and without delay supply to the Engineer-in-Charge samples of materials to be used on the work and shall get these approved in advance. All such materials to be provided by the Contractor shall be in conformity with the specifications laid down or referred to in the contract. The contractor shall, if requested by the Engineer-in-Charge furnish proof, to the satisfaction of the Engineer-in-Charge that the materials so comply. The Engineer-in-Charge shall within thirty (30) days of supply of samples or within such further period as he may require intimate to the Contractor in writing whether samples are approved by him or not. If samples are not approved, the Contractor shall forthwith arrange to supply to the Engineer-in-Charge for his approval, fresh samples complying with the specifications laid down in the contract. When materials are required to be tested in accordance with specifications, approval of the Engineer-in-Charge shall be issued after the test results are received.

The Contractor shall at his cost submit the samples of materials to be tested or analyzed and shall not make use of or incorporate in the work any materials represented by the samples until the required tests or analysis have been made and materials finally accepted by the Engineer-in-Charge. The Contractor shall not be eligible for any claim or compensation either arising out of any delay in the work or due to any corrective measures required to be taken on account of and as a result of testing of materials.

The contractor shall, at his cost, make all arrangements and shall provide all facilities as the Engineer-in-Charge may require for collecting and preparing the required number of samples for such tests at such time and to such place or places as may be directed by the Engineer-in-Charge and bear all charges including testing charges. The Engineer-in- Charge or his authorized representative shall always have access to the works and to all workshops and places where work component is being prepared or from where materials, manufactured articles or machinery are being obtained for the works and the contractor shall afford every facility and every assistance in obtaining the right to such access.







खण्ड ९क

ठेकेदार को देय भुगतान, यदि वह चाहे, तो सीधे उसको किए जाने की बजाय उसके बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अंतिम बिल का भुगतान अथवा थ्रिट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों को किए जा सकते हैं बशर्ते ठेकेदार, प्रभारी इन्जीनियर को (1) मुख्तारनामा जैसा विधि मान्य दस्तावेज जिसमें बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानको भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो और (2) उस राशि की सत्यता के बारे में अपनी स्वीकृति दे जो सरकार से उसको मिलने वाली राशि बताई गई है अथवा प्रभारी इन्जीनियर द्वारा लेखे या दावे के बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा श्रिट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान को संदाय करके निपटाए जाने से पहले सरकार को प्रस्तुत बिल या अन्य दावे पर अपने हस्ताक्षर दिखाए। यद्यपि ऐसे बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान द्वारा दी गई अभिस्वीकृति संदाय के लिए पूर्ण और पर्याप्त प्रमाण होगी तथापि ठेकेदार को, जहां तक संभव हो, विधिवत रूप से पावतीयुक्त और उन्मोचित बिल अपने बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान की मार्फत प्रस्तृत करना होगा।

इसमें सम्मिलित कोई बात भारत के राष्ट्रपति के सामने बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान के पक्ष में कोई अधिकार या साम्या सूचित नहीं करेगी।

खण्ड १०ए

कार्यों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली निर्धारित सामग्री के अलावा शेष सभी सामग्री कॉन्ट्रैक्टर स्वयं के खर्च पर उपलब्ध कराएगा।

कॉन्ट्रैक्टर अपने स्वयं के खर्च पर और बिना किसी देरी के; कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री के नमुने प्रभारी अभियंता को प्रदान करेगा और इन्हें अग्रिम रूप से अनुमोदित करवाएगा। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सभी सामग्री कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित या निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप होगी। कॉन्ट्रैक्टर, प्रभारी अभियंता को, यदि वह अनुरोध करे, प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के लिए प्रमाण प्रस्तुत करेगा, कि सामग्री उक्त के अनुपालन में है। प्रभारी अभियंता को नमूनों की आपूर्ति के तीस (30) दिनों के भीतर या जितनी अतिरिक्त अवधि के भीतर उसे आवश्यकता हो, कॉन्ट्रैक्टर को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि नमूने उसके द्वारा अनुमोदित हैं या नहीं। यदि नमुने स्वी.त नहीं होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित विनिर्देशों का अनुपालन करने वाले नए नमुनों को अनुमोदन हेत् प्रभारी अभियंता को तत्काल प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। यदि सामग्री का परीक्षण विनिर्देशों के अनुसार करने की आवश्यकता है, तो प्रभारी अभियंता परीक्षण के परिणाम प्राप्त होने के बाद अनुमोदन जारी करेगा।

कॉन्ट्रैक्टर अपनी लागत पर परीक्षण या विश्लेषण के लिए सामग्री के नमूने जमा करेगा और आवश्यक परीक्षण या विश्लेषण किए जाने तक और प्रभारी अभियंता द्वारा सामग्री को अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने तक नमूनों द्वारा दर्शाई गई किसी भी सामग्री का उपयोग या उसे काम में शामिल नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्टर किसी भी दावे या मुआवजे के लिए पात्र नहीं होगा, यदि यह काम में किसी भी देरी के कारण या सामग्री के परीक्षण के परिणामस्वरूप किए जाने वाले किसी भी सुधारात्मक उपाय के कारण हुआ है।

कॉन्ट्रैक्टर अपनी लागत पर, सारी व्यवस्था करेगा और ऐसे समय और ऐसे स्थान या स्थानों पर, वे सभी स्विधाएं प्रदान करेगा, जिनकी प्रभारी अभियंता को ऐसे परीक्षणों के लिए उपयुक्त संख्या में नमूने एकत्र करने और तैयार करने के लिए आवश्यकता हो सकती है, तथा परीक्षण शुल्क सहित सभी शुल्क को वहन करेगा। प्रभारी अभियंता या उनके अधि त प्रतिनिधि को हर समय उन कार्यों और उन सभी कार्यशालाओं और स्थानों तक पहुंच प्राप्त होगी, जहां कार्य संघटक तैयार किया जा रहा है या जहां से काम के लिए सामग्री, निर्मित वस्तुएं या मशीनरी प्राप्त की जा रही है और कॉन्ट्रैक्टर को ऐसी पहुंच प्रदान करने के लिए हर सुविधा और हर सहायता मुहैया करानी होगी।

कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्रदान की जानी वाली सामग्री



The Engineer-in-Charge shall have full powers to require the removal from the premises of all materials which in his opinion are not in accordance with the specifications and in case of default, the Engineer-in-Charge shall be at liberty to employ at the expense of the contractor, other persons to remove the same without being answerable or accountable for any loss or damage that may happen or arise to such materials. The Engineer-in-Charge shall also have full powers to require other proper materials to be substituted thereof and in case of default, the Engineer-in-Charge may cause the same to be supplied and all costs which may attend such removal and substitution shall be borne by the Contractor.

The contractor shall at his own expense, provide a material testing lab at the site for conducting routine field tests. The lab shall be equipped at least with the testing equipment as specified in schedule F.

Clause 10B

Secured Advance on Materials

(i) The contractor, on signing an indenture form specified in appendix XV, shall be entitled to be paid during the progress of the execution of the work up to 75% of the assessed value of any materials, which are in the opinion of the Engineer-in- charge non-perishable, non-fragile and non-combustible and are in accordance with the contract and which have been brought on the site in connection therewith and are adequately stored and/or protected against damage by weather or other causes but which have not at the time of advance been incorporated in the works. When materials on account of which an advance has been made under this sub-clause are incorporated in the work, the amount of such advance shall be recovered/deducted from the next payment made under any of the clause or clauses of this contract.

Such secured advance shall also be payable on other items of perishable nature, fragile and combustible with the approval of the Engineer-in-charge provided the contractor provides a comprehensive insurance cover for the full cost of such materials. The decision of the Engineer-in-charge shall be final and binding on the contractor in this matter. No secured advance, shall however, be paid on high-risk materials such as ordinary glass, sand, petrol, diesel.

Mobilization advance

(ii) Mobilization advances not exceeding 10% of the tendered amount may be given, if requested by the contractor in writing within six months of the order to commence the work. Such advance shall be released in two or more instalments to be determined by the Engineer-in-Charge. The amount of any instalment shall not exceed 5% of the tendered amount of the work. The first instalment of such advance shall be released by the Engineer-in-charge to the contractor on his request. The second and subsequent instalment(s) shall be released by the Engineer-in-Charge only after the contractor furnishes a proof of the satisfactory utilization of full amount of the earlier instalment(s) to the satisfaction of the Engineer-in-Charge. The mobilization advance will be utilized for the following:

Establishment of site office for contractor and CPWD staff, testing lab, testing lab equipment, labour camps & basic amenities, services for labour/staff, cement godown, reinforcement yard and stores etc.

Any other item as mentioned in NIT by the NIT approving authority.

90% of the price of new items and 50% of the depreciated price of old items will be considered for assessing the utilized amount of mobilization advance.

Expenditure incurred on items/ materials which are measureable and payable under agreement/extra items as well as materials eligible for secured advance will be excluded from utilized amount of mobilization advance, if any.



संविदा के खण्ड



प्रभारी अभियंता के पास उन सभी सामग्रियों को परिसर से हटाने की मांग करने का पूर्ण अधिकार होगा जो उनकी राय में विनिर्देशों के अनुसार नहीं हैं और चूक होने की स्थिति में, प्रभारी अभियंता उस सामग्री को हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के खर्च पर अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इससे ऐसी सामग्री को होने वाली क्षति या नुकसान के लिए वह जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। प्रभारी अभियंता के पास उक्त के स्थान पर अन्य उपयुक्त सामग्री की मांग करने का पूरा अधिकार होगा और इसमें चूक होने की स्थिति में प्रभारी अभियंता ऐसी सामग्री की आपूर्ति करवा सकता है तथा उक्त को हटाने व उसकी आपूर्ति करने में आए सभी खर्च का वहन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।

कॉन्टैक्टर नियमित क्षेत्र परीक्षण करने के लिए अपने स्वयं के खर्च पर कार्यस्थल पर सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध कराएगा। प्रयोगशाला कम से कम अनुसूची एफ में निर्दिष्ट परीक्षण उपकरण से लैस होनी चाहिए।

खण्ड 10बी

कॉन्ट्रैक्टर परिशिष्ट XV में निर्दिष्ट इंडेंचर फॉर्म पर हस्ताक्षर करने पर, कार्य के निष्पादन की प्रगति के दौरान किसी भी सामग्री. जो प्रभारी अभियंता की राय में खराब न होने वाली. टिकाऊ और गैर ज्वलनशील प्र.ति के हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हैं और जो इसके संबंध में कार्यस्थल पर लाई गई हैं और मौसम या अन्य कारणों से क्षति के लिए पर्याप्त रूप से संग्रहीत और / या संरक्षित हैं लेकिन जो अग्रिम राशि के लिए कार्यों में शामिल नहीं की गई हैं, के मूल्यांकित मूल्य के 75% तक का भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। जब सामग्री जिसके लिए इस उपखंड के तहत अग्रिम किया गया है, को कार्य में शामिल किया जाता है, तो इस तरह के अग्रिम की राशि की इस कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी खंड या खंडों के तहत किए जाने वाले अगले भूगतान से वसूली / कटौती की जाएगी।

सामग्री पर सुरक्षित अगि म

ऐसा सुरक्षित अग्रिम प्रभारी अभियंता के अनुमोदन से नाशवान, नाजुक और ज्वलनशील प्रकृति की अन्य मदों पर भी देय होगा, बशर्ते कॉन्ट्रेक्टर ऐसी सामग्री की पूरी लागत के लिए एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करे। इस मामले में प्रभारी अभियंता का निर्णय कॉन्ट्रैक्टर के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। हालांकि, सामान्य कांच, रेत, पेट्रोल, डीजल जैसे उच्च जोखिम वाली सामग्री पर कोई सुरक्षित अग्रिम भूगतान नहीं किया जाएगा।

यदि ठेकेदार द्वारा काम शुरू करने के आदेश के छह महीने के भीतर लिखित रूप में अनुरोध किया **संग्रहण हेतु अग्रिम राशि** (ii) जाता है, तो संग्रहण हेतू अग्रिम राशि का 10% से अधिक नहीं दिया जा सकता है। ऐसा अग्रिम भार साधक अभियंता द्वारा निर्धारित दो या अधिक किश्तों में जारी किया जाएगा। किसी भी किस्त की राशि कार्य की निविदा राशि के 5% से अधिक नहीं होगी। ऐसे अग्रिम की पहली किस्त भार साधक अभियंता द्वारा ठेकेदार को उसके अनुरोध पर जारी की जाएगी। दूसरी और बाद की किश्तें भार साधक अभियंता द्वारा तभी जारी की जाएंगी जब ठेकेदार भार साधक अभियंता की संतुष्टि के लिए पिछली किश्तों की पूरी राशि के संतोषजनक उपयोग का प्रमाण प्रस्तुत करेगा। संग्रहण हेत् अग्रिम राशि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगाः

ठेकेदार और के.लो.नि.वि. कर्मचारियों के लिए साइट कार्यालय की स्थापना, परीक्षण प्रयोगशाला, परीक्षण प्रयोगशाला उपकरण, श्रम शिविर और श्रमिकों / कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं सेवाएं, सीमेंट गोदाम, सुदृढीकरण यार्ड, स्टोर आदि।

निविदा आमंत्रन सूचना अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा एनआईटी में उल्लेखित कोई अन्य वस्तु।

संग्रहण हेतू अग्रिम की उपयोग की गई राशि का आकलन करने के लिए नई वस्तुओं की कीमत का 90% और पुरानी वस्तुओं की मूल्यहास कीमत का 50% पर विचार किया जाएगा।

उन वस्तुओं / सामग्रियों पर किया गया व्यय जो मापन योग्य हैं और समझौते के तहत देय है या अतिरिक्त वस्तुओं के साथ-साथ स्रक्षित अग्रिम के लिए पात्र सामग्रियों को संग्रहण हेतू अग्रिम की उपयोग की गई राशि, यदि कोई हो, से बाहर रखा जाएगा।



The assessment of Engineer-in-Charge in this respect shall be final and binding.

However clause 10B (ii) and clause 10B (iii) are mutually exclusive i.e. both cannot be operated for same material simultaneously.

Before any installment of advance is released, the contractor shall execute Bank Guarantee Bonds not more than 6 (six) in number from commercial Bank for the amount equal to 110% of the amount of advance and valid for the period till recovery of advance. This (Bank Guarantee from commercial Bank on prescribed format for the amount equal to 110% of the balance amount of advance) shall be kept renewed from time to time to cover the balance amount and likely period of complete recovery.

Plant Machinery & Shuttering Material Advance

(iii) An advance for plant, machinery & shuttering material required for the work and brought to site by the Contractor may be given if requested by the contractor in writing within one month of bringing such plant and machinery to site. Such advance shall be given on such plant and machinery which in the opinion of the Engineer-in-charge will add to the expeditious execution of work and improve the quality of work. The amount of advance shall be restricted to 5% of the tender value. In the case of new plant and equipment to be purchased for the work, the advance shall be restricted to 90% of the price of such new plant and equipment paid by the contractor for which the contractor shall produce evidence satisfactory to the Engineer-in-Charge. In the case of second hand and used plants and equipment, the amount of such advance shall be limited to 50% of the depreciated value of plant and equipment as may be decided by the Engineer-in- Charge. The contractor shall, if so required by the Engineer-in-Charge, submit the statement of value of such old plant and equipment duly approved by a Registered Valuer recognized by the Central Board of Direct Taxes under the Income Tax Act, 1961. No such advance shall be paid on any plant and equipment of perishable nature and on any plant and equipment of a value less than Rs. 50,000/-. Seventy five percent of such amount of advance shall be paid after the plant & equipment is brought to site and balance twenty five percent on successfully commissioning the same.

Leasing of equipment shall be considered at par with purchase of equipment and shall be covered by tripartite agreement with the following:

- (a) Leasing company which gives certificate of agreeing to lease equipment to the contractor.
- (b) Engineer in Charge, and
- (c) The contractor.

This advance shall further be subject to the condition that such plant and equipment (a) Are considered by the Engineer-in-Charge to be necessary for the works; (b) and are in working order and are maintained in working order; (c) hypothecated to the Government as specified by the Engineer-in-Charge before the payment of advance is released. The contractor shall not be permitted to remove from the site such hypothecated plant and equipment without the prior written permission of the Engineer in- Charge. The contractor shall be responsible for maintaining such plant and equipment in good working order during the entire period of hypothecation failing which such advance shall be entirely recovered in lump sum. For this purpose, steel scaffolding and form work shall be treated as plant and equipment The contractor shall insure the Plant and Machinery for which mobilization advance is sought and given, for a sum sufficient to provide for their replacement at site. Any amounts not recovered from the insurer will be borne by the contractor.



संविदा के खण्ड



इस संबंध में भार साधक अभियंता का मूल्यांकन अंतिम और बाध्यकारी होगा।

हालाँकि खंड 10बी (ii) और खंड 10बी (iii) परस्पर अनन्य हैं यानी दोनों को एक ही सामग्री के लिए एक साथ संचालित नहीं किया जा सकता है।

अग्रिम की कोई भी किस्त जारी करने से पहले, कॉन्ट्रैक्टर अग्रिम की राशि के 110 प्रतिशत के बराबर और अग्रिम की वसूली तक की अवधि के लिए व्यावसायिक बैंक से अधिकतम 6 (छः) वैध बैंक गारंटी बांड निष्पादित करेगा। इसे (अग्रिम की शेष राशि के 110 प्रतिशत के बराबर राशि के लिए निर्धारित प्रारूप में व्यावसायिक बैंक से बैंक गारंटी) समय—समय पर नवीनीकृत किया जाएगा तािक शेष राशि और पूर्ण वसूली की संभावित अवधि को कवर किया जा सके।

कार्य और कार्यस्थल पर लाए जाने के लिए आवश्यक संयंत्र, मशीनरी और शटरिंग सामग्री के लिए अग्रिम (iii) दिया जा सकता है यदि ऐसे संयंत्र और मशीनरी को कार्यस्थल पर लाने के एक महीने के भीतर कॉन्ट्रैक्टर लिखित रूप में अनुरोध करे। ये अग्रिम ऐसे संयंत्र और मशीनरी पर दिया जाएगा जो प्रभारी अभियंता की राय में कार्य के शीघ्र निष्पादन में वृद्धि करेगा और कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। अग्रिम की राशि निविदा मूल्य के 5% प्रतिशत तक सीमित होगी। कार्य हेतु खरीदे जाने वाले नये संयंत्र एवं उपकरणों के मामले में, अग्रिम की राशि कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ऐसे नये संयंत्र एवं उपकरण के लिए अदा किए गए मूल्य के 90% तक सीमित होगी, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर प्रभारी अभियंता को संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। पुराने और उपयोग किए जा चुके संयंत्रों और उपकरणों के मामले में, इस तरह के अग्रिम की राशि प्रभारी अभियंता द्वारा तय किए गए संयंत्र और उपकरणों के मूल्यहास मूल्य के 50% तक सीमित होगी। कॉन्ट्रैक्टर यदि प्रभारी अभियंता द्वारा ऐसा आवश्यक है, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा विधिवत अनुमोदित ऐसे पुराने संयंत्र और उपकरण के मूल्य का विवरण प्रस्तुत करेगा। इस तरह की अग्रिम राशि का भूगतान किसी भी नाशवान प्रकृति के संयंत्र और उपकरण तथा 50,000 रुपये से कम मूल्य वाले संयंत्र और उपकरण के लिए नहीं किया जाएगा। इस तरह की अग्रिम राशि के पचहत्तर प्रतिशत का भुगतान संयंत्र और उपकरण को कार्यस्थल पर लाए जाने के बाद और शेष पच्चीस प्रतिशत का भूगतान उन्हें सफलतापूर्वक चालू करने के बाद किया जाएगा।

उपकरण को पट्टे पर देना उपकरण की खरीद के समान माना जाएगा और निम्नलिखित के साथ त्रिपक्षीय समझौते द्वारा कवर किया जाएगाः

- (क) पहें पर देने वाली कंपनी, जो कॉन्ट्रैक्टर को उपकरण पहें पर देने के लिए सहमत होने का प्रमाण पत्र देती है।
- (ख) प्रभारी अभियंता, और
- (ग) कॉन्ट्रैक्टर

यह अग्रिम राशि इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसा संयंत्र और उपकरण :

(क) प्रभारी अभियंता द्वारा कार्यों के लिए आवश्यक माने गए हैं; (ख) और ये चालू हालत में हैं और इन्हें चालू हालत में बनाए रखा गया है; (ग) अग्रिम भुगतान जारी करने से पहले प्रभारी अभियंता द्वारा यथा निर्दिष्ट सरकार के बंधक होंगे। कॉन्ट्रैक्टर को प्रभारी अभियंता की पूर्व लिखित अनुमित के बिना ऐसे बंधक संयंत्र और उपकरण को कार्यस्थल से हटाने की अनुमित नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्टर ऐसे संयंत्र और उपकरण को पूरी बंधक अवधि के दौरान चालू हालत में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा, ऐसा न करने पर इस तरह की अग्रिम राशि की पूरी तरह से एकमुश्त वसूली की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, स्टील मचान (स्टील स्काफ़ोल्डिंग) और फॉर्म वर्क को संयंत्र और उपकरण के रूप में माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर कार्यस्थल पर संयंत्र और मशीनरी के प्रतिस्थापन के लिए पर्याप्त राशि प्रदान करने के लिए उनका बीमा करेगा, जिनके लिए संग्रहण अग्रिम राशि मांगी और दी गई है। बीमाकर्ता से वसूल न की गई कोई भी राशि कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वहन की जाएगी।

संयंत्र मशीनरी और शटरिंग सामग्री के लिए अग्रिम राशि



The Plant, Machinery & Shuttering Material Advance will be utilized for the following:

For purchase of any type of tool, plant and machinery required for execution of work such as concrete batch mix plant, mixtures, transit mixtures, loader, excavators, dumpers, DG sets, vibrators, hot mix bitumen plant, paver, rollers and any other equipment etc.

Barricading of site and procurement of centring / shuttering / staging material etc.

Any other item as mentioned in NIT by the NIT approving authority.

90% of the price of new items and 50% of the depreciated price of old items will be considered for assessing the utilized amount of Plant, Machinery & Shuttering Material Advance.

The assessment of Engineer-in-Charge in this respect shall be final and binding.

However clause 10B (ii) and clause 10B (iii) are mutually exclusive i.e. both cannot be operated for same material simultaneously.

Interest & Recovery

- (iv) The mobilization advance and plant and machinery advance in (ii) & (iii) above bear simple interest at the rate of 8 percent per annum and shall be calculated from the date of payment to the date of recovery, both days inclusive, on the outstanding amount of advance. Recovery of such sums advanced shall be made by the deduction from the contractors bills commencing after first ten percent of the gross value of the work is executed and paid, on pro-rata percentage basis to the gross value of the work billed beyond 10% in such a way that the entire advance is recovered by the time eighty percent of the gross value of the contract is executed and paid, together with interest due on the entire outstanding amount up to the date of recovery of the installment.
- (v) If the circumstances are considered reasonable by the Engineer-in-Charge, the period mentioned in (ii) and (iii) for request by the contractor in writing for grant of mobilization advance and plant and equipment advance may be extended at the discretion of the Engineer-in-Charge.

Clause 10CC

Price adjustment for works

If the prices of materials and/or wages of labour required for execution of the work increase, the contractor shall be compensated for such increase as per provisions detailed below and the amount of the contract shall accordingly be varied, subject to the condition that such compensation for escalation in prices and wages shall be available only for the work done during the stipulated period of the contract including the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2. Such compensation for escalation in the prices of materials and labour, when due, shall be worked out based on the following provisions:

- (i) The base date for working out such escalation shall be the last stipulated date of receipt of tenders including extension, if any.
- (ii) The cost of work on which escalation will be payable shall be reckoned as below:
 - (a) Gross value of work done up to this quarter: (A)
 - (b) Gross value of work done up to the last quarter: (**B**)
 - (c) Gross value of work done since previous quarter (\mathbf{C})= (A-B)
 - (d) Full assessed value of Secured Advance fresh paid in this quarter: (D)





संयंत्र मशीनरी एवं शटरिंग सामग्री अग्रिम का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगाः

किसी भी अन्य उपकरण जैसे कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार के उपकरण जैसे संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए कंक्रीट बैच मिक्स प्लांट, मिश्रण प्लांट, ट्रांजिट मिश्रण प्लांट, लोडर, उत्खनन डंपर, डीजी सेट, वाइब्रेटर, हॉट मिक्स बिट्मेन प्लांट, पेवर, रोलर्स, वगैरह ।

साइट की बैरिकेडिंग और सेंटरिंग / शटरिंग / स्टेजिंग सामग्री आदि की खरीद।

निविदा आमंत्रन सूचना अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा एनआईटी में उल्लिखित कोई अन्य वस्तु।

प्लांट मशीनरी और शटरिंग सामग्री अग्रिम की उपयोग की गई राशि का आकलन करने के लिए नई वस्तुओं की कीमत का 90% और पुरानी वस्तुओं की मूल्यझस कीमत का 50% पर विचार किया जाएगा।

इस संबंध में भार साधक अभियंता का मूल्यांकन अंतिम और बाध्यकारी होगा

हालाँकि खंड 10बी (ii) और खंड 10बी (iii) परस्पर अनन्य हैं यानी दोनों को एक ही सामग्री के लिए एक साथ संचालित नहीं किया जा सकता है।

- (iv) उपरोक्त (ii) और (iii) में संग्रहण अग्रिम राशि और संयंत्र और मशीनरी अग्रिम पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा और भुगतान की तारीख से बकाया अग्रिम राशि की वसूली की तारीख तक की गणना की जाएगी, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं। ऐसी अग्रिम राशि की वसूली के लिए कार्य के सकल मूल्य के पहले दस प्रतिशत के निष्पादन और भुगतान के बाद शुरू होने वाले कॉन्ट्रैक्टर के बिल से कटौती की जाएगी। यह कटौती प्रो राटा प्रतिशत आधार पर 10% के बाद कार्य के सकल मूल्य पर बनाए गए बिल से इस प्रकार की जाएगी कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट के सकल मूल्य के अस्सी प्रतिशत का निष्पादन और भुगतान हो तब तक सम्पूर्ण बकाया की वसूली हो जाए जिसमें किस्त की वसूली की तिथि तक संपूर्ण बकाया राशि पर देय ब्याज भी शामिल है।
- (v) यदि प्रभारी अभियंता परिस्थितियों को उचित मानता है, तो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा संग्रहण अग्रिम राशि और संयंत्र और उपकरण अग्रिम राशि प्रदान करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध के लिए (ii) और (iii) में उल्लिखित अविध को प्रभारी अभियंता के विवेकाधिकार से बढ़ाया जा सकता है।

खण्ड-10गग

यदि सामग्री की कीमतों में और / या कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक श्रम की मजदूरी में वृद्धि होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर को इस तरह की वृद्धि के लिए नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट की राशि तदनुसार मिन्न होगी, यह इस शर्त के अधीन है कि कीमतों और मजदूरी में वृद्धि राशि के लिए ऐसा मुआवजा कॉन्ट्रैक्ट की निर्धारित अविध के दौरान किए गए कार्य के लिए दिया जाएगा, जिसमें खंड 2 के तहत किसी भी कार्रवाई के बिना कॉन्ट्रैक्ट के खंड 5 के प्रावधान के तहत उचित विस्तारित अविध भी शामिल है। सामग्री और श्रम की कीमतों में वृद्धि राशि के लिए ऐसा मुआवजा, यदि देय हो, तो वह निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर तय किया जाएगा

- (i) इस तरह की वृद्धि राशि की गणना करने के लिए आधार तिथि विस्तार अवधि, यदि कोई हो, सहित निवदाओं की प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि होगी।
- (ii) कार्य की लागत जिस पर वर्षद्ध राषि देय होगी, उसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी:
 - (क) इस तिमाही तक किए गए कार्य का सकल मूल्यः **(A)**
 - (ख) अंतिम तिमाही तक किए गए कार्य का सकल मूल्यः (B)
 - (ग) पिछली तिमाही के बाद से किए गए कार्य का सकल मूल्य (C) = (A B)
 - (घ) इस तिमाही में नए भुगतान किए गए सुरक्षित अग्रिम का पूर्ण मूल्यांकित मूल्यः (**D**)

ब्याज एव वसूली

कार्यों के लिए कीमत का समायोजन



- (e) Full assessed value of Secured Advance recovered in this quarter: (E)
- (f) Full assessed value of Secured Advance for which escalation Payable in this quarter, $(\mathbf{F})=(D-E)$
- (g) Advance payment made during this quarter: (G)
- (h) Advance payment recovered during this quarter: (H)
- (i) Advance payment for which escalation is payable in this Quarter (I)= (G-H)
- (j) Amount paid based on prevailing market rates due to deviations/variations as per clause 12 during this quarter:(**J**)

Then, $\mathbf{M} = C + F + I - J$

Cost of work for which escalation is applicable $(\mathbf{W}) = 0.85 \mathrm{M}$

Components for materials, labour, etc. shall be pre-determined for every work and incorporated in the conditions of contract attached to the tender documents included in Schedule 'F'. The decision of the Engineer-in-Charge in working out such percentage shall be binding on the contractors.

- (iii) The following principles shall be followed while working out the payment/recovery on account of variation of prices of materials and/ or wages of labour.
 - (a) The compensation for escalation shall be worked out at quarterly intervals and shall be with respect to the cost of work done as per bills paid during the three calendar months of the said quarter. The date of submission of bill by the contractor to the department shall be the guiding factor to decide the bills relevant to the quarterly interval. The first such payment shall be made at the end of three months after the month (excluding the month in which the letter of commencement of work is issued by the Engineer-in-Charge) and thereafter at three months' interval. At the time of completion of the work, the last period for payment might become less than 3 months, depending on the actual date of completion.
 - (b) The indices as defined below (excluding LI) relevant to any quarter/period for which such compensation is to be paid shall be the arithmetical average of the indices relevant to the three calendar months. If the period up to the date of completion after the quarter covered by the last such installment of payment, is less than three months, the indices shall be the average of the indices for the months falling within that period.
 - (c) The minimum wage of an unskilled Mazdoor shall be the higher of the wage notified by Government of India, Ministry of Labour and that notified by the local administration both relevant to the place of work and the period of reckoning.
 - (d) The escalation for labour also shall be paid at the same quarterly intervals when escalation due to increase in cost of materials is paid under this clause. If such revision of minimum wages takes place during any such quarterly intervals, the escalation compensation shall be payable at revised rates only for work done in subsequent quarters;
 - (e) Irrespective of variations in minimum wages of any category of labour, for the purpose of this clause, the variation in the rate for an unskilled Mazdoor alone shall form the basis for working out the escalation compensation payable on the labour component.





- (ङ) इस तिमाही में वसूल किए गए सुरक्षित अग्रिम का पूर्ण मूल्यांकित मूल्यः (E)
- (च) सुरक्षित अग्रिम का पूर्ण मूल्यांकित मूल्य, जिसके लिए इस तिमाही में वृद्धि राशि देय है (F) = (D - E)
- (छ) इस तिमाही के दौरान किया गया अग्रिम भुगतानः (G)
- (ज) इस तिमाही के दौरान वसूल किया गया अग्रिम भुगतानः (H)
- (झ) अग्रिम भुगतान जिसके लिए इस तिमाही में वृद्धि राशि देय है (I) = (G H)
- (ञ) इस तिमाही के दौरान खंड 12 के अनुसार विचलन / भिन्नता के कारण प्रचलित बाजार दरों के आधार पर भुगतान की गई राशि (J)

फिर. M=C+F+I-J

कार्य की लागत जिसके लिए वर्षद्ध राषि लागू है: W=0.85 M

सामग्री, श्रम आदि के लिए घटक हर कार्य के लिए पूर्व निर्धारित होंगे और अनुसूची 'एफ' में शामिल टेंडर दस्तावेजों से जुड़ी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में शामिल होंगे। ऐसे प्रतिशत की गणना करने में प्रभारी अभियंता का निर्णय कॉन्ट्रैक्टरों पर बाध्यकारी होगा।

- (iii) सामग्री की कीमतों और / या श्रम की मजदूरी में भिन्नता के कारण भुगतान / वसूली की गणना करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।
 - (क) वृद्धि राशि के लिए मुआवजे की गणना त्रैमासिक अंतराल पर की जाएगी और यह उक्त तिमाही के तीन कैलेंडर महीनों के दौरान भुगतान किए गए बिलों के अनुसार किए गए कार्य की लागत के संबंध में होगी। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा विभाग को बिल जमा करने की तिथि तिमाही अंतराल से संबंधित बिलों को तय करने के लिए मार्गदर्शक कारक होगी। इस प्रकार का पहला भुगतान माह के तीन माह के अंत में (उस माह को छोड़कर जिसमें प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य प्रारंभ करने का पत्र जारी किया जाता है) और उसके बाद तीन माह के अंतराल पर किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के समय, कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि के आधार पर भुगतान की अंतिम अवधि 3 माह से कम हो सकती है।
 - (ख) उस किसी भी तिमाही / अविध के लिए प्रासंगिक नीचे यथा पिरभाषित सूचकांक (LI को छोड़कर), जिसके लिए इस तरह के मुआवजे का भुगतान किया जाना है, तीन कैलेंडर महीनों के लिए प्रासंगिक सूचकांकों का अंकगणितीय औसत होगा। यदि भुगतान की ऐसी अंतिम किस्त की तिमाही के बाद कार्य पूरा होने की तारीख तक की अविध तीन महीने से कम है, तो सूचकांक उस अविध के भीतर आने वाले महीनों के सूचकांकों का औसत होगा।
 - (ग) एक अकुषल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मजदूरी और मजदूरी की जगह और गणना की अवधि दोनों के लिए प्रासंगिक स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिसूचित मजदूरी से अधिक होगी।
 - (घ) श्रम के लिए वृद्धि राशि का भुगतान भी उसी तिमाही अंतराल पर किया जाएगा जब इस खंड के तहत सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण वृद्धि राशि का भुगतान किया जाता है। यदि ऐसी किसी तिमाही अंतराल के दौरान न्यूनतम मजदूरी में ये संशोधन होता है, तो वृद्धि राशि का मुआवजा केवल बाद की तिमाहियों में किए गए कार्य के लिए संशोधित दरों पर देय होगा;
 - (ङ) इस खंड के उद्देष्य के लिए श्रम की किसी भी श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी में भिन्नता के बावजूद, मात्र अकुशल मजदूर की दर में भिन्नता श्रम घटक पर देय वर्षद्ध राषि के मुआवजे की गणना का आधार होगी।

CLAUSES OF CONTRACT



- (iv) In the event the price of materials and/or wages of labour required for execution of the work decreases, there shall be a downward adjustment of the cost of work so that such price of materials and/or wages of labour shall be deductible from the cost of work under this contract and in this regard the formula herein stated **below** under this Clause 10CC shall mutatis mutandis apply.
- (v) The contract price shall be adjusted for increase or decrease in rates and prices of labour, cement, steel reinforcement bar, fuel and lubricants and other input materials as per percentage of materials/labour specified in schedule F and in accordance with the principles, procedures and formulae specified below:
 - (a) Price adjustment for change in cost shall be paid in accordance with the following formulae:
 - (i) For Construction:

$$\begin{split} &V_{W} = \ W^{*}(1/100)^{*}[C_{P} \ . \ (C_{I} - C_{O})/C_{O} \ + \ L_{P}^{*} \ (L_{I} - L_{O})/L_{O} + CM_{P}^{*}(CM_{I} - CM_{O})/CM_{O} + CM_{P}^{*}(EM_{I} - EM_{O})/EM_{O} \ + F_{P}^{*} \ (F_{I} - F_{O})/F_{O} + S_{P}^{*} \ (S_{I} - S_{O})/S_{O} + Bp \ *(B_{I} - B_{O})/B_{O}] \end{split}$$

(ii) For Maintenance:

$$\begin{aligned} &V_{\rm W} {=} \; W \; {}^*(1/100)^* [L_{\rm p}{}^* \; (L_{\rm l}{}^- L_{\rm o})/L_{\rm o} \; {}^+ CM_{\rm p}{}^* \; (CM_{\rm l}{}^- CM_{\rm o})/CM_{\rm o} {}^+ EM_{\rm p}{}^* \; (EM_{\rm l}{}^- EM_{\rm o})/EM_{\rm o} \\ &EM_{\rm o} \; + \; B_{\rm p}{}^* (B_{\rm l}{}^- \; B_{\rm o})/B_{\rm o}] \end{aligned}$$

Where, W=cost of work done as per para (ii) above.

 $V_{\rm W}$ (Variation of cost of Work) =Increase or decrease in the cost of works during the period under consideration due to change in the rates for relevant components.

Percentage components of materials & labour as specified in the schedule F are defined as under:-

C_p- Cement component,

L_D - Labour component,

CM_P- Civil component of other construction materials,

EM_p- E & M component of construction materials

F_P-POL (Diesel) component

 $\rm S_{\rm p}\text{-}$ Reinforcement steel bars/TMT bars/structural steel (including strands and cables) component

B_₀- Bitumen component

Indices for various components of materials & labour to be used for the purpose of this Clause are defined as under:

 $\rm C_{\rm O}$ = Wholesale Price Index for Pozzolana Cement published by office of the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce valid for the month of last date of receipt of tender including extension, if any.

C_I= Wholesale Price Index for Pozzolana Cement published by office of the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce for the period under consideration.

 L_{\odot} = Minimum daily wage in rupees of an unskilled adult mazdoor, fixed under any law, statutory rule or order as on the last date of receipt of tender including extension, if any.



- (iv) कार्य के निश्पादन के लिए आवष्यक सामग्री की कीमत और / या श्रम की मजदूरी में घटोतरी होने की स्थिति में, काम की लागत का अपेक्षाकृत कम (डाउनवर्ड) समायोजन होगा तािक कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम की लागत से सामग्री की ऐसी कीमत और / या श्रम की मजदूरी की कटौती की जा सके। इस और इस संबंध में इस खंड 10CC के तहत नीचे दिया गया सूत्र आवष्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा।
- (v) कॉन्ट्रैक्ट मूल्य को अनुसूची एफ में निर्दिष्ट सामग्री / श्रम के प्रतिषत के अनुसार और नीचे दिये गए सिद्धांतों, प्रक्रियाएं और सूत्र के अनुसार श्रम, सीमेंट, स्टील रीइन्फोर्समेंट बार्स, ईंधन और ल्यूब्रिकेंट्स और अन्य इनपुट सामग्री की दरों और कीमतों में वृद्धि या कमी के लिए समायोजित किया जाएगाः
 - (क) लागत में बदलाव के लिए मूल्य समायोजन का भुगतान निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार किया जाएगाः
 - (i) निर्माण के लिए:

 $\begin{aligned} & V_{\text{W}} = W*(1/100)*[C_{\text{P*}}(C_{\text{I}} - C_{\text{O}})/C_{\text{O}} + L_{\text{P}}*(L_{\text{I}} - L_{\text{O}})/L_{\text{O}} + CM_{\text{P}}*(CM_{\text{I}} - CM_{\text{O}})/CM_{\text{O}} + EM_{\text{P}}*(EM_{\text{I}} - EM_{\text{O}})/EM_{\text{O}} + F_{\text{P}}*(F_{\text{I}} - F_{\text{O}})/F_{\text{O}} + S_{\text{P}}*(S_{\text{I}} - S_{\text{O}})/S_{\text{O}} + Bp*(B_{\text{I}} - B_{\text{O}})/B_{\text{O}}] \end{aligned}$

(ii) अनुरक्षण के लिए:

 $V_{W} = W * (1/100)*[L_{P}* (L_{I}-L_{O})/L_{O} + CM_{P}* (CM_{I}-CM_{O})/CM_{O} + EM_{P}* (EM_{I}-EM_{O})/EM_{O} + B_{P}* (B_{I}-B_{O})/B_{O}]$

जहां,w = उपरोक्त पैरा (ii) के अनुसार किए गए कार्य की लागत।

 $v_{\rm w}$ (कार्य की लागत में भिन्नता) = प्रासंगिक घटकों की दरों में परिवर्तन के कारण विचाराधीन अविध के दौरान कार्यों की लागत में वृद्धि या कमी।

अनुसूची एफ में निर्दिष्ट सामग्री और श्रम के प्रतिशत घटकों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: –

C,- सीमेंट घटक,

L, - श्रम घटक,

CM,- अन्य निर्माण सामग्री का सिविल घटक,

EM. - निर्माण सामग्री का ई एंड एम घटक

F,- पीओएल (डीजल) घटक

 S_p - रीइन्फोर्समेंट स्टील बार्स / टीएमटी बार्स / स्ट्रक्चरल स्टील (स्ट्रेंड्स और केबल सिहत) घटक

B,- बिटुमेन घटक

इस खंड के प्रयोजन से उपयोग की जाने वाली सामग्री और श्रम के विभिन्न घटकों के सूचकांक निम्नानुसार परिभाषित किए गए हैं:

 $C_o=$ विस्तार, यदि कोई हो, सिहत निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि के महीने के लिए मान्य आर्थिक सलाहकार, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के कार्यालय द्वारा प्रकाशित पॉज़ोलाना सीमेंट के लिए थोक मूल्य सूचकांक।

 $C_{\rm I}$ = विचाराधीन अविध के लिए आर्थिक सलाहकार, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के कार्यालय द्वारा प्रकाशित पॉज़ोलाना सीमेंट के लिए थोक मूल्य सूचकांक।

 $L_0=$ विस्तार अवधि सहित, यदि कोई हो, निविदा की प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि को लागू किसी कानून, सांविधिक नियम या आदेष के तहत रुपये में निश्चित एक अकुशल वयस्क पुरुश मजदूर की न्यूनतम मजदूरी।



 L_i = Minimum wage in rupees of an unskilled adult mazdoor, fixed under any law, statutory rule or order as applicable on the last date of the quarter previous to the one under consideration.

CM_O= Price Index for civil components of other construction materials valid for the month of the last date of receipt of tender including extension, if any, as issued by the office of CE CSQ (Civil) or successor.

CM_i= Price Index for civil components of other construction materials for the period under consideration and as issued by the office of CE CSQ (Civil) or successor.

 $EM_O=$ Price Index for E & M components of construction materials valid for the month of the last date of receipt of tender including extension, if any, as issued by the office of CE CSQ (Electrical) or successor.

EM_i= Price Index for E & M components of construction materials for the period under consideration and as issued by the office of CE CSQ (Electrical) or successor.

F_o= Wholesale Price Index of HSD (High Speed Diesel)published by office of the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce valid for the month of the last date of receipt of tender including extension, if any.

F_i= Wholesale Price Index of HSD (High Speed Diesel) published by office of the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce for the period under consideration.

 $\rm S_{o}=$ Wholesale Price Index of Mild Steel-long products published by office of the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce valid for the month of the last date of receipt of tender including extension, if any

 S_{i} = Wholesale Price Index of Mild Steel-long products published by office of the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce for the period under consideration.

 $\rm B_{\rm O}{=}$ Wholesale Price Index of Bitumen published by office of the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce valid for the month of the last date of receipt of tender including extension, if any

 $B_{\rm l}$ = Wholesale Price Index of Bitumen published by office of the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce for the period under consideration.

Clause 10D

Dismantled Material Govt. Property

The contractor shall treat all materials obtained during dismantling of a structure, excavation of the site for a work, etc. as Government's property and such materials shall be disposed off to the best advantage of Government according to the instructions in writing issued by the Engineer-in-Charge.





 $L_{\rm l}=$ विचाराधीन तिमाही से पिछली तिमाही के अंतिम तिथि को लागू किसी कानून, सांविधिक नियम या आदेश के तहत रुपये में निश्चित एक अकुशल वयस्क पुरुश मजदूर की न्यूनतम मजदूरी।

 ${\rm CM_o}=$ विस्तार, यदि कोई हो, सिहत निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि के महीने के लिए मान्य सीई सीएसक्यू (सिविल) या उत्तराधिकारी के कार्यालय द्वारा यथा जारी अन्य निर्माण सामग्री के सिविल घटकों का मूल्य सूचकांक।

CM_i= विचाराधीन अविध के लिए तथा सीई सीएसक्यू (सिविल) या उत्तराधिकारी के कार्यालय द्वारा यथा जारी अन्य निर्माण सामग्री के सिविल घटकों का मूल्य सूचकांक।

 ${\rm EM_o}=$ विस्तार, यदि कोई हो, सिहत निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि के महीने के लिए मान्य सीई सीएसक्यू (इलेक्ट्रिकल) या उत्तराधिकारी के कार्यालय द्वारा यथा जारी निर्माण सामग्री के ई एंड एम घटकों का मूल्य सूचकांक।

EM_i= विचाराधीन अविध के लिए तथा सीई सीएसक्यू (इलेक्ट्रिकल) या उत्तराधिकारी के कार्यालय द्वारा यथा जारी निर्माण सामग्री के ई एंड एम घटकों का मूल्य सूचकांक।

 F_0 = विस्तार, यदि कोई हो, सिहत निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि के महीने के लिए मान्य आर्थिक सलाहकार, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के कार्यालय द्वारा प्रकाशित एचएसडी (हाई स्पीड डीजल) का थोक मूल्य सूचकांक।

 $F_{\rm I}$ = विचाराधीन अविध के लिए आर्थिक सलाहकार, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के कार्यालय द्वारा प्रकाषित एचएसडी (हाई स्पीड डीजल) का थोक मूल्य सूचकांक।

 $S_o=$ विस्तार, यदि कोई हो, सिहत निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि के महीने के लिए मान्य आर्थिक सलाहकार, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के कार्यालय द्वारा प्रकाशित माइल्ड स्टील—लॉन्ग उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक।

 S_i = आर्थिक सलाहकार, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के कार्यालय द्वारा विचाराधीन अविध के लिए प्रकाशित माइल्ड स्टील—लॉन्ग उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक।

 $B_0 =$ विस्तार, यदि कोई हो, सिहत निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि के महीने के लिए मान्य आर्थिक सलाहकार, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के कार्यालय द्वारा प्रकाशित बिटुमेन का थोक मूल्य सूचकांक।

 $B_{\rm I} \! = \! 1$ विचाराधीन अविध के लिए आर्थिक सलाहकार, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के कार्यालय द्वारा प्रकाशित बिटुमेन का थोक मूल्य सूचकांक।

खण्ड 10डी

कॉन्ट्रैक्टर किसी ढाँचे को तोड़ने, किसी कार्य के लिए स्थल की खुदाई आदि के दौरान प्राप्त सभी सामग्रियों को सरकार की संपत्ति के रूप में मानेगा और ऐसी सामग्री को सरकार के सर्वोत्तम लाभ के लिए प्रभारी—अभियंता द्वारा जारी लिखित निर्देशों के अनुसार निपटाया जाएगा।

तोड़ी गई सामग्री सरकारी संपत्ति



Clause 11

Work to be Executed in Accordance with Specifications, Drawings, Orders as per mode mentioned in schedule F

The contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and workmanlike manner both as regards materials and otherwise in every respect in strict accordance with the specifications. The contractor shall also conform exactly, fully and faithfully to the design, drawings and instructions in writing in respect of the work issued by the Engineer-in-Charge. Contractor shall be furnished free of charge one copy of the contract documents.

The contractor shall comply with the provisions of the contract and with the care and diligence execute and maintain the works and provide all labour and materials, tools and plants including for measurements and supervision of all works, structural plans and other things of temporary or permanent nature required for such execution and maintenance in so far as the necessity for providing these, is specified or is reasonably inferred from the contract. The Contractor shall take full responsibility for adequacy, suitability and safety of all the works and methods of construction.

The 3D Architectural Models of the project will be prepared on any BIM applications with minimum LOD 350 and IFC format of the same shall be made available for interoperability of building information to all stake holders of the project.

The 3D Architectural BIM Model Information(s) shall be used for structural, MEP services and horticulture design. The comprehensive BIM model with minimum LOD 350 of project shall have all the architectural, structural, horticulture and MEP services element.

All the BIM Models shall be uploaded on CPWD ERP Collaboration portal by the contractor and shared with the Engineer-in-Charge on CPWD ERP collaboration portal.

All architectural and MEP drawings (2 D) shall be generated from BIM model. All the structural drawings shall be in conformity with BIM model.

Project or work shall be executed using 2D drawings generated from BIM model.

The provisions of BIM shall be applicable in the project only if, the same is mentioned in schedule 'F'.

Clause 12

Deviations/ Variations Extent and Pricing The Engineer-in-Charge shall have power (i) to make alterations in, additions to or substitutions for the original scope of work as defined in the contract, that may appear to him to be necessary or advisable during the progress of the work, and (ii) to omit a part of the works in case of non-availability of a portion of the site or due to any other reason (save except Clause-13), the contractor shall be bound to carry out the works in accordance with any instructions given to him in writing signed by the Engineer-in-Charge and such alterations, omissions, additions or substitutions shall form part of the contract as if originally provided therein and any change in the scope of work as defined in the contract, which the contractor may be directed to do in the manner specified above as part of the works, shall be carried out by the contractor on the same terms and conditions in all respects, except for increase/decrease in the cost and additional time due to change of scope, to be determined based on the sub-clauses hereunder:

- **12.1** The time for completion of the works shall, in the event of any deviations resulting in additional cost over the tendered value sum being ordered, be extended, if requested by the contractor, as follows:
 - In the proportion which the additional cost of the altered, additional or substituted work, bears to the original tendered value plus
 - (ii) 25% of the time calculated in (i) above or such further additional time as may be considered reasonable by the Engineer-in-Charge.



संविदा के खण्ड



खण्ड 11

ठेकेदार सामग्रियों और अन्य हर तरह से पूरे कार्य और कार्य के प्रत्येक भाग को पूरी तरह विनिर्देशों के अनुरूप, सुदृढ़ और कारीगरीपूर्ण ढंग से निष्पादित करेगा। ठेकेदार अभिकल्प, आरेखों और भारसाधक इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित कार्य के सम्बन्ध में लिखित अनुदेशों को सही तरह से, पूर्णत: और निष्ठा से पालन करेगा ठेकेदार को ठेका कागजात की एक प्रति बिना शुल्क दी जाएगी।

ठेकेदार ठेके के प्रावधानों का पालन करेगा ओर कार्य का निष्पादन और अनुरक्षण पूरी सावधानी और परिश्रम से करेगा और सभी कार्यों को मापने और पर्यवेक्षण के लिए, श्रिमक और सामग्रियां, औजार एवं संयंत्रों, संरचनात्मक प्लान और निष्पादन एवं अनुरक्षण के लिए अपेक्षित स्थायी और अस्थायी प्रकृति की अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराएगा यदि इन्हें उपलब्ध कराना निर्दिष्ट हो या ठेके में ऐसा समुचित अभिप्राय हो। ठेकेदार निर्माण की विधियों और सभी कार्यों की पर्याप्ता, उपयुक्तता और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगा।

परियोजना के 3डी आर्किटेक्चरल मॉडल न्यूनतम एलओडी 350 (LOD 350) के साथ किसी भी बीआईएम (BIM) अनुप्रयोग पर तैयार किए जाएंगे और परियोजना के सभी हितधारकों को भवन संबंधी जानकारी की अंतरसंचालनीयता के लिए इसका आईएफसी (IFC) प्रारूप उपलब्ध कराया जाएगा।

उडी आर्किटेक्चरल बीआईएम मॉडल जानकारी का उपयोग संरचनात्मक, एमईपी सेवाओं और बागवानी डिजाइन के लिए किया जाएगा। परियोजना के न्यूनतम एलओडी 350 के साथ व्यापक बीआईएम मॉडल में सभी वास्तुशिल्प, संरचनात्मक, बागवानी और एमईपी सेवा तत्व होंगे।

सभी बीआईएम मॉडल ठेकेदार द्वारा सीपीडब्ल्यूडी ईआरपी सहयोग पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और सीपीडब्ल्यूडी ईआरपी सहयोग पोर्टल पर भार साधक अभियंता के साथ साझा किए जाएंगे।

सभी वास्तुशिल्प और एमईपी चित्र (2 डी) बीआईएम मॉडल से तैयार किए जाएंगे। सभी संरचनात्मक चित्र बीआईएम मॉडल के अनुरूप होंगे।

बीआईएम का प्रावधान परियोजना में तभी लागू होगा जब उसका उल्लेख अनुसूची 'एफ' में किया गया हो।

खण्ड 12

प्रभारी अभियंता के पास निम्नलिखित शक्ति होंगी (i) ठेके में यथा परिभाषित कार्य के मूल दायरे में परिवर्तन, परिवर्धन या प्रतिस्थापन करने की, जो कार्य की प्रगति के दौरान उन्हें आवश्यक या उचित प्रतीत हों, और (ii) साइट के एक हिस्से की अनुपलब्धता के मामले में या किसी अन्य कारण से निर्माण के एक हिस्से को छोड़ देना (खंड—13 को छोड़कर), ठेकेदार प्रभारी अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में दिए गए किसी भी निर्देश के अनुसार काम करने के लिए बाध्य होगा और इस तरह के परिवर्तन, लोप, परिवर्धन या प्रतिस्थापन ठेके का हिस्सा होंगे जैसे कि मूल रूप से उसमें प्रदान किया गया हो और ठेके में यथा परिभाषित कार्य के दायरे में कोई भी परिवर्तन, जिसे ठेकेदार को निर्माण कार्य के हिस्से के रूप में ऊपर निर्दिष्ट तरीके से करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, ठेकेदार द्वारा सभी तरह से समान नियमों और शर्तों पर किया जाएगा, सिवाय इसके कि लागत में वृद्धि कमी और कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण अतिरिक्त समय के लिए, जिसका निर्धारण इसके अंतर्गत उपखंडों के आधार पर किया जाएगा:

- 12.1 ठेकेदार द्वारा अनुरोध किए जाने पर, किसी भी विचलन के परिणामस्वरूप निविदा मूल्य राशि पर अतिरिक्त लागत का आदेश दिए जाने की स्थिति में, निर्माण कार्य को पूरा करने का समय निम्नानुसार बढ़ाया जाएगाः
 - (i) उस अनुपात में जो परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य की अतिरिक्त लागत, मूल निविदा मूल्य से अधिक हो
 - (ii) ऊपर (i) में परिकलित समय का 25% या ऐसा अतिरिक्त समय जो प्रभारी अभियंता द्वारा उचित समझा जाए।

अनुसूची एफ में उल्लिखित ढंग के अनुसार विनिर्देशों और आदेशें के अनुसार निष्पादित कार्य किया जाना है।

विचलन / परिवर्तन की सीमा और कीमत निर्धारण



12.2 Payment of deviations/variations beyond 0.25% of the accepted tendered amount.

In case there is any change in scope as defined in the contract, the contractor shall carry out the changes as per direction of Engineer in Charge and nothing extra shall be payable to the contractor on account of same if the additional cost of such work is up to 0.25% (zero point two five percent) of the accepted tendered amount and worked out as per sub-clause 12.3 below. Variations/deviations upto 0.25% (zero point two five percent) of the accepted tendered amount shall be deducted from overall variations/deviations for making payment.

12.3 DETERMINATION OF RATES

In the event, there is any deviations/variations in work as defined in the contract, the contractor shall submit the complete proposal to Engineer-in-charge within 15 days duly supported with :-

- (a) Analysis of rates for items involved, along with relevant documents, rates of materials, tools/plants and labour, etc.
- (b) The impact, if any, which the deviations/variations is likely to have on the project completion schedule,

On receipt of such proposal, either individually or covering group of items, the Engineer-in-charge shall examine the proposal regarding its admissibility and finalize the proposal/rates within 45 days after receipt of proposal with all requisite details and documents from the contractors, after giving due consideration to the proposal, analysis and rates of materials and labours, etc.

- **12.3.1** The increase/decrease in the rates due to deviations/variations shall be decided based on the following criteria:-
 - (i) Pricing of deviations
 - (a) If the item of work as stipulated in the schedule of quantity/ scope of work deviates on plus side, then the rate for the deviated quantity shall be paid at the agreement rate upto the deviation limit as specified in schedule "F" with the same terms & conditions of the contract. Beyond deviation limit as specified in the schedule "F", rate shall be payable on market rates to be determined based on the relevant documents and prevailing market rates, as per Para (ii) below
 - (b) If the item of work as stipulated in the schedule of quantity/ scope of work deviates on minus side, then the amount for such deviated quantity shall be deducted proportionately at the agreement rate.

(ii) Pricing of variations

If there are changes in the quantity/specifications/ alterations/ substitutions/additions, etc. in the items, other than mentioned in para-(i) above, the rates shall be determined based on detailed analysis of rates with original stipulated scope of items & newly proposed/provided items. The difference of rates so determined shall be payable to/recoverable from the contractor. The rates for both the components i.e. materials & labour shall be based on prevailing market rates. The rate finalized by the Engineer-in-Charge shall be final and binding.





12.2 स्वीकृत निविदा राशि के 0.25% से अधिक विचलन/भिन्नताओं का भुगतान।

यदि ठेके में परिभाषित क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है, तो ठेकेदार प्रभारी अभियंता के निर्देश के अनुसार परिवर्तन करेगा और ठेकेदार को इसके लिए अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा यदि इस तरह के काम की अतिरिक्त लागत स्वीकृत निविदा राशि का 0.25% (शून्य दशमलव दो पांच प्रतिशत) तक है और निम्नलिखित उप—खंड 12.3 के अनुसार गणना की गई है। स्वीकृत निविदा राशि के 0.25% (शून्य दशमलव दो पांच प्रतिशत) तक की भिन्नता / विचलन को भुगतान करने के लिए समग्र भिन्नता / विचलन से काट लिया जाएगा।

12.3 दरों का निर्धारण

ठेके में परिभाषित कार्य में कोई विचलन / भिन्नता होने की स्थिति में, ठेकेदार को निम्नलिखित के साथ विधिवत समर्थित पूरा प्रस्ताव 15 दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करना होगा :—

- (क) संबंधित दस्तावेजों, सामग्रियों, औजारों / संयंत्रों और श्रम आदि की दरों के साथ शामिल मदों के लिए दरों का विश्लेषण।
- (ख) प्रभाव, यदि कोई हो, जो कि विचलन / भिन्नता से परियोजना के पूरा होने की अनुसूची पर पड़ने की संभावना हो

ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर, या तो व्यक्तिगत रूप से या मदों के समूह को कवर करते हुए, प्रभारी अभियंता इसकी स्वीकार्यता के संबंध में प्रस्ताव की जांच करेगा और ठेकेदारों से सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर प्रस्ताव, विश्लेषण और सामग्री और मजदूरों की दरों पर उचित आदि विचार करने के बाद प्रस्ताव/दरों को अंतिम रूप देगा।

- 12.3.1 विचलन / भिन्नताओं के कारण दरों में वृद्धि / कमी का निर्णय निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगाः
 - (i) विचलनों का मूल्य निर्धारण
 - (क) यदि कार्य की मात्रा / कार्यक्षेत्र की अनुसूची में निर्धारित कार्य की वस्तु अधिकता की तरफ विचलन करती है, तो विचलन मात्रा के लिए दर का भुगतान ठेके की समान नियम एवं शर्तों के साथ अनुसूची "एफ" में यथा निर्दिष्ट विचलन सीमा तक करार दर पर किया जाएगा। अनुसूची "एफ" में निर्दिष्ट विचलन सीमा से ऊपर, दर निम्नलिखित पैरा (ii) के अनुसार प्रासंगिक दस्तावेजों और प्रचलित बाजार दरों के आधार पर निर्धारित की जाने वाली बाजार दरों पर देय होगी।
 - (ख) यदि कार्य की मात्रा / कार्यक्षेत्र की अनुसूची में निर्धारित कार्य की मद ऋणात्मक पक्ष की तरफ विचलन करती है, तो ऐसी विचलित मात्रा के लिए राशि करार दर पर आनुपातिक रूप से काट ली जाएगी।
 - (ii) भिन्नताओं का मूल्य निर्धारण

यदि उपर्युक्त पैरा—(i) में उल्लिखित मदों के अलावा अन्य मदों में मात्रा/विनिर्देशों/परिवर्तन/प्रतिस्थापन/जोड़ आदि में परिवर्तन होते हैं, तो दरों का निर्धारण मदों के मूल निर्धारित दायरे और नई प्रस्तावित/प्रदान की गई मदों के साथ दरों के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित दरों का अंतर ठेकेदार को देय/वसूली योग्य होगा। दोनों घटकों अर्थात सामग्री और श्रम के लिए दरें प्रचलित बाजार दरों पर आधारित होंगी। प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित दर अंतिम एवं बाध्यकारी होगी।



12.3.2 In case of either non-submission of timely proposal or incomplete proposal by the contractor for deviations/variations, the Engineer-in-Charge shall give final opportunity to the Contractor to submit the complete proposal for change of cost within next 15 days. In case of non-submission or further incomplete submission by the contractor within the stated period, the Engineer-in-Charge shall initiate the proposal and decide the change of cost. In such case the proposal finalized by the Engineer-in-Charge shall be final and binding on the contractor.

12.4 Restrictions on Deviations/Variations

- (i) Work(s) due to deviations/variations shall be executed only after getting the instructions of Engineer-in-charge, save except to meet any work of emergent nature.
- (ii) Notwithstanding anything to the contrary in this clause 12, any change arising from default of the contractor in the performance of his obligations under this agreement shall not be deemed to be deviations/variations, and shall not result in any adjustment of the contract price or the project completion schedule.

Clause 13

Foreclosure of contract due to Abandonment or Reduction in Scope of Work If at any time after acceptance of the tender or during the progress of work, the purpose or object for which the work is being done changes due to any supervening cause and as a result of which the work has to be abandoned or reduced in scope, the Engineer-in-Charge shall give notice in writing to that effect to the contractor stating the decision as well as the cause for such decision and the contractor shall act accordingly in the matter. The contractor shall have no claim to any payment of compensation or otherwise whatsoever, on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the works in full but which he did not derive in consequence of the foreclosure of the whole or part of the works.

The contractor shall be paid at contract rates, full amount for works executed at site and, in addition, a reasonable amount as certified by the Engineer-in-Charge for the items hereunder mentioned which could not be utilized on the work to the full extent in view of the foreclosure;

- (i) Any expenditure incurred on preliminary site work, e.g. temporary access roads, temporary labour huts, staff quarters and site office; storage accommodation and water storage tanks.
- (ii) Government shall have the option to take over contractor's materials or any part thereof either brought to site or of which the contractor is legally bound to accept delivery from suppliers (for incorporation in or incidental to the work) provided, however Government shall be bound to take over the materials or such portions thereof as the contractor does not desire to retain. For materials taken over or to be taken over by Government, cost of such materials as detailed by Engineer-in- Charge shall be paid. The cost shall, however, take into account purchase price, cost of transportation and deterioration or damage which may have been caused to materials whilst in the custody of the contractor.
- (iii) Reasonable compensation for transfer of T & P from site to contractor's permanent stores or to his other works, whichever is less. If T & P are not transported to either of the said places, no cost of transportation shall be payable.





12.3.2 ठेकेदार द्वारा विचलन / भिन्नता के लिए समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत न करने या अपूर्ण प्रस्ताव के मामले में, प्रभारी अभियंता ठेकेदार को अगले 15 दिनों के भीतर लागत परिवर्तन के लिए पूरा प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर देगा। निर्दिष्ट अवधि के भीतर ठेकेदार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत न करने या आगे अपूर्ण प्रस्तुति के मामले में, प्रभारी अभियंता प्रस्ताव शुरू करेगा और लागत में परिवर्तन का निर्णय लेगा। ऐसे मामले में प्रभारी अभियंता द्वारा अंतिम रूप दिया गया प्रस्ताव अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

12.4 विचलन/भिन्नता पर प्रतिबंध

- (i) विचलन / भिन्नता के कारण निर्माण कार्य (कार्यों) को केवल आकस्मिक प्रकृति के किसी भी कार्य को पूरा करने के अलावा, प्रभारी अभियंता के निर्देश प्राप्त करने के बाद ही निष्पादित किया जाएगा।
- (ii) इस खंड 12 में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, इस करार के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन में ठेकेदार की चूक से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिवर्तन को विचलन / भिन्नता नहीं माना जाएगा, और इसके परिणामस्वरूप ठेके के मूल्य या परियोजना पूर्णता अनुसूची में कोई समायोजन नहीं होगा।

खण्ड 13

यदि निविदा स्वीकार करने के बाद अथवा कार्य के प्रगित के दौरान, उस उद्देश्य अथवा लक्ष्य जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, किसी बाहरी हस्तक्षेप के कारण से परिवर्तन और जिसके फलस्वरूप कार्य का प्रत्याग किया जाना है अथवा कार्य क्षेत्र में कटौती की जानी है, तो भारसाधक इंजीनियर ठकेदार को निर्णय तथा ऐसे निर्णय के लिए कारण का उल्लेख करते हुए लिखित नोटिस देगा और ठेकेदार मामले में तदनुसार कार्रवाई करेगा। ठेकेदार, किसी भी प्रतिकर के भुगतान या अन्यथा कुछ भी, लाभ या फायदे का, जो उसे समूचा कार्य निष्पादित करने से होता लेकिन समूचे कार्य अथवा उसके भाग के पूर्व समाप्ति के कारण उसे नहीं हुआ, दावेदार नहीं होगा।

ठेकेदार को ठेका दरों पर कार्यस्थल पर निष्पादित कार्य के लिए पूरा भुगतान किया जाएगा और उसके अतिरिक्त, यहां नीचे उल्लिखित मदों के लिए, जिनका कार्य की पूर्व समाप्ति के कारण कार्य पर पूरा उपयोग नहीं हो सका, के लिए भारसाधक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित उचित राशि का भुगतान किया जाएगा।

- (i) कार्यस्थल में प्रारम्भिक कार्य जैसे पहुंचने के लिए अस्थायी सड़के, श्रमिकों की अस्थायी झोपड़ियां, स्टाफ क्वार्टर, कार्यस्थल कार्यालय, भण्डार स्थान और जल भंडारण टंकियों पर किया गया खर्च।
- (ii) कार्यस्थल पर लाई गई या जिन्हें ठेकेदार आपूर्तिकर्त्ता से स्वीकार करने के लिए विधित : बाध्य हो (कार्य में शामिल अथवा कार्य के लिए प्रासंगिक) ऐसी सामग्रियों या उसके किसी भाग के अधिग्रहण के लिए सरकार को छूट होगी, लेकिन फिर भी, ठेकेदार जिन सामग्रियों या उनके किसी भाग को नहीं रखना चाहता हो उनके अधिग्रहण के लिए सरकार बाध्य होगी। सरकार द्वारा ली गई या ली जाने वाली सामग्रियों की लागत का भुगतान भारसाधक इंजीनियर के निर्णय के अनुसार किया जाएगा। लागत का निर्धारण, क्रय मूल्य, परिवहन लागत और ठेकेदार की अभिरक्षा में रहते हुए सामग्रियों के क्षरण और उनकी क्षति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- (iii) ठेकेदार, सरकार द्वारा दी गई किसी भी अधिशेष सामग्री को, सामान्य टूट-फूट छोड़कर, उनकी मूल निर्गत दर से अनिधक दरों पर, जिसमें से ठेकेदार के पास रहते हुए सामग्रियों को हुई क्षिति या नुकसान के लिए राशि काट ली जाएगी, सरकार को लौटाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी सामग्रियों को सरकार के भण्डार में पहुंचाने की, यदि सरकार चाहे तो, परिवहन लागत का भुगतान किया जाएगा।

कार्य के क्षेत्र में कमी अथवा परित्याग के कारण संविदा को समय से पहले समाप्त करना



(iv) Reasonable compensation for repatriation of contractor's site staff and imported labour to the extent necessary.

The contractor shall, if required by the Engineer- in-Charge, furnish to him, books of account, wage books, time sheets and other relevant documents and evidence as may be necessary to enable him to certify the reasonable amount payable under this condition.

The reasonable amount of items on (i), (iii) and (iv) above shall not be in excess of 2% of the cost of the work remaining incomplete on the date of closure, i.e. total stipulated cost of the work as per accepted tender less the cost of work actually executed under the contract and less the cost of contractor's materials at site taken over by the Government as per item (ii) above. Provided always that against any payments due to the contractor on this account or otherwise, the Engineer-in-Charge shall be entitled to recover or be credited with any outstanding balances due from the contractor for advance paid in respect of any tool, plants and materials and any other sums which at the date of termination were recoverable by the Government from the contractor under the terms of the contract.

In the event of action being taken under Clause 13 to reduce the scope of work, the contractor may furnish fresh Performance Guarantee on the same conditions, in the same manner and at the same rate for the balance tendered amount and initially valid up to the extended date of completion or stipulated date of completion if no extension has been granted plus minimum 180 days beyond that. Wherever such a fresh Performance Guarantee is furnished by the contractor the Engineer-in-Charge may return the previous Performance Guarantee.

Clause 14

Pre-Construction Activities

The data supplied by the Department, if any, are for General Guidance only. The contractor shall be responsible for carrying out pre-construction activities for construction of work as defined in the tender documents. The contractor shall also carry out site investigations to verify site details / Data at his own cost.

Since start of pre-construction activities contractor has to deploy Building Information Model (BIM) professional having knowledge of using Building Information Model (BIM) of minimum LOD 350.

Clause 15

Suspension of Work

- (i) The contractor shall, on receipt of the order in writing of the Engineer-in-Charge, (whose decision shall be final and binding on the contractor) suspend the progress of the works or any part thereof for such time and in such manner as the Engineer-in-Charge may consider necessary so as not to cause any damage or injury to the work already done or endanger the safety thereof for any of the following reasons:
 - (a) on account of any default on the part of the contractor or;
 - (b) for proper execution of the works or part thereof for reasons other than the default of the contractor; or
 - (c) for safety of the works or part thereof. The contractor shall, during such suspension, properly protect and secure the works to the extent necessary and carry out the instructions given in that behalf by the Engineer in- Charge.
- (ii) If the suspension is ordered for reasons (b) and (c) in sub-para (i) above:
 - (a) the contractor shall be entitled to an extension of time equal to the period of every such suspension plus 25%, for completion of the item or group of items of work for which a separate period of completion is specified in the contract and of which the suspended work forms a part, and;



संविदा के खण्ड



(iv) औजार एवं संयंत्रों को कार्यस्थल से ठेकेदार के स्थायी भण्डार तक या किसी अन्य कार्य पर, जो भी कम हो, ले जाने के लिए उचित प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा।

यदि भारसाधक इंजीनियर चाहे तो ठेकेदार, उन्हें लेखा बहियां, मजदूरी बही, शीटें और अन्य संबंधित आवश्यक कागजात और प्रमाण प्रस्तुत करेगा तािक इस शर्त के तहत दी जाने वािली उचित रािश को वह प्रमािणत कर सके। उपर्युक्त (i), (iii) और (iv) मदों की उचित रािश, ठेका बंद होने की तारीख को अपूर्ण शेष कार्य की लागत के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी अर्थात् स्वीकृत निविदा के अनुसार कार्य की निर्धारित लागत में से ठेका के तहत वास्तव में निष्पादित कार्य की लागत और उपर्युक्त (ii) मद के अनुसार सरकार द्वारा ली गई ठेकेदार की कार्यस्थल सामग्रियों की लागत को घटा दिया जाएगा। परन्तु सर्वदा यह कि ठेकेदार को इस निमित या अन्यथा देय कोई भी भुगतान करते समय, ठेकेदार को किसी भी औजार, संयंत्रों, और सामग्रियों के संबंध में दिए गए अग्रिम में से बकाया कोई भी शेष रािश और इस ठेके के निबंधनों के तहत ठेका बंद होने की तारीख को सरकार द्वारा ठेकेदार से वसूल की जाने वाली किसी भी अन्य रािश को वसूल करने का भारसाधक इंजीनियर को अधिकार होगा।

कार्य में कटौती करने के लिए खंड 13 के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई की स्थित में, ठेकेदार शेष निवेदित राशि के लिए उन्हीं शर्तों, उसी तरीके से और उसी दर पर तथा यदि 180 से अधिक दिनों के बाद कोई समय विस्तार नहीं दिया गया हो तब पूरा करने की बढ़ाई गई तिथि अथवा पूरा करने की निर्धारित तिथि जो प्रारंभ में वैध हो पर नया कार्य निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करेंगा। जहां भी ऐसी नई कार्य निष्पादन गारंटी ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाए प्रभारी अभियंता पूर्व की कार्य निष्पादन गारंटी को लौटा सकता है। ऐसी स्थिति में, क्षिति, आदि के कारण मुआवजे का, कार्य बंद होने की तिथि पर कार्य की अपूर्ण लागत का 0.5 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाएगा अर्थात कार्य की कुल निर्धारित लागत में से संविदा के अंतर्गत वास्तव में निष्पादित किए गए कार्य की लागत को घटाकर भुगतान किया जाएगा।

खण्ड 14

विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा, यदि कोई हो, केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए ही है। ठेकेदार निविदा दस्तावेजों में पिरभाषित किए गए कार्य के निर्माण के लिए निर्माण से पूर्व की गतिविधयों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार अपने लागत पर साइट के विवरणों / डाटा को सत्यापित करने के लिए साइट की जांच भी करेगा। निर्माण—पूर्व गतिविधियों की शुरुआत के बाद से ठेकेदार को न्यूनतम एलओडी 350 के बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल (बीआईएम) का उपयोग करने का ज्ञान रखने वाले बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल (बीआईएम) तकनीकी पेशेवर को तैनात करना होगा।

खण्ड 15

- (i) भारसाधक इंजीनियर से लिखित आदेश मिलते ही (जिसका निर्णय ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा) ठेकेदार, कार्यों या उसके किसी भाग की कार्य प्रगति को उतने समय के लिए और उस स्थिति में रोक देगा जो भारसाधक इंजीनियर आवश्यक समझें तािक किए गए कार्य को कोई क्षिति या हािन न हो या निम्नलिखित में से किन्ही कारणों से उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा न हो :--
 - (क) ठेकेदार द्वारा की गई किसी भी चूक के कारण या
 - (ख) ठेकेदार की चूक के अलावा अन्य कारणों से कार्यों या उसके भाग के उचित निष्पादन के लिए
 - (ग) कार्यों या उसके भाग की सुरक्षा के लिए

ऐसे स्थगन के दौरान ठेकेदार कार्यों को आवश्यकतानुसार उचित प्रकार से ढककर और सुरक्षित रखेगा और भारसाधक इंजीनियर द्वारा इस संबंध में दिए गए अनुदेशों का पालन करेगा।

- (ii) यदि स्थगन आदेश उपयुक्त उप-पैरा (i) में ख) व ग) कारणों से दिया गया हो तो
 - (क) ठेकेदार, कार्यमद या कार्यमदों के समूह को, जिनके लिए ठेके में कार्य समापन की अलग अविध निर्दिष्ट की गई है और स्थगित कार्य भी उसी ठेके का भाग हो, पूरा करने के लिए, उतनी समय वृद्धि का हकदार होगा जितना ऐसी प्रत्येक स्थगन अविध में 25 प्रतिशत जोड़कर आए।

निर्माण से पूर्व की गतिविधियां

कार्य का स्थगन



- (b) If the total period of all such suspensions in respect of an item or group of items or work for which a separate period of completion is specified in the contract exceeds thirty days, the contractor shall, in addition, be entitled to such compensation as the Engineer-in- Charge may consider reasonable in respect of salaries and/or wages paid by the contractor to his employees and labour at site, remaining idle during the period of suspension, adding thereto 2% to cover indirect expenses of the contractor provided the contractor submits his claim supported by details to the Engineer-in- Charge within fifteen days of the expiry of the period of 30 days.
- (iii) If the works or part thereof is suspended on the orders of the Engineer-in-Charge for more than three months at a time, except when suspension is ordered for reason (a) in sub para (i) above, the contractor may after receipt of such order serve a written notice on the Engineer-in-Charge requiring permission within fifteen days from receipt by the Engineer in- Charge of the said notice, to proceed with the work or part thereof in regard to which progress has been suspended and if such permission is not granted within that time, the contractor, if he intends to treat the suspension, where it affects only a part of the works as an omission of such part by Government or where it affects whole of the works, as an abandonment of the works by Government, shall within ten days of expiry of such period of 15 days give notice in writing of his intention to the Engineer-in-Charge. In the event of the contractor treating the suspension as an abandonment of the contract by Government, he shall have no claim to payment of any compensation on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the work in full but which he could not derive in consequence of the abandonment. He shall, however, be entitled to such compensation, as the Engineer-in-Charge may consider reasonable, in respect of salaries and/or wages paid by him to his employees and labour at site, remaining idle in consequence adding to the total thereof 2% to cover indirect expenses of the contractor provided the contractor submits his claim supported by details to the Engineer-in-Charge within 30 days of the expiry of the period of 3 months.

Clause 16

Action in case Work not done as per Specifications

All works under or in course of execution or executed in pursuance of the contract, shall at all times be open and accessible to the inspection and supervision of the Engineer-in charge, his authorized subordinates in charge of the work and all the superior officers, officer of the Quality Assurance Unit of the Department or any organization engaged by the Department for Quality Assurance and of the Chief Technical Examiner's Office, and the contractor shall, at all times, during the usual working hours and at all other times at which reasonable notice of the visit of such officers has been given to the contractor, either himself be present to receive orders and instructions or have a responsible agent duly accredited in writing, present for that purpose. Orders given to the Contractor's agent shall be considered to have the same force as if they had been given to the contractor himself.

If it shall appear to the Engineer-in-charge or his authorized subordinates in charge of the work or to the Chief Engineer in charge of Quality Assurance or his subordinate officers or the officers of the organization engaged by the Department for Quality Assurance or to the Chief Technical Examiner or his subordinate officers, that any work has been executed with unsound, imperfect, or unskillful workmanship, or with materials or articles provided by him for the execution of the work which are unsound or of a quality inferior to that contracted or otherwise not in accordance with the contract, the contractor shall, on demand in writing which shall be made within twelve months (six months in the case of work costing Rs. 10





- (ख) यदि, किसी मद या मदों के समूह या कार्य के संबंध में, जिनके लिए कार्य समापन की अविध ठेके में अलग से निर्दिष्ट की गई है, ऐसे सभी स्थगनों की अविध 30 दिन से अधिक हो तो ठेकेदार अतिरिक्त रूप से ऐसे प्रतिकर का भी हकदार होगा जो भारसाधक इंजीनियर को ठेकेदार द्वारा स्थगन अविध के दौरान कार्यस्थल में निष्क्रिय पड़े अपने कार्मचारियों के वेतन और / या श्रमिकों की मजदूरी पर किए गए भुगतान, ठेकेदार के परोक्ष खर्च के लिए 2 प्रतिशत जोड़कर, औचित्यपूर्ण समझे, बशर्ते ठेकेदार 30 दिन की अविध—समाप्त होने के 15 दिन के भीतर भारसाधक इंजीनियर को विवरणों सहित अपने दावे प्रस्तुत करे।
- उपर्युक्त उप पैरा (i) के क) में दिए गए कारणों के लिए स्थगन आदेश को छोड़कर, यदि कार्यों या उसके (iii) भाग को भारसाधक इंजीनियर के आदेश पर किसी समय तीन माह से अधिक के लिए स्थगित किया जाता है तो ठेकेदार ऐसे आदेश प्राप्त करने पर भारसाधक इंजीनियर के उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात भारसाधक इंजीनियर को 15 दिन का लिखित नोटिस देकर उन कार्यों या उनके भागों को, जिनके संबंध में स्थगन आदेश दिया गया है, करने की अनुमति मांगेगा और यदि ऐसी अनुमति उक्त समय के भीतर नहीं मिलती तो ठेकेदार 15 दिन की उस अवधि के समाप्त होने पर 10 दिन के भीतर भारसाधक इंजीनियर को लिखित नोटिस देगा कि वह स्थगन को, जहां स्थगन कार्यों के केवल भाग को प्रभावित करे वहां, सरकार द्वारा ऐसे भाग का विलोप मानेगा या जहां स्थगन पूरे कार्य को प्रभावित करे वहां, सरकार द्वारा कार्यों का परित्याग मानेगा। यदि ठेकेदार स्थगन को सरकार द्वारा ठेके का परित्याग मानता है तो ठेकेदार किसी भी लाभ या फायदे, जो उसे पूरे कार्य के निष्पादन से प्राप्त होते लेकिन जो उसे परित्याग के कारण नहीं मिले, के कारण किसी प्रतिकर के भूगतान का हकदार नहीं होगा। लेकिन वह ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो भारसाधक इंजीनियर को, ठेकेदार द्वारा, परित्याग के कारण कार्यस्थल पर निष्क्रिय पड़े अपने कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन और / या मजदूरी के भूगतान के संबंध में, जिसमें ठेकेदार के परोक्ष खर्च के लिए कुल 2 प्रतिशत जोड़ा जाएगा, औचित्यपूर्ण लगे, बशर्ते कि ठेकेदार 3 माह की अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर विवरणों के आधार पर अपने दावे भारसाधक इंजीनियर को प्रस्तुत करे।

खण्ड 16

ठेके के अधीन अथवा उसके निष्पादन के अनुक्रम में अथवा उसके अनुसरण में निष्पादित सब कार्य, हर समय भारसाधक इंजीनियर और उसके प्राधिकृत / अधीनस्थ, जो कार्य के प्रभारी हैं, और विभाग के गुणवत्ता आश्वासन एकक या गुणवत्ता आश्वासन के लिए विभाग द्वारा नियोजित किसी संगठन और मुख्य तकनीकी परीक्षक के कार्यालय के सभी उच्चतर अधिकारियों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए खुले और सुगम्य रहेंगे तथा ठेकेदार सामान्य कार्य के घंटों के दौरान हर समय तथा अन्य ऐसे सभी समयों पर, जिसके बारे में ठेकेदार को यह उचित सूचना दी जा चुकी है कि ऐसे अधिकारी कार्य के देखने के लिए आने का इरादा रखते हैं, या तो स्वयं आदेशों और अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेगा अथवा वह उस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में सम्यक्तः प्रत्याशित किसी जिम्मेदार अभिकर्ता को उपस्थित रखेगा। ठेकेदार के अभिकर्ताओं को दिए गए आदेशों को उतना ही प्रभावी माना जाएगा मानों वे स्वयं ठेकेदार को ही दिए गए थे।

यदि भारसाधक इंजीनियर अथवा उसके अधीनस्थ व्यक्ति को, जो काम का भारसाधक हो अथवा गुणवता आश्वासन के प्रभारी मुख्य इंजीनियर या उसके अधीनस्थ अधिकारी गुणवत्ता आश्वासन के लिए विभाग द्वारा नियोजित संगठन के अधिकारियों या मुख्य तकनीकी परीक्षक को प्रतीत हो कि कोई काम दोषयुक्त, अपूर्ण अथवा अकौशलपूर्ण कार्य कौशल से या यह कि काम के निष्पादन के लिए ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित कोई सामग्री अथवा वस्तु दोषयुक्त है या उस सामग्री अथवा वस्तु से घटिया क्वालिटी की है जिसके लिए ठेका हुआ है अथवा ठेके के अनुसार नहीं है, तो ठेकेदार लिखित रूप में मांग किए जाने पर,जिसे बारह माह के भीतर (सड़क कार्य को छोड़कर 10 लाख रूपये या कम के मामले में छह महीने किया जाएगा) जो भारसाधक इंजीनियर द्वारा उस कार्य, सामग्री अथवा वस्तु को विनिर्दिष्ट करते हुए की जाए, जिसके विरुद्ध शिकायत है, इस बात के होते हुए भी कि वह कार्य पास कर

विनिर्देशों के अनुसार कार्य न किए जाने पर कार्यवाई



Lac and below except road work) of the completion of the work from the Engineer-in-Charge specifying the work, materials or articles complained of, notwithstanding that the same may have been passed, certified and paid for, forthwith rectify, or remove and reconstruct the work so specified in whole or in part, as the case may require or as the case may be, remove the materials or articles so specified and provide other proper and suitable materials or articles at his own charge and cost. In the event of the failing to do so within a period specified by the Engineer-in- Charge in his demand aforesaid, then the contractor shall be liable to pay compensation at the same rate as specified under clause 2 of the contract (for non-completion of the work in time) for this default.

In such case the Engineer-in-Charge may not accept the item of work at the rates applicable under the contract but may accept such items at reduced rates as the authority specified in schedule 'F' may consider reasonable during the preparation of on account bills or final bill or any other amount due to the contractor, if the item is so acceptable without detriment to the safety and utility of the item and the structure or he may reject the work outright without any payment and/or get it along with other connected and incidental items rectified, or removed and re-executed at the risk and cost of the contractor. Decision of the Engineer-in-Charge to be conveyed in writing in respect of the same will be final and binding on the contractor.

Clause 17

Damages and Defects liability

17.1 During progress of work

If the contractor or his working staff or workers damage any part of the work in the scope of contract, or any building, road, road kerb, fence, enclosure, water pipe, cables, drains, electric or telephone post or wires, trees, grass, grassland, cultivated ground, etc. contiguous to the premises on which the work or any part of it is being executed, the contractor shall make good the same at his own cost.

Contractor shall repair/replace and restore the damaged structures/services in a time bound manner as required and as directed by the Engineer-in-Charge. Contractor shall not be given any benefit of hindrance caused in the execution of the work owing to such damaged structure/service and time taken in its restoration by the contractor.

17.2 During defect liability period

The contractor shall be responsible for all the defects and deficiencies in the work within the scope of this contract, during the defect liability period which shall be for 3 (three) years after the date of actual completion of work as recorded by the Engineer-in-Charge. The liability of contractor for defects and deficiencies may arise due to:

- (a) Improper planning and design of the project, if in the scope of contract.
- (b) Works, Tools, Plant & Machinery, Materials or Workmanship not being in accordance with this contract.
- (c) Improper upkeep & maintenance during construction of the work.
- (d) Improper upkeep, operation and/or maintenance during defect liability period, if these are in the scope of this contract.
- (e) Failure by the contractor to comply with any other obligation under this contract.

Such defects and deficiencies shall be made good by the contractor at his own cost after getting instructions/notice from the Engineer-in-Charge within the time period specified in such instructions/notice.



संविदा के खण्ड



दिया गया हो, प्रमाणित कर दिया गया हो और उसके लिए संदाय कर दिया गया हो, ऐसे विनिर्दिष्ट कार्य को तुरंत पूर्णतः या अंशतः जैसी उससे अपेक्षा की जाए, सुधारेगा या हटाएगा, और उसका पुनः निर्माण करेगा अथवा यथास्थिति, ऐसी विनिर्दिष्ट सामग्री या वस्तु को हटा देगा और अपने उचित निजी प्रभार और खर्च पर अन्य उचित और उपयुक्त सामग्री या वस्तुओं की व्यवस्था करेगा और भारसाधक इंजीनियर अपनी पूर्वोक्त मांग में जो कालाविध विनिर्दिष्ट करे उसके भीतर यदि ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहता है तो वह इस चूक के लिए ठेके के खण्ड—2 (कार्य समय पर पुरा न करने के लिए) में दी गई दर से प्रतिकर देने के लिए जिम्मेदार होगा।

ऐसे मामले में भारसाधक इंजीनियर ठेके के तहत लागू दरों पर कार्य मद को अस्वीकार कर सकता है लेकिन ऐसी मदों को ऐसी घटी हुई दरों पर स्वीकार कर सकता है जो अनुसूची 'च' में उल्लिखित प्राधिकारी, लेखा बिल या अंतिम बिल तैयार करने के दौरान, या ठेकेदार को देय कोई अन्य राशी औचित्यपूर्ण समझे, यदि मद की सुरक्षा और उपयोगिता समाप्त हुए बिना मद और संरचना स्वीकार्य हो या यह बिना किसी भुगतान के मद को सीधे अस्वीकार कर सकता है और / या ठेकेदार के जोखिम और लागत पर उसे ओर अन्य संबंधित और आवश्यक मदों के साथ सुधारने या हटाने और पुनर्निष्पादन करा सकता है, भारसाधक इंजीनियर का निर्णय लिखित रूप से सूचित किया जाएगा और ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

खण्ड 17

17.1 कार्य की प्रगति के दौरान

यदि ठेकेदार या उसके कामगार या श्रमिक संविदा के दायरे में कार्य के किसी भाग को अथवा उस परिसर में जिसमें उसका कोई कार्य या कार्य का कोई भाग निष्पादित किया जा रहा हो, सटे हुए किसी भवन, सड़क, सड़क के किनारे (कबी), बाड़ अहाते, पानी के पाइप, केबल, नालियों, विद्युत या टेलीफोन के खंबों या तारों, वृक्षों, घास या घास के मैदान या जोती गई भूमि आदि को क्षति पहुंचाएगा, तो ठेकेदार उसे अपने खर्चे पर ठीक / पूरा करेगा।

ठेकेदार समयबद्ध तरीके से और प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार क्षतिग्रस्त संरचनाओं / सेवाओं की मरम्मत / प्रतिस्थापन तथा पुनः निर्माण करेगा। ठेकेदार द्वारा ऐसी क्षतिग्रस्त संरचना / सेवा और उसकी बहाली में लगने वाले समय के कारण कार्य के निष्पादन में आई बाधा का कोई लाभ ठेकेदार को नहीं दिया जाएगा।

17.2 दोष दायित्व अवधि के दौरान

ठेकेदार इस संविदा के दायरे के भीतर दोष देयता अवधि के दौरान, जो कि प्रभारी अभियंता द्वारा दर्ज किए गए कार्य के वास्तविक समापन की तिथि के बाद 3 (तीन) वर्षों के लिए होगी, कार्य में सभी दोषों और किमयों के लिए उत्तरदायी होगा। दोषों और किमयों के लिए ठेकेदार का दायित्व निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है:

- (क) परियोजना की अनुपयुक्त योजना और डिजाइन, यदि संविदा के दायरे में है।
- (ख) कार्य, उपकरण, संयंत्र और मशीनरी, सामग्री या कारीगरी इस संविदा के अनुरूप नहीं है।
- (ग) निर्माण कार्य के दौरान अनुपयुक्त रखरखाव एवं अनुरक्षण।
- (घ) दोष देयता अवधि के दौरान अनुपयुक्त रखरखाव, संचालन और / या अनुरक्षण, यदि ये इस संविदा के दायरे में हैं।
- (ङ) ठेकेदार द्वारा इस संविदा के तहत किसी अन्य दायित्व का पालन करने में विफलता।

ऐसे निर्देशों / नोटिस में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर प्रभारी अभियंता से निर्देश / नोटिस प्राप्त करने के बाद ठेकेदार द्वारा इस तरह के दोषों और कमियों को अपने खर्च पर ठीक / पूरा किया जाएगा।

क्षति और दोषों का उत्तरदायित्व



However, contractor need not wait for instructions/notice from Engineer-in-Charge for rectification of defects in work which come to his notice and he should initiate action for needful rectification of defect on priority, under intimation to Engineer-in-Charge, to avoid any untoward incident.

17.3 Structural soundness

The contractor shall follow the good engineering practice for safety, serviceability and structural soundness of the building/ structure/road work etc. as covered in the scope of contract.

17.3.1 Structure design in the scope of contract

The contractor shall have obligation to rectify all defects in the structural elements or any other part of building/structure/road etc. due to design deficiency at his own cost for 10 (ten) years from the date of completion as recorded in the completion certificate by the Engineer-in-Charge. Such defects shall be made good by the contractor at his own cost after getting instructions/notice from the Engineer-in-Charge within the time period specified in such instructions/notice and as per the methodology duly approved by the Engineer-in-Charge.

17.3.2 Structure design not in the scope of contract

The contractor shall not be liable for design deficiency.

17.3.3 Liability for execution

The contractor shall be fully liable for any deficiency in structural soundness of work owing to execution of the work under the scope of this contract. The contractor shall have obligation to rectify all defects in the structural elements owing to any deficiency in execution of work at his own cost for 10 (ten) years from the date of completion as recorded in the completion certificate by Engineer-in-Charge. Such defects shall be made good by the contractor at his own cost after getting instructions/notice from the Engineer-in-Charge within the time period specified in such instructions/notice and as per methodology duly approved by the Engineer-in-Charge.

17.4 Methodology for rectification of defects

The design, methodology and quality of rectification of defects carried out by the contractor shall be as per sound engineering practice.

17.5 Contractor's failure to rectify defects as defined in the sub-clauses 17.1, 17.2, 17.3 & 17.4.

In the event that the contractor fails to repair or rectify the defect or deficiency within the period specified by the Engineer-in-Charge, the Engineer-in-Charge shall be entitled to get the same repaired, rectified or remedied at the contractor's cost and recover such amount from any dues like performance guarantee, security deposits etc. available with Engineer-in-Charge. Engineer-in-Charge may take action for debarment of contractor from tendering in the department by following due process. For inaction or failure to rectify the defects covered under sub clause 17.3 within specified time limit, the Engineer-in-Charge may also initiate legal and/or other actions under other applicable laws in addition to other remedies available in the contract.





तथापि, ठेकेदार को उसके संज्ञान में आने वाले कार्य में दोषों के सुधार के लिए प्रभारी अभियंता से निर्देश / नोटिस की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और उसे प्रभारी अभियंता को सूचित करते हुए, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके, प्राथमिकता देते हुए आवश्यक सुधार के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

17.3 संरचनात्मक सुदृढ़ता

ठेकेदार संविदा के दायरे में शामिल भवन/संरचना/सड़क कार्य आदि की सुरक्षा, सेवाक्षमता और संरचनात्मक सुदृढ़ता के लिए कुशल अभियांत्रिकी अभ्यास का पालन करेगा।

17.3.1 संविदा के दायरे में संरचना अभिकल्पन

प्रभारी अभियंता द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए पूरा किए जाने की तिथि से 10 (दस) वर्ष के लिए अभिकल्पन में चूक के कारण भवन / संरचना / सड़क आदि के संरचनात्मक तत्वों या किसी अन्य भाग में सभी दोषों को अपने स्वयं के खर्च पर सुधार करने का दायित्व ठेकेदार का होगा ।ठेकेदार ऐसे दोषों को प्रभारी अभियंता द्वारा विधिवत अनुमोदित पद्धित के अनुसार प्रभारी अभियंता से निर्देश / नोटिस प्राप्त करने के बाद निर्देशों / नोटिस में निर्दिष्ट समय अविध के भीतर अपने स्वयं के खर्च पर ठीक करेगा।

17.3.2 संरचना अभिकल्पन जो संविदा के दायरे में नहीं है

अभिकल्पन में चूक के लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होगा।

17.3.3 निष्पादन के लिए उत्तरदायी

इस संविदा के दायरे के तहत कार्य के निष्पादन के कारण कार्य की संरचनात्मक सुदृढ़ता में किसी भी कमी के लिए ठेकेदार पूरी तरह उत्तरदायी होगा।प्रभारी अभियंता द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए पूरा किए जाने की तिथि से 10 (दस) वर्ष के लिए कार्य निष्पादन में किसी भी चूक के कारण संरचनात्मक तत्वों में सभी दोषों को अपने स्वयं के खर्च पर सुधार करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।ठेकेदार ऐसे दोषों को प्रभारी अभियंता द्वारा विधिवत अनुमोदित पद्धित के अनुसार प्रभारी अभियंता से निर्देश / नोटिस प्राप्त करने के बाद निर्देशों / नोटिस में निर्दिष्ट समय अविध के भीतर अपने स्वयं के खर्च पर ठीक करेगा।

17.4 दोषों के सुधार के लिए कार्यप्रणाली

ठेकेदार द्वारा किए गए दोषों के सुधार का अभिकल्पन, कार्यप्रणाली और गुणवत्ता अच्छे अभियांत्रिकी अभ्यास के अनुसार किया जाएगा।

17.5 उपखंड 17.1, 17.2, 17.3 और 17.4 में परिभाषित दोषों को सुधारने में ठेकेदार की विफलता।

यदि ठेकेदार प्रभारी अभियंता द्वारा निर्दिष्ट अविध के भीतर दोष या कमी की मरम्मत या सुधार करने में विफल रहता है, तो प्रभारी अभियंता ठेकेदार की लागत पर उसकी मरम्मत, सुधार या उपचार कराने का हकदार होगा और प्रभारी अभियंता ऐसी राशि की वसूली अपने पास उपलब्ध किसी भी देय राशि जैसे निष्पादन गारंटी, प्रतिभूति जमा आदि से कर सकता है। प्रभारी अभियंता उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए ठेकेदार को विभाग में निविदा से वंचित करने के लिए कार्रवाई कर सकते है। निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उप खंड 17.3 के तहत शामिल दोषों को ठीक करने में निष्क्रियता या विफल होने पर, प्रभारी अभियंता संविदा में उपलब्ध अन्य उपायों के अलावा अन्य लागू कानूनों के तहत कानूनी और / या अन्य कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं।



17.6 Release of security deposit

Fifty percent (50%) of the security deposit of the contractor shall be retained for a period of 18 (eighteen) months from the date of completion of work as per completion certificate issued by the Engineer-in-Charge or till the final bill has been passed whichever is later. This balance fifty percent (50%) security deposit shall be released after completion of defect liability period.

Provided further, that the security deposit shall be released within a month of its due date as stated above only if satisfactory performance is observed during the said period and after deduction of Government dues from the contractor, if any.

Provided further that if the release of security deposit is delayed because of delay in passing the final bill by the Engineer-in-Charge then simple interest @0.25% per month of the due security deposit amount, shall be paid for the period of delay not attributable to the contractor.

Clause 18A

Recovery of Compensation paid to Workmen In every case in which by virtue of the provisions under sub-section (1) of section 12 of the Workmen's Compensation Act. 1923, Government is obliged to pay compensation to a workman employed by the contractor, in execution of the works, Government will recover from the contractor, the amount of the compensation so paid and, without prejudice to the rights of the Government under sub-section(2) of section 12 of the said Act, Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether under this contract or otherwise. Government shall not be bound to contest any claim made against it under sub-section (1) of section 12, of the said Act, except on the written request of the contractor and upon his giving to Government full security for all costs for which Government might become liable in consequence of contesting such claim.

Clause 18B

Ensuring Payment and Amenities to Workers if Contractor fails In every case in which by virtue of the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, Government is obliged to pay any amounts of wages to a workman employed by the contractor in execution of the works, or to incur any expenditure in providing welfare and health amenities required to be provided under the above said Act, and the rules, under Clause 19H or under the CPWD Contractor's Labour Regulations, or under the Rules framed by Government from time to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by CPWD Contractors, Government will recover from the contractor, the amount of wages so paid or the amount of expenditure so incurred; and without prejudice to the rights of the Government under sub-section(2) of Section 20, and sub-section (4) of Section 21, of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether under this contract or otherwise Government shall not be bound to contest any claim made against it under subsection (1) of Section 20, sub-section (4) of Section 21, of the said Act, except on the written request of the contractor and upon his giving to the Government full security for all costs for which Government might become liable in contesting such claim.





17.6 प्रतिभूति जमा जारी करना

ठेकेदार की प्रतिभूति जमा का पचास प्रतिशत (50%) प्रभारी अभियंता द्वारा जारी किए गए पूर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य पूरा होने की तिथि से 18 (अठारह) माह की अवधि के लिए या अंतिम बिल के पारित किए जाने, जो भी बाद में हो, तक रखा जाएगा। यह शेष पचास प्रतिशत (50%) प्रतिभूति जमा दोष दायित्व अवधि के पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि उक्त अवधि के दौरान संतोषजनक कार्य निष्पादन पाए जाने पर और ठेकेदार से सरकारी देय राशि, यदि कोई हो, की कटौती के बाद ही प्रतिभूति जमा उसकी नियत तारीख के एक महीने के भीतर जारी की जाएगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

बशर्ते यह भी कि यदि प्रभारी अभियंता द्वारा अंतिम बिल पारित करने में विलम्ब के कारण प्रतिभूति जमा जारी करने में विलम्ब होता है तो विलंब की अविध के लिए देय प्रतिभूति जमा का 0.25% प्रति माह की दर से सरल ब्याज का भुगतान किया जायेगा, जो कि ठेकेदार के आरोप्य नहीं होगा।

खण्ड १८क

ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 12 की उपधारा (i) के उपबंधों के आधार पर सरकार, ठेकेदार द्वारा कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियोजित कर्मकार को प्रतिकर का संदाय करने के लिए बाध्य है। सरकार, इस प्रकार संदत्त प्रतिकर की रकम ठेकेदार से वसूल करेगी, और उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (ii) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार चाहे इस ठेके के अधीन या अन्यथा, प्रतिभूति—निक्षेप में से या सरकार द्वारा ठेकेदार की शोध्य किसी राशि में से कटौती करके ऐसी रकम या उसका कोई भाग वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप—धारा (i) के अधीन इसके खिलाफ किए गए किसी दावे का प्रतिवाद करने के लिए तभी बाध्य होगी जब ठेकेदार ने लिखित प्रार्थना की हो और सरकार को उन सभी खर्चों के लिए पूर्ण प्रतिभूति दे दी हो, जिनके लिए सरकार ऐसे दावे का प्रतिवाद करने के परिणामस्वरूप जिम्मेदार होगी।

खण्ड १८ख

उन सभी मामलों में, जिनमें ठेका मजदूरी (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा ठेका मजदूरी (विनियमन तथा उन्मूलन) केन्द्रीय नियम, 1971 के उपबंधों के कारण यदि सरकार को, निष्पादित कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा नियोजित मजदूरों को मजदूरी की कोई भी राशि अदा करने की या उक्त अधिनियम और खण्ड 19 ज के अंतर्गत नियम या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रम विनियमनों के अंतर्गत या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा नियोजित मजदूरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी प्रबंधों के लिए सरकार द्वारा समय—समय पर बनाए गए नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध की जाने वाली कल्याण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने में किए गए किसी प्रकार के व्यय के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार अदा की गई मजदूरी की राशि को वह ठेकेदार से वसूल करेगी, तथा ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 20 की उप—धारा (2) तथा धारा 21 की उप—धारा (4) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी राशि या इसके किसी भाग को प्रतिभूति निक्षेप में से या ठेकेदार को सरकार द्वारा देय किसी भी राशि में से, चाहे वह इस ठेके के अंतर्गत आती हो या किसी अन्य प्रकार से हो, काट ले। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप—धारा (1) तथा धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी दावे के विरुद्ध लड़ने को तभी बाध्य होगी, जब ठेकेदार लिखित रूप में अनुरोध करे तथा वह सरकार को समस्त खर्च के लिए पूर्ण प्रतिभूति दे जिसके लिए सरकार ऐसे दावों के विरुद्ध लड़ने पर जिम्मेदार हो सकती है।

ठेकेदार के विफल होने पर श्रमिकों के भुगतान तथा सुविधाओं को सुनिश्चित करना



Clause 19

Labour Laws to be complied by the Contractor

The contractor shall comply with the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971. The contractor shall also obtain a valid license under the said Act before the commencement of the work, and continue to have a valid license until its completion.

The contractor shall also comply with provisions of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979.

The contractor shall also abide by the provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, amended by Amendment Act No. 35 of 2016 and thereafter time to time.

The contractor shall also comply with the provisions of the building and other Construction Workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, 1996 and the building and other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996.

The contractor shall also comply with the provisions of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention Prohibition and Redressal) Act, 2013 and amendment thereafter time to time.

Any failure to fulfil these requirements shall attract the penal provisions of the relevant act and in this contract.

Clause 19A

No person below the age of fourteen years shall be employed on the work. However Adolescent Persons can be employed on non-hazardous works/process.

Clause 19B

Payment of Wages

- (i) The contractor shall pay to labour employed by him either directly or through subcontractors, wages not less than fair wages as defined in the C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations or as per the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 and Gazette Notification 19.01.2017, S.O 188 (E) extra ordinary part 2 – sec. 3 (ii) amended time to time.
 - Thus higher of the wages either notified by Govt. of India, Ministry of Labour and/or that notified by the local administration of the State Govt. both relevant to the place of work and the period of reckoning shall be paid by the contractor to the labourer.
- (ii) The contractor shall, notwithstanding the provisions of any contract to the contrary, cause to be paid fair wage to labour indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-contractors in connection with the said work, as if the labour had been immediately employed by him.
- (iii) In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall comply with or cause to be complied with the Central Public Works Department contractor's Labour Regulations made by Government from time to time in regard to payment of wages, wage period, deductions from wages recovery of wages not paid and deductions unauthorizedly made, maintenance of wage books or wage slips publication of scale of wage and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and all other matters of the like nature or as per the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever applicable



संविदा के खण्ड

ठेकेदार द्वारा श्रम

कानूनों का अनुपालन



खण्ड 19

ठेकेदार कार्य आरम्भ करने से पूर्व श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970, तथा ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) केन्द्रीय नियम 1971 के प्रावधानों का पालन करेगा। ठेकेदार को कार्य आरम्भ करने से पहले उक्त अधिनियम के अधीन वैध अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेगा तथा कार्य के समाप्त होने तक वैध अनुज्ञा पत्र अपने पास बनाए रखेगा।

ठेकेदार अंतर—राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार विनियम तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों का पालन करेगा।

ठेकेदार बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का भी पालन करेगा, जो 2016 के संशोधन अधिनियम संख्या 35 और उसके बाद समय—समय पर संशोधन के प्रावधानों का भी पालन करेगा। ठेकेदार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का भी पालन करेगा।

ठेकेदार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके बाद समय—समय पर संशोधन के प्रावधानों का भी पालन करेगा।

इन आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी भी विफलता पर संबंधित अधिनियम और इस अनुबंध के दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे

खण्ड 19क

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा। हालाँकि किशोर व्यक्तियों को गैर—खतरनाक कार्यों / प्रक्रिया पर नियोजित किया जा सकता है।

खण्ड १९ख

- (i) ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को या तो सीधे या उपठेकेदारों के माध्यम से भुगतान करेगा, मजदूरी सी.पी.डब्ल्यू.डी. में परिभाषित उचित मजदूरी से कम नहीं होगी। ठेकेदार के श्रम विनियम या अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 और राजपत्र अधिसूचना 19.01.2017, एस.ओ. 188 (ई) असाधारण भाग 2 अनुभाग 3 (ii) के प्रावधानों के अनुसार और उसके बाद समय—समय पर संशोधन के प्रावधानों का भी पालन करेगा। इस प्रकार भारत सरकार, श्रम मंत्रालय और / या राज्य सरकार के स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिसूचित मजदूरी में से जो भी अधिक हो, कार्य के स्थान और गणना की अवधि के लिए प्रासंगिक हो, ठेकेदार द्वारा मजदूर को भुगतान किया जाएगा।
- (ii) ठेकेदार, ठेके के विपरीत कोई उपबन्ध होने के बावजूद भी, कार्य पर अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिकों को, जिनमें वे श्रमिक भी शामिल होंगे जो उक्त कार्य के संबंध में उसके उप—ठेकेदार द्वारा नियोजित किए गए हों, यह मानते हुए उचित मजदूरी का भुगतान करेगा मानों उसने श्रमिक हाल ही में कार्य के लिए नियोजित किए हैं।
- (iii) इस ठेके में ठेकोदार के भाग के निष्पादन के लिए कार्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के बारे में ठेकेदार, मजदूरी की अदायगी, मजदूरी की अविध, मजदूरी से कटौती, अदा नहीं की गई मजदूरी की वसूली तथा अनिधकृत रूप से की गई कोई कटौतियों, मजदूरी पुस्तिका या मजदूरी की पर्चियों का अनुरक्षण, मजदूरी के वेतनमान तथा नौकरी की अन्य शर्तों का प्रकाशन, आविधक विवरणों का निरीक्षण तथा प्रस्तुत करना तथा इस प्रकार के अन्य मामलों के संबंध में, सरकार द्वारा समय समयपर बनाए गए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रमिक नियम या जहां ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970, और ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) केन्द्रीय अधिनियम, 1971 लागू हो वहां उनमें दी हुई व्यवस्थाओं के अनुसार पालन करेगा या पालन कराने की व्यवस्था करेगा।



- (iv) (a) The Engineer-in-Charge concerned shall have the right to deduct from the moneys due to the contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers by reason of nonfulfillment of the conditions of the contract for the benefit of the workers, nonpayment of wages or of deductions made from his or their wages which are not justified by their terms of the contract or non-observance of the Regulations.
 - (b) Under the provision of Minimum Wages (Central) Rules, 1950, the contractor is bound to allow to the labours directly or indirectly employed in the works one day rest for 6 days continuous work and pay wages at the same rate as for duty. In the event of default, the Engineer-in-Charge shall have the right to deduct the sum or sums not paid on account of wages for weekly holidays to any labours and pay the same to the persons entitled thereto from any money due to the contractor by the Engineer-in-Charge concerned.
 - In the case of Union Territory of Delhi, however, as the all inclusive minimum daily wages fixed under Notification of the Delhi Administration No.F.12(162)MWO/DAB/43884-91, dated 31-12-1979 as amended from time to time are inclusive of wages for the weekly day of rest, the question of extra payment for weekly holiday would not arise.
- (v) The contractor shall comply with the provisions of the Payment of Wages Act, 1936, Minimum Wages Act, 1948, Employees Liability Act, 1938, Workmen's Compensation Act, 1923, Industrial Disputes Act, 1947, Maternity Benefits Act, 1961, and the Contractor's Labour (Regulation and Abolition) Act 1970, Gazette Notification 19.01.2017, S.O 188 (E) extra ordinary part 2 sec. 3 (ii) and the modifications thereof or any other laws relating thereto and the rules made there under from time to time.
- (vi) The contractor shall indemnify and keep indemnified Government against payments to be made under and for the observance of the laws aforesaid and the CPWD Contractor's Labour Regulations without prejudice to his right to claim indemnity from his subcontractors.
- (vii) The laws aforesaid shall be deemed to be a part of this contract and any breach thereof shall be deemed to be a breach of this contract.
- (viii) Whatever is the minimum wage for the time being, or if the wage payable is higher than such wage, such wage shall be paid by the contractor to the workmen directly without the intervention of Jamadar and that Jamadar shall not be entitled to deduct or recover any amount from the minimum wage payable to the workmen as and by way of commission or otherwise.
- (ix) The contractor shall ensure that no amount by way of commission or otherwise is deducted or recovered by the Jamadar from the wage of workmen.

Clause 19C

In respect of all labour directly or indirectly employed in the work for the performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall at his own expense arrange for the safety provisions as per CPWD Safety Code framed from time to time and shall at his own expense provide for all facilities in connection therewith. In case the contractor fails to make arrangement and to provide necessary facilities as aforesaid, he shall be liable to pay a penalty as mentioned in Schedule 'F' for each default and in addition, the Engineer-in-Charge shall be at liberty to make arrangement and provide facilities as aforesaid and recover the cost incurred in that behalf from the contractor.





- (iv) (क) संबंधित भारसाधक इंजीनियर को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को देय राशियों में से, कोई भी राशि काट सकता है जो कर्मकारों के हित संबंधी ठेके की शर्तों के पालन न करने के कारण मजदूरी की अदायगी नहीं किए जाने या उसकी अथवा उनकी मजदूरियों से ऐसी कटौतियां करने जो ठेके की शर्तों के अंतर्गत न्यायसंगत नहीं हो या विनियमों की अवहेलना के कारण, कर्मकार अथवा कर्मकारों, द्वारा उठाई गई क्षति को पूरा करने के लिए, अपेक्षित हो अथवा जिसके अपेक्षित होने का अनुमान लगाया गया हो।
 - (ख) न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम 1950 के उपबंधों के अनुसार ठेकेदार कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिकों को छः दिन के लगातार कार्य करने के पश्चात् एक दिन का विश्राम देने और उसके लिए कार्य दिवसों की भांति ही मजदूरी देने के लिए बाध्य है। इसमें त्रुटि करने पर भारसाधक इंजीनियर को अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से उस धनराशि को काट ले, जो किसी भी श्रमिको को साप्ताहिक अवकाश की मजदूरी के कारण न दी गई हो और फिर उसका भुगतान हकदार व्यक्तियों को कर दे।

तथापि, संघराज्य दिल्ली के मामले में दिल्ली प्रशासन की अधिसूचना सं. एफ 12 (162) एम डब्लू ओ / डी ए बी / 4388—91 दि. 31—12—1979, समय—समय पर यथासंशोधित के अन्तर्गत निर्धारित की गई संपूर्ण न्यूनतम दैनिक मजदूरी में चूंकि साप्ताहित विश्राम के दिन की मजदूरी सम्मिलित है, इसलिए साप्ताहिक अवकाश के लिए अतिरिक्त भुगतान का प्रश्न पैदा नहीं होगा।

- (v) ठेकेदार वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, और के प्रावधानों का पालन करेगा। ठेकेदार का श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, राजपत्र अधिसूचना 19.01.2017, एस.ओ. 188(ई) असाधारण भाग 2 अनुभाग 3 (ii) और उसके संशोधन या उससे संबंधित कोई अन्य कानून और समय—समय पर उसके तहत बनाए गए नियम।
- (vi) ठेकेदार, उपर्युक्त विधियों तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रमिक विनियमों के पालनार्थ तथा उनके अन्तर्गत की जाने वाली अदायगियों के लिए अपने उप—ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति लेने के संबंध में उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा और क्षति से बचाए रखेगा।
- (vii) उक्त विधियाँ इस संविदा के भाग के रूप में समझी जाएंगी और उनका कोई भी भंग इस संविदा का भंग माना जाएगा।
- (viii) उस समय जो भी न्यूनतम मजदूरी है या यदि संदेय मजदूरी ऐसी मजदूरी से अधिक है, तो ऐसी मजदूरी जमादारों के हस्तक्षेप के बिना ठेकेदारों द्वारा सीधे ही कर्मकारों को संदत्त की जाएगी और यह कि जमादार कर्मकारों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में से दलाली के रूप में या अन्यथा किसी रकम की कटौती करने या वसूल करने के लिए हकदार नहीं होगा।
- (ix) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जमादार दलाली के रूप में या अन्यथा, कर्मकार की मजदूरी में से न कोई रकम काटे या वसूली करे।

खण्ड 19ग

इस ठेके के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य को करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा समय समय पर तैयार सुरक्षा संहिता के अनुरूप अपने खर्चे पर सुरक्षा साधनों की व्यवस्था करेगा और वह उनके संबंध में सभी सुविधाओं की व्यवस्था भी अपने खर्चे पर करेगा। यदि ठेकेदार यथा उपर्युक्त व्यवस्था करने और आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में असफल रहेगा तो वह हर दोष के लिए अनुसूची च में उल्लिखित शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा और इसके अतिरिक्त भारसाधक इंजीनियर उपर्युक्त व्यवस्था करने और सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए और इस संबंध में किए गए खर्चे को ठेकेदार से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा।



Clause 19D

The contractor shall submit by the 4th and 19th of every month, to the Engineer-in-Charge, a true statement showing in respect of the second half of the preceding month and the first half of the current month respectively:

- (1) the number of labourers employed by him on the work,
- (2) their working hours,
- (3) the wages paid to them,
- (4) the accidents that occurred during the said fortnight showing the circumstances under which they happened and the extent of damage and injury caused by them, and
- (5) the number of female workers who have been allowed maternity benefit according to Clause 19F and the amount paid to them.

Failing which the contractor shall be liable to pay to Government, a sum as mentioned in Schedule F for each default or materially incorrect statement. The decision of the Divisional Officer shall be final in deducting from any bill due to the contractor, the amount levied as fine and be binding on the contractor.

Clause 19E

In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for the performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall comply with or cause to be complied with all the rules framed by Government from time to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by the CPWD and its contractors.

Clause 19F

Leave and pay during leave shall be regulated as follows:

- 1. Leave:
 - in the case of delivery maternity leave not exceeding 8 weeks, 4 weeks up to and including the day of delivery and 4 weeks following that day,
 - (ii) in the case of miscarriage upto 3 weeks from the date of miscarriage.
- 2. Pay:
 - (i) in the case of delivery leave pay during maternity leave will be at the rate of the women's average daily earnings, calculated on total wages earned on the days when full time work was done during a period of three months immediately preceding the date on which she gives notice that she expects to be confined.
 - (ii) in the case of miscarriage leave pay at the rate of average daily earning calculated on the total wages earned on the days when full time work was done during a period of three months immediately preceding the date of such miscarriage.
- 3. Conditions for the grant of Maternity Leave:
 - No maternity leave benefit shall be admissible to a woman unless she has been employed for a total period of not less than six months immediately preceding the date on which she proceeds on leave.
- 4. The contractor shall maintain a register of Maternity (Benefit) in the Prescribed Form as shown in appendix -I and II, and the same shall be kept at the place of work.



संविदा के खण्ड



खण्ड 19 घ

ठेकेदार प्रत्येक मास की चौथी और उन्नीसवीं तारीख तक भारसाधक इन्जीनियर को क्रमशः पूर्ववर्ती मास के उत्तरार्ध और चालू मास के पूर्वार्ध से संबंधित, निम्नलिखित को दर्शाते हुए, एक सही विवरण देगा:--

- (1) उसके द्वारा काम पर नियोजित श्रमिकों की संख्या,
- (2) उनके काम के घंटे
- (3) उनको संदत मजदूरी
- (4) उक्त पखवाड़े के दौरान हुई दुर्घटनाएं, जिन में उन परिस्थितियों का उल्लेख भी किया जाए जिनके अधीन वे घटित हुई और उनके कारण कितना नुकसान हुआ तथा चोटें पहुँची, और
- (5) ऐसी महिला कर्मकारों की संख्या जिनकों खण्ड 19—च के अनुसार प्रसूति—सुविधा दी गई हो और वह रकम जो उनको संदत्त की गई।

ऐसा न करने पर ठेकेदार सरकार को प्रत्येक दोष या तात्विक रूप से गलत विवरण के लिए अनुसूची च में उल्लिखित राशि के संदाय का दायी होगा। मण्डल अधिकारी का ठेकेदार को शोध्य किसी बिल में से जुर्माने के रुप में उदग्रहित रकम की कटौती करने की बाबत विनिश्चय अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

खण्ड 19ड.

इस ठेके में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले काम को करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और उसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य—संरक्षण और स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं के लिए समय—समय पर सरकार द्वारा विरचित सभी नियमों का पालन करेगा या कराएगा।

खण्ड १९च

छुट्टी के दौरान छुट्टी और वेतन निम्न प्रकार से विनियमित किए जाएंगेः

- 1. छुट्टीः
 - (i) प्रसव की दशा में—8 सप्ताह से अनधिक की प्रसूति छुट्टी जिसमें 4 सप्ताह की छुट्टी प्रसव होने तक, जिसके अंतर्गत प्रसव दिन भी है, और 4 सप्ताह की छुट्टी उस दिन के पश्चात् होगी।
 - (ii) गर्भस्त्राव की दशा में-गर्भस्त्राव की तारीख से 3 सप्ताह तक।
- 2. वेतनः
 - (i) प्रसव की दशा में—प्रसूति छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन की दर उस तारीख से जिसको उस स्त्री ने इस बात की सूचना दी हो की वह प्रसवावस्था में होने की आशा करती है, ठीक पूर्व 3 मास की कालाविध के दौरान के ऐसे दिनों के लिए जिनको उसने पूर्णकालिक कार्य किया हो, कुल उपार्जित मजदूरी पर संगणित औसत दैनिक उपार्जन की दर से होगी।
 - (ii) गर्भस्त्राव की दशा में—छुट्टी वेतन की दर ऐसे गर्भस्त्राव होने की तारीख से ठीक पूर्व 3 मास की कालाविध के दौरान के ऐसे दिनों के लिए, जिनको उसने पूर्णकालिक कार्य किया हो, कुल उपार्जित मजदूरी पर संगणित औसत दैनिक उपार्जन की दर से होगी।
- 3. प्रसूति छुट्टी की मंजूरी के लिए शर्तैः
 - प्रसूति छुट्टी का लाभ किसी महिला को तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वह उस तारीख से, जिससे वह छुट्टी पर जा रही हो, ठीक पूर्व छः मास से अन्यून की कुल कालावधि के लिए नियोजित न रह चुकी हो।
- 4. ठेकेदार, प्रसूति (सुविधा) का एक रजिस्टर परिशिष्ट—I एवं II में दर्शाए गए निर्धारित प्रारूप में रखेगा और वह रजिस्टर कार्य के स्थान पर रखा जाएगा।



Clause 19G

In the event of the contractor(s) committing a default or breach of any of the provisions of the CPWD, Contractor's Labour Regulations and Model Rules for the protection of health and sanitary arrangements for the workers as amended from time to time or furnishing any information or submitting or filing any statement under the provisions of the above Regulations and' Rules which is materially incorrect, he/they shall, without prejudice to any other liability, pay to the Government a sum as mentioned in Schedule F for every default, breach or furnishing, making, submitting, filing such materially incorrect statements and in the event of the contractor(s) defaulting continuously in this respect, the penalty may be enhanced to as mentioned in Schedule F per day for each day of default subject to a maximum of 5 percent of the estimated cost of the work put to tender. The decision of the Engineer-in-Charge shall be final and binding on the parties.

Should it appear to the Engineer-in-Charge that the contractor(s) is/are not properly observing and complying with the provisions of the CPWD Contractor's Labour Regulations and Model Rules and the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970, and the Contract Labour (R& A) Central Rules 1971, for the protection of health and sanitary arrangements for work-people employed by the contractor(s) (hereinafter referred as "the said Rules") the Engineer-in-Charge shall have power to give notice in writing to the contractor(s) requiring that the said Rules be complied with and the amenities prescribed therein be provided to the work-people within a reasonable time to be specified in the notice. If the contractor(s) shall fail within the period specified in the notice to comply with and/ observe the said Rules and to provide the amenities to the work-people as aforesaid, the Engineer-in-Charge shall have the power to provide the amenities hereinbefore mentioned at the cost of the contractor(s). The contractor(s) shall erect, make and maintain at his/their own expense and as per approved standards all necessary huts and sanitary arrangements required for his/their work-people on the site in connection with the execution of the works, and if the same shall not have been erected or constructed according to approved standards, the Engineer-in-Charge shall have power to give notice in writing to the contractor(s) requiring that the said huts and sanitary arrangements be remodelled and/or reconstructed according to approved standards, and if the contractor(s) shall fail to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to approved standards within the period specified in the notice, the Engineer-in-Charge shall have the power to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to approved standards at the cost of the contractor(s).

Clause 19H

The contractor(s) shall at his/their own cost provide his/their labour with a sufficient number of huts (hereinafter referred to as the camp) of the following specifications on a suitable plot of land to be approved by the Engineer-in-Charge.

- (i) (a) The minimum height of each hut at the eaves level shall be 2.10m (7 ft.) and the floor area to be provided will be at the rate of 2.7 sq.m. (30 sq.ft.) for each member of the worker's family staying with the labourer.
 - (b) The contractor(s) shall in addition construct suitable cooking places having a minimum area of 1.80m x 1.50m (6'x5') adjacent to the hut for each family.
 - (c) The contractor(s) shall also construct temporary latrines and urinals for the use of the labourers each on the scale of not less than four per each one hundred of the total strength, separate latrines and urinals being provided for women.
 - (d) The contractor(s) shall construct sufficient number of bathing and washing places, one unit for every 25 persons residing in the camp. These bathing and washing places shall be suitably screened.





खण्ड १९छ

यदि ठेकेदार, कर्मकारों के स्वास्थ्य—रक्षण एवं स्वच्छता संबंधी, समय—समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रमिक विनियमों और आदर्श नियमों के उपबंधों में से किसी का व्यतिक्रम या भंग करेगा या उपर्युक्त विनियमों या नियमों के उपबंधों के अधीन कोई ऐसी जानकारी देगा या ऐसा कोई विवरण देगा या फाइल करेगा जो तात्विक रूप से गलत हो तो वह / वे किसी अन्य दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हर व्यतिक्रम, भंग के लिए या तात्विक रूप से ऐसे गलत विवरणों के देने, बनाने, प्रस्तुत करने, फाइल करने के लिए सरकार को राशि संदत्त करेगा जैसा कि अनुसूची च में उल्लिखित किया गया है। और इस संबंध में ठेकेदार द्वारा लगातार व्यतिक्रम करने की दशा में शास्ति को बढ़ाकर व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए उतना किया जा सकेगा जैसा कि अनुसूची च में उल्लिखित किया गया है। किन्तु उसकी अधिकतम राशि निविदत्त कार्य की प्रक्षलित लागत की 5 प्रतिशत होगी। भारसाधक इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

यदि भारसाधक इंजीनियर को यह प्रतीत हो कि ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य रक्षा ओर स्वच्छता संबंधी व्यवस्था के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रम विनियम और आदर्श नियमों तथा ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 तथा ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1971 के उपबंधों का (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) ठेकेदार उचित रूप से पालन और अनुवर्तन नहीं कर रहा है / कर रहे हैं, तो भारसाधक इंजीनियर को यह शक्ति होगी कि वह ठेकेदार (ठेकेदारों को लिखित सूचना देकर उससे / उनसे अपेक्षा करे कि उक्त नियमों का अनुपालन किया जाए और उसमें निर्धारित सूख सुविधाएं सुचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले उचित समय के भीतर, कर्मकारों को दी जाए। यदि ठेकेदार सुचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त नियमों का अनुवर्तन और अनुपालन करने में और पूर्वोक्त कर्मकारों को सुख–सुविधाएं देने में असफल रहेगा तो भारसाधक इंजीनियर को, ठेकेदार (ठेकेदारों) के व्यय पर, इसमें पूर्व वर्णित सुख–सुविधाओं की व्यवस्था करने की शक्ति होगी। ठेकेदार कार्य के निष्पादन के संबंध में कार्य स्थल पर अपने कर्मकारों के लिए अपेक्षित आवश्यक झोपडियों का निर्माण और स्वच्छता व्यवस्था का प्रबंध अपने खर्च पर और अनुमोदित मानकों के अनुरूप करेगा और उन्हें बनाए रखेगा तथा यदि अनुमोदित मानकों के अनुसार उनका निर्माण अथवा सन्निर्माण नहीं कराया गया तो भारसाधक इंजीनियर को यह शक्ति होगी कि वह ठेकेदार (ठेकेदारों) को लिखित सूचना देकर यह अपेक्षा करे कि अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपडियों और स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं का पुनःप्रतिरूपेण और / या पुनर्निर्माण कराया जाए और यदि ठेकेदार सुचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपड़ियों और स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं का पुनः प्रतिरूपण अथवा पुनर्निर्माण करने में असफल रहेगा / रहेंगे तो भारसाधक इंजीनियर को ठेकेदार (ठेकेदारों) के व्यय पर अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपड़ियों और स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं का पूनः प्रतिरूपण अथवा पूनर्निर्माण कराने की शक्ति होगी।

खण्ड 19ज

ठेकेदार अपने श्रमिकों के लिए अपने खर्चे पर, भूमि के यथोचित खंड पर जिसे भारसाधक इंजीनियर अनुमोदित करेगा, पर्याप्त संख्या में निम्नलिखित विनिर्देशों वाली झोपड़ियाँ (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कैम्प कहा गया है) व्यवस्था करेगा / करेंगे।

- (i) (क) प्रत्येकझोपड़ी की ओलती तल पर ऊंचाई 2.10 मीटर (7 फुट) होगी और फर्श का क्षेत्रफल श्रमिक के साथ रहने वाले उनके कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य के लिए 2.7 वर्ग मीटर (30 वर्ग फुट) के हिसाब से होगा।
 - (ख) इसके अतिरिक्त ठेकेदार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए झोंपड़ी की बगल में उपयुक्त रसोईघर बनाएगा जिसका क्षेत्रफल कम से कम 1.80 मीटर 1.50 मीटर (6 फुट र 5 फुट) होगा।
 - (ग) ठेकेदार श्रमिकों के उपयोग के लिए अस्थायी शौचालयों और मूत्रालयों का भी सिन्नर्माण कराएगा / कराएंगे जो उनकी कुल संख्या के प्रत्येक सौ के लिए चार से कम न होंगे। स्त्रियों के लिए अलग शौचालय और मूत्रालय होंगे।
 - (घ) ठेकेदार पर्याप्त संख्या में स्नानगृहों और धुलाई के स्थानों का सिन्नर्माण कराएगा / कराएंगे जो कैम्प में निवास करने वाले प्रत्येक 25 व्यक्तियों के लिए एक के हिसाब से होंगे। इन स्नानगृहों और धुलाई के स्थानों पर यथोचित बाड होगी।



- (ii) (a) All the huts shall have walls of sun-dried or burnt-bricks laid in mud mortar or other suitable local materials as may be approved by the Engineer-in-Charge. In case of sun-dried bricks, the walls should be plastered with mud gobri on both sides. The floor may be kutcha but plastered with mud gobri and shall be at least 15 cm (6") above the surrounding ground. The roofs shall be laid with thatch or any other materials as may be approved by the Engineer-in-Charge and the contractor shall ensure that throughout the period of their occupation, the roofs remain water-tight.
 - (b) The contractor(s) shall provide each hut with proper ventilation.
 - (c) All doors, windows, and ventilators shall be provided with suitable leaves for security purposes.
 - (d) There shall be kept an open space of at least 7.2m (8 yards) between the rows of huts which may be reduced to 6m (20 ft.) according to the availability of site with the approval of the Engineer-in-Charge. Back to back construction will be allowed.
- (iii) Water Supply The contractor(s) shall provide adequate supply of water for the use of labourers. The provisions shall not be less than two gallons of pure and wholesome water per head per day for drinking purposes and three gallons of clean water per head per day for bathing and washing purposes. Where piped water supply is available, supply shall be at stand posts and where the supply is from wells or river, tanks which may be of metal or masonry, shall be provided. The contractor(s) shall also at his/ their own cost make arrangements for laying pipe lines for water supply to his/ their labour camp from the existing mains wherever available, and shall pay all fees and charges therefore.
- (iv) The site selected for the camp shall be high ground, with removed from jungle clearances, if required.
- (v) Disposal of Excreta The contractor(s) shall make necessary arrangements for the disposal of excreta from the latrines by trenching or incineration which shall be according to the requirements laid down by the Local Health Authorities. If trenching or incineration is not allowed, the contractor(s) shall make arrangements for the removal of the excreta through the Municipal Committee/authority and inform it about the number of labourers employed so that arrangements may be made by such Committee/authority for the removal of the excreta. All charges on this account shall be borne by the contractor and paid direct by him to the Municipality/authority. The contractor shall provide one sweeper for every eight seats in case of dry system.
- (vi) Drainage The contractor(s) shall provide efficient arrangements for draining away sullage water so as to keep the camp neat and tidy.
- (vii) The contractor(s) shall make necessary arrangements for keeping the camp area sufficiently lighted to avoid accidents to the workers.
- (viii) Sanitation The contractor(s) shall make arrangements for conservancy and sanitation in the labour camps according to the rules of the Local Public Health and Medical Authorities.

Clause 19I

The Engineer-in-Charge may require the contractor to dismiss or remove from the site of the work any person or persons in the contractors' employ upon the work who may be incompetent or misconduct himself and the contractor shall forthwith comply with such requirements. In respect of maintenance/repair or renovation works etc. where the labour have an easy access to the individual houses, the contractor shall issue identity cards to the labourers, whether temporary or permanent and he shall be responsible for any untoward action on the part of such labour.





- (ii) (क) सभी झोपडियों की दीवारें धूप में पकाई गई अथवा चटका ईंटों की होंगी जो गारे या अन्य ऐसी स्थानीय यथोचित सामग्री से, जो भारसाधंक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित, चिनी गई होंगी। धूप में पकाई गई ईंटों के मामले में दीवारों पर दोनों तरफ मडगोबरी से प्लस्तर किया जाएगा। तल कच्चा हो सकता है लेकिन इसमें मडगोबरी से प्लस्तर किया जाएगा और यह, आस—पास की सतह से कम से कम 15 सेमी (6 इंच) ऊंचा होगा। छत फूस या भारसाधक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किसी अन्य सामग्री की होगी और ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जब तक इन झोपड़ियों में रहा जाता है तब तक छतें टपकें नहीं।
 - (ख) ठेकेदार प्रत्येक झोपडी में उचित संवातन की व्यवस्था करेगा।
 - (ग) सुरक्षा की दृष्टि से सभी दरवाजों, खिड़िकयों, रोशनदानों में उपयुक्त किवाड़ लगे होंगे।
 - (घ) झोपड़ियों की कतारों के बीच कम से कम 7.2 मीटर (8 गज) की खुली जगह रखी जाएगी जो स्थान की उपलब्धता के अनुसार भारसाधक इंजीनियर के अनुमोदन से घटाकर 6 मीटर (20 फुट) की जा सकती हैं। सटे पिछवाड़ों के निर्माण की अनुमति होगी।
- (iii) जल आपूर्ति—ठेकेदार श्रमिकों के उपयोग के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति की व्यवस्था करेगा / करेंगे। पीने के प्रयोजनों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम 2 गैलन शुद्ध और स्वास्थप्रद जल और स्नान और धुलाई के प्रयोजनों के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति कम से कम 3 गैलन स्वच्छ जल की व्यवस्था होगी। जहां नल द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध हो वहां जल आपूर्ति स्टैन्ड पोस्टों पर होगा और जहां जल आपूर्ति कुंओं या नदी से हो वहां ऐसी टंकियों की व्यवस्था होगी जो धातु की बनी हो या चिनाई की हों। ठेकेदार विद्यमान पानी की मुख्य लाइन से जहाँ कहीं वे उपलब्ध हो, अपने खर्चे पर अपने श्रमिक कैम्प को जल आपूर्ति के लिए पाईप विछाने की व्यवस्था करेगा / करेंगे और उसके लिए सभी प्रकार के शुल्कों और प्रभारों का संदाय करेगा / करेंगे।
- (iv) कैम्प के लिए चुना गया स्थान, जंगल को हटाकर ऊंची भूमि पर होगा।
- (v) मल-मूत्र का निपटान-ठेकेदार शौचालयों के मल-मूत्र के निपटाने के लिए खाइयां खोदकर अथवा भरमीकरण द्वारा ऐसे आवश्यक प्रबंध करेगा/करेंगे जो स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार होंगे। यदि खाइयों को खोदना या भरमीकरण अनुज्ञात न हो तो ठेकेदार नगरपालिका समिति/प्राधिकारी के माध्यम से मल-मूत्र को हटवाने का प्रबंध करेगा/करेंगे और उसे नियोजित श्रमिकों की संख्या संबंधी जानकारी देगा/देगें जिससे कि ऐसे समिति/प्राधिकारी द्वारा मल-मूत्र के हटवाने का प्रबंध किया जा सके। इससे संबंधित सभी प्रभार ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे और उनका संदाय उसके द्वारा सीधे नगरपालिका/प्राधिकारी को किया जाएगा। शुष्क शौचालयों की दशा में ठेकेदार प्रति आठ सीटों के लिए एक झाडूकश की व्यवस्था करेगा।
- (vi) जल निकास– ठेकेदार गंदे पानी की निकास के लिए कारगर व्यवस्था करेगा ताकि कैम्प साफ स्थरा रहें।
- (vii) ठेकेदार दुर्घटनाओं से कर्मकारों के बचाव के लिए कैम्प क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करेगा / करेंगे ।
- (viii) स्वच्छता— ठेकेदार स्थानीय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्राधिकारियों के नियमों के अनुसार श्रमिक कैम्पों में मल वहन और स्वच्छता के लिए व्यवस्था करेगा / करेंगे।

खण्ड 19झ

भारसाधक इंजीनियर ठेकेदार से उसके द्वारा काम पर नियोजित ऐसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को, जो अक्षम हों अथवा अवचार करते हों, पदच्युत करने या कार्यस्थल से हटाने की अपेक्षा कर सकेगा और ठेकेदार ऐसी अपेक्षाओं का तुरन्त अनुपालन करेगा। ऐसे अनुरक्षण / मरम्मत या नवीकरण कार्यों के संबंध में, जहाँ मजदूर किसी भी घर में आसानी से आ जा सकते हों, वहाँ ठेकेदार ऐसे सभी मजदूरों, चाहें वे स्थाई हों या अस्थाई, को पहचान पत्र जारी करेगा तथा इन मजदूरों द्वारा कोई भी अप्रिय कर्रवाई करने पर इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।



Clause 19J

It shall be the responsibility of the contractor to see that the building under construction is not occupied by unauthorized person(s) during construction, and is handed over to the Engineer-in-Charge with vacant possession of complete building. If such building though completed is occupied illegally, then the Engineer-in-Charge shall have the option to refuse to accept the said building/buildings in that position. Any delay in acceptance on this account will be treated as the delay in completion and for such delay, a compensation shall be levied as per clause 2 of the agreement, by the Superintending Engineer/ Chief Engineer whose decision shall be final both with regard to the justification and quantum and be binding on the contractor.

However, the Superintending Engineer/ Chief Engineer, through a notice, may require the contractor to remove the illegal occupation any time on or before construction and delivery.

Clause 19K

Employment of skilled/semi-skilled workers

The contractor shall, at all stages of work, deploy skilled/semi-skilled tradesmen who are qualified and possess certificate in particular trade from National CPWD Academy, Industrial Training Institute, National Institute of construction Management and Research (NICMAR), National Academy of Construction, CIDC or any similar reputed and recognized Institute managed or certified by State/Central Government. The number of such qualified tradesmen shall not be less than 20% of total skilled/semi-skilled workers required in each trade at any stage of work. The contractor shall submit number of man days required in respect of each trade, its scheduling and the list of qualified tradesmen along with requisite certificate from recognized Institute to Engineer in charge for approval. Notwithstanding such approval, if the tradesmen are found to have inadequate skill to execute the work of respective trade, the contractor shall substitute such tradesmen within two days of written notice from Engineerin- Charge. Failure on the part of contractor to obtain approval of Engineer-in-Charge or failure to deploy qualified tradesmen will attract a compensation to be paid by contractor at the rate specified in schedule 'F' per such tradesman per day. Decision of Engineer in Charge as to whether particular tradesman possesses requisite skill and amount of compensation in case of default shall be final and binding.

The contractor shall arrange on site training as per National Skill Development Corporation (NSDC) norms for at least 30% of the unskilled workers engaged in the project in coordination with the CPWD Regional Training Institute & National Skill Development Corporation (NSDC) for certification at the level of skilled/semi-skilled tradesmen. The cost of such training as stated above shall be born by the Government. The necessary space and workers shall be provided by the contractor and no claim what so ever shall be entertained.

Clause 19L

Contribution of EPF and ESI

The ESI and EPF contributions on the part of employer in respect of this contract shall be paid by the contractor. These contributions on the part of the employer paid by the contractor shall be reimbursed by the Engineer-in-charge to the contractor on actual basis. The verification of deployment of labour will be done through biometric attendance system or any other suitable method by the Engineer-in-charge. The applicable and eligible amount of EPF & ESI shall be reimbursed preferably within 7 days but not later than 30 days of submission of documentary proof of payment provided same are in order.

Clause 19 M

Sexual Harassment of Women at Workplace The contractor shall comply with all provision(s) and guideline(s) of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention Prohibition and Redressal) Act, 2013 and amendment thereafter time to time or any other rules framed under any labour law affecting women worker(s).



संविदा के खण्ड

कुशल एवं अर्थ-कुशल

श्रमिकों की नियुक्ति



खण्ड १९ञ

ठेकेदार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इस बात पर ध्यान रखे कि निर्माणाधीन भवनों में कोई अनिधकृत व्यक्ति से कब्जा न करें ओर वह खाली तथा पूरा भवन प्रभारी इंजीनियर को सुपुर्द करें। यदि ऐसा भवन पूर्ण होने पर भी अनिधकृत रूप में किसी अन्य के कब्जे में हो तो प्रभारी इंजीनियर को यह विकल्प होगा कि वह ऐसे भवन / भवनों को उस स्थिति में स्वीकार करने से मना कर दे और इस कारण से स्वीकार करने में होने वाले बिलम्ब को निर्माणकालीन विलम्ब के रूप में माना जाएगा जिसके लिए अधीक्षण इंजीनियर / मुख्य अभियंता द्वारा करार के खण्ड 2 के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा और इनका निर्णय औचित्य और परिमाण दोनों दृष्टि से अन्तिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

किन्तु, अधीक्षण इंजीनियर सह परियोजना निदेशक / मुख्य अभियंता / मुख्य परियोजना प्रबन्धक सह ई डी सूचना द्वारा ठेकेदार से अनधिकृत कब्जे को, भवन सुपुर्द करने से पहले, हटाने की अपेक्षा कर सकता है।

खंड 19ट

ठेकेदार उन कुशल / अर्धकुशल ट्रेडमेन, जो योग्य है तथा जो राष्ट्रीय के.लो.नि.वि. अकादमी, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय निर्माण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (एन आई सी एम ए आर), राष्ट्रीय निर्माण अकादमी, सी आई डी सी या किसी समान प्रतिष्ठित तथा राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा प्रबंधित / प्रमाणित मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेश ट्रेड में अर्हता प्राप्त है और प्रमाण पत्र धारक है, को कार्य के सभी चरणों में कार्य में लगायेगा। ऐसे योग्य ट्रेडमेन की संख्या किसी कार्य के चरण में प्रत्येक ट्रेड में अपेक्षित कुल कुशल / अर्धकुशल कर्मिकों का 20 प्रतिशत से कम नहीं होगी। ठेकेदार प्रत्येक ट्रेड के संबंध में अपेक्षित मानव दिवस की संख्या, इसके षेड्यूलिंग, मान्यताप्राप्त संस्थान से आवश्यक प्रमाण पत्र सहित योग्य ट्रेडमेन की सूची प्रभारी अभियंता को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा। ऐसे अनुमोदन के बावजूद यदि ट्रेडमेन के पास संबंधित ट्रेड का कार्य निष्पादित करने की अपर्याप्त कुशलता पाई जाती है तो प्रभारी अभियंता से लिखित सूचना मिलने के दो दिनों के भीतर ठेकेदार ऐसे ट्रेडमेन को बदलेगा। ठेकेदार को प्रभारी अभियंता से अनुमोदन नहीं प्राप्त करने पर या योग्य ट्रेडमेन को काम पर नहीं लगाने पर ठेकेदार से प्रतिदिन 100 / — रूपये प्रति ट्रेडमैन की दर से मुआवजा लिया जाएगा। अपेक्षित कुशलता रखने तथा चूक के मामले में मुआवजा की राशि के संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

ठेकेदार राष्ट्रिय कौशल विकास निगम के मानदंडों के अनुसार केलोनिवि क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा राष्ट्रिय कौशल विकास निगम के समन्वय के साथ कुशल / अर्ध—कुशल श्रमिक के स्तर पर प्रमाणन के लिए परियोजना में कार्यरत कम से कम 30: अकुशल श्रमिकों के लिए ऑन—साइट प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। इस तरह के प्रशिक्षण का खर्चा सरकार द्वारा वहाँ किया जाएगा। आवश्यक स्थान तथा श्रमिक को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा कोई भी दावा नहीं माना जाएगा।

खंड 19ठ

इस संविदा के संबंध में रोजगार दाता की ओर से ईएसआई और ईपीएफ अंशदान का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा रोजगार दाता की ओर से भुगतान किए गए इन अंशदानों की प्रतिपूर्ति भारसाधक इंजिनियर द्वारा ठेकेदार को वास्तविक आधार पर की जाएगी। श्रमिकों की तैनाती का सत्यापन प्रभारी अभियंता द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली अथवा अन्य किसी उपयुक्त विधि से किया जाएगा। ईपीएफ एवं ईएसआई की लागू की गई तथा पात्र राषि को प्राथमिकता से 7 दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए परंतु भुगतान के कागजाती प्रमाण के प्रस्तुतीकरण के 30 दिनों के पष्चात नहीं करनी चाहिए, हालांकि इनके लिए आदेष हों।

खंड 19ड

देकेदार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के सभी प्रावधानों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा और उसके बाद समय—समय पर संशोधन या महिला श्रमिक को प्रभावित करने वाले किसी भी श्रम कानून के तहत बनाए गए किसी भी अन्य नियम का पालन करेगा।

ईपीएफ और ईएसआई का योगदान

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन

के. लो. नि. वि.



Clause 20

Minimum Wages Act to be Complied With

The contractor shall comply with all the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, and Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, Gazette Notification 19.01.2017, S.O 188 (E) extra ordinary part 2 – sec. 3 (ii) amended from time to time and rules framed there under and other labour laws affecting contract labour that may be brought into force from time to time.

Clause 21

Work not to be sublet, Action in case of in solvency The contract shall not be assigned or sublet without the written approval of the Engineer-in-Charge. And if the contractor shall assign or sublet his contract, or attempt to do so, or become insolvent or commence any insolvency proceedings or make any composition with his creditors or attempt to do so, or if any bribe, gratuity, gift, loan, perquisite, reward or advantage pecuniary or otherwise, shall either directly or indirectly, be given, promised or offered by the contractor, or any of his servants or agent to any public officer or person in the employ of Government in any way relating to his office or employment, or if any such officer or person shall become in any way directly or indirectly interested in the contract, the Engineer-in-Charge on behalf of the President of India shall have power to adopt the course specified in Clause 3 hereof in the interest of Government and in the event of such course being adopted, the consequences specified in the said Clause 3 shall ensue.

CLAUSE 22

Quality Assurance and Supervision for Execution Part of Work

22.1 Quality of Materials and Workmanship

- (i) The Contractor shall ensure that the Materials and workmanship are in accordance with the requirements specified in this Agreement, Specifications and Standards and Sound Engineering practice. The work shall be of the specified quality and standard, both in respect of ingredients as well as the intended functions it is supposed to perform for service life.
- (ii) The Contract warrants that all Materials shall be new, unused, not reconditioned, unless otherwise allowed as per contract or by Engineer-in-Charge, and in conformity with Specification and Standards, Applicable Laws and Sound Engineering Practice, and that the Contractor shall not use any materials which are generally recognized as being deleterious under Sound Engineering Practice.

22.2 Quality Assurance System

The Contractor shall devise a quality assurance mechanism to ensure compliance with the provisions of this Agreement (the "Quality Assurance Plan" or "QAP").

- (i) The Contractor shall, submit to the Engineer-in-Charge, its Quality Assurance Plan 15(fifteen) days in advance of start of the execution stage specified in the NIT. The Engineer-in-Charge shall convey its comments to the Contractor within a period of 7 (seven) days of receipt of the QAP stating the modifications, if any, required and the Contractor shall incorporate those in the QAP conforming with the provisions of this clause. The QAP shall include the following:
 - (i) Contractor's Organization & structure, duties and responsibilities of individual key personnel, quality policy of contractor, procedure for control of nonconformities and corrective action, inspections and documentation.
 - (ii) Internal quality audit system.



संविदा के खण्ड



खण्ड 20

ठेकेदार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, राजपत्र अधिसूचना १९.०१.२०१७, एस.ओ. १८८ (ई) असाधारण भाग २ — अनुभाग ३ (ii) के सभी प्रावधानों का पालन करेगा। **अधिनियम का अनुपालन** समय—समय पर संशोधित और इसके तहत बनाए गए नियम और अनुबंध श्रम को प्रभावित करने वाले अन्य श्रम कानून जिन्हें समय–समय पर लागू किया जा सकता है।

न्यूनतम मजदूरी

खण्ड 21

भारसाधक अभियंता के लिखित अनुमोदन के बिना ठेका समनुदेशित अथवा उपपट्टे पर नहीं दिया जाएगा और, यदि काम को उपपट्टे पर न ठेकेदार अपने ठेके को समनुदेशित करेगा या उप–पट्टे पर देगा अथवा ऐसा करने का प्रयत्न करेगा अथवा दिवालिया **दिया जाए, दिवालियापन** हो जाएगा या दिवाला विषयक कार्यवाहियां प्रारम्भ करेगा अथवा अपने लेनदारों के कोई प्रशमन करेगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा अथवा यदि ठेकेदार या उसका कोई सेवक या अभिकर्ता किसी सरकारी अधिकारी या सरकार के नियोजन में व्यक्ति को किसी भी रूप से उसके पद अथवा नियोजन के संबंध में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई रिश्वत, उपदान, दान उधार, परिलब्धि, इनाम या धनीय अथवा अन्यथा फायदा पहुंचाएगा, देने का वायदा करेगा या प्रस्थापना करेगा अथवा यदि ऐसा अधिकारी या व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रयत्यक्ष ठेके में हितबद्ध होगा तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारसाधक अभियंता को इसके खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट कार्यवाही, जो सरकार के हित में हो, करने की शक्ति होगी और यदि ऐसी कार्यवाही की जाती है तो उसके उक्त खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट परिणाम होगें।

की स्थिति में कार्रवाई

खण्ड 22

22.1 सामग्री की गुणवत्ता और कारीगरी (वर्कमैनशिप)

- कॉन्ट्रैक्टर यह स्निश्चित करेगा कि सामग्री और कारीगरी इस समझौते, विनिर्देषों और मानको में निर्दिष्ट और उपयुक्त इंजीनियरिंग पद्धति की आवश्यकताओं के अनुरुप हैं। सामग्री के संबंध में और साथ ही प्रचालन अवधि के लिए अपेक्षित कार्यों के संबंध में कार्य निर्दिष्ट गूणवत्ता और मानक के अनुरूप होना चाहिए।
- कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार सभी सामग्री नई, अप्रयुक्त होगी, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार या प्रभारी (ii) अभियंता द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए, और विनिर्देशों और मानको, लागू कानूनों और उपयुक्त इंजीनियरिंग पद्धति के अनुरूप होगी, और कॉन्ट्रैक्टर ऐसी किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं करेगा जिसे सामान्यतः उपयुक्त इंजीनियरिंग पद्धति के तहत हानिकारक माना जाता हैं।

22.2 गुणवत्ता, आश्वासनप्रणाली

कॉन्ट्रैक्टर इस समझौते के प्रावधानों ("गुणवत्ता आश्वासन योजना" या "क्यूएपी") के अनुपालन को स्निश्चित करने के लिए एक गुणवत्ता आश्वासन तंत्र तैयार करेगा।

- कॉन्ट्रैक्टर एनआईटी में निर्दिष्ट निष्पादन चरण की शुरुआत से 15 (पंद्रह) दिन पहले अपनी गुणवत्ता आश्वासन योजना, प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करेगा। प्रभारी अभियंता, क्यूएपी की प्राप्ति के 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर कॉन्ट्रैक्टर को अपनी संशोधनार्थ टिप्पणियों, यदि कोई आवश्यक हो, से अवगत कराएंगे और कॉन्ट्रैक्टर इस खंड के प्रावधानों के अनुरूप उन्हें क्यूएपी में शामिल करेगा। क्यूएपी में निम्नलिखित शामिल होंगेः
 - कॉन्ट्रैक्टर का संगठन और संरचना, प्रत्येक प्रमुख कर्मचारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, कॉन्ट्रैक्टर की गुणवत्ता नीति, गैर-अनुरूपताओं को नियंत्रित करने की और सुधारात्मक कार्रवाई, निरीक्षण और प्रलेखन (डॉक्य्मेंटेशन) करने की प्रक्रिया।
 - आंतरिक गुणवत्ता लेखा परीक्षा प्रणाली।

कार्य के निष्पादन भाग का गुणवत्ता आश्वासन और पर्यवेक्षण



- (iii) Machinery, Shuttering, other Tool & Plants, etc. required to be deployed at site.
- (iv) Method statement of important activities. These can be submitted as per the sequencing of the activities of the work.
- (v) Quality control mechanism including sampling and testing of Materials, test frequencies, standards, acceptance criteria, testing facilities, reporting, recording and interpretation of test results, approvals, proforma for testing and calibration in accordance with the Specifications and Standards and Sound Engineering Practice; and Material Lot size, number of required tests and frequency of testing for different construction materials.

All the relevant and applicable codes, specifications and standards, as well as the acceptance criteria for various items of work, workmanship, materials and process employed needs to be mentioned.

- (vi) Check-list for various items and materials.
- (vii) Formats for site documentation, monthly reports on implementation of QAP.

(ii) Sampling of materials

All samples of materials including Cement Concrete Cubes shall be taken by the QA engineers deployed by the Contractor and shall be witnessed by the Engineer-in-Charge or his authorized representatives as specified in NIT. All the necessary assistance, facilities and safety shall be provided by the contractor. Cost of sample of materials and testing charges shall be borne by the contractor and he/she is responsible for safe custody of samples to be tested at site.

(iii) Testing of Materials

The contractor shall establish temporary field laboratory of adequate size with all necessary facilities. Field laboratory shall be equipped with the testing equipment for conducting routine field tests as per this contract. It will also have copies of standards, BIS codes, IRC codes, relevant publications.

All the tests in field lab setup at construction site shall be carried out by the QA Staff deployed by the contractor and shall be witnessed by the Engineer-in-Charge or his authorized subordinates as specified in NIT. The contractor shall provide all necessary facility to them for witnessing the tests in the field laboratory. In general, contractor shall carry out 90% of field tests in site laboratory and 10% tests shall be got carried out from outside laboratory as indicated below. Contractor shall endeavour to obtain test reports for tests conducted from outside laboratory in a reasonable time.

(iv) Maintenance of Register of Test -

- (a) All the entries in the register of test are to be made by the designated QA Engineers of the contractor and same is to be regularly reviewed by thefield officers as well as the Engineer-in-Charge. The contractor shall allow inspection of such records any time as desired by Engineer-in-Charge or his authorized representative.
- (b) All the tests carried out at construction site or outside laboratories are to be maintained by the contractor in the prescribed format in the test registers provided by the contractor and duly authenticated by Engineer-in-Charge. The test reports shall also be maintained in hard file.





- (iii) कार्यस्थल पर लगाई जाने वाली आवश्यक मशीनरी, शटरिंग, अन्य उपकरण व संयंत्र।
- (iv) महत्वपूर्ण गतिविधियों का विधि—वार विवरण। इन्हें कार्य की गतिविधियों के अनुक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (v) विनिर्देशों और मानकों और उपयुक्त इंजीनियरिंग पद्धित के अनुसार सामग्री के नमूने और परीक्षण, परीक्षण बारंबारता, मानकों, स्वीकृति मानदंड, परीक्षण सुविधाओं, रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग और परीक्षण परिणामों की व्याख्या, अनुमोदन, परीक्षण और केलिब्रेशन के लिए प्रोफार्मा सहित गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र; और सामग्री लॉट का आकार, विभिन्न निर्माण सामग्री के लिए आवश्यक परीक्षणों की संख्या और परीक्षण की बारंबारता।सभी प्रासंगिक और लागू कोड, विनिर्देशों और मानकों के साथ—साथ कार्य, कारीगरी, सामग्री और नियोजित प्रक्रिया की विभिन्न मदों के लिए स्वीकृति मानदंड का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- (vi) विभिन्न मदों और सामग्रियों के लिए चेक-लिस्ट।
- (vii) कार्यस्थल प्रलेखन (डॉक्य्मेंटेशन) के लिए प्रारूप, क्यूएपी के कार्यान्वयन पर मासिक रिपोर्ट।

(ii) सामग्री का नमूना लेना

सीमेंट कंक्रीट क्यूब्स सहित सामग्री के सभी नमूने कॉन्ट्रैक्टर द्वारा तैनात गुणवत्ता आश्वासन अभियन्ताओं द्वारा लिए जाएंगे और एनआईटी में यथानिर्दिष्ट प्रभारी अभियंता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा देखे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सभी आवश्यक सहायता, सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सामग्री के नमूने की लागत और परीक्षण शुल्क कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वहन किया जाएगा और वह कार्यस्थल पर परीक्षण किए जाने वाले नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है।

(iii) सामग्री का परीक्षण

कॉन्ट्रैक्टर सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ पर्याप्त आकार की अस्थायी क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार नियमित क्षेत्र परीक्षण करने के लिए फील्ड प्रयोगशाला परीक्षण उपकरणों से लैस होगी। इसमें मानकों, बीआईएस कोड, आईआरसी कोड, प्रासंगिक प्रकाशनों की प्रतियां भी होंगी।

निर्माण स्थल पर लगे फील्ड लेब सेटअप में सभी परीक्षण कॉन्ट्रैक्टर द्वारा तैनात गुणवत्ता आश्वासन स्टाफ द्वारा किए जाएंगे और एनआईटी में यथानिर्दिष्ट प्रभारी अभियंता या उनके द्वारा अधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति इनकी निगरानी करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर उन्हें फील्ड प्रयोगशाला में परीक्षण देखने के लिए सभी आवश्यक सुविधा प्रदान करेगा। सामान्य तौर पर, कॉन्ट्रैक्टर कार्यस्थल प्रयोगशाला में 90% फील्ड परीक्षण करेगा और 10% परीक्षण बाहरी प्रयोगशाला से किया जाएगा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। कॉन्ट्रैक्टर बाहरी प्रयोगशाला से किए गए परीक्षणों के लिए उचित समय में परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(iv) परीक्षण के रजिस्टर का रखरखाव -

- क. परीक्षण के रजिस्टर में सभी प्रविष्टियां कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नामित क्यूए इंजीनियरों द्वारा की जाएंगी और इसकी नियमित रूप से क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ—साथ प्रभारी अभियंता द्वारा समीक्षा की जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी समय प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वांछित इन रिकॉर्ड्स के निरीक्षण की अनुमित देनी होगी।
- ख. निर्माण स्थल या बाहरी प्रयोगशालाओं में किए गए सभी परीक्षणों को कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उपलब्ध कराये गए तथा प्रभारी अभियंता द्वारा विधिवत प्रमाणित परीक्षण रिजस्टर में निर्धारित प्रारूप में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दर्ज किया जाएगा। परीक्षण रिपोर्ट को हार्ड फाइल में भी अनुरक्षित किया जाएगा।



- (c) Contractor is responsible for maintenance and safe custody of all the test registers and test records.
- (d) Mandatory test conducted as per approved proforma shall be attached with each Running bill. Submission of copy of all test registers and material at site register along with each alternate Running Account Bill and with Final Bill is mandatory.

(v) Maintenance of Material at Site (MAS) Register-

MAS register of the key materials including Cement and Steel Registers shall be maintained in the proforma approved by Engineer-in-Charge. All the entries in the MAS registers are made by the designated staff of the contractor and same is regularly reviewed by the field officers as well as the Engineer-in-Charge. Contractor is responsible for maintenance and safe custody of MAS registers.

- (vi) The Contractor shall procure all relevant codes, publications, apparatus and instruments, fuel, consumables, water, electricity, labour, materials, samples and qualified personnel as are necessary for examining and testing the Works, Materials and workmanship in accordance with the Quality Assurance Plan.
- (vii) All the cost of testing including cost of samples, packaging, transportation, testing charges of Construction, Materials and workmanship under this clause shall be borne by the contractor.
- (viii) The contractor shall submit monthly quality progress report on implementation of the provisions of Quality Assurance Plan on the format approved by the Engineer-in-Charge.

22.3 Samples

The Contractor shall, at its own expense and without delay, provide the samples of Materials and relevant information like Manufacturer's test reports, standard samples of manufactured Materials and Samples of such other Materials as the Engineer-in-Charge may require for review and approvals in accordance with Clause 10A of GCC before actual use.

22.4 Test

- (i) For determining that the Works conform to the Specifications and Standards, the Engineer-in-Charge shall require the Contractor to carry out or cause to be carried out tests, at such time and frequency and in such manner as specified in this Agreement and in accordance with sound engineering practice for quality assurance. Frequency and the manner in which tests shall be conducted shall be in the following order of preference:
 - (a) Contract provisions.
 - (b) CPWD specifications.
 - (c) BIS codes.
 - (d) IRC codes.
 - (e) MoRTH Specifications.
 - (f) International Codes.
 - (g) Manufacturer's specifications.

Outside tests shall be conducted at Government labs /IITs/NITs and other approved laboratories by the Engineer-in-Charge for testing of materials





- ग. सभी परीक्षण रजिस्टरों और परीक्षण रिकॉर्ड्स के रखरखाव और सुरक्षा के लिए कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है।
- घ. अनुमोदित प्रोफार्मा के अनुसार किया गया अनिवार्य परीक्षण प्रत्येक चल (रिनंग) बिल के साथ संलग्न होना चाहिए। प्रत्येक वैकल्पिक चल लेखा बिल और अंतिम बिल के साथ सभी परीक्षण रिजस्टरों और कार्यस्थल पर सामग्री संबंधी रिजस्टर की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(v) कार्यस्थल पर सामग्री संबंधी रजिस्टर (एमएएस) का रखरखाव —

सीमेंट और स्टील रजिस्टरों सहित प्रमुख सामग्रियों का एमएएस रजिस्टर प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित प्रोफार्मा के अनुसार व्यवस्थित रखा जाएगा। एमएएस रजिस्टरों में सभी प्रविष्टियां कॉन्ट्रैक्टर के नामित कर्मचारियों द्वारा की जाएंगी और इसकी नियमित रूप से फील्ड अधिकारियों के साथ—साथ प्रभारी अभियंता द्वारा समीक्षा की जाएगी। एमएएस रजिस्टरों के रखरखाव और सुरक्षा के लिए कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है।

- (vi) गुणवत्ता आश्वासन योजना के अनुपालन में कार्यों, सामग्री और कारीगरी की जांच एवं परीक्षण के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक कोड, प्रकाशन, औज़ार और उपकरण, ईंधन, उपभोग्य वस्तुएं, पानी, बिजली, श्रम, सामग्री, नमूने और योग्य कर्मियों की खरीद कॉन्ट्रैक्टर को करनी होगी।
- (vii) इस खंड के तहत नमूनों, पैकेजिंग, परिवहन, निर्माण के परीक्षण शुल्क, सामग्री और कारीगरी की लागत सहित परीक्षण की सभी लागत कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वहन की जाएगी।
- (viii) कॉन्ट्रैक्टर प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित प्रारूप में गुणवत्ता आश्वासन योजना के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर मासिक गुणवत्ता प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

22.3 नमूने

कॉन्ट्रैक्टर अपने स्वयं के खर्च पर और बिना किसी देरी के, सामग्री के नमूने और प्रासंगिक जानकारी जैसे निर्माता की परीक्षण रिपोर्ट, निर्मित सामग्री के मानक नमूने और ऐसी अन्य सामग्रियों के नमूने प्रदान करेगा, जिनकी प्रभारी अभियंता को वास्तविक उपयोग से पहले जीसीसी के खंड 10क के अनुसार समीक्षा और अनुमोदन के लिए आवश्यकता हो सकती है।

22.4 परीक्षण

- (i) यह निर्धारित करने के लिए कि कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप हैं, प्रभारी अभियंता को गुणवत्ता आश्वासन के लिए कॉन्ट्रैक्टर से उपयुक्त इंजीनियरिंग पद्धित के अनुरूप और इस समझौते में यथानिर्दिष्ट समय और बारंबारता पर और पद्धित से परीक्षण करवाना होगा। बारंबारता और जिस पद्धित से परीक्षण किए जाएंगे, वरीयता के निम्नलिखित क्रम में होंगे:
 - (क) कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधान।
 - (ख) केलोनिव विनिर्देश।
 - (ग) बीआईएस कोड।
 - (घ) आईआरसी कोड।
 - (ङ) एमओआरटीएच विनिर्देश।
 - (च) अंतर्राष्ट्रीय कोड।
 - (छ) निर्माता के विनिर्देश।

सामग्री के परीक्षण के लिए बाहरी परीक्षण को प्रभारी अभियंता द्वारा सरकारी प्रयोगशालाओं / आईआईटी / एनआईटी और अन्य अनुमोदित प्रयोगशालाओं में किया जाएगा।



- (ii) The Contractor shall, with due diligence, carry out all the tests in accordance with the Agreement and furnish the results thereof to the Engineer-in-Charge. The Engineer-in-Charge or his authorized representative shall witness or participate during the testing as specified in NIT. The contractor shall provide all necessary assistance for witnessing/participating in the field tests.
- (iii) In the event that results of any tests conducted under this clause establish any defects or deficiencies in the Works, the Contractor shall carry out remedial measures at its own cost and furnish a report to the Engineer-in-Charge in this regard. The Engineer-in-Charge shall require the Contractor to carry out or cause to be carried out tests to determine that such remedial measures have brought the works into compliance with the Specifications and standards and the procedure shall be repeated until such Works conform to the Specifications and Standards.

22.5 Method Statement

The 'Method statement' is a statement by which the construction procedures for important activities are stated, checked, and approved. The method statement shall be prepared for important activities as identified by the contractor as mentioned in QAP or any other activity as instructed by Engineer-in Charge. The 'Method statement', should have a description of the item with elaborate procedure in steps to implement the same, the specifications of the materials involved, equipment to be deployed, measures for ensuring safety, their testing and acceptance criteria, precautions to be taken, mode of measurement, etc. The Contractor shall, at least 15 (fifteen) days prior to the commencement of activities, submit to the Engineer-in-Charge for review, the method statements proposed to be adopted for executing the various items of work. The Engineer-in-Charge shall complete the review and convey its comments, if any, to the Contractor within a period of 07 (seven) days from the date of receipt of the proposed methodology from the Contractor.

22.6 Inspection & review by the Engineer-in-Charge and External Audit.

The Engineer-in-Charge, his authorized subordinates, senior officers of department, QA unit or any other third party may inspect and review the progress and quality of the work and issue appropriate directions to the Contractor for taking remedial action in the event the work is not in accordance with the provisions of this Agreement. The work may be inspected at any time/stage by external inspection teams like CTE or TE, Third Party Quality assurance agency, CPWD team etc. may conduct inspection of the quality of the works. The findings of the inspections shall be notified to the Contractor for taking remedial action in accordance with the agreement. The Contractor shall provide all assistance as may be required by the inspection teams in the conduct of its inspection here under.

Suitable actions shall be taken as per the provisions contained in the relevant clauses of the agreement, if the work is not found to be as per specifications or quality as specified in the agreement.

22.7 Inspection of records

The Engineer-in-Charge or his authorized representative shall have the right to inspect the records of the Contractor relating to the works.

22.8 Inspection of Works

- The Engineer-in-Charge and his authorized subordinates shall at all times;
 - (a) have full access to all parts of the site and to all places from which natural materials are being obtained for use in the works; and





- (ii) कॉन्ट्रैक्टर उचित परिश्रम के साथ, समझौते के अनुसार सभी परीक्षण करेगा और उसके परिणाम प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करेगा। जैसा कि एनआईटी में बताया गया है प्रभारी अभियंता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि परीक्षण पर नज़र रखेंगे या उसमें भाग लेंगे। फील्ड परीक्षण पर नज़र रखने / भाग लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
- (iii) यदि इस खंड के तहत किए गए किसी भी परीक्षण के परिणाम से कार्यों में कोई दोष या कमी आती है, तो कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर उपचारात्मक उपाय करेगा और इस संबंध में प्रभारी अभियंता को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्रभारी अभियंता को यह निर्धारित करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से परीक्षण करवाना होगा कि इस तरह के उपचारात्मक उपायों से कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप हो गए हैं और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि ऐसे कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप न हो जाएँ।

22.5 विधि संबंधी विवरण

विधि संबंधी विवरण' एक विवरण है जिसके द्वारा महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए निर्माण प्रक्रियाओं को बताया, जाँचा और अनुमोदित किया जाता है। विधि संबंधी विवरण क्यूएपी में यथा उल्लिखत कॉन्ट्रैक्टर द्वारा पहचानी गई महत्वपूर्ण गतिविधियों या प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार किसी अन्य गतिविधि के लिए तैयार की जाएगी। 'विधि संबंधी विवरण' में आइटम के विवरण के साथ उसे लागू करने के लिए चरणों में विस्तृत प्रक्रिया, कार्य से जुड़ी सामग्री के विनिर्देश, लगाए जाने वाले उपकरण, सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय, उनका परीक्षण और स्वीकृति मानदंड, बरती जाने वाली सावधानियां, माप का तरीका, आदि शामिल होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर गतिविधियों के शुरू होने से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले, कार्य की विभिन्न मदों को निष्पादित करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित विधि संबंधी विवरण को समीक्षा के लिए प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करेगा। प्रभारी अभियंता इसकी समीक्षा करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर से प्रस्तावित कार्यप्रणाली की प्राप्ति की तारीख से 07 (सात) दिनों की अविध के भीतर कॉन्ट्रैक्टर को अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, से अवगत कराएंगे।

22.6 प्रभारी अभियंता द्वारा निरीक्षण व समीक्षा और बाहरी लेखापरीक्षा।

प्रभारी अभियंता, उनके अधिकृत अधीनस्थ, विभाग के विरष्ट अधिकारी, गुणवत्ता आश्वासन इकाई या कोई अन्य तृतीय पक्ष कार्य की प्रगित और गुणवत्ता का निरीक्षण और समीक्षा कर सकते हैं तथा समझौते के प्रावधानों के अनुसार कार्य न पाये जाने पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को उचित निर्देश जारी कर सकते हैं। बाहरी निरीक्षण दल जैसे सीटीई या टीई, तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी, सीपीडब्ल्यूडी टीम आदि द्वारा किसी भी समय / चरण में कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निरीक्षण के निष्कर्षों को कॉन्ट्रैक्टर को सूचित किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर उपर्युक्त निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण टीमों की यथाआवश्यक सारी सहायता करेगा।

यदि कार्य कॉन्ट्रैक्ट में निर्दिष्ट विनिर्देशों या गुणवत्ता के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के प्रासंगिक खंडों में निहित प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

22.7 अभिलेखों का निरीक्षण

प्रभारी अभियंता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को कार्यों से संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

22.8 कार्यों का निरीक्षण

- (i) प्रभारी अभियंता और उनके अधिकृत अधीनस्थ अभियंता को हर समय;
 - (क) कार्यस्थल के सभी हिस्सों और उन सभी स्थानों तक पूर्ण पहुंच प्राप्त होगी जहां से कार्यों में उपयोग में लाई जाने वाली प्रा.तिक सामग्री प्राप्त की जा रही है; तथा



- (b) during production, manufacture and construction at the site and at the place of production, be entitled to examine, inspect, measure and test the materials and workmanship and to check the progress of the manufacturer of Materials.
- (ii) The Contractor shall give the Engineer-in-Charge and its authorized representative access, facilities and safety equipment for carrying out their obligations under this Agreement.

22.9 Examination of work before covering up/ Test Check of item of Work

In respect of the work which the Engineer-in-Charge or his authorized representatives are required to examine, inspect, measure or test before it is covered up or put out of view or any part of the work is placed thereon, the Contractor shall give notice to the Engineer-in-Charge whenever any such work is ready and before it is covered up. The Engineer-in-Charge shall then either carry out the examination, inspection or testing without unreasonable delay within 7 days, or promptly give notice to the Contractor that the Engineer-in-Charge does not require him to do so. Provided, however, that if any work is of a continuous nature where it is not possible or prudent to keep it uncovered or incomplete, the Contractor shall notify the schedule of carrying out such work to give sufficient opportunity, not being less than 3(three) business days' notice, to the Engineer-in-Charge to conduct its inspection, measurement or test while the work is continuing. Provided further that in the event the Contractor receives no response from the Engineer-in-Charge within a period of 3 (three) business days from the date on which the Contractor's notice hereunder is delivered to the Engineer-in-Charge, the Contractor shall be entitled to assume that the Engineer-in-Charge would not undertake the said inspections.

22.10 Rejection

- (i) If, as a result of an examination, inspection, measurement or testing, any Plant, Materials, design or workmanship is found to be defective or otherwise not in accordance with the provisions of this Agreement, the Engineer-in-Charge may reject such piece of work, Plant, Materials, design or workmanship by giving notice to the Contractor, with reasons. The Contractor shall then promptly make good the defect and ensure that the rejected item complies with the requirements of this Agreement.
- (ii) If the Engineer-in-Charge requires a Piece of work, Plant, Material, design or workmanship to be retested, the tests shall be repeated on the same terms and conditions, as applicable in each case. If the rejection and retesting cause the department to incur any additional costs, such costs shall be recoverable by the Engineer-in-Charge from the Contractor and may be deducted by the Engineer-in-Charge from any amount due to be paid to the Contractor.
- (iii) The Contractor shall not be entitled to any extension of time on account of rectifying any defect or retesting as specified in this clause.
- (iv) Examination, inspection, measurement or testing of any Plant, Material, design or workmanship by the Engineer-in-Charge or its failure to convey its observations or to examine, inspect, measure or test shall neither relieve the Contractor of its obligations and liabilities under this Agreement in any manner nor shall the Engineer-in-Charge be liable for the same in any manner.





- (ख) उत्पादन के स्थान और कार्यस्थल पर उत्पादन, विनिर्माण और निर्माण के दौरान, सामग्री और कारीगरी की जांच, निरीक्षण, माप और परीक्षण करने और सामग्री के निर्माण की प्रगति की जांच करने का अधिकार होगा।
- (ii) कॉन्ट्रैक्टर इस समझौते के तहत प्रभारी अभियंता और अधिकृत प्रतिनिधि को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पहुँच, सुविधाएँ और सुरक्षा उपकरण प्रभारी करेगा।

22.9 कार्य की मद को ढकने / परीक्षण जांच से पूर्व कार्य की जांच

उस कार्य के संबंध में जिसे प्रभारी अभियंता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को ढकने या दृष्टि से बाहर रखने से पहले या काम के किसी भी हिस्से को रखने से पहले जांच, निरीक्षण, माप या परीक्षण करने की आवश्यकता है, कॉन्ट्रैक्टर ऐसे किसी कार्य के तैयार होने पर और उसे ढकने से पहले प्रभारी अभियंता को नोटिस देगा। इसके बाद प्रभारी अभियंता या तो बिना किसी अनुचित देरी के 7 दिनों के भीतर परीक्षा, निरीक्षण या परीक्षण करेगा, या कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत नोटिस देगा कि प्रभारी अभियंता उक्त कार्य नहीं करेगा। बशर्ते, हालांकि, यदि कोई कार्य निरंतर प्रकृति का है जिसे खुला या अधूरा छोड़ना संभव या विवेकपूर्ण नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टर प्रभारी अभियंता को पर्याप्त अवसर देने के लिए ऐसे कार्य को करने की समय—सारणी अधिसूचित करेगा, जो 3 (तीन) कार्य दिवस से कम नहीं होगी, तािक कार्य जारी रहने के दौरान इसका निरीक्षण, माप या परीक्षण किया जा सके। बशर्ते यह भी कि यदि कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्रभारी अभियंता को नोटिस दिए जाने की तारीख से 3 (तीन) व्यावसायिक दिनों की अवधि के भीतर कॉन्ट्रैक्टर को प्रभारी अभियंता से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर को यह मानने का अधिकार होगा कि प्रभारी अभियंता उक्त निरीक्षण नहीं करेंग।

22.10 अस्वीकृति

- (i) यदि, किसी परीक्षण, निरीक्षण, माप या जांच के परिणामस्वरूप, कोई संयंत्र, सामग्री, डिजाइन या कारीगरी दोषपूर्ण पाई जाती है या अन्यथा वह इस कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों के अनुसार नहीं पाई जाती है, तो प्रभारी अभियंता कॉन्ट्रैक्टर को कारण सहित नोटिस देकर उस काम, संयंत्र, सामग्री, डिजाइन या कारीगरी को अस्वीकार कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टर तब तुरंत दोष को ठीक करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अस्वीकृत वस्तु इस समझौते की आवश्यकताओं का अनुपालन करे।
- (ii) यदि प्रभारी अभियंता किसी कार्य, संयंत्र, सामग्री, डिजाइन या कारीगरी का पुनः परीक्षण करना जरूरी समझता है, तो परीक्षण उन्हीं नियम और शर्तों के अनुसार किया जाएगा, जो प्रत्येक मामले में लागू होती हैं। यदि अस्वीकृति और पुनः परीक्षण के कारण विभाग को कोई अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है, तो यह लागत कॉन्ट्रैक्टर से प्रभारी अभियंता द्वारा वसूली योग्य होगी और कॉन्ट्रैक्टर को भृगतान हेत् देय किसी भी राशि से प्रभारी अभियंता इसकी कटौती कर सकता है।
- (iii) कॉन्ट्रैक्टर इस खंड में निर्दिष्ट किसी भी दोष को सुधारने या पुनः परीक्षण करने के कारण समय-सीमा में विस्तार पाने का हकदार नहीं होगा।
- (iv) प्रभारी अभियंता द्वारा किसी संयंत्र, सामग्री, डिजाइन या कारीगरी की जांच, निरीक्षण, माप या परीक्षण या अपनी टिप्पणियों को बताने में विफलता या जांच, निरीक्षण, माप या परीक्षण करने में विफलता न तो कॉन्ट्रैक्टर को इस समझौते के तहत दायित्वों और देनदारियों से मुक्त करेगी और न ही किसी भी तरीके से प्रभारी अभियंता इसके लिए उत्तरदायी होंगे।



22.11 Remedial work

- (i) Notwithstanding any previous test or certification, the Engineer-in-Charge may instruct the Contractor to:
 - (a) remove from the site and replace any piece of work, plant or materials which are not in accordance with the provisions of this Agreement.
 - remove and re-execute any work which is not in accordance with the provisions of this Agreement and the Specification and Standards; and
 - (c) execute any work which is urgently required for the safety of the Project, whether because of an accident, unforeseeable event or otherwise.
- (ii) If the Contractor fails to comply with the instructions issued by the Engineer-in-Charge under aforesaid para, within the time specified in the notice or as mutually agreed, the Engineer-in-Charge may get the work executed by another agency. The cost so incurred by the Engineer-in-Charge for undertaking such work shall, without prejudice to the rights of the Engineer-in-Charge to recover damages in accordance with the provisions of this Agreement, be recoverable from the Contractor and may be deducted by the Engineer-in-Charge from any amount due to be paid to the Contractor.

22.12 Quality Control Records

The Contractor shall hand over authenticated copy of all its quality control records and documents to the Engineer-in-Charge before the Completion Certificate is issued.

22.13 Video recording

During the Construction Period, the Contractor shall provide to the Engineer-in-Charge for every calendar quarter, a video recording which will be compiled into a 15 (fifteen) minutes digital video covering the status and progress of work in that quarter. Video recording should show different activities, stage of work, quality assurance activities etc. including animation, graphs, digital maps, commentary, sub titles, etc. spread over the quarter. The video recording shall be provided to the Engineer-in-Charge no later than 15 (fifteen) days after the close of each quarter to be reckoned from next full month of date of start of work.

22.14 Suspension of unsafe Construction Works

- (i) Upon recommendation of the Engineer-in-Charge to this effect, or on his own volition in cases of emergency or urgency, the Engineer-in-Charge may by notice require the Contractor to suspend forthwith the whole or any part of the Works if, in the reasonable opinion of Engineer-in-Charge, as the case may be, such work threatens the safety of the Users and or other persons on or about the Project. Provided, however, that in case of an emergency, the Engineer-in-Charge may suomoto issue the notice referred to hereinabove.
- (ii) The Contractor shall, pursuant to the notice under above para, suspend the Works or any part thereof for such time and in such manner as may be specified by the Engineer-in-Charge and thereupon carry out remedial measures to secure the safety of suspended works, the Users, other persons and vehicles on or about the Project. The Contractor by notice require the Engineer-in-Charge to inspect such remedial measures forthwith and request for revocation of suspension. Upon reviewing the remedial measures, the Engineer-in-Charge





22.11 उपचारात्मक कार्य

- (i) किसी भी पिछले परीक्षण या प्रमाणीकरण के बावजूद, प्रभारी अभियंता कॉन्ट्रैक्टर को निर्देश दे सकता है:
 - (क) कि वह कार्यस्थल से किसी भी ऐसे काम, संयंत्र या सामग्री को हटाकर बदले, जो इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं।
 - (ख) कि वह किसी भी ऐसे काम को हटा दे और फिर से क्रियान्वित करे जो इस समझौते के प्रावधानों और विनिर्देशों और मानकों के अनुसार नहीं है; तथा
 - (ग) कि वह किसी भी ऐसे कार्य को क्रियान्वित करे, जो परियोजना की सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल किया जाना आवश्यक है, चाहे दुर्घटना, अप्रत्याशित घटना या अन्यथा किसी भी कारण से हो।
- (ii) यदि कॉन्ट्रैक्टर उपरोक्त पैरा के तहत, नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर या पारस्परिक रूप से बनी सहमति के अनुसार प्रभारी अभियंता द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो प्रभारी अभियंता किसी अन्य एजेंसी से कार्य करवा सकता है। प्रभारी अभियंता द्वारा इस तरह के काम को करवाने में आई लागत, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार नुकसान की वसूली के लिए प्रभारी अभियंता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कॉन्ट्रैक्टर से वसूली योग्य होगी और इसकी कटौती प्रभारी अभियंता द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को देय किसी भी राशि से की जा सकती है।

22.12 गुणवत्ता नियंत्रण अभिलेख

पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने से पहले कॉन्ट्रैक्टर अपने सभी गुणवत्ता नियंत्रण अभिलेखों और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्रभारी अभियंता को सौंप देगा।

22.13 वीडियो रिकॉर्डिंग

निर्माण अविध के दौरान, कॉन्ट्रैक्टर प्रत्येक कैलेंडर की तिमाही में प्रभारी अभियंता को एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्रदान करेगा, तथा इसे उस तिमाही में कार्य की स्थिति और प्रगति को दर्शाते हुए 15 (पंद्रह) मिनट के डिजिटल वीडियो के रूप में बनाया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में उस पूरी तिमाही के दौरान हुई अलग—अलग गतिविधियां, कार्य का चरण, गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियां आदि तथा एनिमेशन, ग्राफ, डिजिटल मैप, कमेंट्री, उपशीर्षक आदि शामिल होने चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग कार्य शुरू होने की तारीख के अगले पूरे महीने से मानी जाने वाली प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता को प्रदान की जाएगी।

22.14 असुरक्षित निर्माण कार्यों का निलंबन

- (i) प्रभारी अभियंता की उक्त आशय की सिफारिश पर या आपात स्थिति या अत्यावश्यकता के मामलों में प्रभारी अभियंता अपनी इच्छा से नोटिस द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को कार्य के पूरे या उसके किसी भी हिस्से को तत्काल निलंबित करने का आदेश दे सकता है यदि, प्रभारी अभियंता की राय में, या जैसा भी मामला हो, ऐसे कार्य से परियोजना पर या उससे जुड़े उपयोगकर्ताओं और या अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा होता है। बशर्त, हालांकि, आपात स्थिति में, प्रभारी अभियंता स्वेच्छा से उपर्युक्त नोटिस जारी कर सकता है।
- (ii) कॉन्ट्रैक्टर उपरोक्त पैरा के तहत नोटिस के अनुसार, कार्य या उसके किसी भी हिस्से को इतने समय के लिए और इस तरह से निलंबित करेगा जैसा प्रभारी अभियंता द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर निलंबित कार्य, परियोजना से जुड़े उपयोगकर्ताओं, अन्य व्यक्तियों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करेगा। तत्पश्चात कॉन्ट्रैक्टर



shall either revoke such suspension or instruct the Contractor to carry out such other and further remedial measures as may be necessary and reasonable and the procedure set forth in this Clause shall be repeated until the suspension hereunder is revoked.

- (iii) Subject to other provisions of the agreement, all reasonable cost incurred for maintaining and protecting the Works or part thereof during the period of suspension (the "Preservation Costs") shall be borne by the contractor, if in the opinion of Engineer-in-Charge suspension is on account of reasons attributable to the contractor.
- (iv) If suspension of Work is for reasons not attributable to the Contractor, the Engineer-in-Charge shall determine any Time Extension, if required, in accordance with the provisions of clause-5.

22.15 Online maintenance of Site records including testing records.

The Engineer-in-Charge may require the contractor to upload all the site records in any online system devised by him. The contractor shall have to ensure that all the required site records, as desired by the Engineer-in-Charge shall be uploaded in this online system. Nothing extra on this account shall be payable to the contractor. In case these records are to be maintained in any online module then contractor shall comply with this.

Clause 23

Changes in firm's Constitution to be Intimated

Where the contractor is a partnership firm/company/LLP, the prior approval in writing of the Engineer-in-charge shall be obtained before any change is made in the constitution of the firm/company/LLP. Where the contractor is an individual or a Hindu undivided family business concern, such approval as aforesaid shall likewise be obtained before the contractor enters into any partnership agreement where under the partnership firm would have the right to carry out the works hereby undertaken by the contractor. If previous approval as aforesaid is not obtained, the contract shall be deemed to have been assigned in contravention of clause 21 hereof and the same action may be taken, and the same consequences shall ensue as provided in the said clause 21.

Clause 24

Life Cycle Cost

Deleted vide OM No. DG/CON/329 dated 03.06.2022

Clause 25:

Settlement of Disputes by Conciliation and Arbitration

Except where otherwise provided in the contract, all questions and disputes relating to the meaning of the specifications, designs, drawings and instructions hereinbefore mentioned and as to the quality of workmanship or materials used in the work or as to any other question, claim, right, matter or thing whatsoever in any way arising out of or relating to the contract, designs, drawings, specifications, estimates, instructions, orders or otherwise concerning the works or the execution or failure to execute the same whether arising during the progress of the work or after the cancellation, termination, completion or abandonment thereof shall be dealt with as mentioned hereinafter.

25.1 Conciliation: If the contractor considers any work demanded of him to be outside the requirements of the contract, or disputes any drawing, record or decision given in writing by the Engineer-in-Charge; or if the Engineer-in-Charge considers any act or decision of the contractor on any matter in connection with or arising out of the contract or carrying out of the work to be unacceptable and disputed; such party may promptly





नोटिस द्वारा प्रभारी अभियंता से इस तरह के सुधारात्मक उपायों का तुरंत निरीक्षण करने और निलंबन को रह करने का अनुरोध करेगा। सुधारात्मक उपायों की समीक्षा करने के बाद, प्रभारी अभियंता या तो इस तरह के निलंबन को रह कर देगा या कॉन्ट्रैक्टर को उन अन्य और आगे के सुधारात्मक उपायों को करने के लिए निर्देश देगा, जो आवश्यक और उचित हो और इस खंड में निर्धारित प्रक्रिया को निलंबन रह होने तक दोहराया जाएगा।

- (iii) कॉन्ट्रैक्ट के अन्य प्रावधानों के अधीन, यदि प्रभारी अभियंता की राय में निलंबन कॉन्ट्रैक्टर के कारण हुआ है तो निलंबन की अविध के दौरान कार्यों या उसके हिस्से के रखरखाव और सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों की व्यावहारिक लागत ("संरक्षण लागत") कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वहन की जाएगी।
- (iv) यदि कार्य का निलंबन कॉन्ट्रैक्टर के कारण नहीं हुआ है, तो प्रभारी अभियंता खंड —5 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो, समय में विस्तार का निर्धारण करेगा।

22.15 जांच अभिलेखों सहित कार्यस्थल अभिलेखों का ऑनलाइन रखरखाव।

(i) प्रभारी अभियंता कॉन्ट्रैक्टर को उसके द्वारा तैयार की गई किसी भी ऑनलाइन प्रणाली में सभी कार्यस्थल अभिलेख अपलोड करने के लिए कह सकता है। कॉन्ट्रैक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आवश्यक कार्यस्थल अभिलेख, जो भी प्रभारी अभियंता द्वारा वांछित हो, इस ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड हो। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि इन अभिलेखों को किसी ऑनलाइन मॉड्यूल में रखा जाना है तो कॉन्ट्रैक्टर इसका अनुपालन करेगा।

खण्ड 23

यदि ठेकेदार कोई भागीदारी फर्म / कम्पनी / लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी है तो फर्म के गठन में कोई भी परिवर्तन करने से पूर्व भारसाधक इंजीनियर का लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। यदि ठेकेदार कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कारवारी फर्म हो तो इसी प्रकार से ठेकेदार के किसी ऐसे भागीदारी करार को करने से पूर्व यथा पूर्वोक्त अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा जिसके अधीन भागीदारी फर्म / कम्पनी / लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी को उस कार्य को करने का अधिकार होगा जिसके करने का भार ठेकेदार ने एतदद्वारा अपने ऊपर लिया हो। यदि यथा पूर्वोक्त पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है तो ठेका इसके खण्ड 21 के उल्लंघन में समनुदेशित किया गया समझा जाएगा और उस पर वही कार्रवाई की जा सकेगी और उसके वही परिणाम होगे जो उक्त खण्ड 21 में उपबंधित हैं।

फर्म के संविधान में परिवर्तन की सूचना

खण्ड 24

डी.जी. / कॉन / 329 दि. 03.06.2022 द्वारा हटाया गया।

खण्ड 25

सिवाय जहां अन्यथा संविदा में दिया गया है, यहां पहले से ही उल्लिखित विनिर्देशों, डिजाइन, आरेखनों और अनुदेशों के अर्थ से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद तथा कार्य पर उपयोग की जाने वाली कारीगरी या सामग्री की गुणवत्ता या किसी अन्य प्रश्न, दावा, अधिकार, मामला या किसी बात के रूप में जो किसी भी तरह से संविदा, डिजाइन, आरेखनों, विनिर्देशों, अनुमानों, अनुदेशों, आदेशों या अन्यथा निर्माण कार्यों का निष्पादन या इसे निष्पादित करने में विफलता से संबंधित है चाहे वह कार्य की प्रगति के दौरान या उसके रह होने, समाप्त होने, पूरा होने या छोड़ने के बाद उत्पन्न हो, उनका इसके बाद उल्लिखित अनुसार निपटारा किया जाएगा:

25.1 सुलह: यदि ठेकेदार अपने द्वारा मांगे गए किसी भी कार्य को संविदा की आवश्यकताओं से बाहर मानता है, या प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित में दिए गए किसी भी चित्र, रिकॉर्ड या निर्णय पर विवाद करता है या यदि प्रभारी अभियंता संविदा के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में या कार्य करने के लिए, ठेकेदार के किसी कार्य या निर्णय को अस्वीकार्य मानता है और विवादित होने पर ऐसा पक्ष दूसरे

सुलह और मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा



refer such disputes and amount claimed for each dispute to the Conciliator (Special Director General or the Additional Director General concerned with the work, as applicable) in the proforma prescribed in Appendix XVII mentioned in Schedule F, under intimation to the other party. The Conciliator may then request each party to submit to him a brief written statement describing the disputes and the points at issue. Each party shall send a copy of such statement to the other party. At any stage of the conciliation proceedings, the Conciliator may request a party to submit to him such additional information as he deems appropriate. When it appears to the Conciliator that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties, he shall formulate the terms of a possible settlement and submit them to the parties for their observations. After receiving the observations of the parties, he may re-formulate the terms of a possible settlement in the light of such observations. If the parties reach agreement on a settlement of the disputes, they may draw up and sign a written settlement agreement on non-judicial stamp paper as per Stamp Act. The Conciliator shall authenticate the settlement agreement and furnish a copy thereof to each party. The termination of conciliation proceedings shall be in accordance with Section 76 of The Arbitration and Conciliation Act, 1996. No party shall be represented before the said Conciliator by an advocate or legal counsel. The conciliation proceedings shall be completed within 45 days from the receipt of reference. This time may be enlarged by 15 days by the Conciliator. The conciliation proceedings shall be deemed to have been terminated at the end of 60 days from the receipt of reference.

25.2 Arbitration: If the aforesaid conciliation proceedings fail or the Conciliator fails to give proposal for settlement within the aforesaid period, either party may promptly give notice in the proforma prescribed in Appendix XVIII, under intimation to the other party, to the Chief Engineer or the Superintending Engineer concerned with the work (as applicable), hereinafter referred to as the Arbitrator Appointing Authority as indicated in Schedule F, for appointment of Arbitrator.

However, a party may seek appointment of Arbitrator without taking recourse to the process of conciliation mentioned in sub-clause 25.1 above.

In the event of either party giving a notice to the Arbitrator Appointing Authority for appointment of Arbitrator, the said Authority shall appoint Arbitrator as per the procedure given below and refer such disputes to arbitration.

- (a) Number of Arbitrators: If the contract amount is less than Rs.100 crore, the disputes may be referred for adjudication by a sole Arbitrator. If the contract amount is Rs.100 crore or more, the disputes may be referred to an Arbitral Tribunal of three Arbitrators.
- (b) Qualification of Arbitrators: It is a term of this contract that each member of the Arbitral Tribunal shall be Graduate Engineer with experience in execution of public works engineering contracts, and he should have worked earlier at a level not lower than the Chief Engineer (equivalent to level of Joint Secretary to the Government of India).

The aforesaid educational qualification and work experience shall be mandatory for appointment as Arbitrator.

The age of Arbitrator at the time of appointment shall not exceed 75 years. An Arbitrator may be appointed notwithstanding the total number of active arbitration cases with him.

(c) Parties to select Arbitrator: Based on the criteria specified above, a list of empanelled Arbitrators has been prepared in CPWD, and the parties shall have option to select an Arbitrator from the list sent to them.





को सूचित करते हुए अनुसूची एफ में उल्लिखित परिशिष्ट XVII में निर्धारित प्रोफार्मा में ऐसे विवादों और प्रत्येक विवाद के लिए दावा की गई राशि को सुलहकर्ता (विशेष महानिदेशक या कार्य से संबंधित अपर महानिदेशक, जैसे लागू हो) को तुरंत संदर्भित कर सकता है। सुलहकर्ता तब प्रत्येक पक्ष से अनुरोध कर सकता है कि वह विवादों और मुद्दों का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तुत करे। प्रत्येक पक्ष ऐसे वक्तव्य की एक प्रति दूसरे पक्ष को भेजेगा। सुलह की कार्यवाही के किसी भी चरण में, सुलहकर्ता एक पक्ष से अनुरोध कर सकता है कि वह उसे ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करे जो उसे उपयुक्त लगती हो। जब सुलहकर्ता को यह प्रतीत होता है कि एक समझौते के तत्व मौजूद हैं जो पक्षों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तो वह संभावित समझौते की शर्तें तैयार करेगा और उन्हें पक्षों को उनकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत करेगा। पक्षों की टिप्पणियों को प्राप्त करने के बाद, वह ऐसी टिप्पणियों के आलोक में संभावित समझौते की शर्तों को फिर से तैयार कर सकता है। यदि पक्षकार विवाद समझौता संबंधी करार पर पहुँच जाता है तब वे स्टाम्प अधिनियम के अनुसार नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित समझौता करार तैयार करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। सूलहकर्ता समझौता करार को प्रमाणित करेगा और प्रत्येक पक्ष को उसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगा। सुलह कार्यवाही की समाप्ति मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 76 के अनुसार होगी। किसी अधिवक्ता या कानूनी वकील द्वारा उक्त सुलहकर्ता के समक्ष किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा। सुलह की कार्यवाही संदर्भ प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। इस समय को सुलहकर्ता द्वारा 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। सुलह की कार्यवाही को संदर्भ प्राप्त होने के 60 दिनों के बाद समाप्त माना जाएगा।

25.2 मध्यस्थताः यदि पूर्वोक्त सुलह की कार्यवाही विफल हो जाती है या सुलहकर्ता उक्त अविध के भीतर समझौता हेतु प्रस्ताव देने में विफल रहता है, तो कोई भी पक्ष तुरंत अन्य पक्ष को सूचना के तहत, कार्य से संबंधित(जैसा लागू हो) मुख्य अभियंता या अधीक्षण अभियंता को, परिशिष्ट XVIII में निर्धारित प्रोफार्मा में नोटिस दे सकता है। इसके बाद मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुसूची एफ में बताए गए में मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी को संदर्भित किया जाता है।

हालांकि, कोई पक्ष उपर्युक्त उप खंड 25.1 में उल्लिखित सुलह की प्रक्रिया का सहारा लिए बिना मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग कर सकता है।

किसी भी पक्ष द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देने की स्थिति में, उक्त प्राधिकारी नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और ऐसे विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा।

- (a) मध्यस्थतों की संख्याः यदि संविदा की राशि 100 करोड़ रुपये से कम है, तो विवादों को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा न्यायनिर्णय के लिए भेजा जा सकता है। यदि संविदा की राशि रु.100 करोड़ या अधिक है, तो विवादों को तीन मध्यस्थों के विवाचक अधिकरण / मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है।
- (b) मध्यस्थतों की अर्हताः इस संविदा की शर्त है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का प्रत्येक सदस्य लोक निर्माण इंजीनियरिंग संविदाओं के निष्पादन में अनुभव के साथ स्नातक अभियंता होगा, और उन्होंने पहले कम से कम मुख्य अभियंता के स्तर (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर के बराबर) पर काम किया हो।
 - मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव अनिवार्य होगा। नियुक्ति के समय मध्यस्थ की आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उसके साथ सक्रिय मध्यस्थता मामलों की कुल संख्या के बावजूद एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है।
- (c) **पक्षों द्वारा मध्यस्थों का चयन:** ऊपर निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर, केलोनिवि के पैनल में शामिल मध्यस्थों की एक सूची तैयार की गई है, और पक्षों के पास उन्हें भेजी गई सूची में से एक मध्यस्थ का चयन करने का विकल्प होगा।



25.3 Appointment of Sole Arbitrator: The parties may opt for appointment of the Arbitrator of the Ministry of Housing and Urban Affairs. In such cases, the party seeking arbitration has to submit an express agreement in writing as per Appendix XIX towards waiver of Section 12(5) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 along with the notice for appointment of Arbitrator in the proforma prescribed in Appendix XVIII, under intimation to the other party. The Arbitrator Appointing Authority shall, within 30 days of receipt of the said notice, appoint Arbitrator of the Ministry of Housing and Urban Affairs as Arbitrator in the matter, provided the other party also submits waiver of Section 12(5), ibid in Appendix XIX within 7 days of the receipt of the said notice.

Where any one of the parties does not opt for the Arbitrator of the Ministry of Housing and Urban Affairs, or does not submit the waiver agreement, the Arbitrator Appointing Authority shall propose five Arbitrators from the list of CPWD Empanelled Arbitrators to the party seeking arbitration under intimation to the other party within 15 days of receiving the notice. The party seeking arbitration shall give his choice for one of them within 15 days of receiving the list, and the Arbitrator Appointing Authority shall appoint the chosen person as the Sole Arbitrator within 15 days of the receipt of choice.

It is a term of this arbitration agreement that if the parties fail to select, within the period prescribed above, an Arbitrator of their choice from the list of CPWD Empanelled Arbitrators forwarded to them, the Arbitrator Appointing Authority shall himself select and appoint Arbitrator from the said list.

25.4 Appointment of Arbitral Tribunal of three Arbitrators: The Arbitrator Appointing Authority shall prepare two separate lists of five Arbitrators each from the list of CPWD Empanelled Arbitrators, and send one to the party seeking arbitration and other to the responding party, within 15 days of the receipt of notice. The parties will then choose any one Arbitrator from the list provided to them within 15 days of receipt of the list. The Arbitrator Appointing Authority shall then appoint those chosen by the respective parties as Arbitrators and also a third Arbitrator from the list of CPWD Empanelled Arbitrators to act as presiding Arbitrator, within 15 days of receipt of choice from both the parties.

It is a term of this arbitration agreement that if the parties fail to select, within the period prescribed above, an Arbitrator of their choice from the list of CPWD Empanelled Arbitrators forwarded to them, the Arbitrator Appointing Authority shall himself select and appoint Arbitrator from the said list.

- 25.5 Applicable Law: The provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Act 26 of 1996) and any further statutory modification or re-enactment thereof shall be applicable. Further, the fast-track procedure for arbitration contained in Section 29B of the said Act shall apply.
- **25.6** Fee payable to Arbitrator(s): The fee payable to the arbitral tribunal shall be as per CPWD OM No.2/2006/SE(TLC)/CSQ/137 dated 19.11.2019 (or latest amendment), and shall be shared equally by both the parties.
- **25.7 Place of Arbitration:** The place of arbitration shall preferably be as mentioned in Schedule F. However, the Arbitral Tribunal may decide the place in consultation with both the parties.





25.3 एकल मध्यस्थ की नियुक्तिः ये पक्ष आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मध्यस्थ की नियुक्ति का विकल्प चुन सकती हैं। ऐसे मामलों में, मध्यस्थता की मांग करने वाले पक्ष को दूसरे पक्ष को सूचित करते हुए परिशिष्ट XIX के अनुसार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) की छूट के साथ—साथ परिशिष्ट XVIII में निर्धारित प्रोफार्मा में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए नोटिस के साथ लिखित रूप में एक एक्सप्रेस समझौता प्रस्तुत करना होगा। मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी, उक्त नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के मध्यस्थ को मामले में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा, बशर्ते कि दूसरा पक्ष भी उक्त नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर परिशिष्ट XIX में उल्लिखित धारा 12(5) से छूट प्रस्तुत करे।

जहां कोई भी पक्ष आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मध्यस्थ का विकल्प नहीं चुनता है, या छूट समझौता प्रस्तुत नहीं करता है, तो मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी मध्यस्थता की मांग करने वाले पक्ष को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को सूचना देते हुए केलोनिवि पैनलबद्ध मध्यस्थों की सूची में से पांच मध्यस्थों को प्रस्तावित करेगा। मध्यस्थता की मांग करने वाला पक्ष सूची प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर उनमें से किसी एक के लिए अपनी पसंद देगा, और मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी पसंद प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर चुने हुए व्यक्ति को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा।

यह इस मध्यस्थता समझौते की शर्त है की यदि पक्ष ऊपर निर्धारित अविध के भीतर, उन्हें प्राप्त केलोनिवि पैनल में शामिल मध्यस्थों की सूची में से अपनी पसंद के एक मध्यस्थ का चयन करने में विफल रहते हैं, तो मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं उक्त सूची में से मध्यस्थ का चयन और नियुक्ति करेगा।

- 25.4 तीन मध्यस्थों के मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्तिः मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी केलोनिवि पैनल में शामिल मध्यस्थों की सूची में से पांच मध्यस्थों की दो अलग—अलग सूचियां तैयार करेगा, और नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर एक, मध्यस्थता की मांग करने वाले पक्ष को और दूसरा प्रतिवादी पक्ष को भेजेगा। इसके बाद पक्ष सूची प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उन्हें दी गई सूची में से किसी एक मध्यस्थ का चयन करेंगे। मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी तब दोनों पक्षों से पसंद प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित पक्षों द्वारा चुने गए लोगों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा और केलोनिवि पैनल में शामिल मध्यस्थों की सूची में से तीसरे मध्यस्थ को पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। यह इस मध्यस्थता करार की एक शर्त है कि यदि पक्षकार ऊपर निर्धारित अवधि के भीतर, उनको अग्रषित की गई केलोनिवि पैनलबद्ध मध्यस्थों की सूची में से अपनी पसंद के एक मध्यस्थ का चयन करने में विफल रहते हैं, तो मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं उक्त सूची में से मध्यस्थ का चयन और नियुक्ति करेगा।
- 25.5 लागू नियम : मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 26) के प्रावधान तथा उसका कोई और वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन लागू होगा। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 29 ख में निहित मध्यस्थता के लिए फास्ट—ट्रैक प्रक्रिया लागू होगी।
- 25.6 मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्कः मध्यस्थ न्यायाधिकरण को देय शुल्क केलोनिवि का.ज्ञा. सं.2/2006/SE(TLC)/CSQ/137 दिनांक 19.11.2019 (या नवीनतम संशोधन) के अनुसार होगा, और दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।
- **25.7 मध्यस्थता का स्थान:** मध्यस्थता का स्थान अधिमानतः अनुसूची एफ में उल्लेखानुसार होगा। तथापि, मध्यस्थ न्यायाधिकरण दोनों पक्षों के परामर्श से जगह निर्धारित कर सकता है।



25.8 Terms of reference:

The Arbitral Tribunal shall adjudicate on only such disputes as are referred to it by the Arbitrator Appointing Authority and give separate award against each dispute referred to him and shall give reasons for the award in all cases where the total amount of the claim by any party exceeds Rs.1,00,000.

25.9 Interest on Arbitration award: It is also a term of this arbitration agreement that where the Arbitral award against any dispute is for the payment of money, no pre-suit and pendent elite interest shall be payable on any part of the Arbitral award.

Clause 26

Contractor to indemnify Govt. against Patent Rights The contractor shall fully indemnify and keep indemnified the President of India against any action, claim or proceeding relating to infringement or use of any patent or design or any alleged patent or design rights and shall pay any royalties which may be payable in respect of any article or part thereof included in the contract. In the event of any claims made or action brought against Government in respect of any such matters as aforesaid, the contractor shall be immediately notified thereof and the contractor shall be at liberty, at his own expense, to settle any dispute or to conduct any litigation that may arise there from, provided that the contractor shall not be liable to indemnify the President of India if the infringement of the patent or design or any alleged patent or design right is the direct result of an order passed by the Engineer-in-charge in this behalf.

Clause 27

Withholding and lien in respect of sum due from Contractor

(i) Whenever any claim or claims for payment of a sum of money arises out of or under the contract or against the contractor, the Engineer-in-charge or the Government shall be entitled to withhold and also have a lien to retain such sum or sums in whole or in part from the security, if any deposited by the contractor and for the purpose aforesaid, the Engineer-in-charge or the Government shall be entitled to withhold the security deposit, if any, furnished as the case may be and also have a lien over the same pending finalization or adjudication of any such claim. In the event of the security being insufficient to cover the claimed amount or amounts or if no security has been taken from the contractor, the Engineer-in-Charge or the Government shall be entitled to withhold and have a lien to retain to the extent of such claimed amount or amounts referred to above, from any sum or sums found payable or which may at any time thereafter become payable to the contractor under the same contract or any other contract with the Engineer-in-Charge of the Government or any contracting person through the Engineer-in-Charge pending finalization of adjudication of any such claim.

It is an agreed term of the contract that the sum of money or moneys so withheld or retained under the lien referred to above by the Engineer-in-Charge or Government will be kept withheld or retained as such by the Engineer-in-Charge or Government till the claim arising out of or under the contract is determined by the arbitrator (if the contract is governed by the arbitration clause) by the competent court, as the case may be and that the contractor will have no claim for interest or damages whatsoever on any account in respect of such withholding or retention under the lien referred to above and duly notified as such to the contractor. For the purpose of this clause, where the contractor is a partnership firm or a limited company, the Engineer-in-charge or the Government shall be entitled to withhold and also have a lien to retain towards such claimed amount or amounts in whole or in part from any sum found payable to any partner/limited company as the case may be, whether in his individual capacity or otherwise.



संविदा के खण्ड



- 25.8 संदर्भ की शतें: मध्यस्थ न्यायाधिकरण केवल ऐसे विवादों का निर्णय करेगा जो इसे मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संदर्भित किया गया है और उसे संदर्भित प्रत्येक विवाद के लिए अलग से निर्णय देगा और उन सभी मामलों में निर्णय के लिए कारण देगा जहां किसी भी पक्ष द्वारा दावे की कुल राशि 1,00,000 रुपये से अधिक होगी।
- **25.9 मध्यस्थता निर्णय पर ब्याजः** यह भी इस मध्यस्थता करार की एक शर्त है कि जहां किसी भी विवाद के लिए मध्यस्थ निर्णय धनराशि के भुगतान के लिए हो, मध्यस्थ निर्णय के किसी भी भाग पर कोई पूर्व—कालीन और वादकालीन ब्याज देय नहीं होगा।

खण्ड−26

ठेकेदार पेटेन्ट या डिजाइन या किन्ही अधिकथित पेटेन्ट या डिजाइन अधिकारों के अतिलंधन या उपयोग से संबंद्ध किसी अनुयोग, दावा या कार्यवाही के विरुद्ध भारत के राष्ट्रपित की क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे किन्हीं स्वामित्वों का संदाय करेगा जो संविदा में सम्मिलित किसी वस्तु या उसके भाग की बाबत संदेय हो। यथापूर्वोक्त विषयों में से किसी की बावत सरकार के अधीन किए गए किन्हीं दावों या उसके खिलाफ किए गए किसी अनुयोग की दशा में ठेकेदार को उसकी तरुन्त अधिसूचना दी जाएगी और ठेकेदार, अपने खर्चे पर, कोई विवाद तय करने या उससे उत्पन्न होने वाली मुकदमेबाजी का संचालन करने के लिए स्वतन्त्र होगा। परन्तु ठेकेदार भारत के राष्ट्रपित को क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी नहीं होगा, यदि पेटेन्ट या डिजाइन अथवा अभिकथित पेटेन्ट या डिजाइन अधिकार का अतिलंघन भार साधक इंजीनियर द्वारा इस निमित्त पारित किसी आदेश का सीधा परिणाम हैं।

पेटेंट अधिकारों के विरूद्ध ठेकेदार द्वारा सरकार को क्षतिपूर्ति

खण्ड 27

(i) जब भी ठेके से या उसके अधीन ठेकेदार के खिलाफ किसी धनराशि के भुगतान के लिए दावा या दावे हो, भारसाधक इंजीनियर या सरकार को, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति में से ऐसी राशि या राशियों को पूर्णतः या अंशतः रोकने का तथा उसका धारणाधिकार होगा। भारसाधक इंजीनियर या सरकार को जमा प्रतिभूति निक्षेप, यदि कोई हो, को यथास्थिति रोकने का अधिकार होगा और इस पर, ऐसे मामलों के निपटारे या निर्णय होने तक धारणाधिकार होगा। यदि प्रतिभूति, दावा की गई राशि या राशियों से कम हो या ठेकेदार से कोई प्रतिभूति न ली गई हो तो भारसाधक इन्जीनियर या सरकार को उपरिनिर्दिष्ट प्रकार से दावा की गई राशि या राशियां किसी भी ऐसी राशि में से रोकने का तथा धारणाधिकार होगा जो कि ठेकेदार को भुगतान योग्य हो या जो बाद में इसी ठेके में ठेकेदार को तथा भारसाधक इन्जीनियर या सरकार के भारसाधक इंजीनियर के माध्यम से किसी अन्य ठेके के अधीन किसी भी ऐसे दावे के निर्णय पर लंबित निपटारे में भुगतान योग्य होने वाली हो।

ठेके की यह मान्य शर्त है कि उपरिनिर्दिष्ट धारणाधिकार के अधीन भारसाधक इंजीनियर या सरकार द्वारा इस प्रकार रोकी गई धनराशि या राशियां तब तक रोकी जाऐंगी जब तक ठेके या उसके अधीन दावा मध्यस्थ (यदि ठेके में मध्यस्थता खण्ड हो) या सक्षम न्यायालय द्वारा निश्चित न कर लिया जाए, जैसी भी स्थिति हो, और ठेकेदार किसी भी कारण से उपरिनिर्दिष्ट धारणाधिकार के अधीन रोकी गई किसी ऐसी धनराशि जिसकी सूचना यथाविधि ठेकेदार को दी गई हो, के लिए किसी प्रकार के ब्याज या क्षिति का दावा नहीं करेगा। जब ठेकेदार कोई सहभागी फर्म या लिमिटेड कम्पनी हो तो इस खण्ड के प्रयोजन के लिए भारसाधक इंजीनियर या सरकार को इस प्रकार दावा की गई राशि या राशियों को पूर्णतः या अंशतः किसी भी ऐसी राशि में से रोकने का प्रतिबन्ध या धारणाधिकार होगा जो किसी सहभागी फर्म लिमिटेड कम्पनी जैसी भी स्थिति हो, को उसके व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा भुगतान योग्य हो।

ठेकेदार से प्राप्त राशि के संबंध मे रोक और ग्रहणाधिकार



(ii) Government shall have the right to cause an audit and technical examination of the works and the final bills of the contractor including all supporting vouchers, abstract, etc., to be made after payment of the final bill and if as a result of such audit and technical examination any sum is found to have been overpaid in respect of any work done by the contractor under the contract or any work claimed to have been done by him under the contract and found not to have been executed, the contractor shall be liable to refund the amount of over-payment and it shall be lawful for Government to recover the same from him in the manner prescribed in sub-clause (i) of this clause or in any other manner legally permissible; and if it is found that the contractor was paid less than what was due to him under the contract in respect of any work executed by him under it, the amount of such under payment shall be duly paid by Government to the contractor, without any interest thereon whatsoever.

Provided that the Government shall not be entitled to recover any sum overpaid, nor the contractor shall be entitled to payment of any sum paid short where such payment has been agreed upon between the Superintending Engineer or Executive Engineer on the one hand and the contractor on the other under any term of the contract permitting payment for work after assessment by the Superintending Engineer or the Engineer-in-charge

Clause 28

Lien in respect of claims in other Contracts

Any sum of money due and payable to the contractor (including the security deposit returnable to him) under the contract may be withheld or retained by way of lien by the Engineer-incharge or the Government or any other contracting person or persons through Engineer-incharge against any claim of the Engineer-in-charge or Government or such other person or persons in respect of payment of a sum of money arising out of or under any other contract made by the contractor with the Engineer-in-charge or the Government or with such other person or persons. It is an agreed term of the contract that the sum of money so withheld or retained under this clause by the Engineer-in-charge or the Government will be kept withheld or retained as such by the Engineer-in-charge or the Government or till his claim arising out of the same contract or any other contract is either mutually settled or determined by the arbitration clause or by the competent court, as the case may be and that the contractor shall have no claim for interest or damages whatsoever on this account or on any other ground in respect of any sum of money withheld or retained under this clause and duly notified as such to the contractor.

Clause 29

Employment of coal mining or controlled area labour not Permissible

The contractor shall not employ coal mining or controlled area labour falling under any category whatsoever on or in connection with the work or recruit labour from area within a radius of 32 km (20 miles) of the controlled area. Subject as above the contractor shall employ imported labour only i.e., deposit imported labour or labour imported by contractors from area, from which import is permitted.

Where ceiling price for imported labour has been fixed by State or Regional Labour Committees, not more than that ceiling price shall be paid to the labour by the contractor.

The contractor shall immediately remove any labourer who may be pointed out by the Engineer in-Charge as being a coal mining or controlled area labourer. Failure to do so shall render the contractor liable to pay to Government a sum calculated at the rate of Rs.100/- per day per labourer. The certificate of the Engineer-in-Charge about the number of coal mining or controlled area labourer and the number of days for which they worked shall be final and binding upon all parties to this contract.



संविदा के खण्ड



सरकार को यह अधिकार होगा कि कार्यों और ठेकेदार के अंतिम बिलों की, जिनके अंतर्गत सभी समर्थक वाउचर, सार आदि आते हैं, अंतिम बिलों के संदाय के पश्चात संपरीक्षा और तकनीकी परीक्षा करवाए और यदि ऐसी संपरीक्षा या तकनीकी परीक्षा के परिणामस्वरूप यह पाया जाए कि ठेके के अधीन ठेकेदार द्वारा किए गए किसी कार्य या किसी ऐसे कार्य की बावत, जिसके संबंध में उसने दावा किया है, कि ठेके के अधीन उसके द्वारा कार्य किया गया है किन्तु जो निष्पादित किया गया नहीं पाया गया है, किसी राशि का अतिसंदाय किया गया है, तो ठेकेदार अतिसंदाय की रकम का प्रतिदाय करने के लिए दायी होगा और सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उससे उसकी वसूली उपखण्ड (1) में विहित रीति में या वैध रूप से अनुज्ञेय किसी अन्य रीति में करे और यदि यह पाया जाए कि ठेके के अधीन ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी कार्य के बावत उसे उससे कम संदाय किया गया है जो ठेके के अधीन उसे शोध्य था, तो ऐसे न्यून संदाय की रकम सरकार द्वारा बिना किसी भी तरह के ब्याज के ठेकेदार को सम्यक रूप से संदत्त की जाएगी।

परन्तू सरकार अतिसंदत्त किसी राशि को वसूल करने के लिए हकदार न होगी और न ठेकेदार न्यून संदत्त किसी राशि के संदाय के लिए हकदार होगा, यदि ठेके के किसी ऐसे निबन्धन के अधीन जो अधीक्षण इंजीनियर या कार्यपालक इंजीनियर द्वारा निर्धारण के पश्चात कार्य के लिए संदाय अनुज्ञात करता हो, ऐसे संदाय के संबंध में एक पक्ष की ओर से अधीक्षण इंजीनियर या भारसाधक अभियन्ता और दूसरी ओर से ठेकेदार के बीच सहमति हो गई है।

खण्ड 28

ठेके के अधीन ठेकेदार को देय और भुगतान योग्य कोई धनराशि (जिसमें उसको लौटाया जाने वाला प्रतिभूति निक्षेप भी अन्य संविदाओं में दावों सम्मिलित है) भारसाधक इंजीनियर या सरकार या भारसाधक इंजीनियर के माध्यम से ठेका करने वाला कोई दूसरा अन्य के संबंध में ग्रहणाधिकार व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भारसाधक इंजीनियर या सरकार या ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों के किसी दावे के मददे रोकली अथवा धारित करली जाएगी जो भारसाधक इंजीनियर या सरकार या ऐसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ ठेकेदार द्वारा किए गए किसी अन्य ठेके के अन्तर्गत उससे निकल रही हो अथवा जिसका भुगतान उसके द्वारा किया जाना हो। ठेके की यह मान्य शर्त होगी कि इस खण्ड के अधीन भारसाधक इंजीनियर या सरकार द्वारा रोकी या धारित गई धनराशि भारसाधक इंजीनियर या सरकार द्वारा तब तक रोकी जायेगी जब तक उसी ठेके या किसी अन्य ठेके में उसका दावे पर या तो परस्पर निर्णय हो जाए या मध्यस्थता के खण्ड के द्वारा या सक्षम न्यायालय के द्वारा निर्णत हो जाए. जैसी भी स्थिति हो, और ठेकेदार इस कारण या किसी अन्य कारण से इस खण्ड के अधीन रोकी गई किसी ऐसी धनराशि जिनकी सचना यथाविधि टेकेदार को दी गई हो, के लिए किसी प्रकार के ब्याज या क्षति का दावा नहीं करेगा।

खण्ड 29

ठेकेदार किसी भी श्रेणी के अधीन आने वाले कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र के श्रमिकों को कार्य पर या उसके संबंध में नियोजित नहीं करेगा या नियंत्रित क्षेत्र के 32 किलोमीटर (20 मील) के घेरे के भीतर के क्षेत्र से श्रमिकों **रोजगार अथवा नियंत्रित** की भर्ती नहीं करेगा। उपर्युक्त के अधीन रहते हुए ठेकेदार केवल आयातित अर्थात् डिपाजिट आयातित श्रमिकों या ऐसे श्रेत्रों से जिससे आयात अनुज्ञप्त है, ठेकेदार द्वारा आयातित श्रमिकों को ही नियोजित करेगा।

कोयला खनन के लिए क्षेत्र अनुमेय नहीं

जहां आयातित श्रमिकों के लिए राज्य या प्रादेशिक श्रम समितियों द्वारा अधिकतम मजदूरी नियम कर दी गई है वहां ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को अधिकतम मजदूरी से अधिक मजदूरी संदत नहीं की जाएगी।

ठेकेदार किसी ऐसे श्रमिक को तुरन्त हटाएगा, जिसका कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र श्रमिक होना भारसाधक इंजीनियर द्वारा इंगित किये गए। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असफल रहेगा तो वह प्रतिदिन प्रति श्रमिक 100 रुपऐ की दर से संगणित राशि सरकार को संदत्त करने के लिए दायी होगा। कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या और उन दिनों की संख्या के विषय में जब उन्होंने कार्य किया हो, भार साधक इंजीनियर का प्रमाणपत्र अंतिम और इस ठेके के सभी पक्षकरों पर आबद्धकर होगा।



It is declared and agreed between the parties that the aforesaid stipulation in this clause is one in which the public are interested within the meaning of the exception in Section 74 of Indian Contract Act, 1872.

Explanation:- Controlled Area means the following areas:

Districts of Dhanbad, Hazaribagh, Jamtara - a Sub-Division under Santhal Pargana Commissionery, Districts of Bankuara, Birbhum, Burdwan, District of Bilaspur.

Any other area which may be declared a Controlled Area by or with the approval of the Central Government.

Clause 30

Water for Works

The contractor(s) shall make his/their own arrangements for water required for the work and nothing extra will be paid for the same. This will be subject to the following conditions.

- (i) That the water used by the contractor(s) shall be fit for construction purposes to the satisfaction of the Engineer-in-Charge.
- (ii) The Engineer-in-Charge shall make alternative arrangements for supply of water at the risk and cost of contractor(s) if the arrangements made by the contractor(s) for procurement of water are in the opinion of the Engineer-in-Charge, unsatisfactory.

Clause 31

Alternate water arrangements

The contractor shall be allowed to construct temporary wells in Government land for taking water for construction purposes only after he has got permission of the Engineer-in- charge in writing. No charges shall be recovered from the contractor on this account, but the contractor shall be required to provide necessary safety arrangements to avoid any accidents or damage to adjacent buildings, roads and service lines. He shall be responsible for any accidents or damage caused due to construction and subsequent maintenance of the wells and shall restore the ground to its original condition after the wells are dismantled on completion of the work.

Clause 32

Employment of Technical Staff and employees

Contractors Superintendence, Supervision, Technical Staff & Employees

(i) The contractor shall provide all necessary superintendence during execution of the work and all along thereafter as may be necessary for proper fulfilling of the obligations under the contract.

As per tendered amount (worked out on the basis of quoted rate of individual items) and before commencement of the work, intimate in writing to the Engineer-in-Charge, the name(s), qualifications, experience, age, address(s) and other particulars along with certificates, of the principal technical representative to be in charge of the work and other technical representative(s) who will be supervising the work. Minimum requirement of such technical representative(s) and their qualifications and experience shall not be lower than specified in Schedule 'F'. Even of the contractor (or partner(s) in case of firm/ company) is himself / herself an Engineers, it is necessary on the part of the contractor to Employ principal technical representative / technical representative (s) as per stipulation in Schedule 'F'.

The Engineer-in-Charge shall within 3 days of receipt of such communication intimate in writing his approval or otherwise of such a representative(s) to the contractor. Any such approval may at any time be withdrawn and in case of such withdrawal, the contractor shall appoint another such representative(s) according



संविदा के खण्ड



यह घोषित किया जाता है और पक्षकारों के बीच इस संबंध में सहमति है कि इस खण्ड में पूर्वोक्त अनुबंध ऐसा है, जिसमें भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 74 के अपवाद के अर्थ के भीतर जनता हितबद्ध हैं।

स्पष्टीकरण : नियंत्रित क्षेत्र से निम्नलिखित क्षेत्र अधिप्रेत है:

धनबाद, हजारी बाग जिले, संथालपरगना कमीशनरी का जमतारा उपखण्ड। बांक्रा, वीरभृमि बर्दमान जिले। विलासपुर जिला,

कोई अन्य क्षेत्र जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके अनुमोदन से नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया जाए।

खण्ड 30

ठेकेदार कार्य के लिए अपेक्षित जल के लिए अपना निजी इंतजाम करेगा / करेंगे और उसके लिए कुछ भी अतिरिक्त संदाय नहीं किया जाएगा। ऐसा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगाः

कार्य के लिए पानी

- ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल, भारसाधक इंजीनियर की संतुष्टी के अनुसार निर्माण प्रयोजनों के लिए उपयुक्त होगा।
- यदि भारसाधक इंजीनियर की राय में ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा जल की प्राप्ति के लिए किया गया इंतजाम (ii) संतोषप्रद न हो तो भारसाधक इंजीनियर जलआपूर्ति के लिए ठेकेदार (ठेकेदारों) के जोखिम और व्यय पर वैकल्पिक इंतजाम करेगा।

खण्ड ३१

ठेकेदार द्वारा भारसाधक इन्जीनियर से लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर लेने पर ही, उसे निर्माण प्रयोजनों हेत् जल लेने के लिए सरकारी भूमि पर अस्थायी कुओं का निर्माण करने की अनुमति होगी। ठेकेदार से इसके लिए कोई प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे किन्तु ठेकेदार से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह दुर्घटनाओं से बचने या समीपवर्ती भवनों, सड़कों ओर सेवा लाइनों को नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करे। वह कुओं के बनवाने और तत्पश्चात उनके अनुरक्षण के कारण हुई दुर्घटनाओं या नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा और कार्य के पूर्ण हो जाने पर कुओं को तोडने के पश्चात भूमि को मूल रूप प्रदान करेगा।

वैकल्पिक जल व्यवस्था

तकनीकी कर्मचारियों

और कर्मचारियों का

रोजगार

खण्ड 32

ठेकेदार द्वारा अधीक्षण, पर्यवेक्षण, तकनीकी स्टाफ और कर्मचारीगण

ठेकेदार कार्य निष्पादन के दौरान और उसके बाद भी ठेके के तहत दायित्वों को समुचित ढंग से निभाने के लिए सभी आवश्यक अधीक्षण की व्यवस्था करेगा।

निविश राशि (प्रत्येक मद के लिए निविदा दर पर आधारित) के अनुसार और कार्य प्रारंभ होने से पूर्व, कार्य के प्रभारी प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि (यों) तथा कार्य का पर्यवेक्षण करने वाले अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (यों) का / के नाम, अर्हताओं, अनुभव, आयु, पता और प्रमाणपत्रों सहित अन्य विवरणों की लिखित सूचना भारसाधक इंजीनियर को देगा। ये अर्हताएं और अनुभव, अनुसूची 'च' में निर्दिष्ट से कम नहीं होंगी। भले ही ठेकेदार (या सहभागी / सहभागियों फर्म / कंपनी के संबंध में) खुद एक इंजीनियर हो, अनुसूची च में निर्धारित शर्त के अनुसार ठेकेदार द्वारा प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि / तकनीकी प्रतिनिधि की नियुक्ति आवश्यक है।

भारसाधक इंजीनियर ऐसी सूचना मिलने के 3 दिन के भीतर ठेकेदार के ऐसे प्रतिनिधि (यों) के संबंध में अपने अनुमोदन या अन्यथा की लिखित सूचना देगा। ऐसा अनुमोदन किसी भी समय वापिस लिया जा सकता है और वापिस लेने पर ठेकेदार इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार ऐसे अन्य प्रतिनिधि नियुक्त करेगा। इस संबंध में निविदा स्वीकार करने वाली प्राधिकारी का निर्णय ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।



to the provisions of this clause. Decision of the tender accepting authority shall be final and binding on the contractor in this respect. Such a principal technical representative and other technical representative(s) shall be appointed by the contractor soon after receipt of the approval from Engineer-in-charge and shall be available at site before start of work.

All the provisions applicable to the principal technical representative under the Clause will also be applicable to other technical representative(s) The principal technical representative and other technical representative(s) shall be present at the site of work for supervision at all times when any construction activity is in progress and also present himself/themselves, as required, to the Engineer-in-Charge and/or his designated representative to take instructions. Instructions given to the principal technical representative or other technical representative(s) shall be deemed to have the same force as if these have been given to the contractor. The principal technical representative and other technical representative(s) shall be actually available at site fully during all stages of execution of work, during recording/checking/test checking of measurements of works and whenever so required by the Engineer-in-Charge and shall also note down instructions conveyed by the Engineer-in-Charge or his designated representative(s) in the site order book and shall affix his/their signature in token of noting down the instructions and in token of acceptance of measurements/checked measurements/ test checked measurements. The representative(s) shall not look after any other work. Substitutes, duly approved by Engineer-in-Charge of the work in similar manner as aforesaid shall be provided in event of absence of any of the representative(s) by more than two days.

If the Engineer-in-Charge, whose decision in this respect is final and binding on the contractor, is convinced that no such technical representative(s) is/are effectively appointed or is/are effectively attending or fulfilling the provision of this clause, a recovery (non-refundable) shall be effected from the contractor as specified in Schedule 'F' and the decision of the Engineer-In-Charge as recorded in the site order book and measurement recorded checked/test checked in Measurement Books shall be final and binding on the contractor. Further if the contractor fails to appoint suitable technical Principal technical representative and/or other technical representative(s) and if such appointed persons are not effectively present or are absent by more than two days without duly approved substitute or do not discharge their responsibilities satisfactorily. the Engineer-in-Charge shall have full powers to suspend the execution of the work until such date as suitable other technical representative(s) is/are appointed and the contractor shall be held responsible for the delay so caused to the work. The contractor shall submit a certificate of employment of the technical representative(s) (in the form of copy of Form-16 or CPF deduction issued to the Engineers employed by him) along with every on account bill/ final bill and shall produce evidence if at any time so required by the Engineer-in-Charge.

(ii) The contractor shall provide and employ on the site only such technical assistants as are skilled and experienced in their respective fields and such foremen and supervisory staff as are competent to give proper supervision to the work.

The contractor shall provide and employ skilled, semiskilled and unskilled labour as is necessary for proper and timely execution of the work.

The Engineer-in-Charge shall be at liberty to object to and require the contractor to remove from the works any person who in his opinion misconducts himself, or is incompetent or negligent in the performance of his duties or whose employment is otherwise considered by the Engineer-in-Charge to be undesirable. Such person shall not be employed again at works site without the written permission of the Engineer-in-Charge and the persons so removed shall be replaced as soon as possible by competent substitutes.





भारसाधक इंजीनियर से ऐसा अनुमोदन प्राप्त होने के तुरन्त बाद ठेकेदार एक प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि तथा अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (यों) को नियुक्त करेगा और वह कार्य प्रारंभ होने से पूर्व कार्यस्थल पर उपलब्ध रहेगा।

एसे मामले में खण्ड के तहत प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि पर लागू सभी उपबंध अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (यों) पर भी लागू होंगे। जब कोई निर्माण कार्य चल रहा हो तो प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि तथा अन्य तकनीकी प्रतिनिधि हर समय कार्यस्थल पर कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए उपस्थित रहेंगे तथा वह / वे भारसाधक इंजीनियर तथा / या उसके जिम्मेदार अभिकर्ता की आवश्यकतानुसार अनुदेश लेने के लिए उपस्थित रहेंगें। प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि तथा अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (यों) को दिए गए अनुदेश उतने ही प्रभावी माने जाएंगे जितने यदि वे ठेकेदार को दिए जाने पर होते। प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि तथा अन्य तकनीकी प्रतिनिधि कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण चरणों तथा, कार्य की माप दर्ज करने / जांच / परीक्षा जांच के दौरान और भारसाधक इंजीनियर की आवश्यकतानुसार अनुदेश लेने के लिए हर समय कार्यस्थल पर उपस्थित रहेंगे। वे भारसाधक इंजीनियर या उसके अभिनामित प्रतिनिधि द्वारा दिए गए अनुदेशों को कार्यस्थल आदेश बही में नोट करेगें और साथ ही अनुदेशों को नोट किए जाने के प्रमाण स्वरूप और माप / माप की जांच / माप की परीक्षण जांच स्वीकार करने के प्रमाणस्वरूप उसमें हस्ताक्षर करेगा / करेंगें। प्रतिनिधि (यों) द्वारा किसी अन्य कार्य की देख—रेख नहीं की जाएगी। किसी प्रतिनिधि के दो से अधिक दिन तक अनुपस्थित होने की स्थिति में, उपर्युक्त विधि के समान ही, कार्य के भार—साधक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित प्रतिस्थानी की व्यवस्था की जाएगी।

यदि भारसाधक इंजीनियर, जिसका निर्णय इस संबंध में ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा, यह समझे कि ऐसा / ऐसे तकनीकी प्रतिनिधि को प्रभावपूर्ण ढंग से नियुक्त नहीं किया गया है या प्रभावपूर्ण ढंग से देखभाल नहीं कर रहा है या इस खण्ड के उपबंधों का पालन नहीं कर रहा है तो ठेकेदार से अनुसूची 'च' में निर्दिष्ट अनुसार वसूली की जाएगी (जिसे लौटाया नहीं जाएगा) और भारसाधक इंजीनियर का निर्णय कार्यस्थल बही में दर्ज अनुसार और माप बही में दर्ज जांचे गए / परीक्षण जांच किए गए माप ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे। आगे यह भी कि यदि ठेकेदार उपयुक्त प्रधान तकनीकी प्रतिनिधी तथा / या अन्य तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त करने में असफल रहता है या यदि नियुक्त किया गया व्यक्ति उपस्थित नहीं रहता या किसी अनुमोदित प्रस्थानी के बिना दो से अधिक दिन तक अनुपस्थित हो या संतोषजनक ढंग से दायित्वों का निर्वाह नहीं करता तो जब तक ऐसे उपयुक्त अन्य प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं कर लिया जाता, तब तक के लिए कार्य निष्पादन को स्थिगत करने का भारसाधक इंजीनियर को पूरा अधिकार होगा और इसके कारण कार्य में विलंब के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठेकेदार प्रत्येक लेखा बिल / निश्चित बिल के साथ तकनीकी प्रतिनिधि(यों) की नियुक्ति का प्रमाण (फार्म—16 की प्रति अथवा उनके द्वारा नियुक्त अभियंताओं को जारी सीपीएफ कटौती के रूप में) पत्र प्रस्तुत करेगा और भारसाधक इंजीनियर द्वारा किसी भी समय अपेक्षित हो तो वह प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(ii) ठेकेदार कार्यस्थल पर केवल ऐसे तकनीकी सहायको, जो कुशल और अपने संबंधित क्षेत्र में अनुभवी हों और ऐसे फोरमैन और पर्यवेक्षक स्टाफ, जो कार्य के उचित पर्यवेक्षण में सक्षम हों, की व्यवस्था और नियोजन करेगा। कार्य के उचित और समय पर निष्पादन के लिए ठेकेदार यथा आवश्यक कुशल, अर्धकुशल, और अकुशल श्रमिकों की व्यवस्था और नियोजन करेगा।

भारसाधक इंजीनियर, किसी भी संबंध में आपित करने के लिए स्वतंत्र होगा और किसी भी व्यक्ति, जो उसकी राय में दुर्वव्यहार करता हो, या अक्षम या अपने कर्तव्य को निभाने में लापरवाह हो, या जिसका नियोजन भारसाधक इंजीनियर अन्यथा अनावश्यक समझें, को कार्य से हटाने के लिए ठेकेदार को निर्देश दे सकता है। भारसाधक इंजीनियर की अनुमित के बिना ऐसा व्यक्ति पुनः कार्यस्थल पर नहीं लगाया जाएगा और इस प्रकार हटाए गए व्यक्तियों के स्थान पर यथाशीघ्र सक्षम व्यक्ति लगाए जाएंगे।



(iii) For works with estimated cost more than Rs. 10 Crores and stipulated time period more than 6 months:

The contractor shall ensure that at least one deployed technical representative shall be trained in courses related to CPWD specifications, labour laws, safety rules etc. of duration not less than 5 working days either through National CPWD Academy (NCA) or National Institute of Construction Management and Research (NICMAR) or CIDC or any other similar reputed and recognized Institute managed or certified by State/Central Government. The training cost and other cost related to training shall be borne by the contractor. The contractor shall ensure that at least one technical representative is trained within six months of start of work. The time period of six months can be relaxed by the Engineer-in-Charge depending upon the frequency of training course organized by NCA.

If the contractor fails to ensure that at least one technical representative is trained in the above mentioned course till completion of work or one year from start of work, whichever is earlier, then a non-refundable recovery of Rs. 50,000/- shall be made from the bill of the contractor. Decision of Engineer-in-Charge in this regard shall be final and binding on the contractor.

(iv) Building Information Model (BIM) professional shall be deployed by the contractor for the work wherever BIM is applicable.

The BIM professional shall be available exclusively for this work from stipulated date of start and till actual date of completion of project.

The recovery shall be made from bill of contractor in case of non-deployment of BIM Professional as mentioned in Schedule 'F' of NIT without giving any notice in writing.

The decision of Engineer-in-Charge in this respect shall be final and binding on the contractor.

Clause 33

Levy/Taxes payable by Contractor

- (i) GST, Building and other Construction Workers Welfare Cess or any other tax, levy or Cess in respect of input for or output by this contract shall be payable by the contractor and Government shall not entertain any claim whatsoever in this respect except as provided under Clause 34.
- (ii) The contractor shall deposit royalty and obtain necessary permit for supply of the red bajri, stone, kankar, stone aggregate, earth, sand etc. from local authorities.
- (iii) If pursuant to or under any law, notification or order any royalty, cess or the like becomes payable by the Government of India and does not any time become payable by the contractor to the State Government, Local authorities in respect of any material used by the contractor in the works, then in such a case, it shall be lawful to the Government of India and it will have the right and be entitled to recover the amount paid in the circumstances as aforesaid from dues of the contractor.

Clause 34

Conditions for reimbursement of levy/taxes if levied after receipt of Tenders (i) All tendered rates shall be inclusive of any tax, levy or cess applicable on last stipulated date of receipt of tender including extension if any. No adjustment i.e. increase or decrease shall be made for any variation in the rate of GST, Building and Other Construction Workers Welfare Cess or any tax, levy or cess applicable on inputs.

However, effect of variation in rates of GST or Building and Other Construction Workers Welfare Cess or imposition or repeal of any other tax, levy or cess applicable on output of the works contract shall be adjusted on either side, increase or decrease.

संविदा के खण्ड



10 करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित लागत वाले और 6 महीने से अधिक निर्धारित समय अवधि कार्यों

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कम से कम एक तैनात तकनीकी प्रतिनिधि को राष्ट्रीय सीपीडब्ल्युडी अकादमी (एनसीए) या राष्ट्रीय निर्माण प्रबंधन और संस्थान अनुसंधान (एनआईसीएमएआर) या सीआईडीसी या राज्य / केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित या प्रमाणित कोई अन्य समान प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से कम से कम 5 कार्य दिवसों की अवधि के सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों, श्रम कानूनों, सुरक्षा नियमों आदि से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया हो। प्रशिक्षण लागत और प्रशिक्षण से संबंधित अन्य लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि काम शुरू होने के छह महीने के भीतर कम से कम एक तकनीकी प्रतिनिधि प्रशिक्षित हो। एनसीए द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की आवृत्ति के आधार पर भार साधक अभियंता द्वारा छह महीने की समयावधि में छूट दी जा सकती है।

यदि ठेकेदार यह सुनिश्चित करने में विफल रहता है कि काम पूरा होने तक या काम शुरू होने से एक वर्ष तक, जो भी पहले हो, कम से कम एक तकनीकी प्रतिनिधि उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित है, तो 50,000/— रुपये की गैर—वापसीयोग्य वसली ठेकेदार के बिल से की जाएगी। इस संबंध में भार साधक अभियंता का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

(iv) जहां भी बीआईएम लागू हो, उस कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा भवन सूचना मॉडल (बीआईएम) तकनीकी पेशेवर को तैनात किया जाएगा।

बीआईएम तकनीकी पेशेवर इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रारंभ की निर्धारित तिथि से और परियोजना के पूरा होने की वास्तविक तिथि तक उपलब्ध रहेगा।

लिखित में कोई सूचना दिए बिना निविदा आमंत्रन सूचना की अनुसूची 'एफ' में उल्लेखित, बीआईएम तकनीकी पेशेवर की तैनाती न करने की स्थिति में ठेकेदार के बिल से वसूली कर ली जाएगी।

इस संबंध में भार साधक अभियंता का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

खण्ड ३३

जीएसटी भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण उपकर अथवा कोई अन्य कर, इससंविदा के वेकेदार दवारा देय कर (i) द्वारा इन्पुट के लिए अथवा आउटपुट के संबंध में वसूली अथवा उपकर ठेकेदार द्वारा भूगतान किए जाएंगे तथा इस संबंध में केवल खंड 34 के अधीन दिए गए के अलावा सरकार कोई दावा नहीं मानेगी।

- (ii) ठेकेदार रायल्टी जमा करेगा और लाल बजरी, पत्थर कंकर गिट्टी, मिट्टी, बालू आदि की आपूर्ति के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेगा।
- यदि किसी विधि, अधिसूचना या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन कोई रायल्टी, उपकर, या इसी प्रकार (iii) की कोई रकम ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त किसी सामग्री के बारे में राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारियों को भारत सरकार द्वारा संदेय हो जाती है और किसी समय ठेकेदार द्वारा संदेय नहीं होती है, तो ऐसी दशा में भारत सरकार के लिए यह विधियुक्त होगा और उसका यह अधिकार होगा तथा वह इस बात के लिए हकदार होगी कि वह यथापूर्वोक्त परिस्थितियों में संदत्त की गई रकम ठेकेदार को देय राशि में से वसूल कर लें।

खण्ड 34

संविदा के प्राप्त होने की अंतिम निर्धारित तिथि पर लागू की गई वसूली अथवा उपकर कोई भी कर विस्तार (i) यदि हो तो सभी संविदा के दरों में षामिल होंगे। इन्युटस पर जीएसटी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के बाद कर के प्रतिपूर्ति की कल्याण उपकर अथवा कोई भी कर वसूली अथवा उपकर लागू की कई दर में किसी भी विविधता के लिए कोई भी समायोजन अर्थात बढाया या घटाया नहीं जाएगा।

निविदाओं की प्रप्ति के शर्ते

यद्यपि निर्माण संविदा के आउटपूट पर लागू की गई जीएसटी या भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अथवा किसी भी अन्य कर, वसूली या उपकर के अधिरोपण अथवा निरासित करने के दरों में विविधता के प्रभाव का समायोजन बढाना या घटाना अन्य पक्ष पर किया जाएगा।



Provided further that for Building and Other Construction Workers Welfare Cess or any tax (other than GST), levy or cess varied or imposed after the last date of receipt of tender including extension if any, any increase shall be reimbursed to the contractor only if the contractor necessarily and properly pays such increased amount of taxes/levies/cess.

Provided further that such increase including GST shall not be made in the extended period of contract for which the contractor alone is responsible for delay as determined by authority for extension of time under Clause 5 in Schedule F.

- (ii) The contractor shall keep necessary books of accounts and other documents for the purpose of this condition as may be necessary and shall allow inspection of the same by a duly authorized representative of the Government and/or the Engineer-in-charge and shall also furnish such other information/document as the Engineer-in-Charge may require from time to time.
- (iii) The contractor shall, within a period of 30 days of the imposition of any such further tax or levy or cess, or variation or repeal of such tax or levy or cess give a written notice thereof to the Engineer-in-charge that the same is given pursuant to this condition, together with all necessary information relating thereto.

Clause 35

Termination of Contract on death of contractor

Without prejudice to any of the rights or remedies under this contract, if the contractor dies, the Engineer-in-charge on behalf of the President of India shall have the option of terminating the contract without compensation to the contractor.

Clause 36

If relative working in CPWD then the contractor is not allowed to participate in the tendering process The contractor (enlisted or non-enlisted in CPWD) shall not be allowed to participate in the tender for work(s) in the CPWD Zone/circle /Division/Sub-Division responsible for award and/or execution of contract(s) in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of the Chief Engineer and Junior Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons who are working or are subsequently employed by him and who are near relatives to any Officer working in the CPWD. Any breach of this condition by the contractor would render him liable to be debarred for a period upto two years from tendering in CPWD as decided by the accepting authority mentioned in Schedule F and his decision will be excepted from clause 25.

NOTE: By the term "near relatives" is meant wife, husband, parents and grandparents, children and grandchildren, brothers and sisters, uncles, aunts and cousins and their corresponding in-laws.

Clause 37

No Gazetted
Engineer to work as
Contractor within
one year of
retirement

No engineer of gazetted rank or other gazetted officer employed in engineering or administrative duties in an engineering department of the Government of India shall work as a contractor or employee of a contractor for a period of one year after his retirement from government service without the previous permission of Government of India in writing. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of Government of India as aforesaid, before submission of the tender or engagement in the contractor's service, as the case may be.



संविदा के खण्ड



इसके आगे यदि निविदा प्राप्त होने के अंतिम तिथि के पष्चात भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर या अन्य कर (जीएसटी के अलावा) के लिए विस्तार सहित वसूली विविध रूप से अथवा अधिरोपित या उपकर को जाती है, तो कोई भी बढी हुई राषि ठेकेदार को तभी प्रतिपूर्ति की जाएगी जब ठेकेदार आवष्यकता के अनुसार तथा उचित रूप से ऐसी बढी हुई करों / वसूली / उपकरों की राषि का भुगतान करना है।

इसके आगे जीएसटी सहित ऐसी बढौतरी का भुगतान ठेके के विस्तृत अवधि में नहीं की जाएगी, जो कि प्राधिकारी के द्वारा निष्चित किए गए अनुसार ठेकेदार एकमात्र ही विलंब के लिए उत्तरदायी है और खंड 5 में अनुसूची 'च' के अधीन समय में विस्तारण दिया गया है।

- ठेकेदार अपने आवश्यकतानुसार इस स्थिति के उद्देश्य के लिए आवश्यक बही खाते तथा अन्य दस्तावेजों (ii) को रखेगा तथा सरकार के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि और / अथवा भारसाधक अभियंता दवारा उसी के निरीक्षण की अनुमति देगा तथा ऐसी अन्य सूचना / दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जो कि भारसाधक अभियंता को समय-समय पर आवश्यक हो सकती है।
- ठेकेदार ऐसे अन्य आगामी कर अथवा उगाही अथवा उपकर, अथवा ऐसे कर अथवा उगाही अथवा उपकर (iii) के परिवर्तन अथवा निरसन के लगाने के 30 दिनों की अवधि के भीतिर भारसाधक अभियंता को उसका एक लिखित नोटिस देगा जो कि संबन्धित सभी आवश्यक सूचना के साथ इस स्थिति के अनुसरण में दिया जाएगा।

खण्ड ३५

इस ठेके के अधीन या उपचारों में से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार मर जाता है तो भारसाधक अभियंता को भारत के राष्ट्रपति को ओर से यह विकल्प होगा कि वह ठेकेदार को प्रतिकर दिए बिना ठेके को समाप्त कर दे।

ठेकेदार की देहांत पर संविदा की समाप्ति

खण्ड 36

ठेकेदार (सीपीडब्ल्यूडी में सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध) को सीपीडब्ल्यूडी जोन / डिवीजन / सबडिवीजन में कार्य के लिए निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो अनुबंध के अर्वाड और / या निष्पादन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें उसका निकट संबंधी डिवीजनल अकाउंटेंट या मुख्य अभियंता और जूनियर इंजीनियर (दोनों समावेशी) के ग्रेड के बीच किसी भी क्षमता में अधिकारी के रूप में तैनात है। वह उन व्यक्तियों के नाम भी सूचित करेगा जो उसके द्वारा काम कर रहे हैं या बाद में नियोजित किए गए हैं और जो सीपीडब्ल्युडी में काम करने वाले किसी भी अधिकारी के निकट संबंधी हैं। ठेकेदार द्वारा इस शर्त का कोई भी उल्लंघन उसे सीपीडब्ल्यूडी में निविदा देने से दो साल तक की अवधि के लिए वंचित कर देगा, इस के लिये फैसला, जैसा कि अनुसूची 'एफ' में उल्लेखित, स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा तय किया जायेगा और उसका निर्णय खंड 25 से अपवादित होगा।

यदि कोई रिश्तेदार केलोनिवि में कम करते है तो ठेकेदार को निविदा की अनुमति नही है

टिप्पणी : निकट नातेदार'' शब्द से पत्नी, पति, माता-पिता और पितामह-पितामही, संतित और पौत्र-पौत्रियाँ, भाई और बहनें, चाचा –चाची ओर चचेरे, ममेरे भाई तथा उनके तत्संबंधी सस्राली नातेदार अभिप्रेत है।

खण्ड ३७

भारत सरकार के इंजीनियरी विभाग में इंजीनियर या प्रशासनिक कर्तव्यों में नियोजित राजपत्रित श्रेणी का कोई इंजीनियर या अन्य राजपत्रित अधिकारी भारत सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी निवृति के एक वर्ष की कालावधि तक ठेकेदार / ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। यह ठेका रद्द किया जा सकता है, यदि किसी समय यह पाया कि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति है जिससे यथास्थिति निविदा **ठेकेदार के रूप में कार्य** या ठेकेदार की सेवा में लगने से पूर्व भारत सरकार से यथापूर्वोक्त अनुज्ञा अधिप्राप्त नहीं कर ली थी।

सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर कोई भी राजपत्रित अभियंता नहीं करेगा



Clause 38

Theoretical consumption of Material

- (i) After completion of the work and also at any intermediate stage in the event of Non reconciliation of materials issued theoretical quantity of materials used in the work shall be calculated on the basis and method given hereunder:
 - (a) Quantity of cement & bitumen shall be calculated on the basis of quantity of cement & bitumen required for different items of work as shown in the Schedule of Rates mentioned in Schedule 'F'. In case any item is executed for which standard constants for the consumption of cement or bitumen are not available in the above mentioned schedule/statement or cannot be derived from the same shall be calculated on the basis of standard formula to be laid down by the Engineer-in-Charge.
 - (b) Theoretical quantity of steel reinforcement or structural steel sections shall be taken as the quantity required as per design or as authorized by Engineer-in-Charge, including authorized lappages, chairs etc. plus 3% wastage due to cutting into pieces, such theoretical quantity being determined and compared with the actual, each diameter wise, section wise and category wise separately.
 - (c) Theoretical quantity of G.I. & C.I. or other pipes, conduits, wires and cables, pig lead and G.I./M.S. sheets shall be taken as quantity actually required and measured plus 5% for wastage due to cutting into pieces (except in the case of G.I./M.S. sheets it shall be 10%), such determination & comparison being made diameter wise & category wise.
 - (d) For any other material as per actual requirements.

Over the theoretical quantities of materials so computed a variation shall be allowed as specified in Schedule 'F' For nonscheduled items, the decision of the Superintending Engineer regarding theoretical quantities of materials which should have been actually used, shall be final and binding on the contractor.

(ii) The said action under this clause is without prejudice to the right of the Government to take action against the contractor under any other conditions of contract for not doing the work according to the prescribed specifications.

Clause 39

Compensation during warlike situations

The work (whether fully constructed or not) and all materials, machines, tools and plants, scaffolding, temporary buildings and other things connected therewith shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Engineer-in-Charge and a certificate from him to that effect obtained. In the event of the work or any materials properly brought to the site for incorporation in the work being damaged or destroyed in consequence of hostilities or warlike operation, the contractor shall when ordered (in writing) by the Engineer-in-Charge to remove any debris from the site, collect and properly stack or remove in store all serviceable materials salvaged from the damaged work and shall be paid at the contract rates in accordance with the provision of this agreement for the work of clearing the site of debris, stacking or removal of serviceable material and for reconstruction of all works ordered by the Engineerin-Charge, such payments being in addition to compensation upto the value of the work originally executed before being damaged or destroyed and not paid for. In case of works damaged or destroyed but not already measured and paid for, the compensation shall be assessed by the Divisional Officer upto Rs.2,00,000/- and by the next higher officer concerned for a higher amount. The contractor shall be paid for the damages/destruction suffered and for restoring the material at the rate based on analysis of rates tendered for in accordance with the provision of the contract. The certificate of the Engineer-in-Charge regarding the quality and quantity of materials and the purpose for which they were collected shall be final and binding on all parties to this contract.



संविदा के खण्ड



खण्ड 38

- (i) कार्य पूरा होने के बाद और उसके मध्यवर्ती किसी भी स्तर पर निर्गत, प्रयुक्त और शेष सामग्रियां (खण्ड 10 देखें) का समाशोधन न होने की दशा में कार्य में प्रयोग के लिए सरकार द्वारा निर्गत सामग्रियों की अनुमान मूलक मात्रा की गणना यहां नीचे दिए गए आधार पर और विधि से की जाएगी:—
- सामग्री की सैद्धांतिक सेवन
- (क) सीमेन्ट और बिटुमन की मात्रा की गणना अनुसूची "च" में उल्लिखित दरों की अनुसूची में बताए अनुसार कार्य की विभिन्न मदों के लिए अपेक्षित सीमेन्ट और बिटुमन की मात्रा के आधार पर की जाएगी, यदि कोई ऐसी मद निष्पादित की जाती है जिसमें सीमेन्ट और बिटुमन की खपत के लिए मानक स्थिरक उपर्युक्त अनुसूची / विवरणी में नहीं है या उनसे परिकलित नहीं की जा सकती तो ऐसे मामले में भारसाधक इंजीनियर द्वारा दिए जाने वाले मानक सूत्र के आधार पर गणना की जाएगी।
- (ख) इस्पात पुनर्बलन या संरचनात्मक इस्पात काटों की सैद्धान्तिक मात्रा को यह माना जाएगा कि वह अभिकल्प के अनुसार या भारसाधक इंजीनियर द्वारा प्राधिकृत अनुसार अपेक्षित मात्रा है। इसमें प्राधिकृत लैपेजेज, कुर्सियां आदि और टुकड़ों में काटने के कारण 3 प्रतिशत छीजन सम्मिलित है। ऐसी सैद्धान्तिक मात्रा का निर्धारण और तुलना व्यास अनुसार, काट अनुसार और श्रेणी अनुसार प्रत्येक अलग—अलग वास्तविक, निर्गत से किया जाएगा।
- (ग) जस्ती, लोहा और ढलवां लोहा या अन्य नलों, कंड्यूट, तारों और केबलों, पिग लैड और जस्ती, लोहा / मृदु इस्पात सीटों की सैद्धान्तिक मात्रा को वास्तव में अपेक्षित और मापी गई मात्रा माना जाएगा । इसमें टुकड़ों में काटने के कारण 5 प्रतिशत छीजन के लिए जोड़ा जाएगा (जस्ता, लोहा / मृदु इस्पात सीटों के मामले में 10 प्रतिशत) ऐसा निर्धारण और तुलना व्यास अनुसार और श्रेणी अनुसार होगी ।
- (घ) किसी भी अन्य सामग्री के लिए वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार। इस प्रकार परिकलित सामग्रियों की सैद्धन्तिक मात्राओं में अनुसूची "च" में निर्दिष्ट अनुसार विचलन अनुमत्य होगा। गैर अनुसूचित मदों के लिए सामग्रियों की सैद्धन्तिक मात्राओं, जिन्हें वास्तव में प्रयुक्त किया जाना चाहिए था, के संबंध में अधीक्षण इंजीनियर सह परियोजना निदेशकध्मुख्य अभियंता / मुख्य परियोजना प्रबन्धक सह ईडी का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।
- इस खण्ड के तहत उक्त कार्रवाई से ठेकेदार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप कार्य न करने के लिए ठेके की किसी भी अन्य शर्त के तहत ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के सरकार के अधिकार पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खण्ड ३९

जब तक कार्य, भारसाधक इंजीनियर को कार्य परिदत नहीं कर दिया जाता और उससे उस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक कार्य (चाहे पूर्णतः निर्मित हो अथवा नहीं) और उससे सम्बन्धित सब मशीनें, औजार और संयंत्र, पाड़, अस्थाई भवन और अन्य वस्तुएं ठेकेदार के जोखिम पर रहेंगी। कार्य या उसमें लगाने के लिए स्थल पर उचित रूप से लाई गई किसी सामग्री को संघर्षों या युद्ध जैसी संक्रियाओं के परिणामस्वरूप क्षति होने अथवा उसके नष्ट होने की दशा में ठेकेदार भारसाधक इंजीनियर द्वारा लिखित आदेश दिए जाने पर कार्यस्थल से मलवे को हटाएगा और क्षतिग्रस्त कार्य से उद्धास्ति काम में आने लायक सारी सामग्री इकट्ठी करेगा और उसका उचित रूप से ढेर लगाएगा अथवा उसे भण्डार में ले जाएगा तथा मलवे को कार्यस्थल से साफ करने के काम में आने लायक सामग्री का ढेर लगाने या उसे हटाने के कार्य के लिए और भारसाधक इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट समस्त कार्यों को फिर से पूरा करने के लिए इस करार के उपबन्ध के अनुसार ठेके की दरों पर संदाय किया जाएगा और इस प्रकार का संदाय क्षतिग्रस्त या नष्ट होने के पूर्व मूलतः निष्पादित किए गए किन्तु संदाय न किए हुए कार्य के मूल्य तक, क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा। क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए ऐसे कार्यों की दशा में जिनकी माप न हुई हो ओर जिनके लिए संदाय न किया गया हो का निर्धारण 2,00,000 / — रु तक मंडल अधिकारी द्वारा और अधिक राशि के लिए संबंधित अधीक्षण इंजीनियर द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार को कार्य में हुए नुक्सान, उसके नष्ट हो जाने और सामग्रियों के प्रत्यास्थापत संदाय इस ठेके के उपबंधों के अनुसार निवेदत दरों के विश्लेषण पर आधारित दरों पर किया जाएगा। सामग्री की क्वालिटी और मात्रा और किस प्रयोजन से उसे संग्रहीत किया गया था उसके बारे में भारसाधक इंजीनियर का प्रमाण पत्र अंतिम और इस ठेके के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

युद्ध जैसी परिस्थितियों के दौरान मुआवजा



Provided always that no compensation shall be payable for any loss in consequence of hostilities or warlike operations (a) unless the contractor had taken all such precautions against air raid as are deemed necessary by the A.R.P. (Air Raid Precaution) Officers or the Engineer-in-Charge (b) for any material etc. not on the site of the work or for any tools, plant, machinery, scaffolding, temporary building and other things not intended for the work. In the event of the contractor having to carry out reconstruction as aforesaid, he shall be allowed such extension of time for its completion as is considered reasonable by the Divisional Officer.

Clause 40

Apprentices Act provisions to be complied with

The contractor shall comply with the provisions of the Apprentices Act, 1961 and the rules and orders issued there under from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of the contract and the Superintending Engineer may, in his discretion, cancel the contract. The contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.

Clause 41

Release of Security deposit after labour clearance

The Security Deposit of the work shall be refunded if no labour complaint has been received from the labour officer till the due date of its payment. If a labour complaint is received during this period, the Engineer-in-Charge shall, after issue of notice in this regard to the contractor, deduct the amount required to settle the complaint from his security deposit and refund the balance amount.

In case, if part completion certificate of work is recorded then security deposit shall be released only after recording final completion certificate of the work and after completion of defect liability period whichever is later or specified otherwise in the contract.

Note: - In case of any discrepancies between Hindi and English version, English version shall prevail.





परंतु सर्वदा यह कि संघर्षों या युद्ध जैसी सक्रियाओं के परिणामस्वरूप किसी हानि के लिए कोई भी क्षतिपूर्ति (क) तब तक संदेय नहीं होगी जब तक कि ठेकेदार ने हवाई हमले के विरुद्ध ऐसे सभी पूर्वोपाय न किए हों, जो हवाई हमला सुरक्षा आधिकारी या भारसाधक इंजीनियर द्वारा आवश्यक समझे जाते हों, और (ख) किसी ऐसी सामग्री आदि के लिए जो कार्यस्थल पर नहीं है या किसी ऐसे औजार, संयत्र, मशीनरी, पाड़, अस्थाई भवन और अन्य वस्तुओं के उस कार्य के लिए आशायित नहीं है, संदेय नहीं होगी। ठेकेदार द्वारा, यथापूर्वोक्त पूनर्निर्माण किए जाने की दशा में, उसे उसको पूरा करने के लिए उतना और समय दिया जाएगा जितना मण्डल अधिकारी द्वारा उचित समझा जाए।

खण्ड 40

ठेकेदार शिक्षु अधिनियम, 1961 और समय समय पर उसके अधीन जारी किए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों का अनुपालन करेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहेगा तो उसकी असफलता ठेके का भंग होगी और अधीक्षक इंजीनियर अपने विवेकाधिकार से ठेका रद्द कर सकेगा। ठेकेदार उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अपने द्वारा किसी अधिक्रमण के कारण उद्धभूत किन्हीं धन देयताओं के लिए भी जिम्मेदार होगा।

अपेंटिस अधिनियम प्रावधानों का अनुपालन

खण्ड- 41

यदि श्रम अधिकारी से भुगतान की नियत तिथि तक कोई श्रमिक शिकायत प्राप्त नहीं होती है, तो कार्य की ज़मानत राशि वापस कर दी जाएगी। यदि इस अवधि के दौरान कोई श्रमिक शिकायत प्राप्त होती है, तो प्रभारी अभियंता, ठेकेदार को इस संबंधमें नोटिस जारी करने के बाद, उसकी ज़मानत राशि से शिकायत को निपटाने के लिए आवश्यक राशि की कटौती करेगा और शेष राशि वापस कर देगा।

श्रम अनापित्त के बाद प्रतिभूति राशि की देयता

यदि कार्य का आंशिक समापन प्रमाण पत्र दर्ज किया गया है, तो प्रतिभूति राशि का भुगतान, कार्य के अंतिम समापन प्रमाण पत्र को दर्ज करने और दोष दायित्व अवधि के पूरा होने के बाद, जो भी बाद में हो या अनुबंध में अन्यथा निर्दिष्ट हो, किया जाएगा।

टिप्पणी :— इसके हिन्दी और अंग्रेजी पाठ में कोई अन्तर या द्विधार्थकता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा। INTEGRITY PACT



INTEGRITY PACT

(Integrity Pact is applicable for all works of estimated cost put to tender equal to or more than the threshold value given in Schedule-F)		
This Integrity Pact is made at on this day of 20		
BETWEEN		
President of India represented by the Engineer-in-Charge (hereinafter referred to as the Principal, whichexpressionshallunlessrepugnanttothemeaningorcontexthereofincludeitssuccessors and permittedassignees)		
AND		
(Name and address of the bidder)		
(Hereinafter referred to as the Bidder/Contractorand which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof include its successors and permitted assignees)		
Preamble		
WHEREAS the Principal has floated the tender (NIT No) (herein after referred to as the Tender) and intends to award, under laid down organizational procedure, contract for		
AND WHEREAS the Principal values full compliance with all relevant laws of the land, rules, regulations, economic use of resources and of fairness/transparency in its relation with its Bidder(s) and Contractor(s).		
AND WHEREAS to meet the purpose aforesaid both the parties have agreed to enter into this Integrity Agreement (hereinafter referred to as Integrity Pact), the terms and conditions of which shall also be read as integral part and parcel of the Tender/Bid documents and Contract between the parties.		

In order to achieve these goals, the Principal will appoint Independent External Monitors (IEMs) who will monitor the tender process and the execution of the contract for compliance with the principles mentioned hereunder.

NOW, THEREFORE, in consideration of mutual covenants contained in this Pact, the parties hereby agree as follows and this Integrity Pact witnesses as under:

Articles

Article 1: Commitment of the Principal

- (1) The Principal commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles:
 - (a) No employee of the Principal, personally or through any of his/her family members, will in connection with the Tender, or the execution of the Contract, demand, take a promise for or accept, for self or third person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.
 - (b) The Principal will, during the Tender process, treat all Bidder(s) with equity and reason. The Principal will, in particular, before and during the Tender process, provide to all Bidder(s) the same information and will not provide to any Bidder(s) confidential/additional information through which the Bidder(s) could obtain an advantage in relation to the Tender process or the Contract execution.
 - (c) The Principal shall endeavour to exclude from the Tender process any person, whose conduct in the past has been of biased nature.



सत्यनिष्ठा समझौता



सत्यनिष्ठा समझौता

(सत्यनिष्ठा समझौता अनुसूची–एफ में दिए गए प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक की अनुमानित लागत के सभी कार्यों के लिए लागू है)

यह सत्यनिष्ठा समझौता दिनांक को 202 में किया जाता है।
के बीच
प्रभारी अभियंता द्वारा प्रतिनिधित्व भारत के राष्ट्रपति (बाद में प्रमुख के रूप में संदर्भित, जो अभिव्यक्ति जब तक अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल नहीं
होगी, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)
तथा
(बोली लगाने वाले का नाम और पता)

(इसके बाद बोलीदाता / ठेकेदार के रूपमें संदर्भित किया गया है और कोई सी अभिव्यक्ति जब तक अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल नहीं होगी, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

प्रस्तावना

जबिक प्रमुख ने निविदा जारी की है (एनआईटी संख्या) (इसके बाद निविदा के रूप में संदर्भित) और निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत, के लिए अनुबंध प्रदान करने का इरादा रखता है। इसके बाद अनुबंध के रूप में जाना जाता है।

और जबकि प्रमुखदेष भूमि के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और इसके बोलीदाताओं और ठेकेदार (कों) के साथ अपने संबंध में निष्पक्षता / पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

और जबिक पूर्वोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों पक्ष इस सत्यनिष्ठा समझौते (इसके बाद सत्यनिष्ठा संधि के रूप में संदर्भित) में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसके नियमों और शर्तों को भी दोनों पक्षो के बीच निविदा / बोली दस्तावेजों और अनुबंध के अभिन्न अंग और पार्सल के रूप में पढ़ा जाएगा। पार्टियों के बीच।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रमुखस्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) की नियक्ति करेंगे जो नीचे उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन के लिए निविदा प्रक्रिया और अनुबंध के निष्पादन की निगरानी करेंगे।

अब, इसलिए, इस संधि में निहित पारस्परिक प्रसंविदाओं पर विचार करते हुए, पक्ष एतद्दवारा निम्नानुसार सहमत होते हैं और यह सत्यनिष्ठा समझौता निम्नानुसार गवाह है:

अनुच्छेद

अनुच्छेद 1: प्रमुख की प्रतिबद्धता

- प्रमुख भ्रष्टाचार को रोकने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं:
 - प्रमुख का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के माध्यम से, निविदा, या अनुबंध के निष्पादन के संबंध में, स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए कोई वादा नहीं करेगा या भौतिक या अभौतिक लाभ स्वीकार नहीं करेगा। जिसके लिए व्यक्ति कानुनी रूप से हकदार नहीं है।
 - प्रमुख, निविदा प्रक्रिया के दौरान, सभी बोलीदाताओं के साथ समानता और तर्क के साथ व्यवहार करेगा। प्रमुख विशेष रूप से, निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, सभी बोलीदाताओं को एक ही जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता को निविदा प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के संबंध में गोपनीय / अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से बोलीदाता को लाभ प्राप्त हो सकता है।
 - (ग) प्रमुख किसी भी ऐसे व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया से बाहर करने का प्रयास करेगा, जिसका आचरण पूर्व में पक्षपातपूर्ण रहा हो।

INTEGRITY PACT



(2) If the Principal obtains information on the conduct of any of its employees which is a criminal offence under the Indian Penal code (IPC)/Prevention of Corruption Act, 1988 (PC Act) or is in violation of the principles herein mentioned or if there be a substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can also initiate disciplinary actions as per its internal laid down policies and procedures.

Article 2: Commitment of the Bidder(s)/Contractor(s)

- 1. It is required that each Bidder/Contractor (including their respective officers, employees and agents) adhere to the highest ethical standards, and report to the Government / Department all suspected acts of fraud or corruption or Coercion or Collusion of which it has knowledge or becomes aware, during the tendering process and throughout the negotiation or award of a contract.
- 2. The Bidder(s)/Contractor(s) commits himself to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the Tender process and during the Contract execution:
 - (a) The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm, offer, promise or give to any of the Principal employees involved in the Tender process or execution of the Contract or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever during the Tender process or during the execution of the Contract.
 - (b) The Bidder(s)/Contractor(s) will not enter with other Bidder(s) into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to cartelize in the bidding process.
 - (c) The Bidder(s)/Contractor(s) will not commit any offence under the relevant IPC/PC Act. Further the Bidder(s)/Contract(s) will not use improperly, (for the purpose of competition or personal gain), or pass on to others, any information or documents provided by the Principal/Owner as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or transmitted electronically.
 - (d) The Bidder(s)/Contractor(s) of foreign origin shall disclose the names and addresses of agents/ representatives in India, if any. Similarly Bidder(s)/Contractor(s) of Indian nationality shall disclose names and addresses of foreign agents/representatives, if any. Either the Indian agent on behalf of the foreign principal or the foreign principal directly could bid in a tender but not both. Further, in cases where an agent participates in a tender on behalf of one manufacturer, he shall not be allowed to quote on behalf of another manufacturer along with the first manufacturer in a subsequent/parallel tender for the same item.
 - (e) The Bidder(s)/Contractor(s) will, when presenting his bid, disclose any and all payments he has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the Contract.
 - (f) Bidder(s) / Contractor(s) who have signed the Integrity Pact shall not approach the courts while representing the matter to IEMs and shall wait for their decision in the matter.
- 3. The Bidder(s)/Contractor(s) will not instigate third persons to commit offences outlined above or be an accessory to such offences.
- 4. The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm indulge in fraudulent practice, wilful misrepresentation or omission of facts or submission of fake/forged documents in order to induce public official to act in reliance thereof, with the purpose of obtaining unjust advantage by or causing damage to justified interest of others and/or to influence the procurement process to the detriment of the Government interests.
- 5. The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm use coercive practices (which shall include the act of obtaining something, compelling an action or influencing a decision through intimidation, threat or the use of force directly or indirectly, where potential or actual injury may befall upon a person, his/ her reputation or property) to influence their participation in the tendering process.



सत्यनिष्ठा समझौता



(2) यदि प्रमुख अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) / भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी अधिनियम) के तहत एक आपराधिक अपराध है या यहां उल्लिखित सिद्धांतों का उल्लंघन है या यदि इस संबंध में कोई वास्तविक संदेह होता है, तो प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेंगे और इसके अलावा अपनी आंतरिक निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं।

अनुच्छेद 2: बोली लगाने वाले/ठेकेदारों की प्रतिबद्धता

- 1. यह आवश्यक है कि प्रत्येक बोलीदाता / ठेकेदार (उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों सिहत) उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें, और सरकार / विभाग को धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या जबरदस्ती या मिलीभगत के सभी संदिग्ध कृत्यों की रिपोर्ट करें जिनके बारे में उसे जानकारी है या निविदा प्रक्रिया के दौरान और अनुबंध की बातचीत या ठेका देने के दौरान सूचना देगा।
- 2. बोलीदाता / ठेकेदार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए स्वयं प्रतिबद्ध हैं। वह निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के दौरान और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है:
 - (क) बोलीदाता / ठेकेदार, सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में शामिल किसी भी प्रधान कर्मचारी को या किसी तीसरे को प्रस्ताव, वादा या प्रस्ताव नहीं देंगे। निविदा प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार के किसी भी लाभ के बदले में प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कोई भी सामग्री या अन्य लाभ, जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है।
 - (ख) बोलीदाता / ठेकेदार अन्य बोलीदाताओं के साथ किसी भी अज्ञात समझौते या समझ में प्रवेश नहीं करेंगे, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों, बोलियों को जमा करने या प्रस्तुत न करने या प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में व्यावसायिक समूहन करने के लिए किसी भी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।
 - (ग) बोलीदाता / ठेकेदार संबंधित आईपीसी / पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे। इसके अलावा, बोलीदाता / अनुबंध अनुचित तरीके से, (प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य के लिए) का उपयोग नहीं करेंगे, या व्यापार संबंध के हिस्से के रूप में प्रिंसिपल / मालिक द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रसारित जानकारी सहित योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के संबंध मेंकिसी भी जानकारी या दस्तावेजों को दूसरों को नहीं देंगे।
 - (घ) विदेशी मूल के बोलीदाता / ठेकेदार भारत में एजेंटों / प्रतिनिधियों के नाम और पते, यदि कोई हों, का खुलासा करेंगे। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाता / ठेकेदार विदेशी एजेंटों / प्रतिनिधियों, यदि कोई हों, के नाम और पते का खुलासा करेंगे। या तो विदेशी प्रमुख या विदेशी प्रमुख की ओर से भारतीय एजेंट सीधे निविदा में बोली लगा सकता है लेकिन दोनों नहीं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां एक एजेंट एक निर्माता की ओर से एक निविदा में भाग लेता है, उसे उसी आइटम के लिए बाद के / समानांतर निविदा में पहले निर्माता के साथ दूसरे निर्माता की ओर से बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - (च) बोलीदाता / ठेकेदार, अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अपने द्वारा किए गए किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करेंगे, जो कि इस निविदा को प्राप्त करने के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को करने के लिए प्रतिबद्ध हैं या करने का इरादा रखते हैं।
 - (छ) बोलीदाता / ठेकेदार, जिन्होंने सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, आईईएम द्वारा मामले का प्रतिनिधित्व करते समय अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे और मामले में उनके निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे।
- 3. बोलीदाता / ठेकेदार किसी अन्य व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए नहीं उकसायेगा और न ही उसमें भागीदार होगा।
- 4. बोलीदाता / ठेकेदार, सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से धोखाधड़ी के अभ्यास, जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों की चूक या नकली / जाली दस्तावेज जमा करने,दूसरों के न्यायोचित हितों को नुकसान पहुंचाकर या अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से और / या सरकारी हितों की हानि के लिए खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक अधिकारी का कार्य प्रभावित आदि में शामिल नहीं होगें।
- 5. बोलीदाता / ठेकेदार, सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने के लिए दबाव का उपयोग नहीं करेंगे (जिसमें कुछ प्राप्त करने का कार्य, मजबूर करने या डराने, धमकी या बल प्रयोग के माध्यम से निर्णय को प्रभावित करना शामिल होगा) जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या संपत्ति को संभावित या वास्तविक क्षति हो।

INTEGRITY PACT



Article 3: Consequences of Breach

Without prejudice to any rights that may be available to the Principal under law or the contract or its established policies and laid down procedures, the Principal shall have the following rights in case of breach of this Integrity Pact by the Bidder(s)/Contractor(s) and the Bidder/ Contractor accepts and undertakes to respect and uphold the Principal absolute right:

- 1. If the Bidder(s)/Contractor(s), either before award or during execution of Contract has committed a transgression through a violation of Article 2 above or in any other form, such as to put his reliability or credibility in question, the Principal after giving 14 days notice to the contractor shall have powers to disqualify the Bidder(s)/Contractor(s) from the Tender process or terminate/determine the Contract, if already executed or exclude the Bidder/Contractor from future contract award processes. The imposition and duration of the exclusion will be determined by the severity of transgression and determined by the Principal. Such exclusion may be forever or for a limited period as decided by the Principal.
- 2. Forfeiture of Earnest Money Deposit/Performance Guarantee/Security Deposit: If the Principal has disqualified the Bidder(s) from the Tender process prior to the award of the Contract or terminated/determined the Contract or has accrued the right to terminate/determine the Contract according to Article 3(1), the Principal apart from exercising any legal rights that may have accrued to the Principal, may in its considered opinion forfeit the entire amount of Earnest Money Deposit/Performance Guarantee and Security Deposit of the Bidder/Contractor.
- 3. Criminal Liability: If the Principal obtains knowledge of conduct of a Bidder or Contractor, or of an employee or a representative or an associate of a Bidder or Contractor which constitutes corruption within the meaning of PC Act, or if the Principal has substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the same to law enforcing agencies for further investigation.

Article 4: Previous Transgression

- The Bidder declares that no previous transgressions occurred in the last 3 years with any other Company in any country confirming to the anticorruption approach or with Central Government or State Government or any other Central/State Public Sector Enterprises in India that could justify his exclusion from the tender process.
- 2. If the Bidder makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the tender process or action can be taken for banning of business dealings/holiday listing of the Bidder/Contractor as deemed fit by the Principal.
- 3. If the Bidder/Contractor can prove that he has resorted/recouped the damage caused by him and has installed a suitable corruption prevention system, the Principal may, at its own discretion, revoke the exclusion prematurely.

Article 5: Equal Treatment of all Bidders/Contractors/Subcontractors

- 1. The Bidder(s)/Contractor(s) undertake(s) to demand from all subcontractors a commitment in conformity with this Integrity Pact. The Bidder/Contractor shall be responsible for any violation(s) of the principles laid down in this agreement by any of its Subcontractors/subvendors.
- 2. The Principal will enter into pacts on identical terms as this one with all Bidders and Contractors.
- The Principal will disqualify Bidders who do not submit the duly signed Integrity Pact between the Principal and the Bidder along with the Tender or violate its provisions at any stage of the Tender process.

Article 6- Duration of the Pact

This Integrity Pact begins when both the parties have legally signed it. It expires for the Contractor 12 months after the completion of work under the contract or expiry of defect liability period or last payment made under the contract, whichever is later and for all other bidders, 6 months after the Contract has been awarded.

If any claim is made/lodged during this time, the same shall be binding and continue to be valid despite the lapse of this Integrity Pact as specified above, unless it is discharged/determined by the ADG/SDG, CPWD concerned.



सत्यनिष्ठा समझौता



अनुच्छेद 3: उल्लंघन के परिणाम

कानून या अनुबंध या इसकी स्थापित नीतियों और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत प्रमुख को उपलब्ध किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोलीदाता / ठेकेदार द्वारा इस सत्यिनिष्ठा समझौते के उल्लंघन के मामले में प्रमुख के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे और बोलीदाता / ठेकेदार,प्रमुख के अधिकार का पूर्ण सम्मान करने और उसे बनाए रखने के लिए स्वीकार करता है और वचन देता है:

- 1. यदि बोलीदातों / ठेकेदारों ने या तो पुरस्कार देने से पहले या अनुबंध के निष्पादन के दौरान उपरोक्त अनुच्छेद 2 के उल्लंघन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में, जैसे कि उसकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता पर प्रश्निचिह्न लगाने के लिए, उल्लंघन किया है, ठेकेदार को 14 दिनों का नोटिस देने के बाद प्रमुख के पास निविदा प्रक्रिया से बोलीदाता / ठेकेदारको अयोग्य घोषित करने या अनुबंध को समाप्त / निर्धारित करने का अधिकार होगा, यदि पहले से ही निष्पादित किया गया है या भविष्य के अनुबंध पुरस्कार प्रक्रियाओं से बोलीदाता / ठेकेदार को बाहर कर सकता है। बहिष्कार का अधिरोपण तथा इनकी अविध प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी। ऐसा बहिष्कार हमेशा के लिए या सीमित अविध के लिए हो सकता है जैसा कि प्रमुख द्वारा तय किया गया हो।
- वयाना जमा/निष्पादन गारंटी/प्रतिभूति जमा की जब्दी: यदि प्रमुख ने अनुबंध के होने से पहले बोलीदाता(ओं) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया है या अनुबंध को समाप्त/निर्धारित किया है या अनुच्छेद 3(1) के अनुसार अनुबंधसमाप्त/निर्धारित करने का अधिकार अर्जित किया है, प्रमुख प्राप्त होने वाले किसी भी कानूनी अधिकार का प्रयोग करने के अलावा, अपने विवेकानुसार बोलीदाता/ठेकेदार की समस्त बयाना जमाराशि/निष्पादन गारंटी और स्रक्षा जमा राशि को जब्त कर सकता है।
- 3. आपराधिक दायित्वः यदि प्रमुख को किसी बोलीदाता या ठेकेदार, या किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या किसी बोलीदाता या ठेकेदार के सहयोगी के आचरण के बारे में आई पीसी अधिनियम के अर्थ के तहत भ्रष्ट होने की जानकारी मिलती है या प्रमुख को इस संबंध में वास्तविक संदेह है, तो प्रमुख आगे की जांच के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों को आगे की जांच पड़ताल के लिए इसकी सूचना देंगे।

अनुच्छेद ४: पूर्व उल्लंधन

- 1. बोलीदाता घोषणा करता है कि पिछले 3 वर्षों में किसी भी अन्य कंपनी के साथ किसी भी देश में भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण की पुष्टि करने वाली या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारत में किसी अन्य केंद्रीय / राज्य सार्वजिनक क्षेत्र के उद्यमों के साथ कोई पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है जो उसके टेंडर प्रक्रिया से बिहष्कार को उचित ठहरा सकता है।
- 2. यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या प्रमुख द्वारा उचित समझे जाने पर बोली लगाने वाले / ठेकेदार की व्यावसायिक लेनदेन / अवकाश सूची पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है।
- 3. यदि बोलीदाता / ठेकेदार यह साबित कर सकता है कि उसने अपने द्वारा हुए नुकसान की भरपाई कर ली है और एक उपयुक्त भ्रष्टाचार निवारण प्रणाली स्थापित कर ली है, तो प्रमुख, अपने विवेक से, समय से पहले ही बहिष्करण को रद्द कर सकता है।

अनुच्छेद 5ः सभी बोलीदाताओं / ठेकेदारों / उपठेकेदारों के साथ समान व्यवहार

- बोलीदाता / ठेकेदार सभी उप–ठेकेदारों से इस सत्यिनष्ठा समझौते के अनुरूप प्रतिबद्धता की मांग करने का वचन देते हैं। बोलीदाता / ठेकेदार अपने किसी भी उप–ठेकेदार / उप–विक्रेता द्वारा इस समझौते में निर्धारित सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होगा।
- प्रमुख सभी बोलीदाताओं और ठेकेदारों के साथ समान शर्तों पर यह समझौते करेगा।
- प्रमुख उन बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर देगा जो निविदा के साथ प्रमुख और बोलीदाता के बीच विधिवत हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा संधि जमा नहीं करते हैं या निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

अनुच्छेद 6— संधि की अवधि

यह वफ़ादारी समझौता तब शुरू होता है जब दोनों पक्षों ने कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर किए हों। यह संविदाकार के लिए अनुबंध के तहत काम पूरा होने के 12 महीने बाद या दोष देयता अविध की समाप्ति या अनुबंध के तहत किए गए अंतिम भुगतान, जो भी बाद में हो और अन्य सभी बोलीदाताओं के लिए, अनुबंध दिए जाने के 6 महीने बाद समाप्त हो जाता है।

यदि इस समय के दौरान कोई दावा किया जाता है / दर्ज किया जाता है, तो यह बाध्यकारी होगा और ऊपर निर्दिष्ट इस सत्यनिष्ठा समझौते के समाप्त होने के बावजूद वैध बना रहेगा, जब तक कि इसे संबंधित एडीजी / एसडीजी, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्वहन / निर्धारित नहीं किया जाता है। INTEGRITY PACT



Article 7- Other Provisions

- 1. This Integrity Pact is subject to Indian Law, place of performance and jurisdiction is the Headquarters of the Division of the Principal, who has floated the tender.
- 2. Changes and supplements as well as termination notice need to be made in writing.
- 3. If the Contractor is a partnership or a consortium, this Integrity Pact must be signed by all the partners or by one or more partner holding power of attorney signed by all partners and consortium members. In case of a Company, the Integrity Pact must be signed by a representative duly authorized by board resolution.
- 4. Should one or several provisions of this Integrity Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact remains valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intensions.
- 5. Issues like Warranty/Guarantee etc. shall be outside the purview of IEMs.
- 6. It is agreed term and condition that any dispute or difference arising between the parties with regard to the terms of this Integrity Pact, any action taken by the Principal in accordance with this Integrity Pact or interpretation thereof shall not be subject to arbitration.
- 7. In view of the nature of integrity pact, the Integrity Pact is irrevocable and shall remain valid even if the main tender/contract is terminated till the currency of the integrity pact.
- 8. If any complaint regarding violation of IP is received directly by the Principal in respect of the contract, the same shall be referred to the IEM for comments/recommendations.

Article 8 -Independent External Monitor (IEM)

- (1) The Principal appoints competent and credible Independent External Monitor for this Pact after approval by Central Vigilance Commission (Names and address of IEMs are as mentioned in Schedule-F). The task of the Monitor is to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this agreement.
- (2) The Monitor is not subject to instructions by the representatives of the parties and performs his/her functions neutrally and independently. The Monitor would have access to all contract documents, whenever required. It will be obligatory for him/her to treat the information and documents of the Bidders / Contractors as confidential.
- (3) The Bidder(s)/Contractor(s) accepts that the IEM has the right to access without restriction to all project documentation of the Principal including that provided by the Contractor, The Contractor will also grant the IEM, upon his/her request and demonstration of a valid interest, unrestricted and unconditional access to their project documentation. The same is applicable to subcontractors.
- (4) The IEM is under contractual obligation to treat the information and documents of the Bidder{s}/Contractor(s)/ Sub-contractor(s) with confidentiality. The IEM has also signed 'Non- Disclosure of Confidential Information' and 'Absence of Conflict of Interest'. In case if any conflict of interest arising at a later date, the IEM shall inform the Engineer-in-Charge and recuse himself / herself from that case.
- (5) As soon as the IEM notices, or believes to notice, a violation of this agreement, he/she will so inform the Management of the Principal and request the Management to discontinue or take corrective action, or to take other relevant action. The IEM can in this regard submit non-binding recommendations. Beyond this, the IEM has no right to demand from the parties that they act in a specific manner, refrain from action or tolerate action.
- (6) The IEM will submit a written report to the SDG/ADG concerned within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the Principal and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.
- (7) If the IEM has reported to the ADG/SDG concerned, a substantiated suspicion of an offence under relevant IPC/PC Act, and the ADG/SDG concerned has, within a reasonable time, not taken visible action to proceed against such offence or reported it to the Chief Vigilance Officer, the IEM may also transmit this information directly to the Central Vigilance Commissioner.



सत्यनिष्ठा समझौता



अनुच्छेद ७– अन्य प्रावधान

- यह सत्यिनिष्ठा समझौता भारतीय कानून के अधीन है, प्रदर्शन का स्थान और अधिकार क्षेत्र प्रमुख के मंडल का मुख्यालय है, जिसने निविदा जारी की है।
- 2. परिवर्तन और पूरक के साथ-साथ समाप्ति की सूचना लिखित रूप में दी जानी चाहिए।
- 3. यदि ठेकेदार एक साझेदारी या एक संघ है, तो इस सत्यनिष्ठा समझौते पर सभी भागीदारों द्वारा या सभी भागीदारों अथवा संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए हुए मुख्तारनामा रखने वालेएक या एक से अधिक भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- 4. इस सत्यिनिष्ठा समझौते के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं; इस शेष मान्य रहेंगे। इस मामले में, इस करार के मूल कार्य को करने हेतु सभी दल प्रयास करेंगे।
- वारंटी / गारंटी आदि जैसे मुद्दे आईईएम के दायरे से बाहर होंगे।
- 6. यह सहमत नियम और शर्त है कि इस सत्यिनिष्ठा संधि की शर्तों के संबंध में पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद, इस सत्यिनिष्ठा संधि के अनुसार प्रमुख द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई या उसकी व्याख्या मध्यस्थता के अधीन नहीं होगी।
- 7. सत्यनिष्ठा संधि की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सत्यनिष्ठा समझौता अपरिवर्तनीय है और यह तब तक वैध रहेगा जब तक कि मुख्य निविदा / संविदा को सत्यनिष्ठा संधि के लागू रहने तक समाप्त नहीं कर दिया जाता है।
- 8. यदि अनुबंध के संबंध में आईपी के उल्लंघन की में कोई शिकायत सीधे प्रमुख को प्राप्त होती है, तो उसे टिप्पणियों / सिफारिशों के लिए आईईएम को भेजा जाएगा।

अनुच्छेद ८ – स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम)

- (1) प्रमुख केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन के बाद इस संधि के लिए सक्षम और विश्वसनीय स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर की नियुक्ति करते हैं (आईईएम के नाम और पते अनुसूची—एफ में उल्लिखित हैं)। मॉनिटर का कार्य स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना है कि क्या और किस हद तक पार्टियां इस समझौते के तहत दायित्वों का पालन करती हैं।
- (2) मॉनिटर पार्टियों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं है और अपने कार्यों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करता है। जब भी आवश्यक हो, मॉनिटर के पास सभी अनुबंध दस्तावेजों तक पहुंच होगी। उसके लिए यह अनिवार्य होगा कि वह बोलीदाताओं / ठेकेदारों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीय रखे।
- (3) बोलीदाता / ठेकेदार यह स्वीकार करते हैं कि आईईएम को ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए प्रोजेक्ट सहित प्रमुख के सभी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन तक बिना किसी रोक–टोक के एक्सेस करने का अधिकार है, ठेकेदार आई ई एम एक वैध हित का अनुरोध और प्रदर्शन, उनके परियोजना प्रलेखन के लिए अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुंच को भी अनुदान देगा। उप–ठेकेदारों पर भी यही बात लागू होती है।
- (4) आईईएम पर बोली लगाने वाले / ठेकेदारों / उप-ठेकेदारों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीयता के साथ व्यवहार करने के लिए संविदात्मक दायित्व है। आईईएम ने 'गोपनीय सूचना के गैर-प्रकटीकरण' और 'हितों के टकराव की अनुपस्थिति' पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यदि बाद की तारीख में हितों का कोई टकराव होता है, तो आईईएम प्रभारी अभियंता को सूचित करेगा और उस मामले से खुद को अलग कर लेगा।
- (5) जैसे ही आईईएम इस समझौते के उल्लंघन को नोटिस करता है, या संज्ञान में आता है, वह प्रमुख के प्रबंधन को सूचित करेगा और प्रबंधन से इसे बंद करने या सुधारात्मक कार्रवाई करने या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। आईईएम इस संबंध में गैर—बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, आईईएम को पार्टियों से यह मांग करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे एक विशिष्ट तरीके से कार्य करें, कार्रवाई से परहेज करें या कार्रवाई को सहन करें।
- (6) आईईएम संबंधित एसडीजी / एडीजी को प्रमुख द्वारा संदर्भ या उन्हें सूचित करने की तारीख से 8 से 10 सप्ताह के भीतर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, यदि अवसर उत्पन्न होता है, तो समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
- (7) यदि आईईएम ने संबंधित एडीजी / एसडीजी को सूचित किया है, तो प्रासंगिक आईपीसी / पीसी अधिनियम के तहत अपराध का एक प्रमाणित संदेह है, और संबंधित एडीजी / एसडीजी ने उचित समय के भीतर, ऐसे अपराध के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए दृश्यमान कार्रवाई नहीं की है तो आईईएम इस सूचना को सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी प्रेषित कर सकता है।

INTEGRITY PACT



- (8) The Principal will provide to the IEM sufficient information about all meetings among the parties related to the project provided such meetings could have impact on contractual relations between the Principal and the contractor. The parties will offer to the IEM the option to participate in such meetings.
- (9) The word IEM or monitor would include both singular and plural.

Note: To be signed by the Bidder and the Engineer-in-Charge.

Article 9- Legal and Prior Rights


All rights and remedies of the parties hereto shall be in addition to all the other legal rights and remedies belonging to such parties under the Contract and/or law and the same shall be deemed to be cumulative and not alternative to such legal rights and remedies aforesaid. For the sake of brevity, both the Parties agree that this Integrity Pact will have precedence over the Tender/Contact documents with regard to any of the provisions covered under this Integrity Pact.

ITIW NI	NESS WHERE OF the parties have signed and executed this Integrity Pact at the place and date first
above n	nentioned in the presence of following witnesses:
(For and	d on behalf of Principal)
(For and	d on behalf of Bidder/Contractor)
WITNE	SSES:
1	
	(signature, name and address)
2	
	(signature, name and address)
Place:	
Dated:	

Provision of IEMs

IEMs (Independent External Monitors) have been appointed to monitor IP (Integrity pact) for works having estimated cost as mentioned in Schedule F. Details (names, address, number etc.) of IEMs are available in the Schedule F.







- (8) प्रमुख आईईएम को परियोजना से संबंधित पार्टियों के बीच सभी बैठकों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते ऐसी बैठकें प्रमुख और ठेकेदार के बीच संविदात्मक संबंधों पर असर डाल सकती हैं। पार्टियां आईईएम को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करेंगी।
- (9) आईईएम या मॉनिटर शब्द में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

अनुच्छेद 9- कानूनी और पूर्व अधिकार

पार्टियों के सभी अधिकार और उपचार अनुबंध और / या कानून के तहत ऐसे पक्षों से संबंधित अन्य सभी कानूनी अधिकारों और उपचारों के अतिरिक्त होंगे और उन्हें संचयी माना जाएगा और पूर्वोक्त ऐसे कानूनी अधिकारों और उपचारों का विकल्प नहीं होगा। संक्षिप्तता के लिए, दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि इस सत्यिनिष्ठा संधि के तहत कवर किए गए किसी भी प्रावधान के संबंध में निविदा / संपर्क दस्तावेजों पर इस सत्यिनिष्ठा समझौते की प्राथमिकता होगी।

इस बात के गवाह में कि पार्टियों ने निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में ऊपर उल्लिखित स्थान और तारीख पर इस सत्यनिष्ठा समझौते प हस्ताक्षर किए हैं और निष्पादित किया है:	
	के लिए और उनकी ओर से)
(बोली	 राता / ठेकेदार के लिए और उनकी ओर से)
गवाहः	
1	(हस्ताक्षर, नाम और पता)
2	
	(हस्ताक्षर, नाम और पता)
स्थानः	
दिनांव	
नोटः	ोलीदाता और प्रभारी अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है।

स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आई.ई.एम.) का प्रावधान:-

आई.ई.एम. की नियुक्ति अनुसूची 'च' में उल्लिखित अनुमानित लागत के कार्यों में सत्यनिष्ठा संधि की निगरानी के लिए की गई है। आई.ई.एम. के विवरण (नाम, पता, सम्पर्क संख्या आदि अनुसूची 'च' में उपलब्ध है।



CPWD SAFETY CODE

- Suitable scaffolds should be provided for workmen for all works that cannot safely be done from the ground, or from solid construction except such short period work as can be done safely from ladders. When a ladder is used, an extra mazdoor shall be engaged for holding the ladder and if the ladder is used for carrying materials as well suitable footholds and handhold shall be provided on the ladder and the ladder shall be given an inclination not steeper than 1/4 to 1(1/4 horizontal and 1 vertical.)
- 2. Scaffolding of staging more than 3.6 m (12ft.) above the ground or floor, swung or suspended from an overhead support or erected with stationary support shall have a guard rail properly attached or bolted, braced and otherwise secured at least 90 cm. (3ft.) high above the floor or platform of such scaffolding or staging and extending along the entire length of the outside and ends there of with only such opening as may be necessary for the delivery of materials. Such scaffolding or staging shall be so fastened as to prevent it from swaying from the building or structure.
- 3. Working platforms, gangways and stairways should be so constructed that they should not sag unduly or unequally, and if the height of the platform or the gangway or the stairway is more than 3.6 m (12ft.) above ground level or floor level, they should be closely boarded, should have adequate width and should be suitably fastened as described in (2) above.
- 4. Every opening in the floor of a building or in a working platform shall be provided with suitable means to prevent the fall of person or materials by providing suitable fencing or railing whose minimum height shall be 90 cm. (3ft.)
- 5. Safe means of access shall be provided to all working platforms and other working places. Every ladder shall be securely fixed. No portable single ladder shall be over 9m. (30ft.) in length while the width between side rails in rung ladder shall in no case be less than 29 cm. (11½") for ladder upto and including 3 m. (10 ft.) in length. For longer ladders, this width should be increased at least ¼"for each additional 30 cm. (1 foot) of length. Uniform step spacing of not more than 30 cm shall be kept. Adequate precautions shall be taken to prevent danger from electrical equipment. No materials on any of the sites or work shall be so stacked or placed as to cause danger or inconvenience to any person or the public. The contractor shall provide all necessary fencing and lights to protect the public from accident and shall be bound to bear the expenses of defence of every suit, action or other proceedings at law that may be brought by any person for injury sustained owing to neglect of the above precautions and to pay any damages and cost which may be awarded in any such suit; action or proceedings to any such person or which may, with the consent of the contractor, be paid to compensate any claim by any such person.
- 6. (a) Excavation and Trenching All trenches 1.2 m. (4ft.) or more in depth, shall at all times be supplied with at least one ladder for each 30 m. (100 ft.) in length or fraction thereof, Ladder shall extend from bottom of the trench to at least 90 cm. (3ft.) above the surface of the ground. The side of the trenches which are 1.5 m. (5ft.) or more in depth shall be stepped back to give suitable slope or securely held by timber bracing, so as to avoid the danger of sides collapsing. The excavated materials shall not be placed within 1.5 m. (5ft.) of the edges of the trench or half of the depth of the trench whichever is more. Cutting shall be done from top to bottom. Under no circumstances, undermining or undercutting shall be done.
 - (b) Safety Measures for digging bore holes:-
 - (i) If the bore well is successful, it should be safely capped to avoid caving and collapse of the bore well. The failed and the abandoned ones should be completely refilled to avoid caving and collapse;
 - (ii) During drilling, Sign boards should be erected near the site with the address of the drilling contractor and the Engineer in-charge of the work;
 - (iii) Suitable fencing should be erected around the well during the drilling and after the installation of the rig on the point of drilling, flags shall be put 50m alround the point of drilling to avoid entry of people;
 - (iv) After drilling the borewell, a cement platform (0.50m x 0.50m x 1.20m) 0.60m above ground level and 0.60m below ground level should be constructed around the well casing;



स्रक्षा संहिता



के. लो. नि. वि. सुरक्षा संहिता

- 1. कर्मकारों के लिए ऐसे छोटी कालाविध वाले कार्यों को छोड़कर, जिनको सीढ़ियों से निरापद रूप से किया जा सकता हो, उन सभी कार्यों के लिए, जिनको जमीन से या ठोस—निर्माण से निरापद रूप से नहीं किया जा सकता हो, यथोचित पाड़ का उपबन्ध करना चाहिए। जब सीढ़ी का प्रयोग किया जाए तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए अतिरिक्त मजदूर नियुक्त किया जाएगा और यदि सीढ़ी सामान ले जाने के लिए भी उपयोग में लाई जाए तो सीढ़ी पर यथोचित पायदानों और हाथ के लिए सहारों की व्यवस्था होगी और सीढ़ी की आनित 1 पर 1/4 के अनुपात (1/4 क्षेतिज और 1 उर्ध्वार्धद्ध से अधिक ढालू न होगी।)
- 2. भूमि या फर्ष से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊंची पाड़ या मंच पर जो उर्ध्वस्थ आधार से झूलता हुआ या लटकता हुआ हो, या स्थिर आधार से खड़ा किया गया हो, समुचित रूप से सम्ब, वोल्टयुक्त, कसी हुई और अन्यथा मजबूती से बंधी हुई बचाव रोक होगी, जो ऐसे पाढ़ या मंच के फर्ष या प्लेटफार्म से कम से कम 90 से.मी. (3 फुट) ऊंची होगी और उसके बाहर और सिरों पर सम्पूर्ण लम्बाई पर लगी होगी और जिसमें ऐसे द्वार होगे जो सामग्री के परिवहन के लिए आवष्यक हो, ऐसे पाड़ या मंच को ऐसे बांधा जायेगा कि वह भवन या संरचना से झुले नहीं।
- 3. कार्य—प्लेटफार्मों, गलियारों और जीनों को ऐसे सिन्निर्मित किया जाना चाहिए कि उन पर अनावष्यक या असमान रूप से झोल न पड़े और यदि प्लेटफार्म, गलियारा या जीना, भूमि या फर्ष स्तर से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊंचा हो तो उसमें तख्ते पास पास लगे होने चाहिए, उसकी पर्याप्त चौड़ाई होनी चाहिए, और उसको ऊपर पैरा (2) में वर्णित यथोचित रूप से बाँधा जाना चाहिए।
- 4. भवन या कार्य—प्लेटफार्मों में हर द्वार को व्यक्तियों या सामग्री को गिरने से बचाने के लिए यथोचित बाड़ या जंगले द्वारा, जिसकी न्यूनतम ऊचाई 90 से.मी. (3 फुट) होगी यथोचित रूप से घिरा होना चाहिए।
- 5. सभी कार्य—प्लेटफार्मों और अन्य कार्य—स्थानों तक पहुंचने के लिए निरापद साधनों का उपबंध होगा। हर सीढ़ी मजबूती से लगी होनी चाहिए। कोई भी सुवाहय अकेली सीढ़ी लम्बाई में 9 मीटर (30 फूट) से अधिक न होगी जब कि उण्डो वाली सीढ़ी में खड़ी रेलों के बीच चौड़ाई 3 मीटर (10 फुट) तक लम्बी सीढ़ी में किसी भी दषा में 29 से.मी. (11 1/2") से कम न होगी। अधिक लम्बी सीढ़ियों में इस चौड़ाई में लम्बाई के हर एक अतिरिक्त 30 से.मी. (1 फुट) के 1/4" वर्षद्ध होनी चाहिए। इकसार पैड़ियों के मध्य जगह 30 से.मी. (12 इंच) से अधिक न होगी। विद्युत उपस्कर से होने वाले खतरे के निवारण के लिए यथायोग्य पूर्वावधानियां रखी जाएगी। किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी सामग्री इस प्रकार नहीं जमा की या रखी जाएगी कि वह किसी व्यक्ति या जनता के लिए खतरा या असुविधा उत्पन्न करे। जनता को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ठेकेदार सभी आवष्यक बाड़ों और प्रकाष की व्यवस्था करेगा। और उक्त पूर्वावधानियों की उपेक्षा के कारण हुई क्षति के लिए किन्हीं व्यक्तियों द्वारा विधि के अधीन लाए गए हर वाद, अनुयोग या अन्य कार्यवाहियों में प्रतिरक्षा के व्ययों का भार उठाने के लिए और ऐसी किसी नुकसानी या खर्चों का संदाय करने के लिए आम होगा जो ऐसे किन्ही व्यक्तियों को ऐसे किसी वाद अनुयोग या कार्यवाही में अधिनिर्णीत किया जाए या जो, ठेकेदार की सहमित से, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे किसी दावे में समझौता करने के लिए संदत्त किया जाए।
- 6 (क). उत्खनन और खाई खोदना—1.2 मीटर (4 फुट) या अधिक गहरी सभी खाईयों के लिए सभी समयों पर लम्बाई के हर एक 30 मीटर (100 फुट) या उसके किसी भाग के लिए कम से कम एक सीढ़ी प्रदाय की जाएगी। सीढ़ी खाई की तली से लेकर भूमि की सतह से कम से कम 90 से.मी. (3 फुट) ऊपर तक की होगी। 1.5 मीटर (5 फुट) या अधिक गहरी खाईयों की दीवारें यथोचित ढलान देने के लिए समतल (पक्की) होंगी या उन पर काश्ठ के तख्तों की मजबूत रोक लगी होगी तािक दीवारों के ढहने का खतरा न रहे। खोदी गई सामग्री खाई के किनारों से 1.5 मीटर (5 फुट) के भीतर या खाई की गहराई के आधे के बराबर दूरी के भीतर, उनमें जो भी अधिक हो, नहीं रखी जाएगी। कटाई षीर्श से तली तक की जाएगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में तलोच्छेदन या कम कटाई न की जाएगी।
 - (ख). वेध-छिद्रों की खुदाई के लिए सुरक्षा उपायः
 - 1. यदि वेध—कूप सफल हो जाता है, तो इसे वेध—कूप के गुफा बनने तथा इसके ढहने से बचने के लिए सुरक्षित रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। असफल और पिरत्यक्त वेध—कूपों को गुफा बनने तथा ढहने से बचने के लिए पूर्ण रूप से भर देना चाहिए।
 - छेद करने के दौरान कार्य स्थल के निकट साइन बोर्डों को छेद करने वाले ठेकेदार तथा कार्य के प्रभारी अभियंता के पते के साथ स्थापित किया जाना चाहिए।
 - 3. उपयुक्त चारदीवारी छेद करने के दौरान कूप के पास बनाई जानी चाहिए तथा छिद्रस्थल पर रिग की संस्थापना के बाद लोगों के प्रवेष से बचने के लिए छिद्रस्थल के 50 मीटर के घेरे में झंडे लगाए जाने चाहिए।
 - 4. वेध—कूप की खुदाई करने के बाद जमीनस्तर से 0.60 मीटर ऊपर (0.50 मी X 0.50 मी X 1.20मी) तथा जमीनस्तर से 0.60 मी नीचे कूप के चारों ओर एक सीमेंट का चबूतरा बनाया जाना चाहिए।

CPWD SAFETY CODE



- After the completion of the borewell, the contractor should cap the bore well properly by welding steel
 plate, cover the bore well with the drilled wet soil and fix thorny shrubs over the soil. This should be
 done even while repairing the pump;
- (vi) After the borewell is drilled the entire site should be brought to the ground level.
- 7. **Demolition -** Before any demolition work is commenced and also during the progress of the work,
 - (i) All roads and open areas adjacent to the work site shall either be closed or suitably protected.
 - (ii) No electric cable or apparatus which is liable to be a source of danger or a cable or apparatus used by the operator shall remain electrically charged.
 - (iii) All practical steps shall be taken to prevent danger to persons employed from risk of fire or explosion or flooding. No floor, roof or other part of the building shall be so overloaded with debris or materials as to render it unsafe.
- 8. All necessary personal safety equipment as considered adequate by the Engineer-in-Charge should be kept available for the use of the person employed on the site and maintained in a condition suitable for immediate use, and the contractor should take adequate steps to ensure proper use of equipment by those concerned:- The following safety equipment shall invariably be provided.
 - (i) Workers employed on mixing asphaltic materials, cement and lime mortars shall be provided with protective footwear and protective goggles.
 - (ii) Those engaged in white washing and mixing or stacking of cement bags or any material which is injurious to the eyes, shall be provided with protective goggles.
 - (iii) Those engaged in welding works shall be provided with welder's protective eyeshields.
 - (iv) Stone breaker shall be provided with protective goggles and protective clothing and seated at sufficiently safe intervals.
 - (v) When workers are employed in sewers and manholes, which are in active use, the contractors shall ensure that the manhole covers are opened and ventilated atleast for an hour before the workers are allowed to get into the manholes, and the manholes so opened shall be cordoned off with suitable railing and provided with warning signals or boards to prevent accident to the public. In addition, the contractor shall ensure that the following safety measure are adhered to:-
 - (a) Entry for workers into the line shall not be allowed except under supervision of the JE or any other higher officer.
 - (b) At least 5 to 6 manholes upstream and downstream should be kept open for at least 2 to 3 hours before any man is allowed to enter into the manhole for working inside.
 - (c) Before entry, presence of Toxic gases should be tested by inserting wet lead acetate paper which changes colour in the presence of such gases and gives indication of their presence.
 - (d) Presence of Oxygen should be verified by lowering a detector lamp into the manhole. In case, no Oxygen is found inside the sewer line, workers should be sent only with Oxygen kit.
 - (e) Safety belt with rope should be provided to the workers. While working inside the manholes, such rope should be handled by two men standing outside to enable him to be pulled out during emergency.
 - (f) The area should be barricaded or cordoned of by suitable means to avoid mishaps of any kind. Proper warning signs should be displayed for the safety of the public whenever cleaning works are undertaken during night or day.
 - (g) No smoking or open flames shall be allowed near the blocked manhole being cleaned.
 - (h) The malba obtained on account of cleaning of blocked manholes and sewer lines should be immediately removed to avoid accidents on account of slippery nature of the malba.



स्रक्षा संहिता



- 5. वेध-कूप के कार्य के समाप्त होने के बाद, स्टील प्लेट को वेल्ड करके ठेकेदार को उचित रूप से वेध-कूप को ढक देना चाहिए, वेध-कूप को खुदी हुई गीली मिट्टी से ढ़ककर उसे कांटेदार झाड़ियों से ढक देना चाहिए। पम्प की मरम्मत के समय पर भी यह सब किया जाना चाहिए।
- वेध-कूप की खुदाई के बाद पूरे कार्यस्थल को जमीनीस्तर पर लाना चाहिए।
- 7. ढाना–ढाने का कोई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व और कार्य की प्रक्रिया के दौरान भी–
 - (i) कार्यस्थल के पार्ष्यस्थ सभी सड़के और खुले क्षेत्र या तो बंद कर दिए जाएंगे या उनमें बचाव की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।
 - (ii) ऐसा कोई भी विद्युत केबिल या साधिव्र जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता हो या आपरेटर द्वारा प्रयुक्त होने वाला केबिल या साधिव्र विद्युत आवेषित नहीं होगा।
 - (iii) नियोजित व्यक्तियों को अग्नि या विस्फोट बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाए जायेगे। भवन के किसी भी फर्ष, छत या भाग, को मलबे या सामग्री से इतना अतिभारित न किया जायेगा कि वह असुरक्षित हो जाए।
- 8. कार्यस्थल पर नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए ऐसे सभी आवष्यक वैयक्तिक सुरक्षा उपस्कर उपलब्ध रखे जाने चाहिए जो भारसाधक इन्जीनियर पर्याप्त समझे और उनको ऐसी हालत में अनुरक्षित रखा जाना चाहिए कि वे तुरन्त उपयोग के लिए उपयुक्त हो, तथा ठेकेदार संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनके समृचित उपयोग को सुनिष्चित करने के लिए यथायोग्य कदम उठाएगा।
 - (i) ऐसफाल्टिक सामग्री, सीमेंट, और चूने का मसाला मिलाने के लिए नियोजित कर्मकारों को बचाव जूते और बचाव-चष्में दिए जाएंगे।
 - (ii) सफेदी करने और सीमेंट के बोरों को या ऐसी सामग्री को, जो आँखों के लिए हानिकारक हो, मिलाने के लिए या उनके ढेर लगाने के काम में नियोजित व्यक्तियों को बचाव—चष्में दिए जाएंगे।
 - (iii) झलाई कार्य में नियोजित व्यक्तियों को झलाईगरों की आंखों की रोषनी के बचाव के लिए काम में आने वाले ढक्कन दिए जाएंगे।
 - (iv) पत्थर तोड़ने वालों के लिए बचाव-चष्मे और बचाव-वस्त्रों और पर्याप्त रूप से सुरक्षित दूरी पर बैठाने की व्यवस्था होगी।
 - (v) जब कर्मकार ऐसी मल—नालियों और मैन—होलो में नियोजित किए जाएं जो काम में लाए जा रहे हों, तब ठेकेदार यह सुनिष्चित करेगा कि मैन—होलों में कर्मकारों के प्रवेष करने के कम से कम एक घंटें पूर्व उनके ढक्कन खोल दिए जाएं और उन्हें संवातित कर दिया जाए तथा ऐसे खोले गए मैन—होलों को, जनता को खतरे से बचाने के लिए यथोचित जंगलों से घेर दिया जाना चाहिए और उन पर चेतावनी सिग्नल या बोर्ड लगा दिए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त ठेकेदार यह सुनिष्चित करेगा कि निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाता है।
 - (क) लाइन में कर्मचारियों का प्रवेष कनिश्ट इंजीनियर तथा किसी अन्य उच्च अधिकारी के पर्यवेक्षाधीन के अलावा अनुमेय नहीं किया जाए।
 - (ख) सिरं के साथ नीचे के कम—से—कम 5 से 6 तक मेनहोल किसी कर्मचारी को भीतर काम करने के लिए मेनहोल में प्रवेष की अनुमति देने से पहले कम से कम 2 से 3 घण्टे तक खुले रखे जाएं।
 - (ग) प्रवेष से पहले भीगा लैडएसीटेट पेपर डालकर विशैली गैसों की उपस्थिति की जांच की जाए जो ऐसी गैसों की उपस्थिति से रंग परिवर्तन कर लेता है, तथा उनकी उपस्थिति को सूचित कर देता है।
 - (घ) मेनहोल में अन्वेशी लैम्प डालकर आक्सीजन की विद्यमानता का सत्यापन कर लिया जाए। यदि सीवर लाइन के भीतर आक्सीजन नहीं पाया जाता है तो कर्मचारियों को आक्सीजन किट सहित भेजा जाए।
 - (ड) कर्मचारियों को रज्जु सहित सुरक्षा पेटी मुहैया की जाये। मेनहोल के भीतर काम करते समय ऐसी रज्जु बाहर खड़े दो व्यक्ति पकड़े रहें ताकि आपातकाल के दौरान उसे खींचा जा सके।
 - (च) उपयुक्त माध्यमों द्वारा क्षेत्र को घेर दिया जाए अथवा रस्सी का बाड़ा बना दिया जाय ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को दूर किया जा सके। रात्रि अथवा दिन के दौरान जब भी सफाई कार्य किए जाएं, उचित चेतावनी संकेत जनता की सुरक्षा हेत् प्रदर्षित किए जाएं।
 - (छ) सफाई किए जा रहे बन्द मेनहोल के पास धूम्रपान अथवा अग्नि जलाना अनुमेय न किया जाए।
 - (ज) बन्द मैनहोल अथवा सीवर लाइन की सफाई के कारण प्राप्त मलबे को मलबे की फिसलन के कारण दुर्घटना रेकने के लिए तुरन्त ही हटा दिया जाए।



- (i) Workers should not be allowed to work inside the manhole continuously. He should be given rest intermittently. The Engineer-in-Charge shall decide the time up to which a worker may be allowed to work continuously inside the manhole.
- Gas masks with Oxygen Cylinder should be kept at site for use in emergency.
- (k) Air-blowers should be used for flow of fresh air through the manholes. Whenever called for, portable air blowers are recommended for ventilating the manholes. The Motors for these shall be vapour proof and of totally enclosed type. Non sparking gas engines also could be used but they should be placed at least 2 metres away from the opening and on the leeward side protected from wind so that they will not be a source of friction on any inflammable gas that might be present.
- (I) The workers engaged for cleaning the manholes/sewers should be properly trained before allowing to work in the manhole.
- (m) The workers shall be provided with Gumboots or non sparking shoes bump helmets and gloves non sparking tools safety lights and gas masks and portable air blowers (when necessary). They must be supplied with barrier cream for anointing the limbs before working inside the sewer lines.
- (n) Workmen descending a manhole shall try each ladder stop or rung carefully before putting his full weight on it to guard against insecure fastening due to corrosion of the rung fixed to manhole well.
- (o) If a man has received a physical injury, he should be brought out of the sewer immediately and adequate medical aid should be provided to him.
- (p) The extent to which these precautions are to be taken depend on individual situation but the decision of the Engineer-in-Charge regarding the steps to be taken in this regard in an individual case will be final.
- (vi) The Contractor shall not employ men and women below the age of 18 years on the work of painting with products containing lead in any form. Wherever men above the age of 18 are employed on the work of lead painting, the following precaution should be taken:-
 - (a) No paint containing lead or lead products shall be used except in the form of paste or readymade paint.
 - (b) Suitable face masks should be supplied for use by the workers when paint is applied in the form of spray or a surface having lead paint is dry rubbed and scrapped.
 - (c) Overalls shall be supplied by the contractors to the workmen and adequate facilities shall be provided to enable the working painters to wash during and on the cessation of work.
- ((vii) Workmen executing work on scaffolds or other structures above specified height shall be provided with full body harness and fall arresters.
- 9. An additional clause (viii)(i) of Central Public Works Department Safety Code (iv) the Contractor shall not employ women and men below the age of 18 on the work of painting with product containing lead in any form, wherever men above the age of 18 are employed on the work of lead painting, the following principles must be observed for such use:
 - (i) White lead, sulphate of lead or product containing these pigment, shall not be used in painting operation except in the form of pastes or paint ready for use.
 - (ii) Measures shall be taken, wherever required in order to prevent danger arising from the application of a paint in the form of spray.
 - (iii) Measures shall be taken, wherever practicable, to prevent danger arising out of from dust caused by dry rubbing down and scraping.
 - (iv) Adequate facilities shall be provided to enable working painters to wash during and on cessation of work.





- (झ) कर्मचारियों को मेनहोल के भीतर लगातार काम करने की अनुमित न दी जाए। उसे अन्तरायिक रूप से विश्राम दिया जाये। प्रभारी इंजीनियर वह समय नियत करे जिस तक कि किसी कर्मचारी को मैनहोल के भीतर लगातार काम करने के लिए अनुमेय दिया जाए।
- (ञ) आपातकाल मे प्रयोग में लाने के लिए स्थल पर आक्सीजन सिलेण्डरों सिहत गैस मास्क रखे जाएं।
- (ट) मैनहोल में षुद्ध वायु प्रवाह हेतु जब भी अपेक्षित हो, वायु प्रवाहक उपयोग में लाए जाएं। मैनहोल के वातायनन हेतु सुबहृनन वायु प्रवाहकों की सिफारिष की जाती है। इनकी मोटरें वाश्परोधी होनी चाहिए तथा पूर्णतया बन्द होनी चाहिए। चिंगारी विहीन गैस इंजिन भी उपयोग में लाए जा सकते हैं परन्तु वे मुहाने से कम से कम 2 मीटर दूर रखे जाने चाहिए तथा निचली तरफ वायु से सुरक्षित हो तािक वे विद्यमान किसी भी ज्वलनषील गैस के घर्शण का सोत्र न बन सके।
- (ठ) मैनहोल / सीवरों की सफाई के लिए लगाए गए कर्मचारी मेनहोल में काम करने की अनुमित दिए जाने से पहले उचित रूप से प्रिषक्षित किए जाएं।
- (ड) कर्मचारियों को गमबूट अथवा अग्निरोधी जूते, लैम्प, हेलमेट तथा दस्तानें अग्निरोधी अवजार सुरक्षा लाइट एवं गैसे मास्क तथा सुवाहन वायु प्रवाहक (जब कभी आवष्यक हो) मुहैया किए जाए। सीवर लाइनों के भीतर काम करने से पहले उन्हें अवयवों पर लगाने के लिए बैरीयर क्रीम दी जानी चाहिए।
- (ढ) मैनहोल के नीचे उतरते हुए कर्मचारी को सीड़ी के प्रत्येक डण्डे की सावधानीपूर्वक अपना पूरा वजन रखने से पहले जांच कर लेनी चाहिए ताकि मैनहोल भित्ति में लगे डण्डे के जंग के कारण असुरक्षित फिसलन से बचा जा सके।
- (ण) यदि किसी व्यक्ति को षारीरिक चोट लगी हो तो उसे सीवर से तुरन्त ही बाहर निकाला जाए तथा उसे पर्याप्त चिकित्सा सहायता मुहैया की जाए।
- (त) एहतियातें किस सीमा तक बर्ती जाएं पष्थक—पष्थक परिस्थिति पर निर्भर करता है परन्तु प्रभारी इंजीनियर का किसी विषेश मामले में इस विशय में किए जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय अन्तिम होगा।
- (vi) ठेकेदार 18 वर्श से कम आयु वाले पुरुशों और स्त्रियों को ऐसे उत्पादों द्वारा रंगने के कार्य पर, जिनमें किसी भी रूप में सीसा अन्तर्विश्ट हो, नियोजित नहीं करेगा। जहां कहीं 18 वर्श से अधिक की आयु वाले व्यक्ति सीसा द्वारा रंगने के कार्य पर नियोजित किए जाएं वहां निम्नलिखित पूर्वावधानियां रखी जायेंगीः
 - (क) सीसा या सीसा उत्पादों को अन्तर्विश्ट करने वाला कोई भी पेन्ट जब तक कि, पेस्ट या तैयार पेन्ट के रूप में न हो उपयोग में नहीं लाया जाएगा।
 - (ख) जब पेन्ट फुहार द्वारा या ऐसी जगह पर किया जाना हो जिस पर से सीसे का पेन्ट षुश्क रगड़ा या खुरचा गया हो, कर्मकारों के उपयोग के लिए यथोचित मुखपट का प्रदाय किया जाना चाहिए।
 - (ग) ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को प्रदत्त किए जाएंगे और कार्य करने वाले पेंटरों के लिए ऐसी यथायोग्य सुविधाओं का उपबंध होना चाहिए कि वे उन वस्त्रों को कार्य बंद रहने के समय धो सके।
- 9. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सुरक्षा संहिता (iv) का अतिरिक्त खण्ड (vii) (i) ठेकेदार 18 वर्श से कम आयु की स्त्रियों और पुरुशों को ऐसे उत्पादों द्वारा रंगने के कार्य पर, जिनमें किसी भी रूप में सीसा अन्तर्विष्ट हो, नियोजित नहीं करेगा। जहां 18 वर्श से अधिक आयु के पुरुश सीसे द्वारा रंगने के कार्य पर नियोजित किए जाएं ऐसे कार्य के लिए निम्नलिखित नियमों का अवष्य पालन किया जाए:
 - (i) सफेद सीसा, सीसे का सल्फेट या इस रंजक वाले उत्पादन को रंगन काम में तैयार मिश्रण के रूप को छोड़कर अन्य रूपों में काम में नहीं लाना चाहिए।
 - (ii) स्प्रे के रूप में रंग करने से उत्पन्न होने वाले खतरे से बचाने के लिए आवष्यक उपक्रम करना चाहिए।
 - (iii) सूखा रगड़ने से जो धूल निकलती है, उससे बचाव के लिए आवष्यक सुविघाएं प्रदान करनी चाहिए।
 - (iv) रंग लगाने वालों को काम पूरा होने पर धोने के लिए आवष्यक स्विधाएं प्रदान करनी चाहिए।

CPWD SAFETY CODE



- (v) Overall shall be worn by working painters during the whole of working period.
- (vi) Suitable arrangement shall be made to prevent clothing put off during working hours being spoiled13 by painting materials.
- (vii) Cases of lead poisoning and suspected lead poisoning shall be notified and shall be subsequently verified by medical man appointed by competent authority of CPWD/PWD(DA).
- (viii) CPWD/PWD (DA) may require, when necessary medical examination of workers.
- (ix) Instructions with regard to special hygienic precautions to be taken in the painting trade shall be distributed to working painters.
- 10. When the work is done near any place where there is risk of drowning, all necessary equipments should be provided and kept ready for use and all necessary steps taken for prompt rescue of any person in danger and adequate provision, should be made for prompt first aid treatment of all injuries likely to be obtained during the course of the work.
- 11. Use of hoisting machines and tackle including their attachments, anchorage and supports shall conform to the following standards or conditions:-
 - (i) (a) These shall be of good mechanical construction, sound materials and adequate strength and free from patent defects and shall be kept repaired and in good working order.
 - (b) Every rope used in hoisting or lowering materials or as a means of suspension shall be of durable quality and adequate strength, and free from patent defects.
 - (ii) Every crane driver or hoisting appliance operator, shall be properly qualified and no person under the age of 21 years should be in charge of any hoisting machine including any scaffolding winch or give signals to operator.
 - (iii) In case of every hoisting machine and of every chain ring hook, shackle swivel and pulley block used in hoisting or as means of suspension, the safe working load shall be ascertained by adequate means. Every hoisting machine and all gear referred to above shall be plainly marked with the safe working load. In case of a hoisting machine having a variable safe working load each safe working load and the condition under which it is applicable shall be clearly indicated. No part of any machine or any gear referred to above in this paragraph shall be loaded beyond the safe working load except for the purpose of testing.
 - (iv) In case of departmental machines, the safe working load shall be notified by the Electrical Engineer-in-Charge. As regards contractor's machines the contractors shall notify the safe working load of the machine to the Engineer-in-Charge whenever he brings any machinery to site of work and get it verified by the Electrical Engineer concerned.
- 12. Motors, gearing, transmission, electric wiring and other dangerous parts of hoisting appliances should be provided with efficient safeguards. Hoisting appliances should be provided with such means as will reduce to the minimum the risk of accidental descent of the load. Adequate precautions should be taken to reduce to the minimum the risk of any part of a suspended load becoming accidentally displaced. When workers are employed on electrical installations which are already energized, insulating mats, wearing apparel, such as gloves, sleeves and boots as may be necessary should be provided. The worker should not wear any rings, watches and carry keys or other materials which are good conductors of electricity.
- 13. All scaffolds, ladders and other safety devices mentioned or described herein shall be maintained in safe condition and no scaffold, ladder or equipment shall be altered or removed while it is in use. Adequate washing facilities should be provided at or near places of work.



स्रक्षा संहिता



- (v) रंगन कार्य करने वाले को काम करते समय ऊपरी कपड़ा पहने रहना चाहिए।
- (vi) कपड़ो को रंगन कार्य करते समय खराब हो जाने से बचाने के लिए आवष्यक व्यवस्था करनी चाहिए।
- (vii) सीसे द्वारा विशाक्त या इस प्रकार का सन्देह जहां हो ऐसे लोगों के विशाक्ता प्रमाणत और परिचर्या के लिए के. लो. नि. विभाग द्वारा नियुक्त अधिकष्त वैधिकष्त वैद्यकीय परीक्षक द्वारा परीक्षण होना चाहिए।
- (viii) के. लो. नि. विभाग जब जरूरी हो तब काम करने वालो के वैद्यकीय परीक्षण की मांग कर सकता है।
- (ix) रंगन काम में लगे कर्मचारियों को रंगन सम्बन्धी स्वास्थ्यात्मक पूर्वरक्षण सूचनाएं वितरित करनी चाहिए।
- 10. जब काम किसी ऐसे स्थान के पास किया जाना हो, जहां डूबने का जोखिम हो जो सभी आवष्यक उपस्करों का उपबंध होना चाहिए और उपयोग के लिए तैयार रहने चाहिए और खतरे में पड़े व्यक्ति के तत्पर बचाव के लिए सभी आवष्यक कार्यवाहियां की जानी चाहिए और कार्य के अनुक्रम में उठाई जा सकने वाली संभाव्य सभी क्षतियों के तत्पर प्राथमिक उपचार के लिए यथायोग्य उपबंध किया जाना चाहिए।
- 11. होइस्टिंग मषीन और टैकाल, का, जिसके अंतर्गत उनकी संलग्न जकड़ और अवलम्ब भी आते हैं, का उपयोग निम्नलिखित मानक या षर्तों के अनुरूप होगा—
 - (i) (क) यह अच्छी यांत्रिक सिनर्मित के, सुसामग्री युक्त और यथायोग्य दष्ढ़तावान और प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होंगी और अच्छी तरह मरम्मत की हुई तथा चालू हालत में रखी जाएंगी।
 - (ख) हर रस्सी, जिसको सामग्रियों को ऊपर उठाने या नीचे लाने या निलम्बन के उपयोग में लाया जाए मजबूत क्वालिटी और यथायोग्य दष्ढ़ता की तथा प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होगी।
 - (ii) हर क्रेन चालक या होईस्टिंग सापित्र आपरेटर समुचित रूप से अहिंत होगा और 21 वर्श से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी होइस्टिंग मधीन का, जिसके अंतगर्त पांड विंच आता हैं भार साधक न होगा नाही आपरेटर को सिग्नल देगा।
 - (iii) हर होइस्टिंग मषीन और हर चैन रिंग हुक में ऊपर उठाने या नीचे लाने के लिए या निलम्बन के साधन स्वरूप उपयुक्त षैकल स्विवेल और पुली ब्लाक के सुरक्षित कार्यकरण वोझ को यथायोग्य साधनों द्वारा सुनिष्चित किया जाएगा। ऊपर निर्दिश्ट होइस्टिंग मषीन पर और सभी गियरों पर सुरक्षित कार्यकरण बोझ साफ साफ चिन्हित होगा ऐसी होइस्टिंग मषीन की दषा में, जिसका सुरक्षित कार्यकरण बोझ परिवर्तनषील हो, हर एक सुरक्षित कार्यकरण बोझ, उन षतीं सिहत, जिनके अधीन वह लागू होता हो, स्पश्ट रूप से उपदर्षित होगा। इस पैरा में उपरनिर्दिश्ट मषीन या किसी गीयर के किसी भी भाग को सुरक्षित कार्यकरण बोझ से अधिक, परीक्षण के प्रयोजन के सिवाय भारित नहीं किया जाएगा।
 - (v) विभागीय मषीनों की दषा में सुरक्षित कार्यकरण बोझ को भारसाधक विद्युत इन्जीनियर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। जहां तक ठेकेदारों की मषीनों का सम्बन्ध है, ठेकेदार जब कभी वह कार्यस्थल पर कोई मषीनरी लाए मषीन के सुरक्षित कार्यकरण बोझ को भारसाधक इन्जीनियर को अधिसूचित करेगा और सम्बन्धित विद्युत इन्जीनियर से उसका सत्यापन करवाएगा।
- 12. होइस्टिंग साधित्रों के मोटर, गियरिंग, पारेशण विद्युत वायरिंग और अन्य खतरनाक भागो को निरापद रखने के लिए दक्ष उपबंध करना चाहिए जिससे लदान के अकस्मात नीचे आ जाने की दषा में जोखिम न्यूनतम हो जाए। निम्नलिखित लदान के किसी भी भाग के अक्समात विस्थापित हो जाने की दषा में जोखिम न्यूनतम करने के लिए यथायोग्य पूर्वावधानियां बरती जाएं जबिक कर्मकार ऐसे विद्युत संस्थापन पर नियोजित हों जो पहले से ही ऊर्जित हो तो उनके लिए आवष्यकता अनुसार विसंवाही चटाईयां, पहनने वाले वस्त्र अर्थात दस्ताने, बाहें और बूटों का उपबंध होना चाहिए। कर्मकारों को अंगूठियाँ और घड़ियाँ धारण नहीं करनी चाहिए और चाबियाँ या अन्य ऐसी सामग्री नहीं ले जानी चाहिए जो विद्युत की सुसंवाहक हो।
- 13. सभी पाड़ सीढ़ियां और अन्य सुरक्षा युक्तियों को, जिनको इसमें उल्लिखित या वर्णित किया गया है, सुरक्षित अवस्था में रखा जाना चाहिए और किसी भी पाड़ सीढ़ी या उपस्कर को, जबिक वह उपयोग में हो, परिवर्तन न किया जायेगा या हटाया न जायेगा। कार्यस्थलों पर या उनके निकट यथायोग्य धुलाई सुख—सुविधाओं का उपबंध होना चाहिये।

CPWD SAFETY CODE



- 14. These safety provisions should be brought to the notice of all concerned by display on a notice board at a prominent place at work spot. The person responsible for compliance of the safety code shall be named therein by the contractor.
- 15. To ensure effective enforcement of the rules and regulations relating to safety precautions the arrangements made by the contractor shall be open to inspection by the Labour Officer or Engineer-in-Charge of the department or their representatives.
- 16. Notwithstanding the above clauses from (1) to (15), there is nothing in these to exempt the contractor from the operations of any other Act or Rule in force in the Republic of India.

सुरक्षा संहिता



- 14. सुरक्षा उपबंधी को सभी सम्बन्धितों की सूचना के लिए कार्यस्थल के किसी प्रमुख स्थान पर लगे सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना चाहिये। सुरक्षा संहिता के अनुपालन के लिए ठेकेदार द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति का नाम उसमें दिया जाएगा।
- 15. सुरक्षा पूर्वावधानियों से सम्बन्धित नियमों और विनियमों के प्रभावकारी प्रवर्तन को सुनिष्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए इन्तजाम, विभाग के श्रम आफिसर, भारसाधक इन्जीनियर या उनके प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए खुले रहेगे।
- 16. खण्ड (1) से लेकर (15) तक के होते हुए भी उसमें की कोई बात ठेकेदार को भारत गणराज्य में प्रवष्त किसी अन्य अधिनियम या नियम के प्रवर्तन से छूट नहीं देता।



Model Rules for the Protection of Health and Sanitary Arrangements for Workers Employed by CPWD or its Contractors

1. APPLICATION

These rules shall apply to all buildings and construction works in charge of Central Public Works Department/PWD (DA) in which twenty or more workers are ordinarily employed or are proposed to be employed in any day during the period during which the contract work is in progress.

2. **DEFINITION**

Work place means a place where twenty or more workers are ordinarily employed in connection with construction work on any day during the period during which the contract work is in progress.

3. FIRST-AID FACILITIES

- (i) At every work place, there shall be provided and maintained, so as to be easily accessible during working hours, first-aid boxes at the rate of not less than one box for 150 contract labour or part thereof ordinarily employed.
- (ii) The first-aid box shall be distinctly marked with a red cross on white back ground and shall contain the following equipment:-
 - (a) For work places in which the number of contract labour employed does not exceed 50-

Each first-aid box shall contain the following equipments:-

- 1. 6 small sterilised dressings.
- 2. 3 medium size sterilised dressings.
- 3. 3 large size sterilised dressings.
- 4. 3 large sterilised burn dressings.
- 5. 1 (30 ml.) bottle containing a two per cent alcoholic solution of iodine.
- 1 (30 ml.) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label.
- 7. 1 snakebite lancet.
- 8. 1 (30 gms.) bottle of potassium permanganate crystals.
- 9. 1 pair scissors.
- 10. 1 copy of the first-aid leaflet issued by the Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Government of India.
- 11. 1 bottle containing 100 tablets (each of 5 gms.) of aspirin.
- 12. Ointment for burns.
- 13. A bottle of suitable surgical antiseptic solution.
- (b) For work places in which the number of contract labour exceed 50.

Each first-aid box shall contain the following equipments.

- 12 small sterilised dressings.
- 2. 6 medium size sterilised dressings.
- 6 large size sterilised dressings.



आदर्श नियम



केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या उसके ठेके द्वारा नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्थाओं के संरक्षण के लिए आदर्श नियम

1. लागू होना

यह नियम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियन्त्रणाधीन सभी भवन और निर्माण कार्यो पर लागू होगें जिनमें ठेके पर चल रहे कार्य दिवसों में किसी भी दिन सामान्यतया 20 या इससे अधिक मजदूर नियोजित किए गए हो अथवा करने का प्रस्ताव हो।

2. परिभाषा

कार्यस्थल का तात्पर्य उस स्थान से है जहां पर निर्माण कार्य के लिए ठेके पर चल रहे कार्य दिवसों में किसी भी दिन 20 या इससे अधिक मजदूर नियोजित हो अथवा करने का प्रस्ताव हो।

प्राथमिक उपचार सुविधाएं

- (i) प्रत्येक कार्यस्थल, में कार्य दिवसों में सुगमता से पहुंचने योग्य किसी स्थान पर प्राथमिक—उपचार के बक्से रखे जाएगे जो सामान्यतया नियोजित 150 ठेके के मजदूरों अथवा उनके किसी, भाग के लिए कम से कम एक बक्से से कम न हो।
- (ii) प्राथमिक—उपचार बक्से पर स्पश्ट रूप से सफेद के ऊपर रेड क्रास का निषान होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए जैसे—
 - (क) ऐसे कार्यस्थलों पर जहां पर नियोजित ठेके के मजदूरों की संख्या 50 से अधिक नहीं है— प्रत्येक प्राथमिक उपचार बक्से में निम्नलिखित उपकरण होंगे—
 - 1. 6 छोटी विसंक्रमित पट्टियाँ।
 - 2. 3 मध्यम आकार की विसंक्रमित पट्टियाँ।
 - 3. 3 बडे आकार की विसंक्रमित पट्टियाँ।
 - 4. 3 बडे आकार की जले पर लगाने की पट्टियाँ।
 - 5. 1 (30 मि.लि.) की बोतल जिसमें आयोडीन का 2 प्रतिषत अल्कोहल के साथ घुला हो।
 - 6. 1 (30 मि.लि.) की बोतल जिसमें साल्वोलेटाइल का घोल हो तथा उसके ऊपर मात्रा तथा औशधि सेवन की विधि लिखी हो।
 - 7. सप्रदंष की एक छ्री।
 - 8. पोटाशियम पर्मेगनेट क्रिस्टल की (30 ग्राम) एक बोतल।
 - 9. एक कैंची।
 - 10. महानिदेषक, फैक्टरी परामर्श सेवा तथा श्रम संस्थान भारत सरकार द्वारा जारी प्राथमिक-उपचार के सम्बन्ध में एक पर्चा।
 - 11. एक शीशी जिसमें एस्पिरिन की (प्रत्येक 5 ग्राम) की 100 टिकियां हो।
 - 12. जले पर लगाने के लिए मरहम।
 - 13. षल्यकर्म के लिए उपयुक्त कृमिनाषक घोल की एक षीषी।
- (ख) ऐसे कार्य स्थलों पर जहां ठेके के मजदूरों की संख्या 50 से अधिक हो।प्रत्येक प्राथमिक—उपचार बक्से में निम्नलिखित उपकरण होगे।
 - 1. 12 छोटी विसंक्रमित पट्टियाँ।
 - 2. 6 मध्यम आकार की विसंक्रमित पट्टियाँ।
 - 3. 6 बडे आकार की विसंक्रमित पट्टियाँ।



- 6 large size sterilised burn dressings.
- 5. 6 (15 gms.) packets sterilised cotton wool.
- 6. 1 (60 ml.) bottle containing a two per cent alcoholic solution iodine.
- 7. 1 (60 ml.) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label.
- 8. 1 roll of adhesive plaster.
- 9. 1 snake bite lancet.
- 10. 1 (30 gms.) bottle of potassium permanganate crystals.
- 11. 1 pair scissors.
- 12. 1 copy of the first-aid leaflet issued by the Director General Factory Advice Service and Labour Institutes /Government of India.
- 13. A bottle containing 100 tablets (each of 5 gms.) of aspirin.
- 14. Ointment for burns.
- 15. A bottle of suitable surgical antiseptic solution.
- (iii) Adequate arrangements shall be made for immediate recoupment of the equipment when necessary.
- (iv) Nothing except the prescribed contents shall be kept in the First-aid box.
- (v) The first-aid box shall be kept in charge of a responsible person who shall always be readily available during the working hours of the work place.
- (vi) A person in charge of the First-aid box shall be a person trained in First-aid treatment in the work places where the number of contract labour employed is 150 or more.
- (vii) In work places where the number of contract labour employed is 500 or more and hospital facilities are not available within easy distance from the works. First-aid posts shall be established and run by a trained compounder. The compounder shall be on duty and shall be available at all hours when the workers are at work.
- (viii) Where work places are situated in places which are not towns or cities, a suitable motor transport shall be kept readily available to carry injured person or person suddenly taken ill to the nearest hospital.

4. DRINKING WATER

- (i) In every work place, there shall be provided and maintained at suitable places, easily accessible to labour, a sufficient supply of cold water fit for drinking.
- (ii) Where drinking water is obtained from an Intermittent public water supply, each work place shall be provided with storage where such drinking water shall be stored.
- (iii) Every water supply or storage shall be at a distance of not less than 50 feet from any latrine drain or other source of pollution. Where water has to be drawn from an existing well which is within such proximity of latrine, drain or any other source of pollution, the well shall be properly chlorinated before water is drawn from it for drinking. All such wells shall be entirely closed in and be provided with a trap door which shall be dust and waterproof.
- (iv) A reliable pump shall be fitted to each covered well, the trap door shall be kept locked and opened only for cleaning or inspection which shall be done at least once a month.



आदर्श नियम



- 4. 6 बड़े आकार की विसंक्रमित जले पर लगाने की पट्टियाँ।
- 5. विसंक्रमित रुई के 6 (15 ग्राम) पैकेट।
- 6. आयोडीन की 2 प्रतिषत अल्कोहल घोल की (60 मि.लि.) षीषी।
- 7. साल्वोलेटाइल की एक षीषी (60 मि.लि.) जिसके लेबल पर मात्रा और सेवन विधि लिखी हो।
- विपकाने वाला प्लास्टर का एक रोल।
- 9. सप्रदंष की एक छुरी।
- 10. पोटाषियम पर्मेगनेट क्रिस्टल की 1 षीषी (30 ग्राम)
- 11. एक कैची।
- 12. महानिदेषक, फैक्टरी परामर्ष सेवा तथा श्रम संस्थान भारत सरकार द्वारा जारी प्राथमिक उपचार का एक पर्चा।
- 13. एस्पिरिन की 100 टिकियां (प्रत्येक 5 ग्राम) की एक षीषी।
- 14. जले पर लगाने का मरहम।
- 15. षल्यकर्म के लिए उपयुक्त कृमिनाषक घोल की एक षीषी।
- (iii) वस्तुओं को पुनः भरने की जब कभी आवष्यकता हो, उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- (iv) प्राथमिक उपचार बक्से में सिवाय निर्धारित वस्तुओ के अन्य कुछ भी नहीं रखा जाएगा।
- (v) प्राथमिक उपचार का बक्सा किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास रखा जाएगा जो कि कार्यस्थल पर कार्यसमय के दौरान हमेषा हाजिर रहेगा।
- (vi) जिस कार्यस्थल पर नियोजित ठेके के मजदूरों की संख्या 150 से अधिक होगी वहां पर प्राथमिक उपचार के बक्से का प्रभारी व्यक्ति प्राथमिक उपचार में प्रषिक्षित व्यक्ति होगा।
- (vii) ऐसे कार्यस्थलो पर जहां नियोजित ठेके के मजदूरों की संख्या 500 तथा इससे अधिक हो तथा अस्पताल कार्यस्थल के नजदीक नहीं हो तो एक प्रविक्षित कम्पाउन्डर की देखरेख में एक प्राथमिक उपचार केन्द्र खोला जाएगा। कम्पाउन्डर ड्यूटी पर रहेगा तथा जब मजदूर काम पर होगें तो उसकी सेवाएं हर समय उपलब्ध रहेगी।
- (viii) यदि कार्यस्थल किसी षहर या कस्बे में नहीं है तो घायल व्यक्तियों अथवा अकस्मात बीमार पड़े व्यक्तियों को समीपवर्ती अस्पताल में ले जाने के लिए उपयुक्त परिवहन व्यवस्था तुरन्त उपलब्ध रहेगी।

4. **पेय जलः**

- (i) प्रत्येक कार्यस्थल में मजदूरों द्वारा सुगमता से पहुचंने योग्य उपयुक्त स्थानों पर पीने योग्य ठण्डे पानी की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा।
- (ii) जहां पेय जल किसी अन्तर्विरामी सार्वजनिक जल व्यवस्था से प्राप्त किया जाता है वहां प्रत्येक कार्यस्थल पर संचय की व्यवस्था की जाएगी जहां ऐसे पेय जल का संग्रह किया जाएगा।
- (iii) संचयन की प्रत्येक जल व्यवस्था किसी षौचालय, नाली या प्रदूशण के अन्य स्रोत से 50 फुट से कम दूर नहीं होगीं। जहां जल किसी ऐसे विद्यमान कुएं से लिया जाना हो जो षौचालय, नाली या प्रदूशण के किसी अन्य स्रोत के काफी निकट हो तो ऐसी स्थिति में कुएं से पीने के लिए जल निकालने से पूर्व उसका उचित रूप से क्लोरीकरण किया जाएगा। ऐसे सभी कुएं पूर्णतः ढके हुए होंगे और उनमें धूल और जल-रोधी छत-द्वार की व्यवस्था की जाएगी।
- (iv) प्रत्येक ढके हुए कुएं में एक विष्वसनीय पम्प फिट किया जाएगा। छत द्वार को ताला लगाकर रखा जाएगा और केवल सफाई या निरीक्षण करने के लिए दो मास में कम से कम एक बार खोला जाएगा।



5. WASHING FACILITIES

- (i) In every work place adequate and suitable facilities for washing shall be provided and maintained for the use of contract labour employed therein.
- (ii) Separate and adequate cleaning facilities shall be provided for the use of male and female workers.
- (iii) Such facilities shall be conveniently accessible and shall be kept in clean and hygienic condition.

6. LATRINES AND URINALS

- (i) Latrines shall be provided in every work place on the following scale namely :-
 - (a) Where female are employed, there shall be at least one latrine for every 25 females.
 - (b) Where males are employed, there shall be at least one latrine for every 25 males.

Provided that, where the number of males or females exceeds 100, it shall be sufficient if there is one latrine for 25 males or females as the case may be upto the first 100, and one for every 50 thereafter.

- (ii) Every latrine shall be under cover and so partitioned off as to secure privacy, and shall have a proper door and fastenings.
- (iii) Construction of latrines: The inside walls shall be constructed of masonry or some suitable heat-resisting nonabsorbent materials and shall be cement washed inside and outside at least once a year, Latrines shall not be of a standard lower than borehole system.
- (iv) (a) Where workers of both sexes are employed, there shall be displayed outside each block of latrine and urinal, a notice in the language understood by the majority of the workers "For Men only" or "For Women Only" as the case may be.
 - (b) The notice shall also bear the figure of a man or of a woman, as the case may be.
- (v) There shall be at least one urinal for male workers upto 50 and one for female workers upto fifty employed at a time, provided that where the number of male or female workmen, as the case may be exceeds 500, it shall be sufficient if there is one urinal for every 50 males or females upto the first 500 and one for every 100 or part thereafter.
- (vi) (a) The latrines and urinals shall be adequately lighted and shall be maintained in a clean and sanitary condition at all times.
 - (b) Latrines and urinals other than those connected with a flush sewage system shall comply with the requirements of the Public Health Authorities.
- (vii) Water shall be provided by means of tap or otherwise so as to be conveniently accessible in or near the latrines and urinals.
- (viii) Disposal of excreta :- Unless otherwise arranged for by the local sanitary authority, arrangements for proper disposal of excreta by incineration at the work place shall be made by means of a suitable incinerator. Alternately excreta may be disposed of by putting a layer of night soil at the bottom of a pucca tank prepared for the purpose and covering it with a 15 cm. layer of waste or refuse and then covering it with a layer of earth for a fortnight (when it will turn to manure).
- (ix) The contractor shall at his own expense, carry out all instructions issued to him by the Engineer-in-Charge to effect proper disposal of night soil and other conservancy work in respect of the contractor's workmen or employees on the site. The contractor shall be responsible for payment of any charges which may be levied by Municipal or Cantonment Authority for execution of such on his behalf.



आदर्श नियम



कपड़े धोने की सुविघाएं

- (i) प्रत्येक कार्यस्थल पर कपड़े धोने की सुविधा का प्रबन्ध किया जाएगा तथा उसे वहां नियोजित ठेके के मजदूरों के प्रयोग के लिए रखा जाएगा।
- (ii) स्त्री और पुरुश मजदूरों के प्रयोग के लिए उपयुक्त जगह की अलग–अलग और पर्याप्त व्यवस्था होगी।
- (iii) ऐसी सुविधाए आसानी से सूलभ होंगी और इन्हें स्वास्थ्य की दर्षश्ट से साफ-सूथरा रखा जाएगा।

शौचालय तथा मूत्रालय

- (i) प्रत्येक कार्यस्थल पर निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर षौचालयों की व्यवस्था की जाएगी, उदाहरणार्थ:-
 - (क) जहां पर महिलाएं नियोजित की गई है वहां पर प्रति 25 महिलाओं के लिए कम से कम एक षौचालय हो।
 - (ख) जहाँ पुरुश नियोजित है वहां प्रति 25 पुरुशों के लिए कम से कम एक षौचालय हो।
 - बषर्ते कि जहां पर पुरुशों तथा महिलाओं की संख्या 100 से अधिक है वहां 100 की संख्या तक प्रत्येक 25 पुरूशों अथवा महिलाओं के लिए एक षौचालय, तत्पष्वात प्रत्येक 50 की संख्या के लिए एक षौचालय हो।
- (ii) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होना चाहिए तथा उनका इस प्रकार ब्यवधान हो कि निजी गोपनीयता सुरक्षित रहे तथा षौचालय में दरवाजे तथा चटखनियों की उचित व्यवस्था हो।
- (iii) शौचालय का निर्माण भीतरी दीवारें चिनाई या किसी उपयुक्त तापरोधी अनवषोशी पदार्थ द्वारा निर्मित की जाएगी और उनमें वर्श में कम से कम एक बार भीतर और बाहर सीमेंट की पुताई की जाएगी। यह षौचालय बोरहोल तरीके के षौचालयों के मानक से घटिया नहीं होगे।
- (iv) (क) जहां पर महिलाएं व पुरुश काम पर लगाए जाएं, वहां पर अधिकांष लोगों द्वारा समझें जाने वाली भाशा में षौचालय तथा मूत्रालयों में केवल पुरुशों के लिए / केवल महिलाओं के लिए जैसी भी स्थिति हो इस प्रकार का एक नोटिस बोर्ड लगाया जाए।
 - (ख) इस नोटिस बोर्ड में पुरुश या महिला का जैसी भी स्थिति हो, एक चित्र भी बना हो।
- (v) एक ही अवसर पर नियोजित 50 पुरुशों तथा 50 महिलाओं के लिए कम से कम एक एक मूत्रालय होंगे बर्षते कि जहां पुरुशों तथा महिलाओं की संख्या 500 से अधिक हो वहां पर 500 पर प्रत्येक 50 पुरुशों अथवा महिलाओं के लिए एक पेषाबघर तथा षेश प्रत्येक 100 के लिए एक पेषाबघर उपयुक्त होगा।
- (vi) (क) शौचालयों तथा मूत्रालयों में उपयुक्त प्रकाष की व्यवस्था होगी तथा इनको हर समय साफ-स्थरी हालत में रखा जाएगा।
 - (ख) जो शौचालय तथा मूत्रालय भूमिगत नालियों से जुड़े नहीं होंगे उनके सम्बन्ध में लोक स्वास्थ्य प्राधिकरणों की अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा।
- (vii) पानी टूटी द्वारा सप्लाई किया जाएगा अथवा पानी ऐसे स्थान पर होगा जो षौचालय तथा पेषाबघर के नजदीक ही होगा।
- (viii) मल—मूत्र का निपटान:— जब तक स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा अन्यथा प्रबन्ध न किया जाए, कार्य स्थल पर भरमीकरण द्वारा मल—मूत्र के उचित निपटान का प्रबन्ध उचित भरमक के द्वारा किया जाए। इसके विकल्प के रूप में मल—मूत्र का निपटान इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए पक्के टैंक के तल पर विश्ठा की एक परत रखकर और उसे रही या कूड़े की 15 से.मी. परत से ढकने के उपरान्त उनके ऊपर एक पखवाड़े तक मिट्टी की परत बिछाकर (जबिक वह खाद में परिवर्तित हो जाएगा), किया जा सकेगा।
- (ix) कार्यस्थल पर नियोजित ठेकेदार कर्मकारों तथा काम पर लगाए गए आदिमयों के सम्बन्ध में सफाई कार्य तथा विश्ठा के उचित रूप से निपटान के सम्बन्ध में प्रभारी इन्जीनियर द्वारा जारी किए गए निर्देषों का पालन ठेकेदार अपने खर्चे पर ही करेगा। ठेकेदार की ओर से नगर—पालिका अथवा केन्टोनमैन्ट प्राधिकरण द्वारा निश्पादित किए गए इस प्रकार के कार्य के लिए उनके द्वारा लगाए गए प्रभारी के भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का रहेगा।



7. PROVISION OF SHELTER DURING REST

At every place there shall be provided, free of cost, four suitable sheds, two for meals and the other two for rest separately for the use of men and women labour. The height of each shelter shall not be less than 3 metres (10 ft.) from the floor level to the lowest part of the roof. These shall be kept clean and the space provided shall be on the basis of 0.6 sq.m. (6 sft) per head.

Provided that the Engineer-in-Charge may permit subject to his satisfaction, a portion of the building under construction or other alternative accommodation to be used for the purpose.

8. CRECHES

- (i) At every work place, at which 20 or more women worker are ordinarily employed, there shall be provided two rooms of reasonable dimensions for the use of their children under the age of six years. One room shall be used as a play room for the children and the other as their bedroom. The rooms shall be constructed with specifications as per clause 19H (ii) a,b & c.
- (ii) The rooms shall be provided with suitable and sufficient openings for light and ventilation. There shall be adequate provision of sweepers to keep the places clean.
- (iii) The contractor shall supply adequate number of toys and games in the play room and sufficient number of cots and beddings in the bed room.
- (iv) The contractor shall provide one ayaa to look after the children in the creche when the number of women workers does not exceed 50 and two when the number of women workers exceed 50.
- (v) The use of the rooms earmarked as creches shall be restricted to children, their attendants and mothers of the children.

9. CANTEENS

- (i) In every work place where the work regarding the employment of contract labour is likely to continue for six months and where in contract labour numbering one hundred or more are ordinarily employed, an adequate canteen shall be provided by the contractor for the use of such contract labour.
- (ii) The canteen shall be maintained by the contractor in an efficient manner.
- (iii) The canteen shall consist of at least a dining hall, kitchen, storeroom, pantry and washing places separately for workers and utensils.
- (iv) The canteen shall be sufficiently lighted at all times when any person has access to it.
- (v) The floor shall be made of smooth and impervious materials and inside walls shall be lime-washed or colour washed at least once in each year.
 - Provided that the inside walls of the kitchen shall be lime-washed every four months.
- (vi) The premises of the canteen shall be maintained in a clean and sanitary condition.
- (vii) Waste water shall be carried away in suitable covered drains and shall not be allowed to accumulate so as to cause a nuisance.
- (viii) Suitable arrangements shall be made for the collection and disposal of garbage.
- (ix) The dining hall shall accommodate at a time 30 per cent of the contract labour working at a time.
- (x) The floor area of the dining hall, excluding the area occupied by the service counter and any furniture except tables and chairs shall not be less than one square metre (10 sft) per diner to be accommodated as prescribed in sub-Rule 9.



आदर्श नियम



7. विश्राम के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था

प्रत्येक कार्यस्थल पर पुरूष तथा महिला श्रमिकों के विश्राम के लिए निःशुल्क चार उपयुक्त षेडों का प्रबंध होगा। दो पुरूषों के लिए तथा दो महिलाओं के लिए अलग—अलग। इन आश्रय—स्थलों की फर्ष से छत के नीचे से नीचे भाग की उंचाई 3 मीटर से कम नहीं होगी, ये स्थान प्रतिव्यक्ति 0.6 वर्ग मीटर के हिसाब से बनाए जाएंगे और उन्हें साफ सुथरा रखा जाएंगा।

इस प्रयोजन के लिए निर्माणधीन भवन का एक भाग तथा अन्य वैकल्पिक स्थान का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि प्रभारी इंजीनियर इस बात से संतुष्ट हो और इसके लिए अनुमति दे दे।

8. शिशुकक्ष

- (i) प्रत्येक कार्यस्थल पर जहां पर सामान्यतः 20 या इससे अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हैं वहां पर उनके 6 वर्श से छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त आकार के दो कमरों की व्यवस्था की जाएगी एक कमरा बच्चों के खेलने के लिए होगा तथा दूसरा कमरा उनके सोने के लिए, ये कमरे पैरा 2 (क,ख,ग,) खण्ड 19 (ज) के आधार पर बनाए जायेंगे।
- (ii) कमरों में उपयुक्त प्रकाष तथा रोशनदान की व्यवस्था होगी। इन स्थानों को साफ रखने के लिए मेहतरों का भी प्रबन्ध होना चाहिये।
- (iii) ठेकेदार खेल के कमरे में उचित संख्या में खिलौने और सोने के कमरे में उपयुक्त चारपाई बिस्तर का प्रबन्ध करेगा।
- (iv) 50 तक महिला श्रमिको की संख्या तक, बच्चों की देखरेख के लिए ठेकेदार एक दाई रखेगा तथा 50 से अधिक संख्या पर 2 दाई रखेगा।
- (v) षिष् कक्ष के लिए निर्घारित कमरों में केवल बच्चे उनके रखवाले और उनकी माताएं ही आ जा सकेंगी।

9. **कैन्टीन**

- (i) ऐसे कार्यस्थलों में, जहां पर नियुक्त ठेके—श्रमिकों की छः मास तक रहने की सम्भावना हो और जहां पर ठेके के श्रमिकों की संख्या सामान्यतया 100 या इससे अधिक हो, वहां पर ऐसे श्रमिकों के लिए ठेकेदार एक उपयुक्त कैन्टीन की व्यवस्था करेगा।
- (ii) इस कैन्टीन को ठेकेदार भली-भांति चलायेगा।
- (iii) इस कैन्टीन में कम से कम एक खाना खाने का हाल, रसोई स्टोर होगा और बर्तनों को साफ करने और कर्मकारों के नहाने के लिए अलग—अलग स्थान होगा।
- (iv) जब कभी कोई व्यक्ति कैन्टिन में आए तो इसमें उपयुक्त प्रकाष की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (v) इसका फर्ष चिकना हो और दुर्भेध सामग्री से निर्मित होना चाहिए। और कम से कम एक वर्श में भीतर की दीवारे को चूना अथवा रंग से पुताई होनी चाहिये। षर्त यह है कि रसोई की दीवार पर भीतर से और हर चार महीने में एक बार पुताई की जाएगी।
- (vi) कैटीन के स्थान को साफ-सुथरी हालत में रखा जाये।
- (vii) गन्दे पानी को एक ढकी हुई नाली के द्वारा बहाया जायेगा और इसे एक स्थान पर एकत्र नहीं होने दिया जायेगा जिससे गन्दगी न हो।
- (viii) कूड़ा करकट को एकत्र करने तथा उसको उठाने के लिए उचित प्रबन्ध होगा।
- (ix) खाना खाने के हाल में एक समय में ठेके के श्रमिकों की कुल संख्या के 30 प्रतिषत आदिमयों के बैठने का स्थान होना चाहिए।
- (x) खाना खाने के हाल में, जिसमें सर्विस काउन्टर और फर्नीचर को छोड़कर, जिसमें मेज, कुर्सी षामिल नहीं है, प्रत्येक भोजन खाने वाले के लिए उप–िनयम 9 में निधारित के अनुसार एक वर्ग मीटर से कम स्थान नहीं होना चाहिये।



- (xi) (a) A portion of the dining hall and service counter shall be partitioned off and reserved for women workers in proportion to their number.
 - (b) Washing places for women shall be separate and screened to secure privacy.
- (xii) Sufficient tables stools, chair or benches shall be available for the number of diners to be accommodated as prescribed in sub-Rule 9.
- (xiii) (a) 1. There shall be provided and maintained sufficient utensils crockery, furniture and any other equipments necessary for the efficient running of the canteen.
 - 2. The furniture utensils and other equipment shall be maintained in a clean and hygienic condition.
 - (b) 1. Suitable clean clothes for the employees serving in the canteen shall be provided and maintained.
 - 2. A service counter, if provided, shall have top of smooth and impervious material.
 - 3. Suitable facilities including an adequate supply of hot water shall be provided for the cleaning of utensils and equipments.
- (xiv) The food stuffs and other items to be served in the canteen shall be in conformity with the normal habits of the contract labour.
- (xv) The charges for food stuffs, beverages and any other items served in the canteen shall be based on 'No profit, No loss' and shall be conspicuously displayed in the canteen.
- (xvi) In arriving at the price of foodstuffs, and other article served in the canteen, the following items shall not be taken into consideration as expenditure namely:-
 - (a) The rent of land and building.
 - (b) The depreciation and maintenance charges for the building and equipments provided for the canteen.
 - (c) The cost of purchase, repairs and replacement of equipments including furniture, crockery, cutlery and utensils.
 - (d) The water charges and other charges incurred for lighting and ventilation.
 - (e) The interest and amounts spent on the provision and maintenance of equipments provided for the canteen.
- (xvii) The accounts pertaining to the canteen shall be audited once every 12 months by registered accountants and auditors.

10. ANTI-MALARIAL PRECAUTIONS

The contractor shall at his own expense, conform to all anti-malarial instructions given to him by the Engineer-in-Charge including the filling up of any borrow pits which may have been dug by him.

11. The above rules shall be incorporated in the contracts and in notices inviting tenders and shall form an integral part of the contracts.

12. AMENDMENTS

Government may, from time to time, add to or amend these rules and issue directions - it may consider necessary for the purpose of removing any difficulty which may arise in the administration thereof.

13. EPIDEMIC SITUATION

In such situation contractor shall deploy special labour to keep the site, worker's hutments, rest rooms etc. neat and clean including sanitization. Contractor shall provide all epidemic related arrangements (at his cost following the guidelines issued by State/ Central Government in this regard.



आदर्श नियम



- (xi) (क) खाना खाने के हाल और सर्विस काउन्टर को महिला श्रमिको के अनुपात के अनुसार विभाजित कर महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाये।
 - (ख) महिलाओं के लिए नहाने व कपड़े धोने का स्थान अलग होना चाहिए तथा उनकी गोपनीयता के बचाव के लिए ओट होनी चाहिए।
- (xii) उप-नियम 9 में निर्दिश्ट खाना खाने वालों के लिए मेज, कुर्सी, स्टूल अथवा बैंच उपयुक्त संख्या में विद्यमान रहने चाहिए।
- (xiii) (क) (1) कैन्टीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त मात्रा में बर्तन, क्रोकरी, फर्नीचर तथा उसके आवष्यक उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए।
 - (2) फर्नीचर, बर्तन और अन्य उपकरण साफ होने चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो।
 - (ख) (1) कैन्टीन में काम करने वालों को साफ कपड़े दिए जायें तथा उनके कपड़ों को साफ रखा जाए।
 - (2) सर्विस काउन्टर यदि कोई हो तो उसके ऊपर का भाग साफ-स्थरा तथा अभेद्य सामग्री का बना हो।
 - (3) बर्तनों तथा उपकरणों को धोने के लिए गर्म पानी के साथ उपयुक्त व्यवस्था होगी।
- (xiv) कैन्टीन में दिया जाने वाला खाना तथा अन्य वस्तुएं ठेके के मजदूरों की सामान्य पसन्द के अनुसार होंगे।
- (xv) भोजन की कीमत अन्य वस्तुओं की कीमत जो कि कैन्टीन में परोसी या रखी जाए लाभ–हानि रहित आधार पर रखा जाय तथा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कैन्टीन में रखा जाय।
- (xvi) कैन्टीन में रखे पदार्थ का तथा अन्य पदार्थी का मूल्य निर्धारण करते समय निम्नलिखित मुद्दों के तहत न समझी जाये, जैसे किः
 - (क) भूमि तथा भवन का किराया,
 - (ख) भवन का तथा कैन्टीन में रखे गए उपकरणों का हास तथा अनुरक्षण प्रभार,
 - (ग) उपकरणों जिसमें, फर्नीचर, क्रोकरी, चम्मच तथा बर्तन षामिल हैं, खरीद, मरम्मत तथा बदलाव की कीमत,
 - (घ) पानी के प्रभार तथा प्रकाष और हवा के लिए खर्च किए गए प्रभार,
 - (ड) कैन्टीन के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने उनका अनुरक्षण करने में खर्च की गई राशि तथा उसका ब्याज।

(xvii) कैन्टीन से सम्बन्धित लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक 12 महीने में एक बार पंजीकष्त लेखाकार तथा लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा।

10. मलेरिया उन्मूलन के लिए उपाय

प्रभारी इंजीनियर द्वारा मलेरिया उन्मूलन के बारे में दी गई हिदायतों के अनुसरण के साथ—साथ ठेकेदार अपने ही खर्च पर ऐसे गड्डों को भी भरेगा जिन्हें उसने खुदवाया हों।

11. उपयुक्त नियमों को निविदा तथा निविदा आमन्त्रण सूचना में षामिल किया जायेगा तथा वह ठेके का एक अंग–भूत माना जायेगा।

12. **संशोधन**

सरकार समय–समय पर इन नियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकती है तथा इन नियमों के प्रशासन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से उपयुक्त दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं।

13. महामारी की स्थिति

ऐसी स्थिति में ठेकेदार साइट, (कार्य स्थल), कामगारों की झोपड़ियों, विश्राम कक्ष आदि को साफ—सुथरा एवं स्वच्छ रखने के लिए विशेष श्रामिक तैनात करेगा।



CPWD Contractor's Labour Regulations

1. SHORT TITLE

These regulations may be called the CPWD/PWD Delhi Contractors Labour Regulations.

2. **DEFINITIONS**

- (i) Workman means any person employed by CPWD/PWD Delhi or its contractor directly or indirectly through a subcontractor with or without the knowledge of the Central Public Works Department/PWD Delhi to do any skilled, semiskilled or unskilled manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment are expressed or implied but does not include any person:-
 - (a) Who is employed mainly in a managerial or administrative capacity: or
 - (b) Who, being employed in a supervisory capacity draws wages exceeding five hundred rupees per mensem or exercises either by the nature of the duties attached to the office or by reason of powers vested in him, functions mainly of managerial nature: or
 - (c) Who is an out worker, that is to say, person to whom any article or materials are given out by or on behalf of the principal employers to be made up cleaned, washed, altered, ornamental finished, repaired adopted or otherwise processed for sale for the purpose of the trade or business of the principal employers and the process is to be carried out either in the home of the out worker or in some other premises, not being premises under the control and management of the principal employer.

No person below the age of fourteen years shall be employed on the work. However, Adolescent Persons can be employed on non-hazardous works/process.

- (ii) Fair Wages means wages whether for time or piece work fixed and notified under the provisions of the Minimum Wages Act from time to time.
- (iii) Contractors shall include every person who undertakes to produce a given result other than a mere supply of goods or articles of manufacture through contract labour or who supplies contract labour for any work and includes a subcontractor.
- (iv) Wages shall have the same meaning as defined in the Payment of Wages Act.

3. WORKING HOURS

- (i) Normally working hours of an adult employee should not exceed 9 hours a day. The working day shall be so arranged that inclusive of interval for rest, if any, it shall not spread over more than 12 hours on any day.
- (ii) When an adult worker is made to work for more than 9 hours on any day or for more than 48 hours in any week, he shall be paid over time for the extra hours put in by him at double the ordinary rate of wages.
- (iii) (a) Every worker shall be given a weekly holiday normally on a Sunday, in accordance with the provisions of the Minimum Wages (Central) Rules 1960 as amended from time to time irrespective of whether such worker is governed by the Minimum Wages Act or not.
 - (b) Where the minimum wages prescribed by the Government under the Minimum Wages Act are not inclusive of the wages for the weekly day of rest, the worker shall be entitled to rest day wages at the rate applicable to the next preceding day, provided he has worked under the same contractor for a continuous period of not less than 6 days.





केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए विनियम

1. संक्षिप्त नाम

इन विनियमों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / लो.नि.वि. दिल्ली के ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए विनियम'' कहा जायेगा।

2. परिभाषाएं

- (i) कर्मकार से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / लो.नि.वि दिल्ली द्वारा या उसके ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी उप—ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / लो.नि.वि दिल्ली के ज्ञान या बिना ज्ञान के, किराया या इनाम पर किसी कुषल, अर्ध—कुषल या अकुषल श्रमिक, पर्यवेक्षक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित किया गया हो चाहे नौकरी की षर्ते लिखित हो या अन्तनिहित लेकिन इस में निम्नलिखित कोई व्यक्ति षामिल नहीं होगा—
 - (क) जो मुख्यतया प्रबन्धकीय या प्रषासनिक तौर पर लगाया गया हो, या
 - (ख) वह जिसे पर्यवेक्षक के तौर पर लगाया गया हो और जो 500 रूपए से अधिक मजदूरी प्रतिमास ले रहा हो या मुख्यतया प्रबन्धकीय प्रकार का कार्य या तो कार्यालय में ड्यूटी के प्रकार के कारण या उसे दी गई षक्तियों के कारण करता हों,
 - (ग) जो बाहर का कर्मकार हो, अर्थात वह व्यक्ति जिसे मुख्य नियोक्ता द्वारा या उसकी और से किसी प्रकार की वस्तुएें या सामग्री बनाने के लिये, साफ करने के लिये , धोने के लिये, बदलने के लिये, पॉलिष कराने के लिये, मरम्मत के लिये या मुख्य नियोक्ता के व्यापार के उद्देष्य से बिक्री के लिए अन्यथा संसाधन करने के लिए दी गई हों और संसाधन की प्रक्रिया या तो बाहर के कर्मकार के घर में या किसी और स्थान पर किया जाना हो जो केन्द्रीय या मुख्य नियोक्ता के प्रबन्ध परिसर में न हो।
 - चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा। हालाँकि किशोर व्यक्तियों को गैर-खतरनाक कार्यों / प्रक्रियों पर नियोजित किया जा सकता है।
- (ii) उचित मजदूरी से वह मजदूरी चाहे वह कालनुपाती काम के अथवा मात्रनुपाती काम के लिए हो जो समय—समय पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत निष्चित या अधिसूचित की गई हैं।
- (iii) ठेकेदारी में प्रत्येक वह व्यक्ति षामिल होगा जो ठेका मजदूरी द्वारा वस्तुओं या उत्पादन की वस्तुओं के अतिरिक्त दिए गए कार्य को परिणामार्थ हाथ में ले या जो किसी कार्य के लिए ठेके पर मजदूर सप्लाई करे तथा इसमें उप–ठेकेदार षामिल हैं।
- (iv) मजदूरी का वही अर्थ होगा जो मजदूरी संदाय अधिनियम में परिभाशित है।

3. कार्य समय:-

- (i) सामान्यतः किसी वयस्क कर्मचारी के काम का समय दिन में 9 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिये, कार्य दिवस की व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी कि विश्राम का मध्यावकाष, यदि कोई हो, मिलाकर उसका विस्तार किसी भी दिन 12 घंटे से अधिक न हो।
- (ii) यदि किसी वयस्क कर्मकार से किसी दिन 9 घंटे या किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम कराया जाए तो उसे कार्य के अतिरिक्त समय के लिए मजदूरी की साधारण दर को दुगनी दर से ''अतिकाल'' संदत्त किया जाएगा। बच्चे से अतिरिक्त समय में काम नहीं कराया जाएगा।
- (iii) (क) प्रत्येक कर्मकार को इस बात का विचार किए बिना कि वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा षामिल होता है, अथवा नहीं, समय—समय पर यथासंषोधित न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियमावली 1960 के उपबन्धों के अनुसार सामान्यतः रविवार को साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी।
 - (ख) जहाँ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में साप्ताहिक विश्राम के दिन की वेतन मजदूरी षामिल नहीं है वहां कर्मकार पिछले दिन को देय मजदूरी की दर पर विश्राम—दिवस की मजदूरी का पात्र होगा बषर्ते उसने उसी ठेकेदार के अधीन निरन्तर 6 दिन कम से कम की अवधि तक कार्य किया हो।



(c) Where a contractor is permitted by the Engineer-in-Charge to allow a worker to work on a normal weekly holiday, he shall grant a substituted holiday to him for the whole day on one of the five days immediately before or after the normal weekly holiday and pay wages to such worker for the work performed on the normal weekly holiday at overtime rate.

4. DISPLAY OF NOTICE REGARDING WAGES ETC.

The contractor shall before he commences his work on contract, display and correctly maintain and continue to display and correctly maintain in a clear and legible condition in conspicuous places on the work, notices in English and in the local Indian languages spoken by the majority of the workers giving the minimum rates of wages fixed under Minimum Wages Act, the actual wages being paid, the hours of work for which such wage are earned, wages periods, dates of payments of wages and other relevant information as per Appendix 'III'.

5. PAYMENT OF WAGES

- The contractor shall fix wage periods in respect of which wages shall be payable.
- (ii) No wage period shall exceed one month.
- (iii) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor where less than one thousand such persons are employed shall be paid before the expiry of seventh day and in other cases before the expiry of tenth day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.
- (iv) Where the employment of any worker is terminated by or on behalf of the contractor the wages earned by him shall be paid before the expiry of the second working day from the date on which his employment is terminated
- (v) All payment of wages shall be made on a working day at the work premises and during the working time and on a date notified in advance and in case the work is completed before the expiry of the wage period, final payment shall be made within 48 hours of the last working day.
- (vi) Wages due to every worker shall be paid to him direct by contractor through Bank or ECS or online transfer to his bank account.
- (vii) All wages shall be paid through Bank or ECS or online transfer.
- (viii) Wages shall be paid without any deductions of any kind except those specified by the Central Government by general or special order in this behalf or permissible under the Payment of Wages Act 1956.
- (ix) A notice showing the wages period and the place and time of disbursement of wages shall be displayed at the place of work and a copy sent by the contractor to the Engineer-in-Charge under acknowledgment.
- (x) It shall be the duty of the contractor to ensure the disbursement of wages through bank account of labour.
- (xi) The contractor shall obtain from the Junior Engineer or any other authorised representative of the Engineerin-Charge as the case may be, a certificate under his signature at the end of the entries in the "Register of Wages" or the "Wage-cum-Muster Roll" as the case may be in the following form:-





(ग) जहाँ प्रभारी इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को किसी कर्मकार से सामान्य अवकाष वाले दिन कार्य करवाने की अनुमित दी जाती है तो वह उसको सामान्य साप्ताहिक अवकाष के फौरन पांच दिन पूर्व अथवा पष्चात् के किसी भी दिन को सारे दिन का प्रतिपूर्ति अवकाष देगा तथा ऐसे कर्मकार को सामान्य साप्ताहिक अवकाष के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए समयोपिर दर पर भुगतान करेगा।

4. मजदूरी आदि के सम्बन्ध में नोटिस लगाना

ठेकेदार अपने ठेके का काम प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यस्थल के सहज द्रश्टव्य स्थानों पर अंग्रजी में और अधिकांष कर्मकारों द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय भारतीय भाशा में स्वच्छ और सुबाच्य अक्षरों में ऐसा नोटिस लगाएगा तथा लगाता रहेगा और सही—सही लगाता रहेगा जिनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निष्चित मजदूरी की न्यूनतम दरें, दी जा रही वास्तविक मजदूरी, ऐसी अर्जित की जाने वाली मजदूरी के कार्य के घंटे, मजदूरी की अवधि, मजदूरी भुगतान की तिथियां तथा परिषिश्ट '॥' के अनुसार अन्य सम्बन्धित सूचनाओं का उल्लेख होगा।

5. मजदूरी का भुगतान

- (i) टेकेदार ऐसी मजदूरी कालावधियाँ, जिनके बारे में मजदूरी देय होगी, नियत करेगा।
- (ii) किसी भी मजदूरी की कालवधि एक मास से अधिक नहीं होगी।
- (iii) ऐसी स्थापनाओं में ठेके पर नियोजित अथवा ठेकेदार द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मकार को जहाँ ऐसे कर्मकारों की संख्या 1000 से कम है मजदूरी संदाय की मजदूरी कालविध की समाप्ति के अन्तिम दिन के पष्चात् मजदूरी 7 वे दिन से पूर्व तथा अन्य मामलों में 10 वें दिन की समाप्ति से पूर्व ही कर दी जाएगी।
- (iv) जब ढेकेदार द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी कर्मकार का नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा, तो उसके द्वारा अर्जित मजदूरी की अदायगी उसके नियोजन के समाप्त होने के दूसरे दिन की समाप्ति से पूर्व ही कर दिया जाएगा।
- (v) मजदूरी की सारी अदायगी काम के दिन कार्यस्थल पर तथा कार्यविधि में और पूर्व अधिसूचित तिथि पर की जायेगी और यदि कार्य मजदूरी अविध की समाप्ति से पूर्व पूर्ण हो जाता है, अन्तिम अदायगी काम के अन्तिम दिन के पष्चात् 48 घण्टों में की जाएगी।
- (vi) प्रत्येक कामगार / कर्मकार को देय मजदूरी का भुगतान ठेकेदार द्वारा उसको सीधे बैंक, ईसीएस अथवा उसके बैंक खाते में ऑनलाइन ट^aांसफर के द्वारा किया जायेगा।
- (vii) सभी मजदूरी बैक अथवा ईसीएस अथवा ऑनलाइन ट बास्फर के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए ।
- (viii) मजदूरी का भुगतान किसी प्रकार की कटौती के बिना किया जायेगा सिवाय उनके जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सामान्य अथवा विषेश आदेषों में निर्दिश्ट की गई हो अथवा जो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1956 में ग्राहय है।
- (ix) मजदूरी अवधि तथा मजदूरी वितरण का स्थान और समय की, सूचना कार्यस्थल पर प्रदर्षित की जाएगी तथा ठेकेदार उसकी एक प्रति प्रभारी इंजीनियर को प्राप्ति स्वीकर्षते के अधीन भेजेगा।
- (x) यह ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह श्रमिक के बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी के वितरण को सुनिश्चित करे।
- (xi) ठेकेदार, किनश्ठ इंजीनियर अथवा प्रभारी इंजीनियर के किसी अन्य प्राधिकष्त प्रतिनिधि से जो भी हो, उसके हस्ताक्षरों सहित "मजदूरी रजिस्टर" अथवा मजदूरी तथा मस्टर रोल" में जो भी हो, ये प्रविश्टियों के अंत में प्रमाण–पत्र निम्नलिखित रूप में लेगाः
- (xii) "यह प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ न. में दिखाई गई राशि का भुगतान सम्बन्धित कर्मकारों को को श्रमिक के बैंक खाते के माध्यम से किया गया है।



FINES AND DEDUCTIONS WHICH MAY BE MADE FROM WAGES

- (i) The wages of a worker shall be paid to him without any deduction of any kind except the following:-
 - (a) Fines
 - (b) Deductions for absence from duty i.e. from the place or the places where by the terms of his employment he is required to work. The amount of deduction shall be in proportion to the period for which he was absent.
 - (c) Deduction for damage to or loss of goods expressly entrusted to the employed person for custody or for loss of money or any other deduction which he is required to account, where such damage or loss is directly attributable to his neglect or default.
 - (d) Deduction for recovery of advances or for adjustment of overpayment of wages, advances granted shall be entered in a register.
 - (e) Any other deduction which the Central Government may from time to time allow.
- (ii) No fines should be imposed on any worker save in respect of such acts and omissions on his part as have been approved of by the Chief Labour Commissioner.
 - Note: An approved list of Acts and Omissions for which fines can be imposed is enclosed at Appendix-X
- (iii) No fine shall be imposed on a worker and no deduction for damage or loss shall be made from his wages until the worker has been given an opportunity of showing cause against such fines or deductions.
- (iv) The total amount of fine which may be imposed in any one wage period on a worker shall not exceed an amount equal to three paise in a rupee of the total wages, payable to him in respect of that wage period.
- (v) No fine imposed on any worker shall be recovered from him by instalment, or after the expiry of sixty days from the date on which it was imposed.
- (vi) Every fine shall be deemed to have been imposed on the day of the act or omission in respect of which it was imposed.

LABOUR RECORDS

- (i) The contractor shall maintain a Register of persons employed on work on contract in Form XIII of the CL (R&A) Central Rules 1971 (Appendix IV)
- (ii) The contractor shall maintain a Muster Roll register in respect of all workmen employed by him on the work under Contract in Form XVI of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix V).
- (iii) The contractor shall maintain a Wage Register in respect of all workmen employed by him on the work under contract in Form XVII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix VI).
- (iv) Register of accident The contractor shall maintain a register of accidents in such form as may be convenient at the work place but the same shall include the following particulars:
 - (a) Full particulars of the labourers who met with accident.
 - (b) Rate of Wages.
 - (c) Sex
 - (d) Age
 - (e) Nature of accident and cause of accident.





जुर्माने तथा कटौतियाँ जो मजदूरी से की जा सकेंगी

- (i) निम्नलिखित को छोडकर कर्मकार की मजदूरी किसी प्रकार की कटौती किए बिना ही उसको अदा की जाएगी :--
 - (क) जुर्माने।
 - (ख) काम से अर्थात उस स्थान या स्थानों से जहां उसके नियोजन की षतों द्वारा उससे कार्य करने की अपेक्षा की गई है, अनुपस्थिति की अवधि के अनुपात में होगी।
 - (ग) नियोजित व्यक्ति को स्पश्ट रूप से अधिरक्षा के लिए सौपें गए माल को हुए नुकसान या हानि या धन की हानि या कोई अन्य कटौती जिसके लिए उससे हिसाब—देने की अपेक्षा की जाती हैं, जहाँ इस प्रकार का नुकसान या हानि प्रत्यक्षतः उसके द्वारा उपेक्षा या व्यतिक्रम करने के फलस्वरूप मानी गई है।
 - (घ) अग्रिम धन की वसूली के लिए या मजदूरी के अधिक अदायगी का समायोजन करने के लिए कटौती, दिए गए अग्रिम धन का रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
 - (ड.) कोई अन्य कटौती जिसे समय समय पर केन्द्रीय सरकार करने की आज्ञा दे।
- (ii) किसी कर्मकार पर उसकी और से ऐसे कष्त्यों और भूलों की बाबत किए गए जुर्माने को छोड़कर, जो मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा अनुमोदित कर दिया हो, कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा।
 - टिप्पणी:- कष्त्यों तथा भूलों जिनके लिए जुर्माना किया जा सकता है की अनुमोदित सूची परिषिश्ट (X) में दी गई है।
- (iii) कर्मकार पर तब तक कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा और न उसकी मजदूरी में से नुकसान या हानि के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी जब तक कि उसे ऐसे जुर्माना या कटौतियों के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दिया जाए।
- (iv) किसी कर्मकार पर किसी एक मजदूरी के समय में किए गए जुर्माने की कुल रकम उस मजदूरी की कालाविधि की बाबत उसको देय मजदूरी में एक रूपए पर तीन पैसे से अधिक नहीं होगी।
- (v) किसी कर्मकार पर किया गया कोई जुर्माना उससे, किष्तों में, या जुर्माना किए जाने की तारीख से 60 दिन बीतने के बाद वसूल नहीं किया जाएगा।
- (vi) प्रत्येक जुर्माना उस दिन अधिरोपित किया गया समझा जाएगा, जिस दिन वह कष्त्य या भूल की गई हो जिससे निमित्त जुर्माना किया गया हैं।

श्रम सम्बन्धी अभिलेख

- (i) ठेकेदार, ठेके के काम पर नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियमावली 1971 (परिषिश्ट'IV') के प्रपत्र 13 में रखेगा।
- (iii) ठेकेदार उस द्वारा ठेके के काम पर नियोजित सभी कर्मकारों के सम्बन्ध में ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 (परिषिश्ट'VI') के परिपत्र 17 में एक मजदूरी रजिस्टर रखेगा।
- (iv) ठेकेदार ऐसे प्रपत्र में जो कार्यस्थल पर सुविधाजनक हो दुर्घटनाओं का एक रजिस्टर रखेगा, जिसके अर्न्तगत निम्नलिखित बातें होंगी:
 - (क) उन श्रमिकों के पूरे ब्यौरे जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हों।
 - (ख) मजदूरी की दर।
 - (ग) लिंग।
 - (घ) आयु।
 - (च) दुर्घटना की प्रकश्ति और उसका कारण।

CONTRACTOR'S LABOUR REGULATIONS



- (f) Time and date of accident.
- (g) Date and time when admitted in Hospital,
- (h) Date of discharge from the Hospital.
- (i) Period of treatment and result of treatment.
- (j) Percentage of loss of earning capacity and disability as assessed by Medical Officer.
- (k) Claim required to be paid under Workmen's Compensation Act.
- (I) Date of payment of compensation.
- (m) Amount paid with details of the person to whom the same was paid.
- (n) Authority by whom the compensation was assessed.
- (o) Remarks
- (v) The contractor shall maintain a Register of Fines in the Form XII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix-XI)
- (vi) The contractor shall display in a good condition and in a conspicuous place of work the approved list of acts and omissions for which fines can be imposed (Appendix-X)
- (vii) The contractor shall maintain a Register of deductions for damage or loss in Form XX of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix-XII)
- (viii) The contractor shall maintain a Register of Advances in Form XXIII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix-XIII)
- (ix) The contractor shall maintain a Register of Overtime in Form XXIII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix-XIV)

6. ATTENDANCE CARD-CUM-WAGE SLIP

- The contractor shall issue an Attendance card-cum-wage slip to each workman employed by him in the specimen form at (Appendix-VII)
- (ii) The card shall be valid for each wage period.
- (iii) The contractor shall mark the attendance of each workman on the card twice each day, once at the commencement of the day and again after the rest interval, before he actually starts work.
- (iv) The card shall remain in possession of the worker during the wage period under reference.
- (v) The contractor shall complete the wage slip portion on the reverse of the card at least a day prior to the disbursement of wages in respect of the wage period under reference.
- (vi) The contractor shall obtain the signature or thumb impression of the worker on the wage slip at the time of disbursement of wages and retain the card with himself.

7. EMPLOYMENT CARD

The contractor shall issue an Employment Card in Form XIV of the CL (R&A) Central Rules 1971 to each worker within three days of the employment of the worker (Appendix-VIII).

8. SERVICE CERTIFICATE

On termination of employment for any reason whatsoever the contractor shall issue to the workman whose services have been terminated, a Service certificate in Form XV of the CL (R&A) Central Rules 1971 (Appendix-IX)





- (छ) दुर्घटना का समय और तारीख।
- (ज) अस्पताल में दाखिल होने की तारीख और समय।
- (झ) अस्पताल छोडने की तारीख।
- (ट) उपचार की अवधि और उसका परिणाम।
- (ठ) चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमानित सामर्थ्य की हानि और निशक्तता की प्रतिषतता।
- (ड) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन दिए जाने वाला अपेक्षित दावा।
- (ढ) क्षतिपूर्ति की अदायगी की तारीख।
- (त) संदत्त रकम और उस व्यक्ति का व्यौरा जिसे वह रकम संदत्त की गई।
- (थ) प्रधिकारी जिसके द्वारा प्रतिकार निर्धारित किया गया।
- (द) टिप्पणियां।
- (vi) ठेकेदार, ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 के प्रारूप 12 में जुर्माने का एक रजिस्टर रखेगा। (परिषिश्ट—'XI')।
- (vii) ठेकेदार कष्त्यों तथा भूलसे जिनके लिए जुर्माना किया जा सकता है, की अनुमोदित सूची कार्यस्थल के सहज द्रश्टव्य स्थान पर अच्छी हालत में प्रदर्षित करेगा (परिषिश्ट—'X')।
- (viii) ठेकेदार, ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 के प्रारूप 20 (परिषिश्ट—'XII') में नुकसान तथा हानियों के लिए कटौतियों का एक रजिस्टर रखेगा।
- (ix) टेकेदार, टेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 के प्रारूप 22 (परिषिश्ट—'XIII') में एक अग्रिम रजिस्टर रखेगा।
- (x) ठेकेदार, ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 के प्रारूप 23 (परिषिश्ट—'XIV') में एक समयोपरि रजिस्टर रखेगा।

6. उपस्थिति कार्ड-तथा मजदूरी-पर्ची

- (i) ठेकेदार, उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मकार को परिषिश्ट 'VII' पर दिए गए नमूना—प्रारूप के अनुसार एक उपस्थिति कार्ड तथा मजदूरी पर्ची देगा।
- (ii) यह कार्ड प्रत्येक मजदूरी-कालवधि के लिए वैद्य होगा।
- (iii) ठेकेदार कार्ड पर प्रत्येक कर्मकार की प्रतिदिन दो बार कार्य आरम्भ पर तथा विश्राम मध्यान्तर के पष्चात् उपस्थिति लगायेगा।
- (iv) यह कार्ड सम्बन्धित मजदूरी कालवधि के दौरान कर्मकार के कब्जे में रहेगा।
- (v) ठेकेदार, सम्बन्धित मजदूरी कालावधि के मजदूरी देने से कम से कम एक दिन पूर्व कार्ड के पीछे मजदूरी पर्ची के भाग को पूर्ण करेगा।
- (vi) ठेकेदार मजदूरी देते समय मजदूरी पर्ची पर कर्मकार के हस्ताक्षर लेगा अथवा अगूंठे का निषान लगाएगा तथा कार्ड को स्वयं अपने पास रखेगा।

7. नियोजन कार्ड

ठेकेदार प्रत्येक कर्मकार को, उसके नियोजन किए जाने कि तीन दिन के भीतर, ठेकेदार श्रमिक नियोजन तथा उन्मूलन केन्द्रीय नियम 1971 के प्रारूप 14 में (परिषिश्ट 'VIII') एक नियोजन कार्ड देगा।

8. सेवा प्रमाण-पत्र

किसी भी कारण से नियोजन के समाप्त होने पर ठेकेदार उस कर्मकार को, जिसकी सेवाएं समाप्त की गई हैं, ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) केन्द्रीय नियम, 1971 के प्रारूप 15 में (परिषिश्ट 'IX') एक सेवा प्रमाण–पत्र देगा।



9. PRESERVATION OF LABOUR RECORDS

All records required to be maintained under Regulations Nos. 6 & 7 shall be preserved in original for a period of three years from the date of last entries made in them and shall be made available for inspection by the Engineer-in-Charge or Labour Officer or any other officers authorised by the Ministry of Urban Development in this behalf.

10. POWER OF LABOUR OFFICER TO MAKE INVESTIGATIONS OR ENQUIRY

The Labour Officer or any person authorised by Central Government on their behalf shall have power to make enquires with a view to ascertaining and enforcing due and proper observance of Fair Wage Clauses and the Provisions of these Regulations. He shall investigate into any complaint regarding the default made by the contractor or subcontractor in regard to such provision.

11. REPORT OF LABOUR OFFICER

The Labour Officer or other persons authorised as aforesaid shall submit a report of result of his investigation or enquiry to the Executive Engineer concerned indicating the extent, if any, to which the default has been committed with a note that necessary deductions from the contractor's bill be made and the wages and other dues be paid to the labourers concerned. In case an appeal is made by the contractor under Clause 13 of these regulations, actual payment to labourers will be made by the Executive Engineer after the Superintending Engineer has given his decision on such appeal.

(i) The Executive Engineer shall arrange payments to the labour concerned within 45 days from the receipt of the report form the Labour Officer or the Superintending Engineer as the case may be.

12. APPEAL AGAINST THE DECISION OF LABOUR OFFICER

Any person aggrieved by the decision and recommendations of the Labour Officer or other person so authorised may appeal against such decision to the Superintending Engineer concerned within 30 days from the date of decision, forwarding simultaneously a copy of his appeal to the Executive Engineer concerned but subject to such appeal, the decision of the officer shall be final and binding upon the contractor.

13. PROHIBITION REGARDING REPRESENTATION THROUGH LAWYER

- (i) A workman shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these regulations by:-
 - (a) An officer of a registered trade union of which he is a member.
 - (b) An officer of a federation of trade unions to which the trade union referred to in clause (a) is affiliated.
 - (c) Where the employer is not a member of any registered trade union, by an officer of a registered trade union, connected with the industry in which the worker is employed or by any other workman employed in the industry in which the worker is employed.
- (ii) An employer shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these regulations by :-
 - (a) An officer of an association of employers of which he is a member.
 - (b) An officer of a federation of associations of employers to which association referred to in clause (a) is affiliated.
 - (c) Where the employers is not a member of any association of employers, by an officer of association of employer connected with the industry in which the employer is engaged or by any other employer, engaged in the industry in which the employer is engaged.
- (iii) No party shall be entitled to be represented by a legal practitioner in any investigation or enquiry under these regulations.





9. श्रम अभिलेखों को सुरक्षित रखना

विनिमयन सं. 6 तथा 7 के अधीन रखे जाने वाले अपेक्षित सभी अभिलेखों को उनमें की गई अन्तिम प्रविश्टिकी तिथि से तीन वर्श की अवधि के लिए मूल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा तथा ये प्रभारी इंजीनियर, श्रम अधिकारी अथवा निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा सम्बन्ध में प्राधिकष्त किए गए अन्य अधिकारियों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध किए जाएंगे।

10. श्रम अधिकारियों को अन्वेशण या जांच करने संबंधी षिक्तयाँ

श्रम अधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राधिकष्त किसी अन्य व्यक्ति को यह षिक्ति होगी कि वह उचित मजदूरी खण्डों और विनियमों के उपलब्धों का सम्यक और उचित अनुपालन अभिनिष्चित करने और प्रवर्तित कराने की दर्षश्ट से जांच करे। वह ठेकेदार या उप—ठेकेदार द्वारा ऐसे उपलब्धों के बारे में की हुई व्यतिक्रम संबंधी किसी षिकायत का अन्वेशण करेगा।

11. श्रम अधिकारी की रिपोर्ट

श्रम अधिकारी या 'यथापूर्वोक्त प्राधिकष्त अन्य व्यक्ति अपने अन्वेशण या जांच के परिणाम की एक रिपोर्ट संबंधित कार्यपालक इंजीनियर को भेजेगा जिसमें वह व्यतिक्रम की जाने वाली सीमा, यदि कोई हो, उपदर्षित करेगा और साथ ही एक टिप्पणी भी देगा कि ठेकेदार के बिल में से आवष्यक कटौतियां कर ली जाएं और संबंधित श्रमिकों को मजदूरी तथा अन्य देय रकमों का भुगतान कर दिया जाए। इन विनियमों के खण्ड 13 के अधीन ठेकेदार द्वारा अपील किए जाने की दषा में अपील अधीक्षण इंजीनियर द्वारा निर्णय दे देने के बाद कार्यपालक इंजिनियर श्रमिकों को वास्तविक रूप से भुगतान करेगा।

(क) कार्यपालक इंजिनियर संबंधित श्रमिकों को श्रम अधिकारी या अधीक्षण इंजीनियर, जैसी भी स्थिति हो, रिपोर्ट के प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर भुगतान की व्यवस्था करेगा।

12. श्रम अधिकारी के विनिष्चय के विरुद्ध अपील

श्रम अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकष्त किसी अन्य व्यक्ति के विनिष्वय और सिफारिषों से कथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय के विरुद्ध विनिष्वय की तारीख से 30 दिन के भीतर संबंधित अधीक्षण इंजीनियर को अपील कर सकेगा और उसके साथ ही अपनी अपील की एक प्रति संबंधित कार्यपालक इंजीनियर को भेजेगा किन्तु ऐसी अपील के अधीन, अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

13. वकील के मार्फत अभ्यावेदन के बारे में निशेध

- (i) कर्मकार इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेशण या जाँच में निम्नलिखित द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा—
 - (क) किसी ऐसे पंजीकष्त व्यवसाय संघ का अधिकारी, जिसका वह सदस्य है।
 - (ख) व्यवसाय संघों के ऐसे परिसंघ का अधिकारी जिससे खण्ड (क) में निर्दिश्ट व्यवसाय संघ संबद्ध है।
 - (ग) जहां नियोजक, किसी पंजीकष्त व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है, वहाँ जिस उद्योग में कर्मकार नियोजित है, उससे संबंधित व्यवसाय के किसी अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य कर्मकार द्वारा।
- (ii) नियोजक इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेशण या जांच में निम्नलिखित द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा—
 - (क) नियोजक के किसी ऐसे संघ का कोई अधिकारी, जिसका वह सदस्य है।
 - (ख) नियोजको के संघ के किसी ऐसे परिसंघ का कोई अधिकारी जिससे खण्ड (क) में निर्दिश्ट संघ संबंद्ध है।
 - (ग) जहां नियोजक, नियोजकों के किसी संघ का सदस्य नहीं है वहाँ जिस उद्योग में नियोजक लगा हुआ है, उससे संबंधित नियोजक के संवंर्ग के किसी अधिकारी द्वारा या उस उद्योग में लगे किसी अन्य नियोजक द्वारा।
- (iii) इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेशण या जांच में कोई भी पक्षकार किसी विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा।

CONTRACTOR'S LABOUR REGULATIONS



14. INSPECTION OF BOOKS AND SLIPS

The contractor shall allow inspection of all the prescribed labour records to any of his workers or to his agent at a convenient time and place after due notice is received or to the Labour Officer or any other person, authorised by the Central Government on his behalf.

15. SUBMISSIONS OF RETURNS

The contractor shall submit periodical returns as may be specified from time to time.

16. AMENDMENTS

The Central Government may from time to time add to or amend the regulations and on any question as to the application/Interpretation or effect of those regulations the decision of the Superintending Engineer concerned shall be final.

श्रमिकों के लिए विनियम



14. बहियों और स्लिपो का निरीक्षण

ठेकेदार अपने किसी भी कर्मकार से सम्बन्धित सभी श्रम विलेखों के उसके अधिकर्ता को सम्यक सूचना प्राप्त होने पर किसी सुविधाजनक समय और स्थान पर अनुज्ञात करेगा या श्रम अधिकारी या उसकी ओर से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकष्त किसी अन्य व्यक्ति को भी निरीक्षण करने देगा।

15. विवरणियों को प्रस्तुत करना

ठेकेदार समय-समय पर यथा विनिर्दिश्ट सामयिकी विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

16. संशोधन

केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनियमों का परिवर्तन या संषोधन कर सकेगी और उन विनियमों के लागू होने, निर्विचन या प्रभावी होने के बाद में किसी प्रष्न पर संबंधित अधीक्षण इन्जीनियर का विनिष्चय अन्तिम होगा।



परिशिष्ट / Appendix 'I'

प्रसूति प्रसुविधाओं का रजिस्टर (ठेके की शर्तो का खण्ड 19—च) REGISTER OF MATERNITY BENEFITS (Clause 19 F)

कार्य का नाम और	lress of the contra					
कर्मचारी का नाम	पिता / पति का नाम	नियोजन का र	वरूप वास्ती की अ	विक नियुक्ति	तारीख जि सूचना दी	सको प्रसवावस्था र्क सर्वे
Name of the employee	Father's/ husband's name	Nature of employment	Perio actua	od of	Date on	ารุ which notice o nent given
1	2	3	4		5	
प्रसव / गर्भपात की	Date on whic	गे प्रसूति छुट्टी n maternity lea प्रसव की दशा	ave comme	enced and e	•	<u> </u>
Date of deliver	y/	In case of de	elivery	In c	ase of mi	scarriage
miscarriage		भ हुई ımenced	समाप्त हुई Ended	प्रारम्भ हुई Commen	ced	समाप्त हुई Ended
6		7	8	9		10
		कर्मचारी को सं eave pay paid	-			
प्रस	व की दशा में	गर्भपा	त की दशा में			टिप्पणियां
In ca	se of delivery	In case	of miscarria	age		Remarks
छुट्टी वेतन की दर Rate of leave p		छुट्टी वेतन की d Rate of leav		संदत्त रकम Amount pai	d	

15

11

12

13

14



परिशिष्ट / Appendix 'II'

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संकर्मों में ठेकेदारों के श्रमिकों को अनुज्ञेय प्रसूति प्रसुविधा के बारे में रजिस्टर का नमूना प्रारूपं

SPECIMEN FORM OF THE REGISTER, REGARDING MATERNITY BENEFIT ADMISSIBLE TO THE CONTRACTOR'S LABOUR IN CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT WORKS.

ठेके	द्वार का नाम और पता
Nan	ne and address of the contractor
कार्य	का नाम और स्थिति
Nar	ne and location of the work
1.	स्त्री का नाम और उसके पति का नाम
	Name of the woman and her husband's name.
2	ਪਟ ਜ਼ਾਮ

- - Designation.
- नियुक्ति की तारीख
 - Date of appointment.
- मास और वर्षो सहित वह तारीख जिसको उसे नियुक्त किया गया Date with months and years in which she is employed.
- सेवान्मुक्त / पदच्युत किये जाने की तारीख, यदि कोई हो Date of discharge/dismissal, if any.
- गर्भ धारण के बाबत प्रमाण पत्र पेश किए जाने की तारीख
 - Date of production of certificates in respect of pregnancy.
- वह तारीख जिसको स्त्री प्रत्याशित प्रसव के बारे में इत्तिला देती है
 - Date on which the woman informs about the expected delivery.
- प्रसव / गर्भपात / मृत्यु होने की तारीख
 - Date of delivery/miscarriage/death
- प्रसव / गर्भपात / संबंधी प्रमाण पत्र किये जाने की तारीख
 - Date of production of certificate in respect of delivery/miscarriage.
- 10. प्रत्याशित प्रसव से पूर्व संदत्त प्रसूति / मृत्यु प्रसुविधा की रकम और उसकी तारीख
 - Date with the amount of maternity/death benefit paid in advance of expected delivery.
- 11. प्रसृति प्रसृविधा के पश्चातवर्ती संदाय की रकम और उसकी तारीख
 - Date with amount of subsequent payment of maternity benefit.
- 12. स्त्री के मृत्यु के बाद उसकी प्रसूति प्रसुविधा का संदाय प्राप्त करने के लिए उस स्त्री द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति का नाम
 - Name of the person nominated by the woman to receive the payment of the maternity benefit after her death.
- 13. यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की तारीख, उस व्यक्ति का नाम, जिसको प्रसूति प्रसुविधा की रकम संदत्त की गई, संदाय की तारीख और मास
 - If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefit amount was paid, the month thereof and the date of payment.
- 14. रजिस्टर की प्रविष्टियों को अधिप्रमाणित करते हुए ठेकेदार के हस्ताक्षर
 - Signature of the contractor authenticating entries in the register.
- 15. निरीक्षक आफिसर के उपयोग के लिए टिप्पणी स्तम्भ
 - Remarks column for the use of Inspecting Officer.



श्रम बोर्ड Labour Board

काय का नाम.					
Name of work					
ठेकेदार का न	тम				
Name of Contr	ractor				
ठेकेदार का प	ता				
Address of Co	ntractor				
के० लो० नि०	विभाग के मंडल का	नाम व पता			
Name and add	dress of C.P.W.D. Di	vision			
के. लो. नि. वि	वेभाग के श्रम अधिक	ारी का नाम			
Name of C.P.	W.D. Labour Officer				
के. लो. नि. र्	वेभाग के श्रम अधिक	गरी का पता			
	P.W.D. Labour Office				
श्रम कार्यान्वयन	। अधिकारी का नाम				
	ur Enforcement Offic				
श्रम कार्यान्वयन	। अधिकारी का पता				
Address of Lal	bour Enforcement O	fficer			
क्रम संख्या SI. No.	श्रेणी Category	न्युनतम निर्धारित मजदूरी Minimum wage fixed	भुगतान की गई वास्तविक मजदूरी Actual wage paid	वर्तमान संख्या Number present	टिप्पणी Remarks
साप्ताहिक छुट्टी	ì				
Weekly holida	у				
मजदूरी की अ	वधि				
Wage period					
मजदूरी के भुग	ातान की तारीख				
Date of payme	ent of wages				
काम के घंटे					
Working hours	6				
आराम का मध्य	यान्तर				
Rest interval					

परिशिष्ट / Appendix 'IV'



फार्म 13 Form-XIII (कृष्या नियम 75 देखें) (See Rule 75)

ठेकेदार द्वारा लगाये गए मजदूरों का रजिस्टर Register of Workmen Employed by Contractor

,,,					टिप्पणी	Remarks	12	
					बरखास्त करने ि ि	Reasons for terminations	11	
					नौकरी से बरखास्त करने की तारीख	Date of termination of employment	10	
					मजदूर के हस्तक्षार/अंगूठे का निशान	Signature or thumb impression of the workman	6	
_					नौकरी आरम्म होने की तारीख	Date of commence-ment of employment	8	
					स्थानीय पता	Local address	7	
	। चल रहा है	ct is carried on	K		मजदूर का स्थायी गृह पता (गांव व तहसील ताल्लुक और जिला)	Permanent home address of the workman (Village and Tehsil, Taluk and District)	9	
· ·	। चल रहा है	vhich contrac			कार्य का स्वरूप / पद का नाम	Nature of employment/ designation	2	
; ; ;	ठकदार का नाम व पता	Name and address of establishment under which contract is carried on कार्यकार स्वरूप व स्थान	Ī	મુલ્યા પથાવતા વર્ષા પામ પ પતા	पिता∕पति का नाम	Father's/Husband's name	4	
	a ਪ੍ਰਧੀ s of contr a पता ि	s of estal । स्थान	in of work	S of Princ	आयु तथा लिंग	Age and Sex	3	
- - -	ठकदार का नाम व पता Name and address of contractor कार्यालय का नाम व पता जिसके	Name and address of esta कार्थ का स्वरूप व स्थान	Nature and location of work	e and addres	मजदूर का नाम	Name and Surname of workman	2	
1	ठकद Nam कार्यात	Nam कार्य	Natu	ગુલ્લ Nam	क. संख्या	SI.	-	



परिशिष्ट / Appendix 'V'

फार्म 16 Form-XVI (कृपया नियम 78 (2)(क) देखें) (See Rule 78(2)(a))

मस्टर रोल Muster Roll	contractor	कायोलय का नाम और पता जिसके अधीन ठेका चल रहा हे	<u> </u>		व पतामहीने पक्ष के लिए	yer.	म दिनांक दिनांक दिनांक टिप्पणी	rkman Sex Father's/Husband's name Remarks	3 4 5 6	2 2 2
	,	सके अधीन ठेर Iment under w				Employer.			3	
	ठेकेदार का नाम व पता Name and address of contractor	न नाम और पता जि address of establish	कार्य का स्वरूप व स्थान	Nature and location of work	मुख्य नियोक्ता का नाम व पता	Name and address of Principal Employer.	मजदूर का नाम	Name of Workman	2	
	ठेकेदार का Name and	कायोलय क Name and	कार्य का स	Nature and	मुख्य नियोब	Name and	क. संख्या	SI. No	1	







फार्म 17 Form-XVII (कृपया नियम 78 (2)(क) देखें) (See Rule 78(2)(a)) **मजदूरी रजिस्टर Register of wages**

				मजदूरी की अवधिः मासिक या पाक्षिक wages Period: Monthly/Fortnight	
				मजदूरी की अवधि: wages Period:	
		carried on			
		का चल रहा है r which contract is		ब पता. Principal Employer	
पता	ontractor	कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है	स्थान of work	म व पता मजदूरी की अवधि: of Principal Employerwages Period:	
ठेकेदार का नाम व पत	Name and address of contractor	कार्यालय का नाम व पत Name and address of e	कार्य का स्वरूप व स्थान Nature and location of work	मुख्य नियोक्ता का नाम ' Name and address of I	
देकेट	Nan	कार्या Nan	कार्य Natu	मुख्य Nan	

	ठेकंदार अथवा उसके प्रतिनिधि के इस्ताक्षर Initial of contractor or his represe- ntative	16	
	मजदूर के हस्ताक्षर/ अंगूढ़े का निशान Signature or thumb impression of the work- man	15	
	भुगतान की गई शुद्ध राशि Net amount paid	14	
	वसूली, यदि कोई हो (वसूली का स्वरूप लिखें Deductions if any (indicate nature)	13	
	जोड़ Total	12	
रकम arned	अन्य नकद भुगतान (भुगतान के स्वरूप लिखें Other cash payments (Indicate nature)	11	
की गई मजदूरी की रकम Amount of wages earned	समयोपरि भत्ता Overtime	10	
की गई Amount	महगाई भत्ता Dearness allowances	6	
	मूल मजदूरी Basic wages	8	
	मजदूरी की दर / पीस रेट Daily rate of wages/ piece rate	L	
	किए गए कार्य के एकक Units of work done	9	
	जितने दिन कार्य किया No. of days worked	5	
	किए गए कार्य का स्वरूप / पदनाम Designation/ nature of work done	4	
	मजदूरो के रजिस्टर में क्रम संख्या Serial No. in the reg- ister of workman	3	
	मजदूर का नाम Name of workman	2	
	क. संख्या SI. No.	_	

परिशिष्ट / Appendix 'VII' ः (सीधी तरफ / Obverse)

on account of my wages 31 Rate 5 रकम Amount 30 .रूपये प्राप्त किए 29 28 27 26 25 24 23 22 ₽ 18 7से अपनी मजदूरी 20 the sum of Rs. 19 9 17 16 15 14 13 12 \vdash 9 6 ∞ 9 2 4 $^{\circ}$ Received from 2 Morning सायं Evening हस्ताक्षर Initial प्रातः

हस्ताक्षर Signature. यह मजदूरी कार्ड जारी होने की तारीख से एक मास तक के लिए वैद्य है। The Wage Card is valid for one month from the date of issue

मजदूरी कार्ड संख्या / Wage Card No.....

मजदूरी कार्ड Wage Card

जारी करने की तारीख

Date of Issue

Name and address of contractor

ठेकेदार का नाम व पता.....

Name and location of work

मजदूर का नाम...... Name of workman

मजदूरी की दर.. Rate of Wages

कार्य का नाम व स्थान

Designation

मास / पक्ष...... Month/Fortnight





परिशिष्ट / Appendix 'VII' (पिछली तरफ / Reverse)

फार्म 19/Form-XIX

(कृप्या नियम 78(2)(ख) देखें) [See rule 78 (2)(b)]

मजदूरी कार्ड Wages Slip

-	दार का नाम व पता
Nar	me and address of contractor
	दूर का नाम तथा उसके पिता / पति का नाम ne and Father's/Husband's name of workman
	िका स्वरूप तथा स्थान का नाम ure and location of work
	ाह / पक्ष / मास के लिए the Week/Fortnight/Month ending
1.	जितने दिन कार्य किया No. of days worked
2.	किए गए कार्य के एककों की संख्या (पीस रेट मजदूरों के बारे में) No. of units worked in case of piece rate workers
3.	दैनिक मजदूरी की दर / पीस रेट Rate of dailly wages/piece rate
4.	समयोपरि मजदूरी की रकम Amount of overtime wages
5.	दी जाने वाली कुल रकम Gross wages payable
6.	वसूलियां, यदि कोई हो Deduction, if any
7.	दी गई मजदूरी की शुद्ध रकम Net amount of wages paid

ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Initials of the contractor or his representative

फार्म 14 / Form-XIV (कृप्या नियम 76 देख) [See rule 76]

रोजगार कार्ड Employment Card

-	दार का नाम व पता me and address of contractor
	र्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है me and address of establishment under which contract is carried on
	र्य का नाम व स्थान me of work and location of work
	य नियोक्ता का नाम व पता me and address of Principal Employer
1.	मजदूर का नाम Name of the workman
2.	लगाये गए मजदूरों के रजिस्टर में क्रम संख्या SI. No. in the register of workman employed
3.	रोजगार / पद का नाम Nature of employment/designation
4.	मजदूरी की दर (पीस वर्क के बारें में एकक के ब्यौरा सहित) Wage rate (with particulars of unit in case of piece work)
5.	मजदूरी की अवधि Wage period
6.	रोजगार की अवधि Tenure of employment
7.	टिप्पणी Remarks

ठेकेदार के हस्ताक्षर Signature of contractor





फार्म 15 Form-XV (कृपया नियम 77 देखे) (See Rule 77) सेवा प्रमाणपत्र Service Certificate

ठकदा Name	ठकदार का नाम व पता Name and address of contractor	T. ontractor			
कार्य Natur	कार्य का स्वरूप तथा स्थान Nature and location of work	थान ork			
मजदूर Name	मजदूर का नाम व पता Name and address of workman	orkman			
आयु Age o	आयु अथवा जन्म तिथि Age or date of birth				
पहचान Indeni	पहचान चिन्हIndentification marks				
पिता / Fathe	पिता / पति का नाम Father's/Husband's name	e			
कार्याल Name	कार्यालय का नाम व पता जिसके अध Name and address of establishment	ता जिसके अधीन stablishment in u	कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है Name and address of establishment in under which contract is carried on	ried on	
मुख्य Name	मुख्य नियोक्ता का नाम और पता Name and address of Principal Employer	: 0	yer		
		۵	C		
ළ		अवाध	किए गए काय का स्वरूप	मजदूरी दर (पीस वके के मामले में एकक के ब्योरो साहेत)	टिष्पणी
सख्या SI. No	Total Period for which employed 対	hich employed तक To	Nature of Work Done	Rate of wages (with particulars of unit in case of piece work)	Remarks
-	2	3	4	5	9



LIST OF ACTS AND OMISSONS FOR WHICH FINES CAN BE IMPOSED ऐसे कार्यों तथा भूलों की सूची जिसके लिए जुर्माने किये जा सकते हैं

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रमिक विनियमों के नियम 7 (v) के अनुसार कार्य स्थल पर अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा दोनों में अच्छी तथा स्थानीय भाषा दोनों में अच्छी प्रकार से प्रदर्शित किया जाना।

- जान बूझ कर अकेले या अन्य के साथ मिल कर अवज्ञा या उल्लंघन।
- 2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य या सम्पत्ति के अतिरिक्त, ठेकों के संबंध में चोरी धोखाबाजी, बेईमानी करना।
- 3. घूस या अन्य गैरकानूनी परितोषण लेना या देना।
- 4. नित्य देर से काम पर आना।
- 5. शराब पीकर लंडना, उपद्रवी या बेढंगा या अन्यमनस्क व्यवहार।
- नित्य लापरवाही।
- उस क्षेत्रों के आस—पास बीड़ी—िसग्रेट पीना जहां आग पकड़ने वाली या अन्य सामग्री रखी हो।
- नित्य अनुशासनहीनता।
- चालू कार्य में अथवा के. लो. नि. वि. या ठेकेदार की संपत्ति को क्षति पहुंचाना।
- 10. ड्युटी पर सोना।
- 11. कामचोरी या कार्य को धीरे करना।
- 12. नाम, आयू, पिता के नाम आदि के बारे में गलत सूचना देना।
- 13. नियोक्ता द्वारा दिये गये मजदूरी कार्ड को नित्य खो देना।
- 14. मालिक की उत्पादन की सम्पत्ति का अनिधकृत उपयोग या कार्यस्थल पर अनिधिकृत वस्तुएं बनाना।
- 15. कुशल कामगारों द्वारा निर्माण तथा अनुरक्षण में अकुशल कारीगरी दिखाना जिसे विभाग स्वीकार नहीं करता जिसके संशोधन के लिये ठेकेदार को बाध्य किया जाता है।
- 16. गलत शिकायतें लगाना और / या भ्रामक विवरण देना।
- 17. स्थापनाओं के परिसर के भीतर कोई व्यापार चलाना।
- 18. कर्मचारियों का अनधिकृत व्यापार कार्य करना।
- 19. स्थापना के परिसर के भीतर किसी प्रकार का धन एकत्र करना या उसके लिए प्रचार करना जब तक कि मालिक द्वारा अधिकार न दिया गया हो ।

In accordance with rule 7(v) of the CPWD Contractor's Labour Regulations to be displayed prominently at the site of work both in English and local Language.

- Wilful insubordination or disobidience, whether alone or in combination with other.
- Theft fraud or dishonesty in connection with the contractors beside a business or property of CPWD.
- Taking or giving bribes or any illegal gratifications
- Habitual late attendance.
- Drunkenness lighting, riotous or disorderly or indifferent behaviour
- 6. Habitual negligence.
- Smoking near or around the area where combustible or other materials are locked
- 8. Habitual indiscipline.
- Causing damage to work in the progress or to property of the CPWD or of the contractor.
- 10. Sleeping on duty.
- 11. Malingering or slowing down work.
- Giving of false information regarding name, age father's name, etc.
- 13. Habitual loss of wage cards supplied by the employers.
- Unauthorised use of employer's property of manufacturing or making of unauthorised particles at the work place.
- 15. Bad workmanship in construction and maintenance by skilled workers which is not approved by the Department and for which the contractors are compelled to undertake rectifications.
- 16. Making false complaints and/or misleading statements.
- 17. Engaging on trade within the premises of the establishments.
- 18. Any unauthorised divulgence of business affairs of the employees.
- Collection or canvassing for the collection of any money within the premises of an establishment unless authorised by the employer.







- 20. मालिकों की पूर्व अनुमित के बिना परिसर के भीतर बैठकें बुलाना।
- 21. परिसर के भीतर कार्य समय के दौरान किसी कामगार या कर्मचारी को डराना या धमकाना।
- 20. Holding meeting inside the premises without previous sanction of the employers.
- 21. Threatening or intimidating any workman or employer during the working hours within the premises.



परिशिष्ट / Appendix 'XI'

जुर्मानों का रजिस्टर Register of Fines

फार्म 12 Form-XII (कृपया नियम 78(2)घ) देखें) (See Rule 78(2) (d))

Name and address of contractor	Name and address of contractor	2										
का Na	र्यालय ıme ट	गकानामवर andaddressof	कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है Name and address of establishment in under which contract is carreid on	ठेका चल रहा है under which con	है contract is carre	eid on		is carreid on				
कि	के वर्	न स्वरूप व स्थ	कार्य का स्वरूप व स्थान									
Na	ature	Nature and location of work	f work									
मूख	N N	मुख्य नियोक्ता का नाम व	न व पता	:								
Sa	ame a	and address of	cipal									
, loc	⊛			नौकरी का स्वरूप/	वह कार्य/भूल जिसके लिए जुर्माना अपराध की	अपराध की	क्या कर्मकार ने इस जुर्माने के विरुद्ध कोई	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी की व्याख्या	मजदूरी की अवधि तथा	जूर्माना की	जुर्माना जिस तिथि को	
P√ (संख्या	मजदूर का नाम	पिता∕पति का नाम	पदनाम	लगाया गया	तारीख	कारण बताया है	सुनी गई 	देय मजदूरी		समाप्त हुआ	टिप्पणी
,,	NO.	Sl. No. Name of workman		Designation/	noi	Date of	Whether	Name of person	Wage period Amount of	Amount of	Date on which Remarks	Kemarks
			name	nature or	ror which	Orrence	workman showed	in whose presence	and wages	Tine Imposed Tine realised	nne realised	
				employment	fine imposed		cause against fine	employee's explanation was heard	payable			
	-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12

परिशिष्ट / Appendix 'XII'



फार्म 20 Form-XX (कृपया नियम 78(2)घ) देखें) (See Rule 78(2) (d))

क्षति / हानि के लिए कटौती का रजिस्टर Register of Deduction for Damage or Loss

				I	ing			THE PROPERTY APPENDIX ATT
					टिप्पणी Remarking		13	
				वसूली की तिथि Date of recovery	अंतिम किश्त Last	install- ment	12	
				वसूली व Date of	प्रथम किश्त First	install- ment	11	
				किश्तों की	संख्या प्रथम No.of किश्त installments First		10	
				लगाई गई कटोती की	राशि Amount of deduction	imposed	6	
	carreid on			उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी की व्याख्या	सुनी गई name of person in whose presence	employee's explanation was heard	8	
	nc			क्या कर्मकार ने इस कटौती के विरुद्ध कोई	कारण बताया है Whether workman showed	cause against deduction	7	
	is carreid c			क्षति अथवा	हानि की तारीख Date of damage	or loss	9	
	चल रहा है r which contract			क्षति अथवा	हानि का ब्योरा Particulars of damage	or loss	5	
	प्रधीन ठेका चल ent in under wh			नौकरी का स्वरूप /	पदनाम Designation/ nature of	employment	4	
of contractor	कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है Name and address of establishment in under which contract is carreid on	कार्य का स्वरूप व स्थान	मुख्य नियोक्ता का नाम व पता Name and address of Principal Employer		मजदूर का नाम Name of Workman Father's/Husbasnd name		3	
Name and address of contractor	लय का नाम ^ह le and address	कार्य का स्वरूप व स्थान Nature and location of work	नियोक्ता का e and address				2	
Nam	कार्यात Nam	कार्य Natu	मुख्य Nam	<i>⊞</i>	सच्या SI.N.		1	

ठेकेदार का नाम व पता

परिशिष्ट / Appendix 'XIII'

अग्रिम का रजिस्टर Register of Advances

फार्म 22 Form-XXII (कृपया नियम 78(2)घ) देखें) (See Rule 78(2) (d))

प्रेक्टाउ का नाम व पना
Name and address of contractor
कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
Name and address of establishment in under which contract is carreid on
कार्य का स्वरूप व स्थान
Nature and location of work
मुख्य नियोक्ता का नाम व पता

टिप्पणी Remarks	11	
वह तिथि जबकि अन्तिम किश्त लौटाई गई Date and which last installment was repaid	10	
लौटाई गई वह तिथि जबकि प्रत्येक किश्त की अन्तिम किश्त तिथि तथा शिश लौटाई गई ति amount Date and which for of each installm- last installment entrepaid	6	
किश्तो की संख्या जिनके द्वारा अग्रिम लौटाया जाना है Number of installments by which advance to be repaid	8	
वह प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम दिया गया Purpose(s) for which advance made	7	
दिए गए अग्रिम की तिथि तथा राशि Date and amount of advance given	9	
मजदूरी की अवधि तथा स्य मजदूरी Wage Period and wages payable	9	
नौकरी का स्वस्तप / पदनाम Uesignation/ nature of employment	4	
पिता / पति का नाम Father's/ Husband name	3	
मजदूर का नाम विता∕पति का नाम Name of workman Father's/ Husband name	2	
क. संख्या SI. No.	1	



परिशिष्ट / Appendix 'XIV'

समयोपरि रजिस्टर Register of Overtime

फार्म 23 Form-XXIII (कृपया नियम 78(2)(च) देखें) (See Rule 78(2) (e))

ठेकदार का नाम व पता
Name and address of contractor
कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
कार्य का स्वरूप व स्थान
Nature and location of work
मुख्य नियोक्ता का नाम व पता Name and address of Principal Employer

		.,
टिप्पणी Remarks	12	
जिस दर पर समयोपिर मजदूरी दी ि Rate on which F overtime paid	11	
समयोपरि कमाई Overtime earning	10	
समयोपरि मजदूरी की दर Overtime rate of wages	6	
मजदूरी की सामान्य दर Normal rate of wages	80	
कुल समयोपिर कार्य अथवा पीस रेट के मामले मे उत्पादन Total overtime worked or production in case of piece rated	7	
जिन तारीखों को समयोपिर कार्य किया Date on which Overtime worked	9	
नौकरी का स्वरूप / पदनाम Designation/ nature of employement	5	
लिंग Sex	4	
पिता/पति का नाम Father's/ Husband's name	3	
मजदूर का नाम Name of Workman	2	
क. संख्या SI. No.	_	



Appendix-XV (FORM 31) INDENTURE FOR SECURED ADVANCES

(Referred to in paragraphs 10.2.20 and 10.2.22 of CPW A Code)

(For use in cases in which the contract is for finished work and the contractor has entered into an agreement for the

exec	cution of a certain specified quantity of work in a given time)
(here his e Pres	S INDENTURE made the
agred of ma for us (incluing to the sand of the sand o	EREAS by an agreement dated
(1)	That the said sum of Rupeesso advanced by the President to the Contractor as aforesaid and all or any further sum or sums advanced as aforesaid shall be employed by the Contractor in or towards expediting the execution of the said works and for no other purpose whatsoever.
(2)	That the materials detailed in the said Account of Secured Advances which have been offered to and accepted by the President as security are absolutely the Contractor's own property and free from encumbrances of any kind and the contractor will not make any application for or receive a further advance on the security of materials which are not absolutely his own property and free from encumbrances of any kind and the Contractor indemnifies the President against all claims to any materials in respect of which an advance has been made to him as aforesaid.
(3)	That the materials detailed in the said Account of Secured Advances and all other materials on the security of which any further advance or advances may hereafter be made as aforesaid (hereinafter called the said materials) shall be used by the Contractor solely in the execution of the said works in accordance with the directions of the Divisional Officer Division (hereinafter called the Divisional Officer) and in the term of the said agreement.



परिशिष्ट – XV (फार्म–31) सुरक्षित अग्रिम के लिए करारनामा (सी पी डब्यू ए कोड के पैराग्राफ 10.2.20 तथा 10.2.22 में संदर्भित)

•	मामलों में उपयोग के लिए जिनमें ठेक के कार्य के निष्पामदन के लिए समझ	ग, समाप्तर किए गए कार्य के लिए है त गौता किया है)	ाथा ठेकेदार ने एक निश्चित समय में	एक निश्चित निर्दिष्ट
पश्ची में यह के रा ात क	ाित ठेकेदार कहा गया है जिसकी अभि इ माना जाएगा जिसमें उनके कार्यपाल ष्ट्रउपति (इसके पश्चारत ठेकेदार कहा		ानुमित देता हो अथवा आशय संशोधि ाया हो को शामिल किया गया है) के संदर्भ इस प्रकार की अनुमित देता हो	त करता हो, के संबंध एक भाग तथा भारत अथवा आश्यट संशोधि
सहम पर त रुप में किया व्यक के बि अन्यु समझ किया	ति दे दी है तथापि ठेकेदार ने राष्ट्रअप गई गई है पर अग्रिमों की अनुमति दी नें वह समाप्त कार्य (सामग्रियों की ला है तथापि राष्ट्रीपति ने ठेकेदार को ह कत की है, जिसकी मात्रा तथा अन्यो ल से जुड़े सुरक्षित अग्रिमों के खातों सामग्रियों की सुरक्षा पर इसके आगे वि गौते के अनुसरण में और राष्ट्रेपति द्वार	के एक समझौते के द्वारा (जिन ति को आवेदन किया है कि उन्हें िउससे जा सकती है। इस तरह के कार्यों व गत और श्रम तथा अन्यप शुल्कोंव सहि सामग्रियों की सुरक्षा पर ब्यौ रे को ठे में विस्तृीत है तथा राष्ट्र—पति ने स्वयं व केसी भी अग्रिम बनाने के विकल्पर के लि ए ठेकेदार को भुगतान किए गए इन वि इस प्रकार की आगे की अग्रिम राशि (य करते हुए ठेकेदार एतद्वारा यह वचन देते	संबंधित सामग्रियों की सुरक्षा जो उन के निर्माण में उपयोग के लिए उक्तक त) के लिए तय की गई दरों पर निष् रुपये की राशि औं केदार द्वारा हस्ता क्षरित उक्त कार्य को ठेकेदार द्वारा उक्तक कार्यो की क ए आरक्षित किया है। अतः यह करारन लेखों के निष्पानदन की तिथि को य ग्रिद कोई हो) जिसे उन्होंने भुगतान र्	कि द्वारा कार्यस्थथलों समझौते के विषय के या दित करने के लिए ग्रिम करने पर सहमति ग्रें के लिए चालू खाते ार्यस्थ ल पर लाई गई ामा साक्षी है कि उक्तय ग्रा उससे पहले
(1)	C1 /1	ार को उक्त् र के निष्पारदन में तेजी लाने के लिए का		·
(2)	है, जो ठेकेदार की अपनी सम्पखति है जो ठेकेदार की अपनी सम्पखति नई	ों में विस्तृकत सामग्रियाँ जिसे राष्ट्रीपति और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मु ों है और जो किसी भी प्रकार के अतिक्रम बंध में उन्हें अग्रिम दिया गया है, के द	क्तप है तथा ठेकेदार कोई आवेदन या नण से मुक्तत है, की सुरक्षा पर अग्रिम	इसके आगे सामग्रियों, प्राप्ते नहीं करेगा तथा
(3)	दिया जा सकता है (इसके बाद उत्ते	में विस्तृवत सामग्रियों तथा अन्यग सभी हे सामग्री कहा गया है) ठेकेदार द्वारा पृ सके बाद विभागीय अधिकारी कहा ग	्रणं रुप से उक्तु कार्यों के निष्पाईदन	में विभागीय अधिकारी



- (4) That the Contractor shall make at his own cost all necessary and adequate arrangements for the proper watch, safe custody and protection against all risks of the said materials and that until used in construction as aforesaid the said materials shall remain at the site of the said works in the Contractor's custody and on his own responsibility and shall at all times be open to inspection by the Divisional Officer or any officer authorised by him. In the event of the said materials or any part thereof being stolen, destroyed or damaged or becoming deteriorated in a greater degree than is due to reasonable use and wear thereof the Contractor will forthwith replace the same with other materials of like quality or repair and make good the same as required by the Divisional Officer.
- (5) That the said materials shall not on any account be removed from the site of the said works except with the written permission of the Divisional Officer or an officer authorised by him on that behalf.
- (6) That the advances shall be repayable in full when or before the Contractor receives payment from the President of the price payable to him for the said works under the terms and provisions of the said agreement. Provided that if any intermediate payments are made to the Contractor on account of work done than on the occasion of each such payment the President will be at liberty to make a recovery from the Contractor's bill for such payment by deducting there from the value of the said materials then actually used in the construction and in respect of which recovery has not been made previously, the value for this purpose being determined in respect of each description of materials at the rates at which the amounts of the advances made under these presents were calculated.
- (7) That if the Contractor shall at any time make any default in the performance or observance in any respect of any of the terms and provisions of the said agreement or of these presents the total amount of the advance or advances that may still be owing to the President shall immediately on the happening of such default be repayable by the Contractor to the President together with interest thereon at twelve per cent per annum from the date or respective dates of such advance or advances to the date of repayment and with all costs charges, damages and expenses incurred by the President in or for the recovery thereof or the enforcement of this security or otherwise by reason of the default of the Contractor and the Contractor hereby covenants and agrees with the President to repay and pay the same respectively to him accordingly.
- - (a) Sieze and utilize the said materials or any part thereof in the completion of the said works on behalf of the Contractor in accordance with the provisions in that behalf contained in the said agreement debiting the Contractor with the actual cost of effecting such completion and the amount due in respect of advances under these presents and crediting the Contractor with the value of work done as if he had carried it out in accordance with the said agreement and at the rates thereby provided. If the balance is against the Contractor he is to pay same to the President on demand.
 - (b) Remove and sell by public auction the seized materials or any part thereof and out of the moneys arising from the sale retain all the sums aforesaid repayable or payable to the President under these presents and pay over the surplus (if any) to the Contractor.
 - (c) Deduct all or any part of the moneys owing out of the security deposit or any sum due to the Contractor under the said agreement.





- (4) यह कि ठेकेदार उपर्युक्त सामग्रियों के सभी जोखिमों के प्रति उचित देखभाल, सुरक्षित निगरानी व बचाव के लिए सभी आवश्यक व उपयुक्त व्यवस्थाएँ अपनी लागत पर करेगा और पूर्वोक्तानुसार निर्माण में उपयोग होने तक उपर्युक्त सामग्रियाँ ठेकेदार की निगरानी में और उसकी खुद की जिम्मेदारी पर उपर्युक्त निर्माण स्थल पर रहेंगी तथा मंडलीय अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए हर समय खुली रहेंगी। उपर्युक्त सामग्रियों या इनके किसी भाग के चोरी होने, नष्ट होने या क्षतिग्रस्त होने या उचित उपयोग से ज्यादा मात्रा में खराब होने और उसका प्रयोग होने की स्थिति में ठेकेदार तुरंत उसी गुणवत्ता की अन्य सामग्रियों से उपर्युक्त को बदलेगा या मरमम्त करेगा और मंडलीय अधिकारी द्वारा अपेक्षानुसार उपर्युक्त को सही करेगा।
- (5) यह कि मंडलीय अधिकारी या इसके लिए उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमित को छोड़कर उपर्युक्त निर्माण स्थल से किसी भी स्थिति में उपर्युक्त सामग्रियों को हटाया नहीं जाएगा।
- (6) यह कि उपर्युक्त करार की शर्तों व प्रावधानों के तहत उपर्युक्त निर्माण के लिए ठेकेदार को देय मूल्य का राष्ट्रपित द्वारा भुगतान प्राप्ति पर या पहले अग्रिम प्रतिदेय होगा। बशर्तें कि किए जा चुके किसी कार्य के लिए ठेकेदार को कोई मध्यवर्ती भुगतान किया गया हो तो ऐसे प्रत्येक भुगतान की स्थिति में निर्माण में वास्तव में प्रयोग की गई को उपर्युक्त सामग्रियों के मूल्य से घटाकर ऐसे भुगतान को और पूर्व में जिसके संबंध में भुगतान न किया गया हो, के लिए ठेकेदार के बिल से वसूली करने के लिए राष्ट्रपित को स्वतंत्रता होगी, इस उद्देश्य के लिए मूल्य उन सामग्रियों के प्रत्येक विवरण के संदर्भ में निर्धारित किया जा रहा है जिस दर पर इन विलेखों के तहत किए गए अग्रिमों की मात्रा की गणना की गई थी।
- (7) यह कि यदि ठेकेदार उपर्युक्त करार या इन विलेखों की किसी शर्त और प्रावधानों के निष्पादन या पालन में किसी भी समय की चूक करता है तो अग्रिम या अग्रिमों की कुल राशि जो अब भी राष्ट्रपित के ऊपर बकाया हो वो तत्काल रूप से ऐसी चूक होने पर ऐसे अग्रिम या अग्रिमों की तारीख या संबंधित तारीखों से पुनर्भुतान की तारीख तक व सभी लागत प्रभारों, क्षतियों के साथ और राष्ट्रपित द्वारा वहन किए गए व्यय या उसकी वारली के लिए इस प्रतिभूति को लागू करने के लिए अन्यथा रूप से ठेकेदार की चूक के कारण प्रतिवर्ष बारह प्रतिशत उस पर ब्याज के साथ राष्ट्रपित को ठेकेदार द्वारा प्रतिदेय होगा और एततद्वारा ठेकेदार वाचा और तदनूसार उन्हें क्रमशः पुनः भुगतान करने व भुगतान करने के लिए राष्ट्रपित से सहमत है।
- - (क) उपर्युक्त निर्माण की पूर्ति में उपर्युक्त करार में सिम्मिलित इसके लिए प्रवाधानों के अनुसार ठेकेदार की ओर से उपर्युक्त सामग्रियों या उसके भाग को मापना व उपयोग करना जिसके लिए ऐसी पूर्ति की वास्तविक लागत और इन विलेखों के तहत अग्रिमों के संबंध में देय राशि को ठेकेदार के नामे डालना तथा किए गए कार्य के मूल्य को ठेकेदार के खाते डालना यदि उसने यह उपर्युक्त करार और उसमें दी गई दरों के अनुसार किया था। यदि ठेकेदार के पास कोई शेष हो तो उसे उपर्युक्त का भुगतान माँग पर राष्ट्रपति को करना होगा।
 - (ख) जब्त सामग्रियों या उसके किसी भाग को हटाना और सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचना तथा बिक्री से आने वाली धनराशि को इन विलेखों के तहत राष्ट्रपति को प्रतिदेय या देय पूर्वोक्तानुसार सभी राशियों को रखना व ठेकेदार को अधिशेष (यदि कोई हो) का भुगतान करना।
 - (ग) उपर्युक्त करार के तहत ठेकेदार के सुरक्षा जमा या किसी अन्य धनराशि की पूरी या किसी भाग की कटौती।

APPENDIX - XV



- (9) That except in the event of such default on the part of the Contractor as aforesaid interest on the said advance shall not be payable.
- (10) That in the event of any conflict between the provisions of these presents and the said agreement the provisions of these presents shall prevail and in the event of any dispute or difference arising over the construction or effect of these presents the settlement of which has not been herein before expressly provided for the same shall be finally resolved as per provisions of clause 25 of the contract.

In witness whereof the saidand President have hereunto set their respective hands the	by the order and under the direction of the day and year first above written.
Signed, sealed and delivered by	the said contractor in the presence of
Signature	
Witness Name	
Address	
Signed by	
by the order and direction of the President in the preser	nce of
Signature	
Witness Name	
Address	



- (9) पूर्वोक्तानुसार ठेकेदार की ओर से ऐसी चूक होने की स्थिति को छोड़कर उपर्युक्त अग्रिम पर ब्याज देय नहीं होगा।
- (10) इन विलेखों व उपर्युक्त करार के प्रावधानों के बीच कोई मतभेद होने की स्थिति में इन विलेखों के प्रावधानों को माना जाएगा तथा निर्माण या इन विलेखों के प्रभाव से किसी विवाद या अंतर होने की स्थिति में जिसका निपटान स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं किया गया तो उपर्युक्त का अंतिम रूप से समाधान संविदा के खंड 25 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

9	
निम्नलिखित गवाह की उपस्थिति में उपर्युक्तसे यहाँ अपने हाथों से उपर्युक्त लिखित दिन व वर्ष को लिखा है।	व को राष्ट्रपति के आदेश व निदेश
की उपस्थिति में उपर्युक्त ठेकेदार	द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद व सुपुर्द।
	हस्ताक्षार
	गवाह का नाम
	पता
	द्वारा हस्ताक्षरित
	निम्नलिखित की उपस्थिति में राष्ट्रपति के आदेश व निदेश द्वारा
	हस्ताक्षार
	गवाह का नाम
	१५१६ का गाम



APPENDIX - XVI (Refer Clause 5)

FORM OF APPLICATION BY THE CONTRACTOR FOR SEEKING RESCHEDULING OF MILESTONE/EXTENSION OF TIME

- 1. Name of contractor
- 2. Name of work as given in the agreement
- 3. Agreement no
- 4. Estimated cost put to tender
- 5. Date of commencement of work as per agreement
- 6. Period allowed for completion of work as per agreement
- 7. Date of completion stipulated in agreement
- 8. Period for which extension of time has been given by authority in Schedule 'F' previously

lette	er no. and date	Extension granted	
		Months	Days
(a)	1st extension		
(b)	2nd extension		
(c)	3rd extension		
(d)	4th extension		
(e)	Total extension previously given		

- 9. Reasons for which extension have been previously given (copies of the previous applications should be attached)
- 10. Period for which extension applied for
- 11. Hindrances on account of which extension is applied for with dates on which hindrances occurred and the period for which these are likely to last (for causes under clause 5.2/ and 5.3).

Submitted to the Authority indicated in Schedule F With copy to the Engineer-in-charge and Sub Divisional Officer

Signature of Contractor
Dated





परिशिष्ट – XVI (खंड 5 का संदर्भ लें)

मील के पत्थर का पुनर्निर्धारण समय बढाने की मांग के लिए ठेकेदार द्वारा आवेदन का फार्म प्रपत्र

- 1. ठेकेदार का नाम
- 2. समझौते में दिए गए कार्य का नाम
- 3. समझौता संख्याए
- 4. निविदा के लिए अनुमानित लागत
- 5. समझौते के अनुसार कार्य शुरू करने की तिथि
- 6. समझौते के अनुसार कार्य को पूरा करने की अवधि
- 7. समझौते में निर्धारित पूरा करने की तिथि
- 8. अवधि जिसके लिए समय सीमा का विस्तार पूर्व में प्राधिकारी द्वारा अनुसूची 'च' में दिया गया है।

पत्र सं तथा तिथि	स्वीकृत विस्तार	
	माह	दिन
(क) प्रथम विस्तार		
(ख) द्धितीय विस्तार		
(ग) तृतीय विस्तार		
(घ) चतुर्थ विस्ताार		

- 9. कारण जिनके वजह से पहले विस्तार दिया गया है (पूर्व आवेदनों की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए)
- 10. अवधि जिसके लिए समय का विस्तार लागू किया गया हो।
- 11. तिथि जिनमें बाधाएँ आई है साथ ही बाधाएँ जिनके लिए विस्तार का आवेदन किया गया है तथा अविध जिसके लिए इसके कायम रहने की संभावना है (खंड 5.2 तथा 5.3 के तहत कारणों के लिए)

उप विभागीय अधिकारी तथा भारसाधक अभियंता को प्रतियों के साथ अनुसूची च में संकेतित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

ठे	केदार के हस्तौक्षर	
	दिनांक	

APPENDIX - XVII



APPENDIX - XVII Reference of disputes and amount claimed for each dispute to the Conciliator. [Refer Clause 25]

То	The ADG/SDG
	(Region)
relati	ect: Reference of disputes and amount claimed for each dispute to the Conciliator for settlement of disputes ng to agreement number:
	Sir, rms of clause 25 of the aforesaid agreement, particulars of which are given below, I/We hereby refer my / our utes and amount claimed for each dispute to you for settlement in your capacity as Conciliator.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	Name of applicant: Whether applicant is Individual/Proprietorship Firm/Partnership Firm/Company: Full address of the applicant: Name of the work and contract number for which arbitration is sought: Name of the Division which entered into contract: Contract amount: Date of contract: Stipulated date of start of work: Stipulated date of completion of work: Actual date of completion of work (if completed): Total number of claims made: Total amount claimed: Date of intimation of final bill (if work is completed): Date of payment of final bill (if work is completed): Amount of final bill (if work is completed): Date of claim made to Engineer-in-Charge: Date of receipt of decision from Engineer-in-Charge:
	certify that the information given above is true to the best of my/our knowledge. enclose the statement of claims with amount of each claim.
	Yours faithfully,
	Signature of the applicant
	(Only the person/authority who signed the contract should sign here)
Copy	to:
1. Th	e Chief / Superintending Engineer
2 Th	e Executive Engineer Division

परिशिष्ट – XVII



परिशिष्ट – XVII मध्यस्थ को विवादों और प्रत्येक विवाद के लिए दावा की गई राशि का संदर्भ। (खंड 25 का संदर्भ लें)

सेवा में,
अपर महानिदेशक / विशेष महानिदेशक
(क्षेत्र)
विषय : करार सं:से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थ को विवादों और प्रत्येक विवाद के लिए दावा की गई राशि का संदर्भ
महोदय, पूर्वोक्त करार के खंड 25 के संदर्भ में, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, मैं / हम एतद्वारा मध्यस्थ के रूप में निपटाने के लिए आपको मेरे / हमारे विवादों और प्रत्येक विवाद के लिए दावा की गई राशि संदर्भित करते हैं।
 आवेदक का नामः क्या आवेदक व्यक्तिगत/स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म/कंपनी है: आवेदक का पूरा पताः कार्य का नाम और ठेका संख्या जिसके लिए मध्यस्थता की मांग की गई है: ठेके की राशिः ठेके की तिथिः कार्य प्रांभ करने की निर्धारित तिथिः कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथिः कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथिः कार्य पूरा करने की वास्तविक तिथि (यदि पूर्ण हो तो)ः किए गए दावों की कुल संख्याः दावा की गई कुल राशिः अंतिम बिल के सूचना की तिथि (यदि कार्य पूरा हो गया हो)ः अंतिम बिल के भुगतान की तिथि (यदि कार्य पूरा हो गया हो)ः अंतिम बिल की राशि (यदि कार्य पूरा हो गया हो)ः अंतिम बिल की राशि (यदि कार्य पूरा हो गया हो)ः अंतिम बिल की राशि (यदि कार्य पूरा हो गया हो)ः अंतिम बिल की राशि (यदि कार्य पूरा हो गया हो)ः अंतिम बिल की राशि (यदि कार्य पूरा हो गया हो)ः अंतिम बिल की राशि (यदि कार्य पूरा हो गया हो)ः
मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है। मैं / हम प्रत्येक दावे की राशि के साथ दावों का विवरण संलग्न करते हैं।
भवदीय
आवेदक के हस्ताक्षर
(केवल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति / प्राधिकारी को ही यहां हस्ताक्षर करना चाहिए)
प्रतिलिपि :
1. मुख्य / अधीक्षण अभियंता
2. कार्यपालक अभियंतामंडल



APPENDIX - XVIII **Notice for appointment of Arbitrator** [Refer to Clause 25]

To,
The Chief Engineer/Superintending Engineer
(Zone or Circle)
Subject: Notice for appointment of Arbitrator for adjudication of disputes relating to agreement number:
Dear Sir,
In terms of clause 25 of the aforesaid agreement, particulars of which are given below, I/We hereby give you notice to

appoint an Arbitrator for adjudication of disputes mentioned below.

2.

- 1. Name of applicant
- Whether applicant is Individual/Prop. Firm/Partnership Firm/Ltd. Co. 3. Full address of the applicant
- 4. Name of the work and contract number in which arbitration sought
- 5. Name of the Division which entered into contract
- Contract amount in the work 6.
- 7. Date of contract
- 8. Date of initiation of work
- 9. Stipulated date of completion of work
- Actual date of completion of work (if completed) 10.
- 11. Total number of claims made
- 12. Total amount claimed
- 13. Date of intimation of final bill (if work is completed)
- 14. Date of payment of final bill (if work is completed)
- 15. Amount of final bill (if work is completed)
- 16. Date of request made to SDG/ADG for conciliation
- Date of receipt of SDG/ADG's decision 17.
- 18. *I/We hereby give consent for appointment of Arbitrator of MoHUA.

An agreement as per Appendix-XVIII is enclosed.

Or

* I/We do not give consent for appointment of Arbitrator of MoHUA.





परिशिष्ट — XVIII मध्यस्थ की नियुक्ति की सूचना (खंड 25 का संदर्भ लें)

सेवा मे	Ť,
मुख्यः	अभियंता / अधीक्षण अभियंता
	(अंचल अथवा परिमंडल)
विषय	ः करार संख्या से संबंधित विवादों के अधिनिर्णय हेतु मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु सूचना
महोदय	ч,
पूर्वोक्त लिए ए	करार के खंड 25 के संदर्भ में, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, एतद्वारा मैं / हम आपको नीचे उल्लिखित विवादों के अधिनिर्णय के एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए नोटिस देता हूं।
1.	आवेदक का नामः
2.	क्या आवेदक व्यक्तिगत / स्वामित्व फर्म / साझेदारी फर्म / कंपनी है:
3.	आवेदक का पूरा पताः
4.	कार्य का नाम और ठेका संख्या जिसके लिए मध्यस्थता की मांग की गई है:
5.	ठेके शुरू करने वाले मंडल का नामः
6.	ठेके की राशिः
7.	ठेके की तिथिः
8.	कार्य प्रारंभ करने की निर्धारित तिथिः

- 9. कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि:
- 10. कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि (यदि पूर्ण हो तो):
- 11. किए गए दावों की कुल संख्याः
- 12. दावा की गई कुल राशिः
- 13. अंतिम बिल की सूचना की तिथि (यदि कार्य पूरा हो गया हो):
- 14. अंतिम बिल के भुगतान की तिथि (यदि कार्य पूरा हो गया हो):
- 15. अंतिम बिल की राशि (यदि कार्य पूरा हो गया हो):
- 16. सुलह के लिए वि.म.नि. / अ.म.नि. को दिए गए संदर्भ की तिथि, यदि लागू हो:
- 17. सुलह कार्यवाही की समाप्ति की तिथि:
- 18. *एतद्वारा मैं / हम आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमति देते हैं। परिशिष्ट—ग्पके अनुसार अधित्याग समझौता संलग्न है।

अथवा

*मैं / हम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमति नहीं देते हैं।

APPENDIX -	XVIII
------------	-------



I/We certify that the information given above is true to the best of my/our knowledge.

I/We enclose the following documents.

- 1. Statement of claims with amount of each claim.
- 2. *Agreement of waiver of Section 12(5) of the

Arbitration and Conciliation Act, 1996 in Appendix-XIX.

(* strikeout whichever is not applicable).

Yours faithfully,
Signature of the applicant
(only the person/authority who signed the contract should sign here)

Copy to:

 The Executive Er 	ngineer
--------------------------------------	---------

..... Division





मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है। मैं / हम निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं।

- 1. प्रत्येक दावे की राशि के साथ दावों का विवरण।
- 2. ' परिशिष्ट—XIX में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 धारा 12(5) के अधित्याग का करार । ('लागू न होने पर काट दें)

			भवदीय
;	आवेदक	के	हस्ताक्षर

(केवल अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति / प्राधिकारी को ही यहां हस्ताक्षर करना चाहिए)

प्रतिलिपिः

1. कार्यपालक अभियंतामंडल



APPENDIX-XIX

Agreement towards waiver of Section 12(5) of Arbitration & Conciliation Act 1996 [Refer to Clause 25]

1.	Whereas certain disputes have arisen between M/s
2.	And whereas the parties are aware that Shri
3.	I/we agree for the appointment of Shri
	Signature
	(Only the person/authority who signed the contract should sign here)
	Name
Date	·
(The	name of the Arbitrator, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India may be enquired from the

(The name of the Arbitrator, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India may be enquired from the Engineer-in-Charge, if required.

परिशिष्ट **– XIX**



परिशिष्ट - XIX

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 12(5) के अधित्याग के लिए समझौता (खंड 25 का संदर्भ लें)

1.	जबिक मैसर्स
2.	और जबिक पक्षकार इस बात से अवगत हैं कि श्री केलोनिवि के संवर्ग में है; वर्तमान में मध्यस्थ, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में प्रतिनियुक्ति पर हैं।
3.	मैं / हम विवादों के अधिनिर्णय के लिए श्री को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए सहमत हैं, और हम एतद्द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) की प्रयोज्यता का अधित्याग करते हैं।
	हस्ताक्षर
	(केवल अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति / प्राधिकारी को ही यहां हस्ताक्षर करना चाहिए)
दिनांव	नाम ज:
,	

(मध्यस्थ के नाम, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की पूछताछ प्रभारी अभियंता द्वारा आवश्यकता होने पर की जा सकती है।)



On non-judicial stamp paper of minimum Rs. 100

(Guarantee offered by Bank to CPWD in connection with the execution of contracts) Form of Bank Guarantee for Earnest Money Deposit / Performance Guarantee/Security Deposit/Mobilization Advance/ Refund of milestone withheld amount

1.	Whereas the Executive Engineer
	number) dated for (name of work)
	Guarantee for Rs (Rupees
	Earnest Money Deposit from
	OR**
	Whereas the Executive Engineer
2.	We, (indicate the name of the bank) (herein after referred to as "the Bank"), hereby undertake to pay to the Government an amount not exceeding Rs (Rupees
3.	We,
4.	We, (indicate the name of the Bank), further undertake to pay the Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the contractor in any suit or proceeding pending On non-judicial stamp paper of minimum Rs. 100 before any Court or Tribunal, our liability under this Bank Guarantee being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this Bank Guarantee shall be a valid discharge of our liability for payment there under and the Contractor shall have no claim against us for making such payment.





न्यूनतम 100 रूपये के नॉन-जुडिसियल पेपर पर

(ठेके के निष्पादन के संबंध में के. लो. नि. वि. को बैंक द्वारा दी गई गारंटी) बयाना राशि जमा/निष्पादन गारंटी/प्रतिभूति जमा/संग्रहण अग्रिम राशि/मील—पत्थर हेतु रोकी गई राशि की वापसी के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र

1	जब कि भारत के राष्ट्रपति (जिसे आगे सरकार कहा गया है) की ओर से कार्यपालक अभियंता
	या**
	जबिक भारत के राष्ट्रपति (जिसे आगे "सरकार" कहा गया है) की ओर से कार्यपालक अभियंता,(मंडल का नाम), केलोनिवि ने(ठिकंदार का नाम और पता)(जिसे आगे "ठेकंदार" कहा गया है) के साथ
2	हम, (बैंक का नाम बताएं) (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है), सरकार द्वारा मांग किए जाने पर मांग के 10 दिनों के भीतर अधिकतम
3	हम,
4	हम,


	BANK GUARANTEE BOND	
5.	have the fullest liberty without or any of the terms and conditions from time to time or to postpo Government against the said co said agreement and we shall no granted to the said Contractor indulgence by the Government to	the name of the Bank), further agree that the Government shall our consent and without affecting in any manner our obligation here under to vary of the said agreement or to extend time of performance by the said Contractor one for any time or from time to time any of the powers exercisable by the intractor and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the to be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being or for any forbearance, act of omission on the part of the Government or any to the said Contractor or by any such matter or thing whatsoever which under the ut for this provision, have effect of so relieving us.
6.	its option shall be entitled to ent	ne name of the Bank), further agree that the Government at force this Guarantee against the Bank as a principal debtor at the first instance Contractor and notwithstanding any security or other guarantee the Government tractor's liabilities.
7.	This guarantee will not be disch	narged due to the change in the constitution of the Bank or the Contractor.
8.	We, (indicate the except with the consent of the G	e name of the Bank), undertake not to revoke this guarantee Government in writing.
9.	Notwithstanding anything me(Rupees	lid up to
Date		
Witn	esses:	
1.	Signature	Authorized signatory
	Name and address	Name
		Designation
		Staff code no.
2.	Signature	Bank seal



Name and address

^{*}Date to be worked out on the basis of validity period of 90 days where only financial bids are invited and 180 days for two/three bid system from the date of submission of tender.

^{**}In paragraph 1, strike out the portion not applicable. Bank Guarantee will be made either for earnest money or for performance guarantee/security deposit/mobilization advance/Refund of mile stone withheld amount, as the case may be.





5	हम,	प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त करार के किसी बढ़ाने या उक्त ठेकेदार के संबंध में सरकार को जोभी शक्तियाँ ने तथा उक्त करार की किसी भी शर्त को हटाने या लागू करने वेदार को अधिक समय दिये जाने से या कोई शर्त हटाए जाने कार द्वारा ऐसी कोई ढील दिये जाने से, या प्रतिभूतियों के संबंध
6	हम,(बैंक का नाम लिखें)आगे सहमत हैं कि सरव और ठेकेदार की देनदारियों के संबंध में सरकार की किसी भी प्रतिभूति के रूप में बैंक के विरुद्ध इस गारंटी को लागू करने की हकदार होगी	या अन्य गारंटी के बावजूद, पहली बार में एक प्रमुख देनदार
7	यह गारंटी बैंक या ठेकेदार के संगठन में हुए परिवर्तन के कारण उन्मो	चित नहीं होगी।
8	हम,(बैंक का नाम लिखें) यह वचन देते हैं कि करेंगे।	सरकार से लिखित सहमति के बिना इस गारंटी को रद्द नहीं
9	जब तक कि सरकार द्वारा इस मांग का समय विस्तार न किया जाए, यह किसी भी बात के होते हुए भी, इस गारंटी के प्रति हमारी देयतातक इस गारंटी की समाप्ति की तिथि या विस्तारित तिथि के भीतर हमा तहत हमारी सभी देन दारियां समाप्त हो जाएंगी।	(रुपये मात्र) रुपये तक सीमित है और जब
दिनांक	5	
गवाह:		
1.	हस्ताक्षर नाम और पता	अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता नाम पद स्टाफकोड सं.
2.	हस्ताक्षर नाम और पता	बैंकसील

*निविदा जमा करने की तारीख से 90 दिनों की वैधता अवधि, जहां केवल वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाती हैं और दो / तीन बोली प्रणाली के लिए 180 दिनों की वैधता अवधि के आधार पर तिथि का निर्धारण किया जाएगा।

**पैरा 1 में लागू न होने वाले भाग को काट दें। बैंक गारंटी या तो बयाना राशि के लिए या निष्पादन गारंटी / प्रतिभूति जमा / संग्रहण अग्रिम राशि / मील–पत्थर हेतु रोकी गई राशि की वापसी के लिए, जैसा भी मामला हो, के लिए दी जाएगी।



PROFORMA OF SCHEDULES

SCH	EDULE 'A'	
(Sch	edule of work)	
SCH	EDULE 'D'	
Extra	a schedule for specific requ	uirements/document for the work, if any.
SCH	EDULE 'E'	
Refe	rence to General Condition	ons of contract
Nam	e of work:	
Estir	nated cost of work:	Rs
(i)	Earnest money:	Rs (to be returned after receiving performance guarantee)
(ii)	Performance Guarantee	% of tendered value.
(iii)	Security Deposit	2.5% of tendered value.
		or
	2.5% of tendered value pl work after construction of	us 50% of PG for contracts involving maintenance of the building and services/ other same building.





अनुसूचियों के प्रारूप

अनुसूची 'क'

मात्राओं की अनुसूची

अनुसूची 'घ'

कार्य के लिए विषेश अपेक्षाएं / दस्तावेज की अतिरिक्त अनुसूची यदि कोई हों।

अनुसूची 'ङ'

ठेके की सामान्य शर्तों का संदर्भ	
कार्य का नाम	
कार्य की अनुमानित लागत	₹
(i) धरोहर राशि	₹ (निष्पादन प्रतिभूति के जमा के बाद लौटा दी जाएगी)
(ii) निष्पादन गारंटी	निविदित्त मूल्य का प्रतिशत
(iii) प्रतिभूत निक्षेप	निविदित्त मूल्य का 2.5 प्रतिशत
	अथवा
	निविदित्त मूल्य का 2.5 प्रतिशत एवम् निष्पादन गारंटी का 50 प्रतिशत उन ठेको के लिए जिसमें
	भवन एवम् सेवाओं / अन्य कार्य के निर्माण के बाद उस भवन एवम् सेवाओं / अन्य कार्य का अनुरक्षण भी शामिल हो।
	ן וַסְ וֹאַרוווֹץ וֹרְ



SCHEDULE 'F'

GENERAL RULES	3
& DIRECTIONS	

Officer inviting tender

Applicable Mode of EPC Contract	Mode- I/II/III (select any one)	One option to be kept by NIT approving authority	
Type of Building	Permanent or Semi Permanent (select any one)	One option to be kept by NIT approving authority	
List of approved construction technologies.	As per Table 1A/1B/2 of OM No. 17/SE(TAS)/BMTPC/2022/105-H dated 24.03.2022 amended from time to time. (select appropriate Table)	One option of appropriate Table to be kept by NIT approving authority and also attach a copy of the OM along with amendments, if any, with NIT.	

- "		
Defi	nitio	ne:
Dell	111110	,, i.ə.

2(vi)		Engineer-in-Charge	
2(viii)		Accepting Authority	
2(x)		Percentage on cost of materials and labour to cover all overheads and profits	15%
2(x)(b)		Standard Schedule of Rates	
2(xi)		Department	
9(ii)		Standard CPWD contract Form GCC 20, CPWD Form EPC as modified & corrected upto	
16		Price Preference to SC/ST individual contractor is valid upto	// (Date)
Clause	:1		
(i) (ii)	chart (Time and with EPFO, ESI from the date of Maximum allow Performance Gr	r submission of Performance Guarantee, programme progress) and applicable labour licenses, registration C and BOCW welfare board or proof of applying thereof issue of letter of acceptance able extension with late fee @ 0.1% per day of uarantee amount beyond the period provided in	days
	(i) above	•	days

(1 to 15 days to be filled by NIT approving authority)



अनुसूची 'च'

. सामान्य नियम एवं दिशानिर्देश

निविदा	आमत्रण	करने	वाला	प्राधिकारी	

ईपीसी संविदा का लागू मोड	मोड—I / II / III (किसी एक का चयन करें)	एन आईटी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा रखा जाने वाला एक विकल्प	
भवन का प्रकार	स्थायी अथवा अर्घ स्थायी (किसी एक का चयन करें)	एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा रखा जाने वाला एक विकल्प	
अनुमोदित निर्माण तकनीकों की सूची	दिनांक 24.03.2022 के का.ज्ञा. सं. 17 / एसई(टीएएस) / बीएमटीपीसी / 2022 / 105—एच की तालिका 1क / 1ख / 2 के अनुसारसमय—समय पर संशोधित। (उपयुक्त तालिका का चयन करें)	एक विकल्प और एनआईटी के साथ संशोधन, यदि कोई हो, के साथ का.ज्ञा. की एक	

परिभाषाए	ζ: –			
2(vi)	भारर	गधक इंजीनियर		
2(viii)	स्वीव	गरकर्ता प्राधिकारी		
2(x)	अतिर्व	रेक्त और लाभों को पूरा करने के लिए		
	सामा	ग्रेयों की लागत पर प्रतिशतता	15%	
2(x)(b)	दरों	की मानक अनुसूची		
2(xi)	विभाग	Т		
9(ii)	मानव	p के. लो. नि. वि. ठेका फार्म 2019,		
	के.ले	ो.नि.वि. फार्म ई.पी.सी. तक संशोधित और		
	शोधि	त		
16	अनुर	नूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तिगत		
	ठेकेट	रार के लिए मूल्य वरीयता मान्य हैं	// (तारीख)	
खण्ड–1				
	(i)	स्वीकृती पत्र जारी होने की तारीख से		
		निष्पादन गारंटी के प्रस्तुतीकरण, कार्यक्रम		
		चार्ट (समय तथा प्रगति) तथा लागू श्रम		
		लिसेंस, ईपीएफओ, ईएसआईसी और		
		बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के साथ		
		पंजीकरण या वहाँ आवेदन करने के प्रमाण		दिन
	(ii)	उपर्युक्त (i) में दी गई अवधि से आगे		
		कार्यनिष्पादन गारंटी राशि का 0.1		
		प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क		
		के साथ अधिकतम अनुमेय विस्तार		दिन
			(1 से 15 दिन — निविदा अनुमोदन अधिकारी दारा भरा जाए)	

PROFORMA OF SCHEDULES	

CI	la	u	S	е	2
----	----	---	---	---	---

Authority for fixing compensation under clause 2.	

Clause 5

(i)	Authority to convey the decision of shifting of milestone and extension of time. (Engineer-in-Charge or Engineer-in-Charge of Major Component in case of Composite Contracts, as the case may be)	
(ii)	Authority to decide rescheduling of milestone and extension of time. (SE/SE&PD/ CE/ CE&ED).	
(iii)	Shifting of date of start in case of delay in handing over of site. (SE/SE&PD/CE/ CE&ED).	

T'	. 11	r		- 6	1	
ııme	allowed	tor	execution	Oī	work.	

Number of days from the date of issue of letter of acceptance for reckoning date of start

Milestone(s) as per table given below:

SI. No.	Description of Milestone (Physical/ Financial)	Time allowed in days (from stipulated date of start)	Amount to be with-held in case of non achievement of milestone
1.			
2.			
3.			
4.			

Monthly recovery for delay in submission of the monthly progress report within specified period - not exceeding Rsper month for each month default

(To be decided by the NIT approving Authority)

PROFORMA OF SCHEDULES

Clause 5 Schedule of handing over of site

Part	Portion of site	Description	Time Period for handing over reckoned from date of issue of letter of intent.
Part A	Portion without any hindrance		
Part B	Portions with encumbrances		
Part C	Portions dependent on work of other agencies		





							
490rg () 化 너로	त प्रतिकर	1419714	chy+l c	llwll.	UIISIANIVI	
9-0-2	- 47 (IQ	(1 /11(19/(1 11 \ 9 \ 1	9/\ 1 9	11011	71119197111	

खण्ड-5

(i)	मील के पत्थर को स्थानांतरित करने और समय के विस्तार के निर्णय को सूचित करने का प्राधिकार (इंजीनियर-इन-चार्ज या समग्र अनुबंधों के मामले में प्रमुख घटक के इंजीनियर-इन-चार्ज, जैसा भी मामला हो)	
(ii)	मील के पत्थर के पुनर्निर्धारण और समय विस्तार का निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण (SE/SE&PD/ CE/ CE&ED)	
(iii)	साइट सींपने में देरी के मामले में प्रारंभ की तारीख में बदलाव (SE/SE&PD/ CE/CE&ED)	

कार्य	के	निष्पादन	के ति	त्रेए ी	दिया	गया	समय								
स्वीकृ	ित	पत्र जारी	करने	की	तिथि	से क	गर्य प्र	रम्भ	की	तिथि	के	दिनों	की	संख्या	

नीचे दी गई तालिका के अनुसार मील पत्थर

क्रम सं.	मील का पत्थर का विवरण (भौतिक / वित्तीय)	दिनों में अनुमत्य समय (शुरु की निर्धारित तिथि से)	मील का पत्थर हासिल न होने की स्थिति में रोकी जाने वाली राशि
1.			
2.			
3.			
4.			

निर्दिष्ट	अवधि के	भीतर	मासिक	प्रगति	रिपोर्ट	प्रस्तुत	करने	में देरी	के	लिए	मासिक	वसूली	
(रूपये					प्रतिः	माह से	अधिव	🤊 नहीं))				

(एन आई टी को मंजूरी देने वाले प्राधिकरण द्वारा तय किया जाना है।

अनुसूचियों का प्रोफॉर्मा

खंड 5 साईट को सौंपने की अनुसूची

भाग	साइट का हिस्सा	विवरण	आशय पत्र जारी हाने की तिथि से सुपुर्दगी की समया विध
भाग ए	बिना किसी बाधा के भाग		
भाग बी	बाधा के साथ भाग		
भाग सी	अन्य एजेंसियों के काम पर निर्भर भाग		

PROFORMA OF SCHEDULES																														S		71	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	----	--

			<u> </u>	
				CPWD
	Schedule	e of issue of Designs		Applicable/ Not Applicable
	Part	Portion of Design	Description	Time Period for issue of design reckoned from date of receipt of tenders
	Part A	Portion already included in NIT		
	Part B-1	Portions of Architectural Designs to be issued		
	Part B-2	Portions of Civil Designs to be issued		
	Part B-3	Portions of E&M Design to be issued		
Clau	ise 7			
	payment material payment	ork to be done together with net /adjustment of advances for collected, if any, since the last such for being eligible to interim payment	Rs	
Clau	ise 7A			
	Whether	clause 7A shall be applicable		Yes/No
Clau	ıse 8			
	Detail of I	building/infrastructure project to be co	mpleted early for use :	
	SI. N	lame of building/infrastructure project t	o be completed	Remarks
	1.			
	2.			
	(To be fille	ed by NIT approved authority).		
Clau	ise 8A			
		to decide compensation on account if ubmit completion plans.	contractor	
Clau	ıse 10B(ii)			
		Clause 10 B (ii) shall be applicable		Yes/No

Yes/No

Clause 10B(iii)

Whether Clause 10 B (iii) shall be applicable



खण्ड–७

खण्ड ७क

खण्ड 8

खण्ड ८क

खण्ड 10ख(ii)

खण्ड 10ख(iii)

क्या खण्ड 10 ख (iii) लागू होगा

ND							
	डिजाइन जारी	करने की अनुसूची	लाग	ाू∕लागू नहीं			
	भाग	साइट का हिस्सा	विवरण	1	गप्ति की तिथि से डिजाइन समयावधि की गणना		
	भाग ए	भाग पहले से ही एन.आई.टी. में शामिल है					
	भाग बी—1	स्थापत्य डिजाइन के अंश जारी किया जाने के लिए					
	भाग बी—2	जारी किए जाने वाले सिविल डिजाइन के अंश					
	भाग बी—3	जारी किए जाने वाले ई एंड एम डिजाइन के अंश					
7क क्या खण्ड 7व 8	रु लागू होगा						
क्रम सं.		जाने वाले भवन / बुनियादी ढांचे परियोजना व गादी ढांचे का नाम पूरा होने वाली प			टिप्पणी		
1.							
2.							
(एनआईटी उ	अनुमोदित प्राधि	कारी द्वारा भरा जाना है)					
८क यदि ठेकेदार द्वारा दी गई समापन योजनाओं को उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो प्राधिकारी द्वारा क्षतिपूर्ति निर्धारित की जाएगी ।							
10ख(ii) क्या खण्ड 10) ख (ii) लागू ा	डोगा	हाँ / नः	हों			
40777/:::\							

.....हाँ / नहीं



Clause 10 CC - Applicable

A. For construction period

S. No.	Relevant component of Material /Labour for price escalation	Percentage of total value of work
1.	Component of Cement.	
2.	Component of Labour	
3.	Civil Component of other Construction Materials	
4.	Electrical and Mechanical (E&M) Component of Construction Materials	
5.	Component of POL (Diesel)	
6.	Reinforcement steel bars/TMT bars/structural steels (including strands and cables).	
7.	Component of Bitumen	
	Total	100%

B. For maintenance period

S. No.	Relevant component of Material /Labour for price escalation	Percentage of total value of work
1.	Component of Labour	
2.	Civil Components of other Construction Materials	
3.	Electrical and Mechanical (E&M) Components of Construction Materials	
4.	Component of Bitumen (For Road work component)	
	Total	100%

Clause 11	(i)	Specifications to be followed for execution of work	
	(ii)	Building information model (BIM) is applicable(NIT approving authority to write 'Yes' or 'No')	
Clause 12		ation Limit beyond which clauses 12.2 & 12.3 shall apply Il types of works	
Clause 16	Com	petent Authority for deciding reduced rates	
Clause 19C	Pena	alty for each default	Rs
Clause 19D	Pena	alty for each default	Rs
Clause 19G	Pena	alty for each default	Rs
	Enha	anced penalty per day for continuous default	Rs
Clause 19K	Pena	alty for each default	Rs
Clause 25			
	(i)	Conciliator:	
	(ii)	Arbitrator Appointing Authority:	
	(iii)	Place of Arbitration:	





खण्ड-10 गग लागू/लागू नहीं

क्रं सं.	मूल्य वृद्धि के लिए सामग्री / श्रम का प्रासंगिक घटक	कार्य के कुल मूल्य का प्रतिशत
1	सीमेंट का घटक।	
2	श्रम का घटक	
3	अन्य निर्माण सामग्री के सिविल घटक	
4	निर्माण सामग्री के विद्युत और यांत्रिक (ई एंड एम) घटक	
5	पीओएल (डीजल) के घटक	
6	रीइन्फोर्समेंट स्टील बार्स / टीएमटी बार्स / स्ट्रक्चरल स्टील्स (स्ट्रेंड्स और केबल सहित)।	
7	बिटुमेन का घटक	
	कुल	100%

ख. अनुरक्षण अवधि के लिए

क्रं सं.	मूल्य वृद्धि के लिए सामग्री / श्रम का प्रासंगिक घटक	कार्य के कुल मूल्य का प्रतिशत
1	श्रम का घटक	
2	अन्य निर्माण सामग्री के सिविल घटक	
3	निर्माण सामग्री के विद्युत और यांत्रिक (ई एंड एम) घटक	
4	बिटुमेन का घटक (सड़क कार्य घटक के लिए)	
	कुल	100%

खण्ड–11	(i) कार्य के निष्पादन के लिए अपनाई जाने वाली विशिष्टताएँ	
	(ii) भवन सूचना मॉडल (बीआईएम) लागू	
	(निविदा आमंत्रन सूचना अनुमोदन प्राधिकारी 'हाँ' या 'नहीं' लिखन	ने के लिए)
खण्ड−12	विचलन सीमा, जिसके परे खंड 12.2 तथा 12.3	
	सभी प्रकार के कार्य के लिए लागू होंगे	
खण्ड−16	घटी हुई दरें निर्धारित करने के लिए समक्ष प्राधिकारी	
खण्ड–19ग	प्रत्येक डिफाल्ट / दोष के लिए जुर्माना	रु
खण्ड–19घ	प्रत्येक डिफाल्ट / दोष के लिए जुर्माना	रु
खण्ड–19छ	प्रत्येक डिफाल्ट / दोष के लिए जुर्माना	रु
	निरन्तर डिफाल्ट / चूक के लिए प्रति दिन बढ़ा हुआ जुर्माना	रु
खण्ड–19ट	प्रत्येक डिफाल्ट / दोष के लिए जुर्माना	रु
खण्ड-25		
	(i) मध्यस्थ	
	(ii) मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी	
	् (iii) मध्यस्थता का स्थान	

PROFORMA OF SCHEDULES



Clause 32

(i) Requirement of Technical Representative(s) and recovery Rate

SI No.	Minimum Qualification of Technical	iscipline	Designation (Principal Techincal /Techincal representative)	Minimum Experience	Number	from the cont	recovery shall be made ractor in the event of not ision of clause 36(i)	
	Representative	D		ΜX	_	Figures	Words	
1.								
2.								
3.								
4							_	
5								

Note: Assistant Engineers retired from Government services that are holding Diploma will be treated at par with Graduate Engineers.

Diploma holder with minimum 10 year relevant experience with a reputed construction company can be treated at par with Graduate Engineers for the purpose of such deployment subject to the condition that such diploma holders should not exceed 50% of requirement of degree engineers.

(iv)	Minimum recovery for not deploying Building Information Model (BIM) professional shall be	
	(Rs. Three lac per month or as mentioned above, whichever is higher)	

Clause 38

- (i) (a) Schedule/statement for determining theoretical quantity of cement & bitumen on the basis of Delhi Schedule of Rates printed by CPWD
- (ii) Variations permissible on theoretical quantities:

(a)	Cement	3% plus/minus.
(b)	Bitumen All Works	2.5% plus only & nil on minus side.
(c)	Steel Reinforcement and structural steel sections for each diameter, section and category	2% plus/minus
(d)	All other materials.	Nil

Provision of Independent External Monitors

- (i) Integrity Pact would be applicable for the work having estimated cost put to tender **Rs.300 crore** and above.
- (ii) Particulars of IEMs appointed by CVC are given below :-

S. No.	Name of IEM	Address
1.	Sh. Vinayaka Rao Turaga IOFS (Retired)	Turaga House, Anne Baburao Colony, Penamaluru, Vijaywada, Andhra Pradesh – 521139 email: tvrao56@gmail.com Mobile: 9007723414





खण्ड−32

(i) तकनीकी प्रतिनिधि (यों) की आवश्यकता तथा वसूली की दर

क्रम सं.	तकनीकी प्रतिनिधि की न्यूनतम योग्यता	विधा	पदनाम (प्रमुख तकनीकी / तकनीकी प्रतिनिधि)	न्यूनतम अनुभव	संख्या	किए जाने की रि की जाने वाली व	C1
						अंकों में	शब्दों में
1							
2							
3							
4							
5							

टिप्पणीः सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त वे सहायक इंजीनियर जो डिप्लोमाधारक हों, ग्रेजुएट इंजीनियर के बराबर माने जाएंगे।

डिप्लोमाधारक इंजीनियर को प्रतिष्ठित निर्माण कम्पनी में कम से कम दस साल के उपयुक्त अनुभव होनें की दशा में ग्रेजुएट इंजीनियर के बराबर माने जाएंगा परंतु ऐसे डिप्लोमाधारक इंजीनियर ग्रेजुएट इंजीनियर की तैनाती की आवश्यकता के पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

(iv)	भवन	सूचना	मॉडल	(बीअ	गईएम)	तव	^{ज्नीकी}	पेशेवर	की	तैनाती	न	करने	पर	न्यूनतम	वसूली	रु.	
	(तीन	लाख	रूपये	प्रति	माह	या	जैसा	ऊपर	बताय	ग्र गय	ि है	, जो	भी	अधिक	हो ।)		

खण्ड–38

- (i) (क) के. लो. नि. वि. द्वारा मुद्रित दिल्ली दर अनुसूची क आधार पर सीमेंट और बिटुमन की अनुमानमूल मात्रा निर्धारित करने के लिए अनुसूची विवरण
- (ii) अनुमानमूलक मात्राओं में अनुमत्य विचलन

(ক)	सीमेंट	3 प्रतिशत अधिक / कम
(ख)	बिटुमन सभी कार्यों के लिए	2.5 प्रतिशत केवल अधिक और कम के पक्ष में शून्य
(ग)	इस्पात प्रत्येक व्यास, कोट और श्रेणी के लिए पुनर्बलन और संरचनात्मक इस्पात काट	2 प्रतिशत अधिक / कम
		2 शासिस जावपर/ परन
(ঘ)	सभी अन्य सामग्रियां	शून्य

स्वतंत्रबाह्य अनुवीक्षक का प्रावधान

(i) ईमानदारी समझौता उन कार्यों के लिए लागू होगा जिनकी अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

क्रम सं	आईईएम का नाम	पता
1.	श्री विनायक राव तुरगा	तुरगा हाउस, ऐनी बाबूराव कॉलोनी,
	आईओएफएस (सेवानिवृत्त)	पेनमालुर, विजयवाड़ा,
		आंध्र प्रदेश — 521139
		ईमेल: tvrao56@gmail.com
		मोबाइल: 9007723414



S. No.	Name of IEM	Address
2.	Dr. Ravindra Kumar Srivastava IAS (Retired)	A6 Anand Niketan, New Delhi - 110021 email: srivastava.rks@gmail.com Mobile: 9999985440
3.	Sh. Vijay Kumar Singh Principal Chief Conservator of Forest HAG (Retired)	House no. 12 stellar Okas Golf View, Sector-H, Sushant Golf City, Lucknow Pin- 226030 email: ksingh_vijay@yahoo.com Mobile: 9717581113



क्रम सं	आईईएम का नाम	पता
2.	डॉ. रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव आईएएस (सेवानिवृत्त)	ए६ आनन्द निकेतन, नई दिल्ली — 110021 ईमेल: srivastava.rks@gmail.com मोबाइल: 9999985440
3.	श्री विजय कुमार सिंह प्रधान मुख्य वन संरक्षक एचएजी (सेवानिवृत्त)	मकान नं. 12 स्टेलर ओकास गोल्फ व्यू सेक्टर—एच, सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ पिन— 226030 ईमेल: ksingh_vijay@yahoo.com मोबाइल: 9717581113



Annexure showing quantities of materials for areas of surfacing to be considered for working out minimum period of road roller

SI. No.	Mate	rial of surfacing	Quantity or area
1.	Cons	solidation of earth sub grade	1860 Sq.m
2.	Cons	solidation of stones soling 15 cm. to 22.5 cm thick	170 Cu.m.
3.	Cons	230	
4.	Cons	30 Cu.m.	
5.	Cons	60 Cu.m.	
6.	Spre	ading and consolidation of red bajri 6 mm.	1860 Sq.m.
7.	Paint	ing one coat using stone aggregate 12.5 mm nominal size-	
	(a)	@ 1.65 m³ per 100 m² and paving bitumen A-90 or S-90 @ 2.25 Kg per m²	930 Sq.m.
	(b)	1.50 m³ per 100 m² and bitumen emulsion or Road tar @ 2.25 Kg per m²	930 Sq.m.
8.	Paint	ing two coats using-	
	(a)	For first coat, stone aggregate 12.5 mm nominal size: (i) @ 1.50m³ per 100m² with paving bitumen A-90 or S-90 @ 2 Kg per m²	
		or (ii) @ 1.35m³ per 100m² with bitumen emulsion @ 2 Kg per m² or	
		(iii) @1.25 m³ per 100m² with road tar @ 2.25 Kg per m²	600 Sq.m
	(b)	For 2nd Coat, stone aggregate 10mm nominal size 0.9 Cum. per 100 Sq.m with-	000 04.111
	(5)	(i) 1kg of paving bitumen A-90 or S-90 or bitumen emulsion per Sq.m.or	
		(ii) 1.25 Kg. of road tar, per Sq.m.	600 Sq.m
9.	Re-p	ainting with stone aggregate 10 mm nominal size 0.9 Cum. per 100 Sqm. with-	333 3 4
	(a)	1Kg. of paving bitumen A-90 or S-90 per Sqm.or	
	(b)	1.25 kg of Bitumen emulsion per Sqm.	1670 Sq.m.
10.	2 cm per 1	premix carpet surfacing using 2.4 m³ of stone aggregate 10 mm nominal size 00 m² and binder including tack coat, the binder being hot cut back bitumen or nen emulsion specified quantities.	930 Sq.m.
11.	per 1	rm. premix carpet surfacing using 3m³ of stone aggregate 10 mm nominal size 00 m² and binder including tack coat, the binder being hot cut back Bitumenor nen emulsion in specified quantities.	930 S q.m.
12.	4 cm nomi per 1	460 Sq.m.	
13.	nomi	thick bitumen concrete surfacing using stone aggregate 4.8 Cu.m. (60% 25 mm nal size and 40% 20 mm nominal size) per 100 m² and coarse sand 2.4 Cu.m per Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen	370 Sq.m.
14.	nomi	thick bitumen concrete surfacing using stone aggregate 5.8 Cu.m. (60 % 40 mm. nal size and 40% 25mm nominal size) per 100 Sq.m. and coarse sand 2.9 Cu.m. 00 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen. 280 Sq.m	230 Sqm

परिशिष्ट



रोड रोलर की न्यूमनतम अवधि का पता लगाने के लिए विचाराधीन सर्फेसिंग के क्षेत्रों के लिए सामग्रियों की मात्रा दर्शाने वाला परिशिष्ट

क्रम सं.	सर्फेसिंग की सामग्री	मात्रा या क्षेत्र
1.	अर्थ उप ग्रेड का समेकन	1860 वर्ग मी.
2.	15 से.मी. से 22.5 से.मी. मोटाई तक स्टोदन सोयलिंग का समेकन	170 घन मी.
3.	10 से.मी. से 20 से.मी मोटाई तक के ब्रिक सोयलिंग का समेकन	230
4.	७.५ से.मी. से ११.५ से.मी. मोटाई तक	30 घन.मी.
5.	10 से.मी. मोटाई की ईंट की गिट्टी के वियरिंग कोट का समेन	60 घन.मी.
6.	6 मी.मी. लाल बजरी का प्रसार तथा समेकन	1860 वग.मी.
7.	12.5 मी.मी. सामान्य माप वाले स्टोोन एग्रीगेट द्वारा की गई एकल कोट पेंटिंग	
	(क) /प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.65 घन मी. तथा पेटिंग बिटुमन ए—90 या एस—90 /	
	प्रति पर २.२५ कि.ग्रा.	930 वर्ग मीटर
	(ख) / प्रति 100 वर्ग मी. पर 1.50 घन मी. तथा बिटुमन इमलषन या रोड टार /	
	्रप्रति वर्ग मी. पर 2.25 कि.ग्रा.	
8.	दो कोट की पेंटिंग	
	(क) पहले कोट के लिए 12.5 मिमी. साधारण माप का स्टोसन एग्रीगेटः	
	(i) प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.50 घन मीटर पेविंग बिटुमन ए—9.0 के साथ या	
	एस—90 / प्रति वर्ग मीटर पर 2 कि.ग्रा	
	(ii) / प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.35 घन मीटर रोड टार के साथ / प्रति वर्ग मीटर पर 2 किग्रा	
	(iii) / प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.25 घन मीटर रोड टार के साथ / प्रति वर्ग मीटर पर 2.25 कि.ग्रा.	600 वर्ग मीटर
	(ख) द्वितीय कोट के लिए, स्टो.न एग्रीगेट 10 मि.मी. साधारण माप 0.9 घन मीटर प्रति	००० पर्ग गटर
	100 वर्ग मीटर के साथ	
	(i) 1 कि.ग्रा. पेविंग बिटुमन ए—90 या एस—90 या बिटुमन इमलषन प्रति वर्ग मीटर या	
	(ii) 1.25 कि.ग्रा. की रोड टार, प्रति वर्ग मीटर	600 वर्ग मी.
9.	(क) 10 मी. साधारण माप स्टोबन एग्रीग्रेट के साथ पुनः पेंटिंग प्रति 100 वर्ग मीटर पर	000 41 11.
0.	0.9 घन मीटर	
	(ख) 1.25 कि.ग्रा. बिटुमन इमलषन प्रति वर्ग मी.	1670 वर्ग मी.
10.	10 मिमी साधारण 2.4 घन मीटर की माप स्टोरन एग्रीगेट द्वारा की गई 2 से मी प्रिमिक्सम	
	कार्पेट सर्फेसिंग तथा टैक कोट सहित बाइंडर, बाइंडर हॉट कट बैंक बिटुमन होते हुए या	
	निर्दिश्टट मात्रा में बिटुमन इमलषन सहित	930 वर्ग मीटर
11.	2.5 मिमी साधारण 3.8 घन मीटर की माप स्टोहन एग्रीगेट द्वारा की गई 10 मी. मी प्रिमिक्सट	
	कार्पेट सर्फेसिंग तथा टैक कोट सहित बाइंडर, बाइंडर हॉट कट बैंक बिटुमन होते हुए या	
	निर्दिश्ट. मात्रा में बिटुमन इमलषन होते हुए	930 वर्ग मीटर
12.	3.8 घन मीटर स्टोनन एग्रीगेट (60: 20 मि मी. साधारण माप तथा 40: 12.5 मिमी साधारण	
	माप) प्रति 100 वर्ग मीटर द्वारा की गई 4 सेमी मोटाई की बिटुमन कानक्रीट सर्फेसिंग तथा	
	खुरदुरी रेत 1.9 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा हॉट कट बैक बिटुमन के टैक कोट के	
	ऊपर हॉट कट बैक बिटुमन	460 वर्ग मीटर
13.	4.8 घन मीटर स्टो न एग्रीगेट (60: 25 मि मी. साधारण माप तथा 40: 20 मिमी साधारण माप)	
	प्रति 100 वर्ग मीटर द्वारा की गुई 4 सेमी मोटाई की बिटुमन कानक्रीट सर्फेसिंग तथा खुरदुरी	
	रेत 2.4 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा हॉट कट बैक बिटुमन के टैक कोट के ऊपर हॉट	
	कट बैक बिटुमन	370 वर्ग मीटर
14.	5.8 घन मीटर स्टो न एग्रीगेट (60: 40 मि मी. साधारण माप तथा 40: 25 मिमी साधारण माप)	
	प्रति 100 वर्ग मीटर द्वारा की गई 6 सेमी मोटाई की बिटुमन कानक्रीट सर्फेसिंग तथा खुरदुरी	
	रेत 2.9 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा हॉट कट बैक बिटुमन के टैक कोट के	
	ऊपर हॉट कट बैक बिटुमन	230 वर्ग मीटर

ANNEXURE



Material of surfacing	Quantity or area
7.5 cm thick bitumen concrete surfacing using stone aggregate 7.3 Cu.m. (60% 50mm nominal size and 40% 40 mm nominal size)per 100 Sq.m. and coarse sand 3.65 Cu.m.per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen.	750 Sqm
2.5 cm bitumastic sheet using stone aggregate 1.65 Cu.m. (60% 12.5 mm nominal size, 40%10 mm nominal size)per 100 Sq.m. and coarse sand 1.65 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen.	750 Sq.m.
4cm bitumastic sheet, using stone aggregate 2.6 Cu.m. (60%12.5mm nominal size 40%10 mm nominal size) per 100 Sq.m., coarse sand 2.5 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot bitumen.	560 Sqm
Laying full grouted surface using stone aggregate 40 mm nominal size 6.10Cu.m. per 100 Sq.m. with binder, binding with 20mm to 12.5 mm nominal size stone grit. 1.83 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of binder and stone grit 10mm nominal size, 1.07Cu.m. per 100 Sq.m., the binder being hot bitumen or tar as specified.	460 Sqm
Laying full grouted surface using stone aggregate 50 mm nominal size 9.14 Cu.m. per 100 sq.m. groutin with binder, with stone grit 20 mm to to 12.5 mm nominal size, 1.83 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of binder and stone grit 10mm nominal size 1.07 cu.m /100 Sqm	370 Sqm
4cm. thick premix macadum surfacing using stone aggregate 25mm nominal size 4.57 Cu.m. per 100 Sq.m and hot bitumen binding with stone aggregate 12.5 mm nominal size 1.52 Cu.m.per 100 Sq.m. and seal coat of hot bitumen and stone aggregate 10mm nominal size. 1.07 Cu.m. per 100 Sq.m.	560 Sq.m.
5cm thick premix macadum surfacing with stone aggregate 25 mm nominal size, 6.10 Cu.m. per 100 Sq.m and hot bitumen binding with stone aggregate 12.5 mm nominal size 1.52 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of hot bitumen and stone aggregate10mm nominal size 1.07 Cu.m. per 100 Sq.m	460 Sq.m.
	7.5 cm thick bitumen concrete surfacing using stone aggregate 7.3 Cu.m. (60% 50mm nominal size and 40% 40 mm nominal size)per 100 Sq.m. and coarse sand 3.65 Cu.m.per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen. 2.5 cm bitumastic sheet using stone aggregate 1.65 Cu.m. (60% 12.5 mm nominal size, 40%10 mm nominal size)per 100 Sq.m. and coarse sand 1.65 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen. 4cm bitumastic sheet, using stone aggregate 2.6 Cu.m. (60%12.5mm nominal size 40%10 mm nominal size) per 100 Sq.m., coarse sand 2.5 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot bitumen. Laying full grouted surface using stone aggregate 40 mm nominal size 6.10Cu.m. per 100 Sq.m. with binder, binding with 20mm to 12.5 mm nominal size stone grit. 1.83 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of binder and stone grit 10mm nominal size, 1.07Cu.m. per 100 Sq.m., the binder being hot bitumen or tar as specified. Laying full grouted surface using stone aggregate 50 mm nominal size 9.14 Cu.m. per 100 sq.m. groutin with binder, with stone grit 20 mm to to 12.5 mm nominal size, 1.83 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of binder and stone grit 10mm nominal size 1.07 cu.m. /100 Sqm 4cm. thick premix macadum surfacing using stone aggregate 25mm nominal size 4.57 Cu.m. per 100 Sq.m and hot bitumen binding with stone aggregate 12.5 mm nominal size 1.52 Cu.m.per 100 Sq.m. and seal coat of hot bitumen and stone aggregate 10mm nominal size. 1.07 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot bitumen binding with stone aggregate 12.5 mm nominal size, 1.07 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot bitumen binding with stone aggregate 12.5 mm nominal size. 1.52 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of hot bitumen and stone



क्रम सं.	सर्फेसिंग की सामग्री	मात्रा या क्षेत्र
15.	7.3 घन मीटर स्टो न एग्रीगेट (60: 50 मि मी. साधारण माप तथा 40: 40 मिमी साधारण माप) प्रति 100 वर्ग मीटर द्वारा की गई 7.5 सेमी मोटाई की बिटुमन कानक्रीट सर्फेसिंग तथा खुरदुरी रेत 3.6 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा हॉट कट बैक बिटुमन के टैक कोट के ऊपर हॉट कट बैक बिटुमन	750 वर्ग मीटर
16.	1.65 घन मीटर स्टो न एग्रीगेट (60: 12.5 मि मी. साधारण माप तथा 40: 10 मिमी साधारण माप) प्रति 100 वर्ग मीटर द्वारा की गई 2.5 सेमी मोटाई की बिटुमास्टिक षीट तथा खुरदुरी रेत 1.65 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा हॉट कट बैक बिटुमन के टैक कोट के ऊपर हॉट कट बैक बिटुमन	750 वर्ग मीटर
17.	2.6 घन मीटर स्टो न एग्रीगेट (60: 12.5 मि मी. साधारण माप तथा 40: 10 मिमी साधारण माप) प्रति 100 वर्ग मीटर द्वारा की गई 4 सेमी मोटाई की बिटुमास्टिक षीट तथा खुरदुरी रेत 2.5 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा हॉट कट बैक बिटुमन के टैक कोट के ऊपर हॉट कट बैक बिटुमन	560 वर्ग मीटर
18.	स्टौन एग्रिगेट 40 मिमी साधारण माप 6.10 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर बाइंडर सहित से की गई लेयिंग फुल ग्राउटेड सर्फेस, 20 मिमी से 12.5 मिमी साधारण माप स्टोकन ग्रिट प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.83 घन मीटर तथा बाइंडर का सील कोट और स्टोगन ग्रिट 10 मिमी साधारण माप, प्रति 100 वर्ग मीटर 1.07 घन मीटर, बाइंडर हॉट बिटुमन होते हुए या निर्दिश्टप टार होते हुए स्टोटन एग्रिगेट	460 वर्ग मीटर
19.	स्टीनि एग्रिगेट 50 मिमी साधारण माप 9.14 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर बाइंडर सहित की गई लेथिंग फुल ग्राउटेड सर्फेस, स्टो.न ग्रिट 20 मिमी से 12.5 मिमी साधारण माप के साथ, प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.83 घन मीटर तथा बाइंडर का सील कोट और स्टोफन ग्रिट 10 मिमी साधारण माप प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.07 घन मीटर	370 वर्ग मीटर
20.	स्टो न एग्रिगेट 25 मिमी साधारण माप 4.57 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा स्टोन एग्रिगेट 12.5 मिमी साधारण माप 1.52 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर के साथ हॉट बाइंडिंग बिटुमन तथा हॉट बिटुमन का सील कोट और स्टो.न एग्रिगेट 10 मिमी साधारण माप 1.07 घन मीट प्रति 100 वर्ग मीटर	560 वर्ग मीटर
21.	स्टीनि एग्रिगेट 25 मिमी साधारण माप 4.57 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा स्टोन एग्रिगेट 12.5 मिमी साधारण माप 6.10 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर के साथ हॉट बाइंडिंग बिटुमन तथा हॉट बिटुमन का सील कोट और स्टो.न एग्रिगेट 10 मिमी साधारण माप 1.07 घन मीट प्रति 100 वर्ग मीटर	460 वर्ग मीटर



Government of India Ministry of Housing and Urban Affairs

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

www.cpwd.gov.in

170 Years of Engineering Excellence

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the DG, CPWD. Printing by any other person is strictly prohibited, Any unauthorized person printing and/or supplying the book will be prosecuted under the law.



A Government of India Publication
Published by
Director General, CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.

Price: Rs. 150.00

Delivery/ Forwarding Charges/ Postage/ Freight Charges Extra

Printed & Marketed by
JAIN BOOK AGENCY (CENTRAL)

4638/21, Ground Floor, Ansari Road, Daryaganj, Opp. Fire Station, New Delhi-110002

Phone: 011-43513570, 44556677 Mob: 9868378448, 8810566260 E-mail: cp@jainbookagency.com, central@jainbookagency.com